शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर

दूरशिक्षण केंद्र

प्रश्नपत्र क्रमांक–A : सत्र–1

सृजनात्मक लेखन

प्रश्नपत्र क्रमांक–B : सत्र 2

व्यावहारिक लेखन

(शैक्षिक वर्ष 2019-20 से)

बी.ए. एवं बी.कॉम. भाग 1 हिंदी (अनिवार्य)

© **कुलसचिव,** शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर (महाराष्ट्र)
प्रथम संस्करण : 2019
बी.ए. एवं बी.कॉम. भाग 1 (हिंदी : अनिवार्य)
सभी अधिकार विश्वविद्यालय के अधीन। शिवाजी विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना किसी भी सामग्री की नकल न करें।

प्रतियाँ : 300

■

प्रकाशक :
डॉ. व्ही. डी. नांदवडेकर
कुलसचिव,
शिवाजी विश्वविद्यालय,
कोल्हापुर - 416 004.

■

मुद्रक :
श्री. बी. पी. पाटील
अधीक्षक,
शिवाजी विश्वविद्यालय मुद्रणालय,
कोल्हापुर - 416 004.

■

ISBN- 978-93-89327-22-9

★ दूरशिक्षण केंद्र और शिवाजी विश्वविद्यालय की जानकारी निम्नांकित पते पर मिलेगी-
शिवाजी विश्वविद्यालय, विद्यानगर, कोल्हापुर-416 004. (भारत)
★ दूरशिक्षण विभाग-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के विकसन अनुदान से इस साहित्य की निर्मिति की है।

दूरशिक्षण केंद्र, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर

सलाहकार समिति

प्रा. (डॉ.) देवानंद शिंदे
मा. कुलगुरू,
शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर

प्रा. (डॉ.) डी. टी. शिर्के
प्र-कुलगुरू,
शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर

प्रा. (डॉ.) एम. एम. साळुंखे
माजी कुलगुरू,
यशवंतराव चव्हाण महराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नाशिक

प्रा. (डॉ.) के. एस. रंगाप्पा
मा. कुलगुरू,
म्हैसुर विश्वविद्यालय, म्हैसुर

प्रा. पी. प्रकाश
अतिरिक्त सचिव-II
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नवी दिल्ली

प्रा. (डॉ.) सीमा येवले
गीत-गोविंद, फ्लॅट नं. २, ११३९ साईक्स एक्स्टेंशन,
कोल्हापुर-४१६००१

प्रा. (डॉ.) पी. एस. पाटील
I/c अधिष्ठाता, विज्ञान और तंत्रज्ञान विद्याशाखा,
शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर

प्रा. (डॉ.) ए. एम. गुरव
I/c अधिष्ठाता, वाणिज्य और व्यवस्थापन विद्याशाखा,
शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर

प्रा. (डॉ.) भारती पाटील
I/c अधिष्ठाता, मानवविज्ञान विद्याशाखा,
शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर

प्रा. (डॉ.) पी. डी. राऊत
I/c अधिष्ठाता, आंतर-विद्याशाखीय अभ्यास विद्याशाखा,
शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर

डॉ. व्ही. डी. नांदवडेकर
कुलसचिव,
शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर

श्री. जी. आर. पळसे
I/c संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ,
शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर

श्री. व्ही. टी. पाटील
वित्त व लेखा अधिकारी,
शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर

प्रा. (डॉ.) एम. ए. अनुसे
(सदस्य सचिव)
संचालक, दूर शिक्षा केंद्र,
शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर

हिंदी अध्ययन मंडल

डॉ. राजेंद्र पिलोबा भोसले
अध्यक्ष, हिंदी अध्ययन मंडल, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर
तथा
सहयोगी प्राध्यापक, कला, वाणिज्य महाविद्यालय, पुसेगांव, जिला सातारा

सदस्य

- **प्रो. (डॉ.) श्रीमती शालीनी लिहितकर**
  हिंदी विभाग,
  शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर
- **डॉ. बी. एस. खिलारे**
  छत्रपती शिवाजी कॉलेज, सातारा
- **डॉ. एस. एम. कांबळे**
  तुकाराम कृष्णाजी कोळेकर आर्टस ॲण्ड कॉमर्स कॉलेज,
  नेसरी, ता. गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर
- **डॉ. बबन शंकर सातपुते**
  मिरज महाविद्यालय, मिरज, जि. सांगली
- **डॉ. क्षितिज यादवराव धुमाळ**
  प्र-प्रधानाचार्य, कला व वाणिज्य महाविद्यालय,
  वडूज, जि. सातारा
- **डॉ. संजय पिराजी चिंदगे**
  देशभक्त आनंदराव बळवंतराव नाईक आर्टस ॲण्ड
  सायन्स कॉलेज, चिखली, ता. शिराळा, जि. सांगली
- **डॉ. सुनील बापू बनसोडे**
  जयसिंगपुर कॉलेज, जयसिंगपुर, जि. कोल्हापुर
- **डॉ. एकनाथ श्रीपती पाटील**
  राधानगरी महाविद्यालय, राधानगरी,
  जि. कोल्हापुर
- **प्रो. (डॉ.) विष्णु रानबा सरवदे**
  प्रोफेसर, केंद्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद
- **डॉ. मोहन मंगेशराव सावंत**
  आण्णासाहेब डांगे आर्टस, कॉमर्स ॲण्ड सायन्स कॉलेज,
  हातकणंगले, जि. कोल्हापुर
- **डॉ. प्रकाश शंकरराव चिकुर्डेकर**
  यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय, वारणानगर,
  जि. कोल्हापुर
- **डॉ. मधुकर शंकरराव खराटे**
  आर्टस, कॉमर्स ॲण्ड सायन्स कॉलेज, बोदवड,
  जि. जळगाव
- **डॉ. श्रीमती सरोज संग्राम पाटील**
  श्री शहाजी छत्रपती महाविद्यालय, कोल्हापुर

अपनी बात

शिवाजी विश्वविद्यालय की दूर शिक्षा योजना के अंतर्गत बी.ए. एवं बी.कॉम. भाग 1 हिंदी (अनिवार्य) विषय के छात्रों के लिए निर्मित स्वयं–अध्ययन नियमित रूप से प्रवेश न ले पानेवाले छात्रों की असुविधा को दूर करने के संकल्प का सुफल है। इसमें एक ओर विश्वविद्यालय की सामाजिक संवेदनशीलता आधारभूत है, तो दूसरी ओर शिक्षा से वंचितों को सुविधा प्रदान करने की प्रतिबद्धता। सन् 2007 से बी. ए. भाग 1 से लेकर एम.ए. 2 तक के छात्र स्वयं–अध्ययन सामग्री से दूर शिक्षा योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं । उसी तरह अब बी. ए. एवं बी.कॉम. 1 के छात्र इस पुनर्रचित पाठ्यक्रम की स्वयं–अध्ययन सामग्री से लाभान्वित हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। प्रस्तुत स्रोत सामग्री सामूहिक प्रयास का ही फल है। हमें आशा ही नहीं, बल्कि पूरा विश्वास है कि प्रस्तुत अभ्यास–सामग्री उक्त छात्रों के लिए उपादेय सिद्ध होगी।

– संपादक

इकाई लेखक

लेखक	इकाई
हिंदी (अनिवार्य) प्रश्नपत्र क्रमांक–A : सत्र 1 सृजनात्मक लेखन	
★ **डॉ. बी. एस. सातपुते** मिरज महाविद्यालय, मिरज	1
★ **डॉ. दिपक तुपे** विवेकानंद कॉलेज, कोल्हापूर	2
★ **डॉ. भारत खिलारे** छत्रपती शिवाजी कॉलेज, सातारा	3
★ **प्रा. डॉ. भानुदास भिकाजी आगेडकर** किसनवीर महाविद्यालय, वाई, जि. सातारा	4
हिंदी (अनिवार्य) प्रश्नपत्र क्रमांक–B : सत्र 2 व्यावहारिक लेखन	
★ **श्रीमती एस. पी. वाघ** आर्टस, कॉमर्स महाविद्यालय, पलूस	1
★ **श्रीमती आर. के. मुल्ला** डी. पी. भोसले कॉलेज, कोरेगाव	2
★ **प्रा. के. बी. माने** बळवंत कॉलेज, विटा	3
★ **डॉ. जी. एस. भोसले** डी. पी. भोसले कॉलेज, कोरेगांव	4

■ **सम्पादक** ■

डॉ. बी. एस. सातपुते
मिरज महाविद्यालय,
मिरज

डॉ. आर. पी. भोसले
कला, वाणिज्य महाविद्यालय,
पुसेगाव

अनुक्रमणिका

इकाई		पृष्ठ
	हिंदी (अनिवार्य) पेपर क्रमांक–A : सत्र 1 सृजनात्मक लेखन	
1.	हिंदी भाषा तथा व्याकरण : सामान्य परिचय	1
2.	कविता, कहानी तथा यात्रा वृत्तांत लेखन	60
3.	रिपोर्ताज तथा साक्षात्कार लेखन	91
4.	दृश्य साहित्य लेखन तथा पत्रकारिता : स्वरूप, महत्त्व तथा उपयोगिता	109
	हिंदी (अनिवार्य) पेपर क्रमांक–B : सत्र 2 व्यावहारिक लेखन	
1.	हिंदी के विविध रूप तथा प्रयोजनमूलक हिंदी	121
2.	पत्राचार : सामान्य परिचय, रोजगार प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र	141
3.	अनुवाद और विज्ञान स्वरूप, प्रकार, महत्त्व उपयोगिता	161
4.	समाचार लेखन तथा पत्रकारीता, समाचार लेखन और पत्रकारीता	187

हर इकाई की शुरूआत उद्देश्य से होगी, जिससे दिशा और आगे के विषय सूचित होंगे–

(१) इकाई में क्या दिया गया है?

(२) आप से क्या अपेक्षित है?

(३) विशेष इकाई के अध्ययन के उपरांत आपको किन बातों से अवगत होना अपेक्षित है?

स्वयं–अध्ययन के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिनके अपेक्षित उत्तरों को भी दर्ज किया है। इससे इकाई का अध्ययन सही दिशा से होगा। आपके उत्तर लिखने के पश्चात् ही स्वयं–अध्ययन के अंतर्गत दिए हुए उत्तरों को देखें। आपके द्वारा लिखे गए उत्तर (स्वाध्याय) मूल्यांकन के लिए हमारे पास भेजने की आवश्यकता नहीं है। आपका अध्ययन सही दिशा से हो, इसलिए यह अध्ययन सामग्री (Study Tool) उपयुक्त सिद्ध होगी।

इकाई–1

हिंदी भाषा तथा व्याकरण : सामान्य परिचय

लिंग, वचन, कारक, विराम चिह्न, वाक्य के प्रकार, मानक वर्तनी

अनुक्रम

1.1 उद्देश्य

1.2 प्रस्तावना

1.3 विषय–विवेचन

1.3.1 लिंग

1.3.2 वचन

1.3.3 कारक

1.3.4 विराम चिह्न

1.3.5 वाक्य के प्रकार

1.3.6 मानक वर्तनी

1.4 स्वयं–अध्ययन के लिए प्रश्न

1.5 पारिभाषिक शब्द, शब्दार्थ

1.6 स्वयं–अध्ययन प्रश्नों के उत्तर

1.7 सारांश

1.8 स्वाध्याय

1.9 क्षेत्रीय कार्य

1.10 अतिरिक्त अध्ययन के लिए

1.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप-

- लिंग और लिंग-व्यवस्था से परिचित होंगे।
- वचन और वचन-व्यवस्था से परिचित होंगे।
- कारकों के अर्थ और प्रयोग-विधि से परिचित होंगे।
- विराम-चिह्नों के अर्थ और प्रयोग-विधि से परिचित होंगे।
- वाक्य और उसके प्रकारों से परिचित होंगे।
- मानक वर्तनी के नियम और भाषा में प्रयोग-क्षमता से परिचित होंगे।

1.2 प्रस्तावना

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह केवल समाजप्रिय ही नहीं, बल्कि संवेदनशील और विचारशील भी है। मनुष्य के विचार-विनिमय का प्रमुख साधन भाषा है। मनुष्य को प्राप्त वाणी अर्थात् भाषा मानो एक सर्वश्रेष्ठ वरदान ही है। वह भाषा के माध्यम से अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करता है। अत: भाषा ही उसकी अभिव्यक्ति का सहज माध्यम है। हालांकि मनुष्य जिस समाज में रहता है, उसकी अपनी भाषा होती है। प्रत्येक भाषा की संरचना अलग-अलग होती है। प्रत्येक भाषा का उनका अपना व्याकरण होता है। व्याकरण द्वारा ही उस भाषा की शुद्धता के नियम स्पष्ट होते हैं। यह नियम लिखित भाषा पर आधारित होते हैं। लिंग, वचन, कारक. विराम चिह्न, वाक्य के प्रकार, मानक वर्तनी आदि व्याकरण के प्रमुख घटक हैं। इस इकाई के अंतर्गत इन्हीं घटकों का हम अध्ययन करेंगे।

1.3 विषय-विवेचन

इस इकाई के अंतर्गत क्रमश: लिंग, वचन, कारक, विराम चिह्न, वाक्य के प्रकार, मानक वर्तनी आदि की जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत विवेचन प्रयोजनमूलक हिंदी (भाषिक संरचना, व्याकरण एवं अनुवाद), हिंदी व्याकरण एवं रचना, व्यावहारिक हिंदी व्याकरण, मानक-व्यावहारिक-हिंदी व्याकरण तथा भाषा-बोध आदि के आधार पर किया गया है।

1.3.1 लिंग

हिंदी भाषा में संज्ञा शब्दों के लिंग का प्रभाव उनके विशेषणों तथा क्रियाओं पर पडता है। अत: भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए संज्ञा शब्दों के लिंग-ज्ञान का होना अत्यावश्यक होता है।

'लिंग' का शाब्दिक अर्थ प्रतीक या चिह्न अथवा निशान होता है। संज्ञाओं के जिस रूप से उसकी पुरुष जाति या स्त्री-जाति का पता चलता है, उसे ही 'लिंग' कहा जाता है।

लिंग के दो प्रकार होते हैं- लौकिक और व्याकरणिक। इसमें लौकिक लिंग तीन हैं- नर, मादा तथा निर्जीव या निर्लिंग। इसे ही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग कहा जाता है। अत: संसार में सभी नर जीव पुल्लिंग, मादा जीव स्त्री लिंग और शेष निर्जीव या निर्लिंग हैं। डॉ. माधव सोनटक्के द्वारा लिखित 'प्रयोजनमूलक हिंदी' के आधार पर लिंग-निर्धारण पर सामान्य विवेचन किया जा सकता है।

लिंग-निर्धारण के साधन -

संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्रीवाची या पुरुषवाची होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। प्राणिवाचक संज्ञा के लिंग-निर्धारण में प्राकृतिक लिंग के आधार पर उसका लिंग-निर्धारण किया जा सकता है। दूसरी ओर अप्राणिवाचक शब्दों के लिंग बहुत कुछ माने हुए होते हैं। उसका अधिकतर निर्धारण लोक व्यवहार से किया जाता है। साथ ही इसके लिए कुछ साधन भी है। आ. देवेंद्रनाथ शर्मा ने अपनी पुस्तक में प्रमुख चार साधन बताए हैं- 1) अर्थ, 2) रूप, 3) सादृश्य और 4) साहचर्य। जिसका विवेचन इस प्रकार है-

1. अर्थ -

अर्थ के आधार पर लिंग-निर्धारण वहाँ होता है, जहाँ स्पष्टता पुरुष या स्त्री का ज्ञान हो। जैसे- पुरुष (पु.), नारी (स्त्री)। ऐसे ही पति-पत्नी, बैल-गाय आदि के निर्णय में कोई कठिनाई नहीं आती है। किंतु किसी भी भाषा के सभी शब्द प्राणिवाचक ही नहीं होते हैं और प्राणिवाचक में भी सर्वत्र इस नियम का पालन नहीं होता है। जैसे- हिंदी में 'कोयल' शब्द का व्यवहार हमेशा स्त्रीलिंग में होता है, परंतु उसमें भी नर और मादा दोनों हुआ करते हैं।

2. रूप -

व्याकरणिक लिंग-निर्धारण के लिए शब्दों के रूपों की पहचान अधिक सहायक होती हैं। व्याकरणिक लिंग का निर्धारण शब्दों में लगे प्रत्ययों से होता है, अर्थात् शब्दों के रूप प्रत्यय से

ही निर्मित होते हैं। एक प्रत्यय से निष्पन्न सभी शब्द के एक रूप होते हैं। इसलिए प्रत्येक भाषा लिंग-निर्धारण में रूपों की सहायता लेती है। जैसे- संस्कृत में नियम है कि, 'धञ्' प्रत्यय से बने सभी शब्द पुल्लिंग होंगे। हिंदी में 'आ' प्रत्यय से बने शब्द पुल्लिंग हैं तथा 'ई' प्रत्यय से बने शब्द स्त्रीलिंग। जैसे कि, लड़का > लडकी, घोडा > घोडी, बकरा > बकरी। फिर भी सभी शब्दों का लिंग-निर्धारण मात्र रूपों के आधार पर नहीं होता है। जैसे कि, पति-पत्नी दोनों के अंत में 'इ' है, लेकिन दोनों अलग-अलग लिंगी शब्द है।

3. सादृश्य –

बहुत सारे शब्दों का लिंग दूसरे शब्दों के अर्थगत् या रूपगत् सादृश्य के कारण निर्धारित होता है। जैसे- 'पूँछ' शब्द के रूपगत सादृश्य के आधार पर 'मूँछ' भी स्त्रीलिंगी रूप में प्रयुक्त होता है। इसमें अरबी-फारसी शब्दों का प्रभाव दृष्टिगत होता है। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा के शब्दों में- ''इस असंगति पर विचार करने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि इन शब्दों में लिंग-विपर्यय में फारसी-अरबी के तद्र्थबोधक शब्दों का प्रभाव हैं। एक भाषा बोलने का जैसा अभ्यास रहता है, दूसरी भाषा बोलते समय उसका प्रभाव अनायास पड़ जाता है। जैसे- हिंदी में बहुत सारे परिवर्तन, विशेषकर वाक्यों में, अंग्रेजी के प्रभावस्वरूप हुए हैं।'' अत: यह परिवर्तन सादृश्य के प्रभाव स्वरूप स्पष्ट होता है।

4. साहचर्य –

साहचर्य से कुछ शब्दों के लिंगों में परिवर्तन होता रहा है। जैसे- 'धूप-छाँह' इस शब्द में 'धूप' शब्द मूलत: पुल्लिंग है, लेकिन 'छाँह' शब्द के साहचर्य के कारण उसका प्रयोग स्त्रीलिंग में होने लगा है।

संक्षेप में, किसी भी भाषा की लिंग-व्यवस्था ऋतु-रेखा में चलनेवाली वस्तु नहीं होती है। वह कई प्रकार से प्रभावित होकर परिवर्तित भी होती रहती है। अत: उसके लिए अपवादहीन नियम नहीं बनाए जा सकते हैं। इस दृष्टि से डॉ. हरदेव बाहरी व्याकरणिक लिंग-निर्धारण में लोक-व्यवहार को ही महत्त्वपूर्ण स्थान देते हैं।

हिंदी लिंग-व्यवस्था : ऐतिहासिक संदर्भ

हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ है। इसलिए उसमें जहाँ अपना वैशिष्ट्य है, वहाँ संस्कृत के वैशिष्ट्य का समन्वय भी है। जैसे कि, बेटी अपनी माँ से भिन्न होती हुई भी वह बहुत सारी

विशेषताएँ लेकर ही उत्पन्न होती है। वह अपने समय और अपनी जरूरतों के अनुरूप अपने व्यक्तित्व को बनाती है। लिंग-व्यवस्था के थरातल पर भी संस्कृत और हिंदी में इसी तरह का संबंध रहा है।

भाषा का विकास कठिन से सरल की ओर होता है। इसी नियम के तहत संस्कृत से हिंदी तक आते-आते भाषा में क्लिष्टता को छोड़कर सरलता को अपनाने का प्रयास दिखाई देता है। फिर भी इसी प्रयास में कभी, कुछ क्लिष्टता आ ही जाती है। साथ ही लिंग-व्यवस्था में अनियमितता भी दिखाई देती है। यह बात संस्कृत तथा आर्य भाषाओं से स्पष्ट होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में अपभ्रंशों से विकसित आधुनिक आर्य भाषाओं के लिंग के आधार पर तीन वर्ग बनाए जा सकते हैं-

1) प्रथम वर्ग पश्चिमोत्तरी है, जिसमें हिंदी, पंजाबी, सिंधी, राजस्थानी आदि हैं। यह वर्ग बिना किसी प्रभाव के अपभ्रंश का सहज विकास है।

2) दूसरा वर्ग बंगला-असमी-उड़िया तथा अंशत: बिहारी का है। इस पूर्वी वर्ग पर तिब्बती-बर्मी एवं कोल भाषाओं का प्रभाव पड़ा है। इसी कारण इसमें लिंग-भेद बहुत ही कम है।

3) तीसरा वर्ग दक्षिणी है, जिसमें मराठी, गुजराती है। यह द्रविड भाषाओं से प्रभावित है। इसीकारण अभी तक इन भाषाओं में तीन लिंग हैं। पुरानी पश्चिमी राजस्थानी तथा मारवाडी भी इसी वर्ग में आती है।

अत: हिंदी प्रथम वर्ग की भाषा है। इसमे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो ही लिंग हैं। सन्धिकालीन हिंदी में नपुंसक लिंग के अवशेष दीख पड़ते हैं, लेकिन आधुनिक हिंदी में केवल कुछ प्रयोगों में नपुंसक लिंग का प्रयोग मिलता है। अधिकांश रूप में नपुंसक लिंग लुप्त-सा है। इसी तरह हिंदी की प्राचीन भाषाओं की तुलना में एक लिंग कम हुआ है। अत: पूर्ववर्ती 'नपु.' शब्द हिंदी में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में अन्तर्भूत हो गए हैं।

हिंदी शब्दों के लिंग-निर्णय : कुछ नियम -

हिंदी की लिंग-व्यवस्था संस्कृत-लिंग-व्यवस्था के कुछ विधान से या कुछ अपने नये-विधान से बनी है। यद्यपि शब्दों के लिंग-निर्धारण के विशेषकर अप्राणिवाचक संज्ञाओं के कोई व्यापक और सिद्ध नियम नहीं है। अधिकांश रूप में उसका निर्धारण लोक-व्यवहार से किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में लिंग-निर्णय के कुछ नियम इस प्रकार हैं-

अ) रूप की दृष्टि से लिंग-निर्णय –

रूप या बनावट की दृष्टि से लिंग-निर्णय दो होते हैं- पुल्लिंग और स्त्रीलिंग।

I. पुल्लिंग संज्ञाएँ –

रूप या बनावट की दृष्टि से पुल्लिंग शब्दों की पहचान इस प्रकार की जा सकती हैं-

1) संस्कृत के वे शब्द, जिनके अंत में 'ख' या 'ज' प्रत्यय होता है। जैसे- सुख, दुःख, मुख, जलज, सरोज, अनुज आदि।

2) संस्कृत के वे शब्द, जिनके अंत में 'अ' प्रत्यय होता है। जैसे- कौशल, शैशव, वाद, वेद, मोह, दोष आदि। अपवाद स्वरूप जय (स्त्रीलिंगी), विनय (उभयलिंगी) होते हैं।

3) संस्कृत के वे शब्द, जिनके अंत में 'अन' प्रत्यय होता है। जैसे- साधन, बंधन, दान, वचन, चयन, पालन आदि। अपवादस्वरूप पवन (उभयलिंगी) होता है।

4) संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में 'त्र' प्रत्यय होता है। जैसे- शस्त्र, शास्त्र, पत्र, पात्र, नेत्र, चरित्र, क्षेत्र, चित्र आदि।

5) संस्कृत के वे शब्द, जिनके अंत 'त' प्रत्यय होता है। जैसे- गीत, गणित, आगत, स्वागत, चरित आदि।

6) संस्कृत की वे संज्ञाएँ, जिनके अंत में 'त्व' प्रत्यय होता है। जैसे- व्यक्तित्व, कृतित्व, गुरूत्व, बहुत्व, मनुष्यत्व, पत्नीत्व, पुरुषत्व आदि।

7) संस्कृति की वे संज्ञाएँ, जिनके अंत में 'य' प्रत्यय होता है। जैसे- माधुर्य, सौंदर्य, धैर्य. शौर्य, कार्य आदि।

8) हिंदी की वे संज्ञाएँ, जिनके अंत में 'आ' प्रत्यय आता है। जैसे- घड़ा, कपड़ा, घेरा, फेरा, झंड़ेवाला, टोपीवाला, आटा, माथा, गन्ना आदि।

9) हिंदी की वे संज्ञाएँ, जिनके अंत में 'आव' या 'आवा' प्रत्यय होता है। जैसे- बहाव, घुमाव, पडाव, बहकाव, डरावा, भुलावा आदि।

10) हिंदी की वे संज्ञाएँ, जिनके अंत में 'ना' प्रत्यय लगाकर क्रियार्थक संज्ञाएँ बनती है। जैसे- लेना, देना, सोना, चलना, तैरना आदि।

11) हिंदी के वे शब्द, जिनके अंत में 'पा' या 'पन' प्रत्यय लगता है। जैसे- बुढापा, रँडपा, भोलापन, लड़कपन आदि।

12) हिंदी के वे शब्द, जिनके अंत में कृदंत 'आन' प्रत्यय होता है। जैसे- खानपान, मिलान, लगान आदि। अपवाद रूप में स्त्रीलिंग उड़ान, पहचान, मुस्कान आदि शब्द भी प्रयुक्त होते हैं।

13) वे शब्द जिनके अंत में अरबी-फारसी का 'खाना' प्रत्यय होता है। जैसे- चिड़ियाखाना, डाकखाना, गाड़ीखाना आदि।

14) वे शब्द, जिनके अंत में अरबी-फारसी का 'दान' प्रत्यय होता है। जैसे- कमलदान, फुलदान, गुलाबदान आदि।

II. स्त्रीलिंगी संज्ञाएँ -

रूप या बनावट की दृष्टि से स्त्रीलिंगी शब्दों की पहचान इस प्रकार की जा सकती.हैं-

1) संस्कृत की वे संज्ञाएँ, जिनके अंत में 'अना' प्रत्यय होता है। जैसे- वेदना, वंदना, सूचना, कल्पना, सांत्वना, प्रस्तावना, घटना, रचना आदि।

2) संस्कृत की वे संज्ञाएँ, जिनके अंत में 'आ' प्रत्यय होता है। जैसे- माया, दया, शोभा, शिक्षा, पूजा, कृपा, क्षमा आदि।

3) संस्कृत की वे संज्ञाएँ, जिनके अंत में 'इ' प्रत्यय होता है। जैसे- निधि, विधि, अग्नि, कृषि, रूचि, छवि आदि।

गिरि, बलि, जलधि, पाणि आदि संज्ञाएँ इसके लिए अपवाद है।

4) संस्कृत की वे संज्ञाएँ, जिनके अंत में 'ति' या 'नि' प्रत्यय होता है। जैसे- रीति, प्रीति, तृप्ति, जाति, शक्ति, गति, हानि, ग्लानि, बुद्धि, सिद्धि आदि।

5) संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में 'या' तथा 'सा' प्रत्यय होता है। जैसे- विद्या, क्रिया, मीमांसा, पिपासा आदि।

6) संस्कृत के वे शब्द, जिनके अंत में तद्वित प्रत्यय 'इमा' होता है। जैसे- कालिमा, लालिमा, महिमा, गरिमा आदि।

7) संस्कृत के वे शब्द, जिनके अंत में 'ता' प्रत्यय होता है। जैसे- लघुता, प्रभुता, नम्रता, एकता, दरिद्रता, गंभीरता, सुंदरता, योग्यता, प्रभुता आदि।

8) संस्कृत की वे संज्ञाएँ, जिनके अंत में 'उ' प्रत्यय होता है। जैसे- धातु, ऋतु, वस्तु, मृत्यु, वायु, रेणु, आयु आदि।

9) हिंदी के बहुधा ईकारांत शब्द, अर्थात् जिनके अंत में 'ई' प्रत्यय होता है। जैसे- रोटी, टोपी, गली, चिंटी, नदी, उदासी आदि। अपवादस्वरूप पानी, घी, दही, मोती आदि शब्द पुल्लिंग होते हैं।

10) हिंदी की वे संज्ञाएँ, जिनके अंत में 'इया' प्रत्यय होता है। जैसे- डिबिया, पुडिया, लुटिया, खटिया आदि।

11) हिंदी की प्राय: वे संज्ञाएँ, जिनके अंत में 'ख' प्रत्यय होता है। जैसे- ईख, चीख, कोख, भूख, मेख, आँख आदि। अपवाद स्वरूप रूख, पाख आदि शब्द पुल्लिंग में आते हैं।

12) हिंदी की धातुओं से 'अ' प्रत्यय लगकर बनी संज्ञाएँ इस प्रकार हैं। जैसे- पकड, दगड, लगन. मार, पुकार, चोट, छूट, कराह, अकड, झपट, तडप, खोज, समझ आदि। अपवाद स्वरूप खेल, नाच, मेल, बोल, बिगाड आदि पुल्लिंग में होते हैं।

13) हिंदी की भाव-वाचक संज्ञाएँ, जिनके अंत में 'ट', 'वट', 'हट' प्रत्यय होते हैं। जैसे- आहट, चिकनाहट, झंझट, घबराहट, सजावट, मिलावट, चिल्लाहट आदि।

14) हिंदी की धातुओं में 'अन' प्रत्यय लगकर बनी संज्ञाएँ इस प्रकार हैं। जैसे- रहन, सहन, पहचान, जलन, उलझन आदि।

15) हिंदी की 'आई' प्रत्यय वाली संज्ञाएँ इस प्रकार हैं। जैसे- लिखाई, ऊँचाई, सिलाई, बनवाई, लंबाई आदि।

16) अरबी-फारसी के वे शब्द, जिनके अंत में 'श' होता है। जैसे- तलाश, मालिश, कोशिश आदि।

17) अरबी-फारसी की वे संज्ञाएँ, जिनके अंत में 'त' प्रत्यय होता है। जैसे- कीमत, मुलाकात, दौलत, नफरत आदि।

18) अरबी-फारसी की वे संज्ञाएँ, जिनके अंत में, 'आ' तथा 'ह' प्रत्यय आता है। जैसे- सजा, दवा, सलाह, राह, आह, सुबह आदि।

19) हिंदी की ऊकारांत संज्ञाएँ इस प्रकार हैं। जैसे- झाडू, दारू, बालू, गेरू आदि। अपवाद स्वरूप आँसू, टेसू, आलू, रतालू, आदि के रूप पुल्लिंग में होते हैं।

20) हिंदी की अनुस्वारान्त संज्ञाएँ इस प्रकार है। जैसे- भौं, चूँ, खडाऊँ आदि। अपवाद स्वरूप कोढों, गेहूँ आदि के रूप पुल्लिंग में होते हैं।

आ) लोक–व्यवहार की दृष्टि से लिंग–निर्णय –

कुछ शब्द रूप या बनावट की दृष्टि से समान होते हुए भी उनमें से कुछ पुल्लिंग होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग। ऐसे शब्दों का लिंग–निर्धारण लोक–व्यवहार से करना पडता है।

I) पुल्लिंग शब्द –

नमक, पनघट, ओंठ, नीड, बाल, निकाल, गुलाब, काठ, आलू, पहलू, मधु, हिसाब, आम, मरहम, मोम, तालू, ढोंग, अखरोट, मुँह, ब्याह, निबाह, खेत, सूत, मुकूट आदि।

II) स्त्रीलिंग शब्द –

मिठास, झील, खाल, बास, बालू, वायु, आयु, नाक, उमंग, उर्दू, चेचक, छत, बात, किताब, शराब, मार, नस, ईंट, ओट, गाँठ, रात, लात, आड, जड, चिलम, नहर, उमंग आदि।

इ) अर्थ की दृष्टि से लिंग–निर्णय –

अर्थ की दृष्टि से कुछ शब्द पुल्लिंग, कुछ स्त्रीलिंग और कुछ शब्द उभय लिंगी होते हैं। उसका विवेचन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है–

I) पुल्लिंग शब्द –

अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित प्रकार के शब्द पुल्लिंग होते हैं। इनमें जो अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग में आते हैं, उनके अंत में प्राय: 'इ' प्रत्यय आता है।

1. **धातुओं के नाम :** पारा, पीतल, सोना, रूपा, तांबा, सीसा, काँस आदि। अपवाद स्वरूप 'चांदी' स्त्रीलिंगी है।
2. **रत्नों के नाम :** नीलम, पुखराज, माणि, मोती, हीरा, मूँगा, जवाहर, पन्ना, लाल आदि। अपवाद स्वरूप मणि, चुन्नी, लालडी आदि स्त्रीलिंग में आते हैं।
3. **भोज्य पदार्थों के नाम :** रायता, हलुवा, समोसा, चाकलेट, पुआ, पेडा, भात आदि। अपवाद स्वरूप पूरी, जलेबी, मिठाई, दाल, रोटी, तरकार, स्त्रीलिंग में आते हैं।
4. **अनाजों के नाम :** तिल, मटर, बाजरा, चना, गेहूँ, चावल, जौ, उडद आदि। अपवाद स्वरूप दाल, तिल, मटर आदि स्त्रीलिंग में आते हैं।
5. **दिनों के नाम :** सोम, मंगल आदि।

6. **महिनों के नाम :** माघ, पौष आदि।

7. **भौगोलिक नाम :** हिंद महासागर, विंध्याचल, हिमाचल, सागर, दविप, पर्वत, रेगिस्तान, प्रांत, नागर, वायुमंडल, नभोमंडल, सरोवर आदि। अपवाद स्वरूप झील, घाटी स्त्रीलिंग में आते हैं।

8. **देशों के नाम :** इंग्लैंड, इटली, रूस, भारत आदि।

9. **ग्रहों के नाम :** बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, बुध आदि। अपवाद स्वरूप पृथ्वी आदि स्त्रीलिंग में आते हैं।

10. **पेडों के नाम :** जामन, अमरूद, नींबू, सेब, पीपल, बरगद, सागौन, शीशम, अखरोट, अशोक आदि। अपवाद स्वरूप इमली, नीम आदि स्त्रीलिंग में आते हैं।

11. **द्रव पदार्थों के नाम :** काढा, अर्क, तेल, घी, पानी, शर्बत, इत्र आदि।

II) स्त्रीलिंग शब्द –

अर्थ के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं–

1. **नक्षत्रों के नाम :** रोहिणी, भरणी, कृतिका, आर्द्रा, अश्विनी आदि।

2. **नदियों के नाम :** रावी, सतलज, गंगा, यमुना, सरस्वती, झेलम आदि। अपवाद स्वरूप ब्रहमपुत्र, सिंधु आदि पुल्लिंग में आते हैं।

3. **झीलों के नाम :** साँभर, चिलका आदि।

4. **तिथियों के नाम :** द्वितीया, तीज, अष्टमी, अमावस्या आदि।

5. **संस्कृत की प्राय: भाववाचक संज्ञाएँ :** इच्छा, अर्चना, गरिमा, कटुता, ऋद्धि आदि।

6. **बनिए के दुकान की चीजें :** दालचिनी, मिर्च, हल्दी, सुपारी, हिंग, इलायची, लौंग आदि।

III) उभय लिंगी शब्द –

हिंदी के कुछ ऐसे शब्द हैं, जो पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होते हैं। इनमें से कुछेक का अर्थ के अनुसार लिंग बदल जाता है। अत: वाक्य में वे जिस अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं, उसके अनुरूप उनका लिंग–निर्धारण होता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं–

शब्द	पुल्लिंग होने पर अर्थ	स्त्रीलिंग होने पर अर्थ
कोटि	करोड़	श्रेणी
टीका	तिलक	टिप्पणी, अर्थ
पीठ	स्थान	पृष्ठभाग
शान	औजार तेज करने का पत्थर	ठाठ-बाट, प्रभुत्व
दाद	चर्मरोग	प्रशंसा
हार	माला	पराजय
कुशल	प्रवीण	खैरियत
घाव	चोट	दाँव-पेंच
चूडा	कंगन	चोटी
झाल	बाजा	लहर
धातु	शब्द का मूल	खनिज, वीर्य
नस	नस्य, सुँघनी	स्नायु, रग
बेर	फलवृक्ष	दफा या बार
रेत	वीर्य	बालू
हाल	समाचार, दशा	चक्के पर लोहे का घेरा

1.3.2 वचन

भाषा में लिंग के जैसा वचन का अपना स्थान होता है। बिना वचन के संख्या आदि का ज्ञान नहीं होता है। जिस रूप में संज्ञा अथवा दूसरे विकारी शब्दों की संख्या का बोध होता है तथा एक या एक से अधिक का भेद मालूम हो, उसे वचन कहा जाता है।

वचन एक व्याकरणिक कोटि (तत्त्व) है। वह अन्य की अपेक्षा सरल है। इस संदर्भ में डॉ. द्विजराम यादव अपने ग्रंथ 'प्रयोजनमूलक हिंदी व्याकरण' में कहते हैं कि, ''संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं, अर्थात् शब्दों के विकारी रूपों को वचन कहा जाता है।'' तात्पर्य यह है कि व्याकरण की दृष्टि से शब्द के जिस रूप से (वस्तु अथवा प्राणी) संख्या का ज्ञान होता है, उसे वचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता

है कि संज्ञा के (शब्द) जिस रूप से एक (एकत्व) या अधिक संख्या (अनेकत्व) के अर्थ का पता चलता है, उसे वचन कहा जाता हैं।

हिंदी में वचन का विकास संस्कृत से ही हुआ है। इसके बावजूद संस्कृत में जहाँ तीन वचन थे, वहाँ हिंदी में दो ही रह गए। भारोपीय परिवार की भाषाओं में तीन वचन प्रचलित थे- एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में द्विवचन तो प्रचलित था, पर उसका प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में होता था। इस अल्प प्रयोग के कारण ही पालि में इसका लोप हो गया। पूरे मध्यकालीन आर्यभाषा- काल में द्विवचन का प्रयोग कुछ अपवाद स्वरूप ही मिलता है। प्राय: उसके स्थान पर बहुवचन का ही प्रयोग होता है। अत: संस्कृत से हिंदी में वचन के क्षेत्र में कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। फलत: वचन-व्यवस्था के कुछ नियम निर्धारित होते हैं। उन पर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है।

हिंदी वचन-व्यवस्था और वचन-निर्धारण के नियम -

वचन प्रणाली विविध भाषाओं में अलग-अलग रूपों में मिलती है। संस्कृत, ग्रीक, अफ्रीकी, लैटिन आदि भाषाओं में तीन वचन पाए जाते हैं- एकवचन, द्विवचन, बहुवचन और फिजी जैसी भाषा में चार वचन मिलते हैं- एकवचन, द्विवचन, त्रिवचन और बहुवचन। इसी परिप्रेक्ष्य में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में दो वचन की व्यवस्था पाई जाती हैं- एकवचन और बहुवचन। यही व्यवस्था मराठी, गुजराती आदि में बराबर-सी है।

हिंदी भाषा में केवल दो ही वचन हैं- 1) एकवचन और 2) बहुवचन। इसमें बहुवचन का क्षेत्र बड़ा व्यापक है।

साधारणत: व्यक्तिवाचक, भाववाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एकवचन में होता है। इसके सिवा जातिवाचक या समूहवाचक संज्ञाएँ दोनों वचनों में प्रयुक्त हो सकती है। इस दृष्टि से वचन-व्यवस्था और वचन-निर्धारण के विविध नियमों पर विचार किया जा सकता है। अत: वचन-निर्धारण के संदर्भ में व्यावहारिक हिंदी व्याकरण तथा प्रयोजनमूलक हिंदी आदि के आधार पर विवेचन किया जा सकता है।

1. एकवचन -

शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु या एक ही प्राणी का बोध हो (एक वस्तू सूचित करानेवाली संज्ञा) उसे एकवचन कहते हैं। जैसे- घोडा, कलम, लडकी, लता, थाली, बात, बहन आदि।

2. बहुवचन –

शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है (एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराने वाली संज्ञा) उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे- घोडे, कलमें, लड़कियाँ, लताएँ, थालियाँ, बातें, बहनें आदि।

बहुवचन-निर्धारण के नियम –

भाषा में वचन का अपना स्थान होता है। बिना वचन के संख्या, ज्ञान आदि नहीं होता है। वास्तविक रूप में किसी शब्द के वचन की पहचान वाक्य में उसके प्रयोग आदि के आधार पर ही आसानी से हो सकती है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम आदि शब्दों के साथ विभिन्न कारक चिह्नों का भी प्रयोग होता है। उन्हीं के अनुसार ही एकवचन या बहुवचन होने का निर्णय होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में विभक्तिरहित शब्दों और विभक्तिसहित शब्दों के वचन-निर्धारण के अलग-अलग नियम दृष्टिगत होते हैं। अत: उन्हीं के आधार पर वचन-निर्धारण करना युक्तिसंगत होगा।

अ) विभक्तिरहित बहुवचन –

विभक्तिरहित बहुवचन बनाने के अलग-अलग नियम इस प्रकार हैं-

1. आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के अंतिम 'आ' को 'ए' में परिवर्तित कर उसे बहुवचन में रूपांतरित किया जाता है। जैसे- बकरा-बकरे, बच्चा-बच्चे, घोडा-घोड़े, लड़का-लड़के, कमरा-कमरे आदि।

अपवाद संज्ञाएँ –

I) कुछ आकारांत संबंध-सूचक संज्ञाओं (भतीजा, बेटा, पोता, साला आदि) को छोड़कर शेष आकारांत संबंधवाचक संज्ञाएँ तथा उपनामवाचक या प्रतिष्ठावाचक पुल्लिंग संज्ञाएँ दोनों वचनों में एक-सी रहती है। जैसे- काका, मामा, लाला, आज्ञा आदि।

II) संस्कृत की आकारात पुल्लिंग संज्ञाएँ, दोनों वचनों में एक-सी रहती हैं। जैसे- देवता, कर्ता, युवा, पिता, योद्धा आदि।

III) आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं को छोड़कर शेष पुल्लिंग संज्ञाएँ दोनों वचनों में एक-सी रहती हैं। जैसे- बालक, मुनि, भाई, चौबे, जौ, विद्वान, साधू, डाकू आदि।

2. आकारांत, उकारांत या ओकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में 'एँ' प्रत्यय जोडने से वह बहुवचन में परिवर्तित होती है। जैसे- ऋतु- ऋतुएँ, गौ- गौएँ, लता- लताएँ, कन्या- कन्याएँ, माला- मालाएँ आदि।

3. आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंतिम 'अ' स्वर को 'एँ' में बदलने से वह बहुवचन में परिवर्तित होती है। जैसे- रात- रातें, आँख- आँखें, लहर- लहरें, पुस्तक- पुस्तकें आदि।

4. इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में 'याँ' प्रत्यय जोडने से वह बहुवचन में परिवर्तित होता है। जैसे- तिथि- तिथियाँ, गति- गतियाँ आदि।

5. ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में यदि दीर्घ 'ई' स्वर होता, तो बहुवचन बनाते समय वह ऱ्हस्व हो जाता है। जैसे- रोटी- रोटियाँ, कापी- कापियाँ, लडकी- लडकियाँ, डाली- डालियाँ आदि।

6. जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में 'या' होता है, उसका अनुनासिक चिह्न लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे- डिबिया- डिबियाँ, गुडिया- गुडियाँ, चिडिया- चिडियाँ, चुहिया- चुहियाँ आदि।

7. उर्दू शब्दों के बहुवचन कई रूपों में मिलते हैं-

   I) उर्दू के कई शब्दों के बहुवचन बहुधा हिंदी प्रत्यय लगकर बनते हैं। जैसे- शाहजादा-शाहजादे, शादी-शादियाँ, बेगम-बेगमें, खाला-खालाएँ आदि।

   II) अप्राणिवाचक संज्ञाओं में बहुधा 'आत' जोडकर बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है। जैसे- तसलीम- तसलीमात, मकान- मकानात, कागज- कागजात, देह- देहात आदि।

   III) प्राणिवाचक संज्ञाओं में बहुधा 'आन' जोडकर उसका बहुवचन बनाया जाता है। जैसे- बिरादर- बिरादरान, गवाह- गवाहान, मालिक- मालिकान, साहिब- साहिबान आदि।

8. जिन मनुष्यवाचक पुल्लिंग संज्ञाओं के रूप दोनों वचनों में एक-से रहते हैं, उनके बहुवचन में बहुधा 'लोग', 'गण', 'जाति', 'जन', 'वर्ग' आदि शब्द जोड दिए जाते हैं। जैसे- राजा लोग, ऋषि लोग, तारांगण, बालकगण, देव जाति, विद्वज्जन, पाठक वर्ग आदि।

आ) विभक्तिसहित बहुवचन –

वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ विभिन्न कारक-चिह्नों का प्रयोग होता है। उन्हीं कारक चिह्नों (ने, को, से, का, की, के, में, पर) के अनुसार एकवचन के शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके नियम इस प्रकार हैं-

1. अकारांत या आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर को 'ओं' में बदल कर उसका बहुवचन बनाया जाता है। जैसे- बालक- बालकों ने, बालकों को, बालकों से, बालकों का, बालकों की, बालकों के, बालकों पर, बालकों में। इसी तरह लडका, कमरा, डिब्बा, मित्र, घर आदि शब्दों को उक्त प्रत्यय लगाकर बहुवचन में परिवर्तित किया जा सकता है।

2. कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में 'ओं' जोडकर उसे बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है। जैसे- राजा- राजाओं ने, राजाओं को, राजाओं से।

3. सभी आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में 'ओं' जोडकर उसे बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है। जैसे- कन्या- कन्याओं ने, कन्याओं को, कन्याओं से। माता- माताओं ने, माताओं को, माताओं से।

4. इकारांत शब्दों के अंत में 'यों' जोडकर उसे बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है। जैसे

   विधि- विधियों ने, विधियों को, विधियों से।

   पति- पतियों ने, पतियों को, पतियों से।

5. ईकारांत शब्दों के अंत में 'यों' जोडकर उसे बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है। वहाँ पर अंतिम दीर्घ 'ई' ऱ्हस्व 'इ' हो जाता है। जैसे-

   पत्नी- पत्नियों ने, पत्नियों को, पत्नियों से।

   नदी- नदियों ने, नदियों को, नदियों से।

   माली- मालियों ने, मालियों को, मालियों से।

6. उकारांत शब्दों के अंत में 'ओं' जोडकर उसे बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है। जैसे-

   वधु - वधुओं ने, वधुओं को, वधुओं से।

   पशु - पशुओं ने, पशुओं को, पशुओं से।

7. ऊकारांत शब्दों के अंत में 'ओं' जोडकर उसे बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है। वहाँ पर अंतिम दीर्घ 'ऊ' ऱ्हस्व 'उ' हो जाता है। जैसे-

हिंदू - हिंदुओं ने, हिंदुओं को, हिंदुओं से।

भालू - भालुओं ने, भालुओं को, भालुओं से।

8. सम्बोधन कारक में सभी बहुवचन रूपों का अंतिम अनुस्वार हटाकर लिखा जाता है। जैसे-

हे सज्जनो, ओ लडकियो, अरे लडको आदि।

9. 'बेटा' और 'बच्चा' संज्ञाएँ सम्बोधन कारक के एकवचन में बहुधा अविकृत रहती है। जैसे-

हे बेटा! तुम कहाँ हो?

अरे बच्चा! यहाँ आ।

हिंदी वचन तथा कारक-प्रत्ययों का व्युत्पत्तिगत परिचय-

विद्वानों में विभक्तिरहित तथा विभक्तिसहित वचन-बोधक हिंदी के कारक-प्रत्ययों की व्युत्पत्ति के संबंध में मतभेद हैं। उस पर 'प्रयोजनमूलक हिंदी' के आधार पर विचार किया जा सकता है। जो इस प्रकार है-

1. शून्य प्रत्यय -

पुल्लिंगी व्यंजनात तथा कुछ स्वरांत संज्ञा में प्रथमा एकवचन तथा बहुवचन रूप समान होतें हैं। जैसे-

घर अच्छा है।

घर अच्छे हैं।

यहाँ शून्य प्रत्यय है। इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत प्रथमा एकवचन स् (:) से मानी जाती है।

2. एकवचन 'ए' -

आकारांत अविकारी पुल्लिंग का विकारी एकवचन एकारांत होता है। जैसे- घोडा- घोडे ने, घोडे से, घोडे को आदि। यह 'ए' कर्म से लेकर संबोधन तक के सात और सपरसर्ग कर्ता, अर्थात् आठों कारकों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी व्युत्पत्ति के संबंध में विवाद है।

3. बहुवचन 'ए' –

यह आकारांत का अविकारी बहुवचन प्रत्यय है। जैसे- घोडा- घोडे, लडका- लडके आदि।

संस्कृत में इसके स्थान पर 'आ:' लग जाता था। जैसे- घोटका:।

'ए' की व्युत्पत्ति विवादास्पद है। हॉर्नले तथा केलाक के अनुसार यह मूलत: एकवचन विकारी 'ए' ही है। उनके अनुसार यह एकवचन का बहुवचन में प्रयोग चल पडा है।

4. बहुवचन 'आँ', 'एं' –

'आँ' का प्रयोग इकारांत तथा ईकारांत, 'ॅ' का इयांत तथा 'एँ' का प्रयोग अन्य स्त्रीलिंग शब्दों के साथ अविकारी बहुवचन में होता है। वस्तुत: 'आँ', 'ॅ', 'एँ' एक ही है। इनका विकास संस्कृत के नपुंसक बहुवचन 'आनि' से हुआ है। इसकी व्यत्पत्ति विवादास्पद नहीं है।

5. बहुवचन 'ओं' –

यह सभी विकारी बहुवचन रूपों में आता है। 'य', 'व' श्रुति के कारण इसका रूप 'यों' या 'वों' भी हो जाता है। इसकी व्युत्पत्ति के संबंध में कोई विवाद नहीं है।

6. बहुवचन 'ओ' –

बहुवचन सम्बोधन में यह (ओ) प्राय: सभी प्रकार के शब्दों के साथ प्रयुक्त होता है। इसकी व्युत्पत्ति के संदर्भ में अधिकांश विद्वानों ने विचार ही नहीं किया है। डॉ. भोलानाथ तिवारी इसकी व्युत्पत्ति का संबंध संस्कृत एकवचन शून्य विभक्ति से मानते हैं।

1.3.3 कारक

कारक/विभक्तियों पर डॉ. माधव सोनटक्के ने अपने ग्रंथ 'प्रयोजनमूलक हिंदी' में काफी विस्तार से विवेचन किया है। यह विवेचन अध्येता एवं छात्रों को अध्ययन-अध्यापन में सहायक सिद्ध होता है।

वाक्य में कारक/विभक्तियों का स्थान महत्त्वपूर्ण होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका सम्बन्ध सूचित हो, उसे कारक कहते हैं। 'कारक' शब्द का सामान्य अर्थ है- करनेवाला; अर्थात् लाभकारक, गुणकारक आदि। व्याकरण के अंतर्गत 'कारक' शब्द का अभिप्राय है- क्रिया से सम्बन्ध बतानेवाला तत्त्व। अत: वाक्य में विभिन्न संज्ञा या सर्वनाम

पदों के, क्रिया के साथ अथवा अन्य पदों के साथ सम्बन्ध का बोध करानेवाला तत्त्व 'कारक' कहलाता है। इसी आधार पर 'कारक' की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है–

''संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में उसका क्या स्थान है और वाक्य के अन्य शब्दों से तथा विशेषत: क्रिया से उसका क्या सम्बन्ध है, उसे 'कारक' कहते हैं।''

कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाये जाते हैं, उन्हें व्याकरण में 'विभक्तियाँ' कहते हैं। विभक्तियों से ही कारकों की पहचान होती है। हिंदी कारकों की विभक्तियों के चिह्न इस प्रकार हैं–

विभक्ति	कारक	चिह्न
प्रथमा	कर्ता	0, ने
द्‌वितीया	कर्म	को
तृतीया	करण	से, के साथ, के द्‌वारा
चतुर्थी	सम्प्रदान	को, के लिए, के वास्ते
पंचमी	अपादान	से (अलग)
षष्ठी	सम्बन्ध	का, की, के, रा, री, रे
सप्तमी	अधिकरण	में, पर, पै
संम्बोधन	सम्बोधन	हे, अरे, अजी

अत: कारकों के आठ रूप या प्रकार सम्भव हैं। इसी आधार पर कारकों के आठ भेद माने जाते हैं। उसका विवेचन इस प्रकार हैं–

1. कर्ता कारक –

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह कार्य का करनेवाला है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे–

शिक्षक ने विद्‌यार्थियों को समझाया।

यहाँ पर 'समझना' क्रिया को करनेवाला 'शिक्षक' है। अत: 'शिक्षक ने' कर्ता कारक है।

प्राय: कर्ता कारक के साथ 'ने' विभक्ति चिह्न का प्रयोग होता है। कभी-कभी 'ने' के बिना शून्य (0) विभक्ति चिह्न से भी कर्ता कारक का बोध होता है। जैसे- शिक्षक विद्यार्थियों को समझा रहे हैं।

विभक्ति लगाने या न लगाने के आधार पर कर्ता कारक के दो रूप होते हैं- (1) प्रत्यय कर्ता कारक और (2) अप्रत्यय कर्ता कारक। तात्पर्य यह है कि जहाँ 'ने' विभक्ति लगती है, वहाँ प्रत्यय कर्ता कारक और जहाँ 'ने' विभक्ति नहीं लगती, वहाँ अप्रत्यय कर्ता कारक होता है।

कर्ता कारक के 'ने' विभक्ति चिह्न का प्रयोग निम्न रूप में भी होता है-

(i) जब क्रिया सकर्मक तथा सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुहेतुमद भूतकालों के कर्मवाच्य में हो तो 'ने' विभक्ति चिह्न का प्रयोग होता है। जैसे-

मोहन ने रोटी खायी। (आसन्न भूतकाल)

मोहन ने रोटी खायी थी। (पूर्ण भूतकाल)

मोहन ने रोटी खायी होगी। (संदिग्ध भूतकाल)

मोहन ने पुस्तक पढ़ी होती तो उत्तर ठीक होता। (हेतुहेतुमद भूतकाल)

(ii) जब संयुक्त क्रिया के दो खंड सकर्मक हो तो अपूर्ण भूतकाल को छोडकर अन्य सभी भूतकालों में कर्ता के साथ 'ने' विभक्ति चिह्न का प्रयोग होता है। जैसे-

राम ने खा लिया।

मोहन ने उत्तर कह दिया।

उक्त दोनों वाक्यों में 'खा लिया' और 'कह दिया' संयुक्त क्रियाएँ हैं। साथ ही इसके दोनों खंड सकर्मक हैं।

(iii) अकर्मक क्रिया में प्राय: 'ने' विभक्ति चिह्न नहीं लगता है। फिर भी कुछ ऐसी अकर्मक क्रियाएँ हैं, जिनमें 'ने' विभक्ति चिह्न का प्रयोग अपवाद रूप में होता है। जैसे-

नहाना, छींकना, खाँसना, थूकना आदि। ऐसी क्रियाओं के बाद कर्म नहीं आता है। जैसे-

उसने नहाया।

राम ने खाँसा।

उसने छींका।

(iv) जब अकर्मक क्रियाएँ सकर्मक बन जाए तो 'ने' विभक्ति चिह्न का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं। जैसे–

राम ने लड़ाई लड़ी।

राम ने टेढ़ी चाल चली।

(v) प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ अपूर्ण भूतकाल को छोडकर शेष सभी भूतकालों में 'ने' विभक्ति चिह्न का प्रयोग होता है। जैसे–

मैंने उसे पढ़ाया।

उसने एक रूपया दिलवाया।

2. कर्म कारक –

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उस पर क्रिया का फल पड़ रहा है, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे–

शिक्षक ने विद्यार्थियों को समझाया।

उक्त वाक्य में 'समझाने' की क्रिया का फल विद्यार्थियों पर पड़ता है। अत: 'विद्यार्थियों को' कर्म कारक है।

कर्म कारक का विभक्ति चिह्न 'को' है, लेकिन कभी–कभी विभक्ति चिह्न के बिना भी कर्म कारक का बोध होता है। जैसे–

कृष्ण ने गीता सुनाई।

उक्त वाक्य में 'गीता' कर्म कारक है; 'सुनने' की क्रिया का फल याने सीधा प्रभाव इस शब्द से स्पष्ट होता है।

कर्ता कारक के समान ही कर्म कारक के भी दो रूप होते हैं– (1) प्रत्यय कर्म कारक और (2) अप्रत्यय कर्म कारक।

जब कर्म कारक निम्न अर्थ सूचित करता है, तब 'को' विभक्ति चिह्न प्रयुक्त होता है– (1) निश्चित कर्म, (2) व्यक्तिवाचक, अधिकारवाचक तथा सम्बन्धवाचक कर्म और (3) मनुष्यवाचक सार्वनामिक कर्म। जैसे–

चोर ने लडके को मारा। (निश्चित कर्म)

राजा ने ब्राह्मण को देखा। हम मोहन को जानते हैं। डाकू गाँव के मुखिया को खोजते थे। (व्यक्ति, अधिकार, सम्बन्धवाचक कर्म)

सिपाही तुमको पकड़ लेगा। (मनुष्यवाचक सार्वनामिक कर्म)

सर्वनाम पदों (जैसे- मैं, तू, वह, हम, आप, उस, उन आदि) का कर्मकारक होने पर किसी स्थिति में तो उनके साथ 'को' विभक्ति चिह्न का प्रयोग होता है, परंतु किसी स्थिति में विभक्ति चिह्न का प्रयोग न होकर उसके स्थान पर 'ए' प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अत: केवल 'आप' सर्वनाम के साथ 'को' विभक्ति चिह्न का प्रयोग अवश्य होता है। तात्पर्य यह है कि विभक्ति चिह्न के बिना सर्वनाम (के, हमें, उसे, तुझे, उन्हें, इसे, इन्हें आदि) के रूपों का प्रयोग होता है। जैसे-

मुझको उसकी तलाश थी।

उक्त वाक्य सही रूप में 'मुझे उनकी तलाश थी' कहा जाता है।

साथ ही यदि कर्म निर्जीव हो तो 'को' विभक्ति चिह्न का प्रयोग नहीं होता है। जैसे-

राम चित्र बनाता है।

सीता पत्थर तोड़ती है।

इसके साथ ही निर्जीव कर्म के साथ प्रयुक्त 'को' विभक्ति चिह्न हो, तो वह दिशासूचक होता है। जैसे-

वह घर को आया।

3. करण कारक –

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वह क्रिया का साधन है, अर्थात् उसके द्‌वारा क्रिया हुई है, हो रही है या होगी; उसे कारण कारक कहते हैं। जैसे-

सब काम अपने हाथ से करो।

उक्त वाक्य में 'हाथ से' करण कारक है, क्योंकि वह कर्म का साधन है। करण कारक का विभक्ति चिह्न 'से' है।

इसके साथ ही करण कारक में 'द्‌वारा', 'के द्‌वारा', 'के साथ' विभक्ति चिह्न का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे-

तुम तार द्वारा मुझे सूचित करना।

मुझे राम के द्वारा आपका संदेश मिला।

तुम पवन के साथ मेरे घर आ जाना।

यदि करण कारक बहुवचन में हो, तो कभी-कभी 'से' विभक्ति चिह्न का प्रयोग नहीं भी होता है। जैसे-

अब आप खेल का आँखों देखा हाल सुनिए।

अब आप इस काम को अपने हाथों करना चाहते हैं।

4. सम्प्रदान कारक –

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया (कार्य या व्यापार) उसके निमित्त या उसके लिए हुई है या होगी, उसे सम्प्रदान कारक कहते हैं। जैसे-

बच्चे को दूध दे दो।

उक्त वाक्य में क्रिया-व्यापार 'बच्चे' के लिए है। इसलिए 'बच्चे को' सम्प्रदान कारक है। सम्प्रदान का विभक्ति चिह्न 'को' है।

साथ ही सम्प्रदान कारक में 'के लिए', 'के वास्ते', 'की खातिर' आदि विभक्ति चिह्नों का भी प्रयोग होता है। जैसे-

मनोरंजन के लिए सिनेमा जरूरी है।

भिखारी के वास्ते पैसे दे दो।

मुझे उनकी खातिर जाना पड़ेगा।

जहाँ पर एक ही वाक्य में सम्प्रदान कारक में दो संज्ञाएँ आ जाती हैं, वहाँ पर दोनों के बाद 'को-को' या 'के लिए-के लिए' विभक्ति चिह्नों का प्रयोग न करके एक के बाद 'को' तथा दूसरी संज्ञा के बाद 'के लिए' विभक्ति चिह्न का प्रयोग करना अधिक समीचीन होगा। जैसे-

पिताजी ने मुझको पैसे दिए और तुम्हारे लिए मिठाई रखी है।

5. अपादान कारक –

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका किसी अन्य वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि से पृथकता या तुलना का बोध हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे-

मजदूर छत से गिर पड़ा।

यह कपड़ा उससे सुन्दर है।

उक्त वाक्यों में 'छत से' और 'उससे' अपादान कारक है; क्योंकि इसमें क्रमश: पृथकता और तुलना का बोध होता है। अपादान कारक का विभक्ति चिह्न 'से' है। अलग होना ही अपादान कारक की विशेषता है।

6. सम्बन्ध कारक –

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ सम्बन्ध स्थापित होने का बोध हो, उसे सम्बन्ध कारक कहते हैं। जैसे–

यह भगवान का घर है।

उक्त वाक्य में भगवान का सम्बन्ध घर से है। अत: 'भगवान का' सम्बन्ध कारक है। यहाँ पर सम्बन्ध कारक का विभक्ति चिह्न 'का' है। इसके अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं–

भगवान की माता अच्छी है।

भगवान के पिताजी अच्छे है।

सर्वनाम पद (आप) को छोड़कर शेष उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम (मैं, हम) और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम (तू, तुम) सम्बन्धकारक में प्रयुक्त होने पर उनके साथ 'रा', 'री', 'रे' विभक्ति चिह्न जुड़ जाते हैं और उनका रूप भी कुछ बदल जाता है। जैसे–

मेरा घर, मेरे मित्र, मेरी बहन।

हमारा घर, हमारे मित्र, हमारी बहन।

तेरा घर, तेरे मित्र, तेरी बहन।

तुम्हारा घर, तुम्हारे मित्र, तुम्हारी बहन।

7. अधिकरण कारक –

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह वाक्य में प्रयुक्त क्रियापद का आश्रय या आधार है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे–

बच्चे उद्यान में खेल रहे हैं।

मैं छत पर बैठकर पढ़ूँगा।

उक्त पहले वाक्य में खेलने की क्रिया का आधार 'उद्यान' है। अत: क्रिया उद्यान में हो रही है। दूसरे वाक्य में बैठकर पढ़ने की क्रिया 'छत' के आधार पर हो रही है। तात्पर्य यह है कि क्रमश: 'उद्यान में' और 'छत पर' अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक के विभक्ति चिह्न 'में', 'पर' है।

अधिकरण कारक में विभक्ति चिह्न प्रयुक्त होने का आधार दो प्रकार का होता है- (1) भीतरी आधार और (2) बाहरी आधार।

भीतरी आधार का विभक्ति चिह्न 'में' है। 'में' विभक्ति चिह्न का प्रयोग भीतरी आधार मोल, मेल, अंतर, कारण, स्थिति, निश्चित काल की स्थिति आदि अर्थों में होता है। जैसे-

दूध में मिठास है। (भीतरी आधार)

यह पुस्तक सौ रूपये में खरीदी। (मोल)

भाई-भाई में प्रीति है। (मेल)

भाई-भाई में अनबन है। (अंतर)

व्यापार में उसे टोटा पड़ा। (कारण)

रोगी होश में नहीं है। (स्थिति)

वह एक घण्टे में अच्छा हुआ। (निश्चित काल की स्थिति)

इसी तरह बाहरी आधार का विभक्ति चिह्न 'पर' है। उसके प्रयोग का बाह्य आधार दूरता, कारण, अधिकता, नियम पालन, अनंतरता, निश्चित काल आदि अर्थों में होता है। जैसे-

नोकरों पर दया करो। (बाह्य आधार)

एक कोस की दूरी पर है। (दूरता)

अच्छे काम पर इनाम मिलता है। (कारण)

दिन-पर-दिन भाव चढ़ रहे हैं। (अधिकता)

लड़के माता-पिता के स्वभाव पर होते हैं। (नियम पालन)

भूख लगने पर ही खाना चाहिए। (अनंतरता)

एक-एक घण्टे पर दवा दी जाए। (निश्चित काल)

अधिकरण कारक के विभक्ति चिह्न 'में', 'पर' के स्थान पर कभी-कभी 'के भीतर', 'के बीच', 'के मध्य', 'तक' आदि विभक्ति चिह्नों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे-

घर के भीतर छिपने से काम नहीं चलेगा।

वह भीड़ के बीच पहुँचकर चिल्लाया।

नदी के मध्य जाकर नौका डगमगाने लगी।

उन्होंने कन्याकुमारी से नंदादेवी तक यात्रा की।

8. सम्बोधन कारक –

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने, पुकारने, संकेत करने या आश्चर्य भाव व्यक्त करने, प्रकट करने आदि का बोध हो, उसे सम्बोधन कारक कहते हैं। जैसे–

ए मोहन! कहाँ जा रहे हो?

हे भगवान! यह कैसा अन्याय है?

ओ लड़के! जरा इधर तो आओ।

अरे भाई! मेरी पूरी बात सुन लो।

अरे रे! बेचारा मर गया।

अहा, हा! कितना सुन्दर दृश्य है!

आह! यह क्या हुआ?

अजी! सुनते हो या नहीं?

सम्बोधन कारक का विभक्ति चिह्न 'ए', 'हे', 'ओ', 'अरे', 'अरे रे', 'अहा हा', 'आह', 'अजी' आदि है।

सम्बोधन कारक के साथ आगे या पीछे बहुधा विस्मयादिबोधक चिह्न आता है। कभी–कभी बिना विभक्ति चिह्न के भी सम्बोधन कारक का बोध हो सकता है। जैसे–

मोहन! कहाँ जा रहे हो?

भगवान! क्षमा करो!

लड़के! पहले मेरी बात तो सुन!

भाई! पहले मेरी पूरी बात तो सुनो।

उपर्युक्त कारकों के विवेचन के सन्दर्भ में कहा जा सकता है कि कुछ लोग सम्बोधन कारक और सम्बन्ध कारक को कारक नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि सम्बोधन कारक का सम्बन्ध

क्रिया अथवा किसी दूसरे शब्द से नहीं होता है। साथ ही यही स्थिति वे सम्बन्ध कारक की भी मानते हैं। इसलिए वे सम्बोधन कारक और सम्बन्ध कारक को छोड़कर अन्य शेष छ: को ही कारक मानते हैं। इस तरह कारक और उनके विभक्ति चिह्नों के भेदादि को लेकर विचार किया जा सकता है। आगे चलकर अनुसंधान के जरिए मांग की पूर्ति की संभावना की जा सकती है।

1.3.4 विराम चिह्न

अंग्रेजी भाषा के व्याकरण में विराम चिह्नों का विशेष रूप से विवेचन किया गया है। अंग्रेजी ढंग के अनुसार ही हिन्दी में भी इसका प्रचार बढ़ गया है। वस्तुत: वाक्य में विराम और उनके चिह्न विशेष महत्त्व रखते हैं। शब्दों और वाक्यों का परस्पर सम्बन्ध बताने के लिए, उसी तरह किसी विषय को भिन्न-भिन्न विभागों में विभाजित करने के लिए तथा पढ़ने में ठहराव के लिए लिखित रूप में जिन चिह्नों का उपयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिह्न कहा जाता है।

विराम चिह्न और उनके प्रयोगों एवं प्रकारों का डॉ. अरविन्द कुमार ने 'सम्पूर्ण हिन्दी व्याकरण और रचना' में विस्तार से विवेचन किया है। उसके जरिए विराम चिह्नों पर प्रकाश डालने में सहायता मिलती है। साथ ही कुछ चिह्नों को नये रूप में भी अवगत किया जा सकता है। 'विराम' का अर्थ है- विश्राम या ठहराव। जब हम भाषा द्वारा अपने भावों को प्रकट करते हैं, तब एक विचार या उसके कुछ अंश को व्यक्त करने के पश्चात् थोड़ा रूकते हैं, उसे ही विराम कहते हैं। साथ ही उसे और स्पष्ट करने के लिए जिन चिह्नों का प्रयोग किया जाता है, वे ही भाषा में विराम चिह्न कहलाते हैं।

विराम चिह्नों के गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यानी अर्थ बदल जाता है। इसलिए इन चिह्नों का प्रयोग सावधानी से करना पडता है। भाव की पूर्णता के स्तर के ही अनुकूल, अनुरूप विराम का काल भी होता है। लिखने में इन विरामों का काल-भेद चिह्न-विशेषों से सूचित किया जाता है। श्रोताओं तथा पाठकों को इन विराम के विभिन्न स्तरों से पता चल जाता है कि वक्ता या लेखक कहाँ तक के कथन को अपने अभिप्राय द्वारा बताना चाहता है। विराम चिह्न न सिर्फ ठहराव को ही सूचित करते हैं, बल्कि किसी वाक्य के पदों, वाक्यांशों तथा खंड़ वाक्यों के बीच प्रयुक्त होकर विभिन्न भावों को भी संम्प्रेषित करते हैं। अत: विराम चिह्न नि:सन्देह अपना विशेष स्थान रखते हैं।

हिंदी भाषा में प्रयुक्त विराम चिह्नों पर डॉ. माधव सोनटक्के ने 'प्रयोजनमूलक हिन्दी' में तथा डॉ. अरविन्द कुमार ने 'सम्पूर्ण हिन्दी व्याकरण और रचना' में आवश्यक विवेचन किया है। उसके

जरिए विराम चिह्नों पर कुछ प्रकाश डाला जा सकता है। डॉ. सोनटक्के जी प्रचलित तथा नये विराम चिह्नों पर विचार करते हैं। इसी तरह डॉ. अरविन्द कुमार तो प्रचलित विराम चिह्नों के साथ-साथ अद्यतन विराम चिह्नों को भी स्पष्ट करते हैं।

प्रस्तुत विवेचन में निम्नलिखित विराम चिह्नों पर विचार किया जा सकता है-

1.	पूर्ण विराम	(।)
2.	अपूर्ण विराम या उपविराम	(:)
3.	अर्द्ध विराम	(;)
4.	अल्प विराम	(,)
5.	प्रश्नबोधक या प्रश्नवाचक चिह्न	(?)
6.	विस्मयादिबोधक चिह्न	(!)
7.	निर्देशक चिह्न	(—)
8.	कोष्ठक चिह्न	(())
9.	उद्धरण चिह्न/अवतरण चिह्न	(‘ ’ “ ”)
10.	योजक चिह्न	(-)
11.	लाघव चिह्न	(o)
12.	विवरण चिह्न	(:-)
13.	लोप चिह्न	(....., xxxx)
14.	त्रुटि चिह्न / काकपद / हंसपद	(∧)
15.	अनुवृत्ति चिह्न	(,,)
16.	समाप्ति सूचक चिह्न	(-o-)

1. पूर्ण विराम-(।) (Full Stop)

पूर्ण विराम का अर्थ है- ठहराव। जहाँ विचार की गति एकदम रूक जाय, वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। वस्तुत: वाक्य के अन्त में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अतएव प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे-

वह लड़की सुन्दर है।

हमें पर्यावरण को नष्ट होने से बचाना चाहिए।

2. अपूर्ण विराम या उपविराम–(:) (Colon)

एक वाक्य के समाप्त हो जाने पर भी विवक्षित भाव समाप्त नहीं होता है। आगे की जिज्ञासा बनी रहती है। पूर्ण विराम से कम देर तक ठहरते हुए आगे तब तक बढ़ते जाते हैं, जब तक वक्तव्य पूरा नहीं होता है। उस जगह पर अपूर्ण विराम का प्रयोग देखा जाता है।

I) अपूर्ण विराम का प्रयोग संवाद–लेखन, एकांकिका–लेखन, नाटक–लेखन आदि में वक्ता (पात्र/पात्रा) के नाम के बाद किया जाता है। जैसे–

विजय : दीदी, आपका क्या लक्ष्य है?

विजया : मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ।

II) साथ ही भावों में एक–दूसरे से सम्बन्धित वाक्यों को अलग करने के लिए भी अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे–

मेरे पास एक आदेश है : तेरा स्थानांतरण हुआ है।

3. अद्‌र्ध विराम–(;) (Semi-Colon)

जहाँ अपूर्ण विराम से भी कम ठहराव का संकेत होता है, वहाँ अद्‌र्ध विराम चिह्न का प्रयोग होता है।

I) एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का दूर का सम्बन्ध बतलाने के लिए अद्‌र्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे–

यह कलम सस्ती है; वह अधिक दिनों तक नहीं चलेगी।

हमने देखा है कि जिन्दगी का रास्ता कितना लम्बा और कठिन है; यह देखा कि हर कदम पर कठिनाई कम होने के बजाय और बढ़ती ही जाती है; यह भी कि परिस्थितियों से ऊबकर मौत को गले लगा लेते हैं।

II) यदि खंड़ वाक्य का आरंभ वरन्, पर, परन्तु, किन्तु, क्योंकि, इसलिए, तो भी आदि शब्दों से हो तो उसके पहले अद्‌र्ध विराम का प्रयोग करना चाहिए। जैसे–

छपरा गाँव के लोगों की आँखें डबड़बाई हुई हैं; क्योंकि अभी–अभी पता चला कि देवा परलोक सिधार गए।

III) सभी तरह की उपाधियों के लेखन में अद्‌र्थ विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे-

एम्. ए. ; एम्. फिल.; पीएच्.डी.; एल.एल.बी. आदि।

IV) इसके साथ ही लगातार आनेवाले पदबन्धों के बीच भी अद्‌र्ध विराम का प्रयोग किया जाता है।

4. अल्प विराम-(,) (Comma)

अल्प विराम का क्षेत्र बड़ा व्यापक होता है। अल्प विराम का अर्थ है- थोड़े समय के लिए ठहरना। अपनी मनोदशा के अनुसार अपने विचारों में अल्प ठहराव आता है। ऐसे ठहराव के लिए ही अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इस चिह्न का प्रयोग निम्नलिखित रूप में किया जाता है-

I) जहाँ एक प्रकार के अनेक शब्द या शब्द समूह आये और योजक (और, तथा, एवं, आदि) का प्रयोग केवल अन्तिम दो के बीच आये, तो वहाँ शेष दो के बीच अल्प विराम आता है। जैसे-

दशरथ के चार लड़के थे- राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न।

चारों भाई सुन्दर, सुशील, नम्र और सबल थे।

II) हाँ, नहीं, जी, बस, अत: अतएव, निष्कर्षत:, अच्छा, वस्तुत: सचमुच आदि से शुरू होनेवाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद अल्प विराम आता है। जैसे-

जी हाँ, मैंने बार-बार सावधान किया था उसे।

अच्छा, अवश्य जाऊँगा।

बस, इतने से काम चला जाएगा।

III) दी गई संज्ञा के विषय में विशेष सूचना के रूप में आनेवाली संज्ञा या सर्वनाम के पहले और बाद में अल्प विराम आता है। जैसे-

रावण, लंका का राजा, बड़ा ही विद्‌वान था।

बगदाद, इराक की राजधानी, बहुत ही सुन्दर महानगर है।

IV) संबोधित संज्ञा के बाद अल्प विराम आता है। जैसे-

मोहन, जरा इधर तो आइए।

प्रिय महोदय, मैं आपका ध्यान इस घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

V) जिस वाक्य में 'वह'. 'यह', 'तब', 'या', 'अब' आदि लुप्त हो, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे-

तुम जो कहते हो, ठीक नहीं है।

जब जाना ही है, चले जाओ।

उक्त वाक्यों में क्रमश: 'वह', 'तब' लुप्त है।

VI) वाक्य में यदि कोई वाक्य खंड़ अथवा अन्वर्वर्ती पद्यांश आ जाए, तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए। जैसे-

क्रोध, चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को नष्ट कर देता है।

काकी, जिसके विषय में मैं बात कर रहा था, बहुत ही अच्छा गाती है।

VII) यदि कोई वाक्य प्रत्यक्ष कथन में हो, तो मुख्य कथन के पहले अल्प विराम आता है। जैसे-

वैज्ञानिकों का कहना है, ''पानी अमृत है। इसे बर्बाद मत करो।''

5. प्रश्नबोधक या प्रश्नवाचक चिह्न-(?) (Question Mark or Sign of Interrogation)

वाक्य कें अंत में प्रश्न का बोध करानेवाले प्रश्नबोधक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। वह इस प्रकार हैह्न

I) 'कौन', 'क्या', 'कब', 'कहाँ', 'कैसे', 'क्यों', 'किसलिए' आदि का प्रयोग वाक्य में रहने पर यदि प्रश्न का भाव व्यंजित हो, तो वाक्य के अंत में प्रश्नबोधक चिह्न का प्रयोग किया जाएगा। जैसे-

वह कौन थी?

वह क्या करती थी?

वह कब तक आएगी?

वह क्यों नहीं मानती?

मेरे पास किसलिए आए हो?

मुझसे कैसे गलती हुई?

शायद आप मुम्बई के रहनेवाले हैं?

II) साथ ही यह बात ध्यान रहे कि यदि प्रश्न का भाव व्यंजित नहीं हो तो प्रश्नवाचक चिह्न नहीं आएगा। जैसे-

मैं क्या बताऊँ, श्रीमान! वह कब और कहाँ जाता है, समझ नहीं पा रहा हूँ।

6. विस्मयादिबोधक चिह्न (!) (Exclamation Mark)

करूणा, भय, हर्ष, विषाद, प्रेम, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट या व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। इस चिह्न का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता हैं -

I) अपनों से छोटों के प्रति सद्भावनाएँ, शुभकामनाएँ आदि व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे-

तुम चिरंजीवी हो! भगवान तुम्हारा भला करे!

II) आल्हाद सूचक शब्दों, पदों एवं वाक्यों के अंत में विस्मयादिबोधक चिह्न का प्रयोग होता है। जैसे-

वाह! तुम धन्य हो!

III) मन की प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक चिह्न का प्रयोग होता है। जैसे-

वाह! वाह! कितना सुंदर नृत्य किया तुमने!

7. निर्देशक चिह्न-(ह्न) (Dash)

निर्देशक चिह्न का प्रयोग निम्नलिखित रूप में किया जाता हैं-

I) समानाधिकरण शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के बीच निर्देशक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे-

प्रात:काल के सौंदर्य में नित्य नयापन-नूतनत्व दिखाई देता है।

छोटी-सी भूल के कारण आपका जीवन बिगड गया-नष्ट हो चुका।

II) किसी विषय के साथ उसके संबंध में अन्य सूचना देने के लिए निर्देशक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे-

कुछ साल पहले काँग्रेस के दो दल निर्माण हुए- एक चव्हाण काँग्रेस, दूसरा इंदिरा-काँग्रेस।

इंग्लैंड में राजनीतिज्ञों के दो दल हैं- एक उदार, दूसरा अनुदार।

III) किसी वाक्य को उद्धृत करते समय उस वाक्य के पहले निर्देशक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे-

स्वामी विवेकानंद कहते थे- ''ज्ञान ही शक्ति है।''

अपने मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में धूमता हुआ कहता- ''बच्चों को बहलाने वाला, खिलौनेवाला।''

IV) किसी वाक्य या लेख के अंत में उसके लेखक का नाम लिखने के पूर्व निर्देशक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे-

'ज्ञान ही शक्ति है' - स्वामी विवेकानंद।

'ज्ञान, विज्ञान और सुसंस्कार के लिए शिक्षा प्रसार' - डॉ. बापूजी सालुंखे।

V) बातचीत करते समय रूकावट सूचित करने के लिए निर्देशक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे-

मैं - अब - सोच - नहीं - सकता।

मैं - अब - जा - नहीं - सकता।

VI) ऐसे शब्द या उपवाक्य के पूर्व जिस पर अवधारण की आवश्यकता होती है, तब निर्देशक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे-

फिर क्या था- सिर पर एक के बाद एक लाठियाँ गिरने लगी।

पुस्तक का नाम है- गोदान।

VII) किसी वाक्य में भाव का अचानक परिवर्तन हो जाने पर निर्देशक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे-

सबका सांत्वन करना, इकट्ठा करना, समझना, और- न जाने क्या क्या?

8. कोष्ठक चिह्न- (Bracket) ( ), [ ], { }

निम्नलिखित स्थानों पर कोष्ठक चिह्न का प्रयोग किया जाता हैं-

I) विषय-विभाजन करते समय क्रमसूचक अक्षरों का या अंकों का उपयोग किया जाता है, तब कोष्ठक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे-

संकलन में तीन बातें महत्त्व रखती हैं- (अ) स्थल (ब) काल और (क) कृति।

अलंकारों के प्रमुख प्रकार ये हैं- (1) शब्दालंकार (2) अर्थालंकार (3) उभयालंकार।

II) समानार्थी शब्द या वाक्यांश में इस कोष्ठक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे- हमारे कॉलेज में एक लोकप्रिय नेता (भूतपूर्व मंत्री) का लड़का पढ़ता है।

III) नाटक, एकांकी आदि के संवाद, भय लेखों में हावभाव तथा अन्य रंगमंचीय सूचना देने के लिए इस कोष्ठक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे-

विजय-अंजली- (जाते-जाते मुड़कर क्रोध से)

चुप रहो श्रीपत! तुम चाहते हो, मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह आवारा हो जाय! [अंजो दीदी नाटक में - अश्क-)]

IV) भूल सुधारने तथा त्रुटि की पूर्ति के लिए वर्गाकार कोष्ठक [ ] इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

V) इसके साथ ही अलग पंक्तियों में लिखे हुए शब्दों को मिलाने के लिए { } इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

9. उद्धरण चिह्न/अवतरण चिह्न-(Inverted Comma) (‘ ’ “ ”)

उद्धरण चिह्न या अवतरण चिह्न के दो रूप होते हैं- (1) इकहरा उद्धरण चिह्न और (2) दुहरा उद्धरण चिह्न।

I) कोई विशेष पद, वाक्य खंड उद्धृत करने के लिए इकहरे उद्धरण चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे-

बच्चे माता को ‘मा’, पानी को ‘पा’ दूध को ‘दुदु’ कहते हैं।

II) लेखक या कवि का उपनाम, लेख का शीर्षक, पुस्तक का नाम, समाचार पत्र का नाम आदि उद्धृत करते समय इकहरे उद्धरण चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे-

कोल्हापूर से ‘पुढारी’ नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता है।

प्रेमचंद उर्दू में ‘नवाबराय’ उपनाम से लिखते थे।

मुम्बई में ‘शासकीय गृह’ नामक अच्छा विश्रांति गृह है।

III) इसी तरह व्याकरण, अलंकार, तर्क आदि साहित्यिक विषयादि उदाहरण देते समय दुहरे उद्धरण चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे-

''कनक कनक ते सौगुनी मादकता व्है जात।''

''चारू चंद्र की चंचल किरणें

''खेल रही थीं जल-थल में।''

''महाराज वापस आए होंगे।''

IV) किसी महत्त्वपूर्ण वचन उद्धृत करते समय या उसी तरह की कहावतों को उद्धृत करते समय दुहरे उद्धरण चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे-

''घट-घट में साई रमता, ताके कटुवचन मत बोल रे।''

10. योजक चिह्न-(Hyphen) (-)

हिंदी भाषा की प्रकृति विश्लेषणात्मक है। इसी कारण इसमें योजक चिह्नों की जरूरत पड़ती है। वस्तुत: योजक चिह्न वाक्य में प्रयुक्त शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हैं। योजक चिह्न से शब्दोच्चारण तथा वर्तनी में स्पष्टता आती है और हम अर्थ-भेद से भी बचते हैं। इसलिए निम्नलिखित रूप में योजक चिह्नों का प्रयोग किया जा सकता है-

I) दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच योजक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे- माता-पिता, रात-दिन, क्रय-विक्रय, आदान-प्रदान आदि।

II) जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हों और जिनसे 'और' लुप्त हो वहाँ योजक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे- दाल-भात, लोटा-डोरी, लड़का-लड़की, माता-पिता आदि।

III) एकार्थबोधक सहचर शब्दों अर्थात् जिनके अर्थ समान होते हैं, उन शब्दों के बीच योजक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे- नपा-तुला, समझ-बूझ, दीन-दु:खी, चाल-चलन, जी-जान, हँसी-खुशी आदि।

IV) जब दो संयुक्त क्रियाएँ एक साथ प्रयुक्त हो, तो उनके बीच योजक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे- पढ़ना-लिखना, उठना-बैठना, खाना-पीना, मारना-पीटना आदि।

V) यदि दो विशेष पदों का संज्ञा के अर्थ में प्रयोग हो, तो योजक चिह्न का प्रयोग किया जाात है। जैसे- लूला-लंगड़ा, अन्धा-बहरा, भूखा-प्यासा आदि।

VI) दो प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच योजक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे- कराना-करवाना, चलना-चलवाना, जितना-जितवाना आदि।

VII) अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के जब दो पद एक साथ आते हैं, तब उनके बीच योजक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे- बहुत-सी राशि, बहुत-सा धन, कम-से-कम, बहुत-सी बातें आदि।

VIII) यदि एक ही संज्ञा दो बार प्रयुक्त हो, तो उनके बीच योजक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे- राम-राम, गली-गली, बूँद-बूँद, कोना-कोना आदि।

IX) जब दो शब्दों के बीच संबंध कारक चिह्न (का, की, के) लुप्त हो, तो दोनों के बीच योजक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे- राम-नाम, कृष्ण-लीला, रावण-वध, प्रकाश-स्तंभ, शब्द-सागर, ज्ञान-गंगा आदि।

11. लाघव चिह्न-(Short Sign) (०)

लघु से लाघव बनता है। किसी प्रचलित बडे शब्द के छोटे रूप को अर्थात् प्रथम अक्षर को दर्शाने के लिए लाघव चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे-

पं॰ जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे।

डॉ॰ विजय मोहन अस्थिरोग के ख्यातनाम चिकित्सक हैं।

12. विवरण चिह्न- (Colon) (:-)

किसी पद की व्याख्या करने या किसी के बारे में कुछ विस्तार से कहने के लिए विवरण चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे-

समास :- कई पदों को मिलाकर एक हो जाने को समास कहते हैं।

पद :- वाक्यों में प्रयुक्त शब्द अर्थवाची बनकर पद बन जाते हैं।

विषय :- दो दिन की छुट्टी के बारे में।

13. लोप चिह्न- (....., xxxx)

लोप चिह्न का प्रयोग कई उद्देश्यों से निम्नलिखित रूप में किया जाता हैंह्न

I) वाक्य में छोडे गए अंश के लिए लोप चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे-

अरे! अभी तक तुम .....।

यदि आप बुरा न माने तो .....।

II) गोपनीय या अश्लील पदों को छुपाने के लिए लोप चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे-

पुलिस ने उसे माँ-बहन संबंधी गाली देते हुए कहा.....।

III) रिक्त स्थान दिखाने के लिए लोप चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे-

जिसका आदि होता है, उसका ..... भी निश्चित है।

IV) वाक्यांश में कुछ पंक्तियाँ छोडे जाने का संकेत देने के लिए लोप चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे-

हाय! मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन।

x x x x

x x x x

नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहें जीवित जन।।

14. त्रुटि चिह्न/काकपद/हंसपद-(ʌ)

वाक्य में किसी पद या वाक्य के छूट जाने पर उस स्थान पर ही त्रुटि चिह्न का प्रयोग कर ठीक उसके ऊपर छूटे अंश को लिखा जाता है। जैसे-

रामू रात के $\overset{9}{ʌ}$ बजे घर आता है।

उसे अब तक $\overset{\text{घर}}{ʌ}$ आना था।

15. अनुवृत्ति चिह्न-(,,)

जब लिखने में एक ही शब्द बार-बार ठीक नीचे लिखना पडता है, तब अनुवृत्ति चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे-

आचार्य रामचंद्र शुक्ल।

'' हजारी प्रसाद द्विवेदी।

'' पंडितराज जगन्नाथ।

'' कुलपति मिश्र।

16. समाप्ति सूचक चिह्न-(——०——)

लेख या पुस्तक के अंत में समाप्ति सूचक चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

1.3.5 वाक्य के प्रकार

अर्थ-बोध के स्तर पर भाषा की मूल इकाई 'शब्द' है। भाव-बोध तथा विचार-बोध के स्तर पर 'वाक्य' को भाषा की इकाई माना जा सकता है। प्रत्येक शब्द में अलग अर्थ-बोध की सामर्थ्य होता है। मात्र शब्दों को लिखने या बोलने से हमारे भाव या विचार व्यक्त नहीं हो सकते हैं। शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में रखकर अर्थात् लिंग, वचन, परसर्ग आदि की व्याकरण सम्मत रचना करने पर ही वाक्य बनता है। उससे हमारे भाव, विचार व्यक्त होते हैं। उसे अर्थपूर्णत्व प्राप्त होता है।

वाक्य की परिभाषाएँ –

वाक्य की विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएँ दी हैं। उनमें से कुछ परिभाषाएँ इस प्रकार हैं-

डॉ. भोलानाथ तिवारी –

वह अर्थवान ध्वनि समुदाय, जो पूरी बात या भाव की तुलना में अपूर्ण होते हुए भी अपने आप में पूर्ण हो तथा जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्रिया का भाव हो, वह वाक्य कहलाता है।

डॉ. भगीरथ मिश्र –

वाक्य वह शब्द समूह है, जिसके माध्यम से लिखकर अथवा बोलकर उसके भावों और विचारों को स्पष्टीकरण के साथ ही पाठक या श्रोता को उसके अर्थ का ज्ञान कराया जाए।

आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा –

भाषा की न्यूनतम् पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है।

दो या दो से अधिक अर्थपूर्ण शब्दों के क्रमबद्ध रचना-समूह को वाक्य कहा जाता है। शब्द जब वाक्य में आ जाता है, तब वह पद बनता है। इन पदों का निश्चित क्रम होता है। इसे ही वाक्य-रचना या पदक्रम कहते हैं। यह बात ध्यान रखना कि प्रत्येक भाषा में वाक्य-रचना अलग-अलग ढंग से की जाती है। मराठी, कन्नड तथा हिंदी वाक्यों की रचना समान-सी लगती है। अंग्रेजी तथा संस्कृत वाक्यों में अलग-अलग रचना दिखाई देती है।

वस्तुत: हिंदी की वाक्य-रचना निश्चित है। उसमें प्रथम कर्ता, उसके बाद कर्म और अंत में क्रिया ऐसा ही क्रम रहता है। यह पदक्रम व्याकरणीय या साधारण पदक्रम कहलाता है।

वाक्य के प्रकार –

जिस अर्थपूर्ण शब्द-समूह द्वारा कोई एक विचार पूर्ण रूप से प्रगट हो जाता है, वह शब्द-समूह वाक्य कहलाता है।

रूप तथा रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन प्रकार किए जाते हैं- साधारण या सामान्य वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य।

1. साधारण वाक्य –

जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय रहता है, उस वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे-

महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे।

माता-पिता पार्क में बैठे हैं।

2. संयुक्त वाक्य –

जिस वाक्य में एक से अधिक (मिश्र या साधारण वाक्य) वाक्य स्वतंत्र रूप में एक-दूसरे के साथ किसी संयोजक से जोडे जाते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य जो जुडे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं; वे किसी पर आश्रित नहीं होते है। जैसे-

मनोज कल आया था, लेकिन रूका नहीं।

मेरे पिताजी कश्मीर गए और वहाँ दस दिन रहें।

3. मिश्र वाक्य –

जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक अथवा अधिक आश्रित उपवाक्य आ जाते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे-

मैं देखता हूँ कि तुम मेहनत नहीं करते हो।

ऐसा कौन है कि जिसने गांधी जी का नाम सुना नहीं।

सूरज उगा, इसलिए अँधेरा भागा।

अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ प्रकार किए जाते हैं। वे इस प्रकार हैं-

1. विधानार्थक या विधिवाचक वाक्य –

यदि वाक्य में कार्य के होने या करने का सामान्य कथन हो, निषेधात्मक नहीं तो उसे विधानार्थक या विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे–

विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय रहते थे।

राम आम खाता है।

जाडे की धूप बहुत प्यारी लगती है।

हमारा भारत एक महान देश है।

2. निषेधार्थक या निषेधवाचक वाक्य –

यदि वाक्य में कार्य के न होने या न करने का बोध हो तो उसे निषेधार्थक या निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे–

पिताजी स्वस्थ नहीं है।

राम आम नहीं खाता है।

वह घर नहीं जाएगा।

भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश नहीं है।

3. प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य –

यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाय, तो वह प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। इस तरह के वाक्यों में 'क्या', 'कौन', 'कहाँ', 'कैसें', 'कब', 'क्यों', 'किसलिए' आदि का प्रयोग होता है। प्राय: वाक्य के आरंभ में 'क्या' रखकर विधानार्थक से प्रश्नार्थक वाक्य बनाया जाता है। वस्तुत: 'क्या' का प्रयोग (निर्जीव के लिए), 'कौन' का प्रयोग (सजीव के लिए), 'कहाँ' का प्रयोग (स्थान के बारे में), 'कब' का प्रयोग (समय–संबंधी प्रश्न के लिए), 'कैसे' का प्रयोग (स्थिति या अवस्था से संबंधित प्रश्न के लिए) साथ ही 'कैसे' का प्रयोग (मार्ग, साधन या कारण के लिए), 'क्यों' और 'किसलिए' का प्रयोाग (कारण–संबंधी प्रश्नों के लिए) आदि विविध रूपों में प्रयुक्त होता है। जैसे–

क्या राजा नगए में आए?

कौन आया है?

आप कहाँ जा रहे हैं?

वह कब जा रहा है?

आपके पिताजी कैसे है?

आप कैसे आए?

आप क्यों चिल्ला रहे हैं?

आप किसलिए वहाँ जाया करते हैं?

4. आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य –

यदि वाक्य में वक्ता का उद्देश्य आज्ञा या अनुमति देना है, तो उसे आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे–

आओ, भारत भ्रमण कर आओ।

आप अपनी बात कह सकते हैं।

तुम जाओ, अपना काम करो।

5. विस्मयादिबोधक या विस्मयवाचक वाक्य –

यदि वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक, खुशी, घृणा आदि का भाव अभिव्यक्त हो, तो उसे विस्मयादिबोधक या विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे–

अरे! आप ने तो कमाल ही कर दिया।

अहा! कितना सुंदर दृश्य है।

वाह! तुम बडे बहादुर हो।

6. इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य –

यदि वाक्य में वक्त की इच्छा, आशा, शुभकामना या शाप आदि अभिव्यक्त हो, तो उसे इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे–

भगवान तुम्हें सुखी रखें।

पिताजी आ जाएँ तो अच्छा हो।

जा, तुझे नरक में भी जगह न मिले।

आपकी यात्रा मंगलमय हो।

7. संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य –

जिस वाक्य से संदेह या संभावना का बोध हो, उसे संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे–

शायद बरसात आयी होगी।

राम ने आम खाया होगा।

अब तक वह सो गया होगा।

लगता है, मैंने इस आदमी को कहीं देखा है।

8. संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य –

यदि वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करे अथवा एक कार्य का संकेत दूसरे कार्य से मिले, तो उसे संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे–

यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल भी अच्छी होगी।

अगर बरसात आती तो बीज बोया जाता।

महाराज नगर में आते तो अच्छा होता।

1.3.6 मानक वर्तनी

देवनागरी लिपि की त्रुटियों के निराकरण के संदर्भ में अनेक प्रयास हुए। इस संदर्भ में महादेव गोविंद रानडे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति, काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद, डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद आदि सुधार समितियों ने देवनागरी को मानक रूप प्रदान करने के लिए अनेक सुझाव दिए। उनमें से व्यवहार्य सुझावों को अपनाया गया। इसी तरह का प्रयास भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा सन् 1961 में नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति द्वारा भी हुआ। उनकी सिफारिशें सरकार द्वारा अप्रैल 1962 में स्वीकृत हुई। इसमें हिंदी वर्तनी में एकरूपता लाने तथा लिपि संबंधी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। फलत: वर्तनी संबंधी बने अद्यतन नियमों पर विचार किया जाएगा।

'वर्तनी' को उर्दू में 'हिज्जे' और अंग्रेजी में 'Spelling' कहा जाता है। वस्तुत: 'वर्तनी' शब्द संस्कृत भाषा का है। जिसका अर्थ है– शब्द के वर्ण, उनका क्रम तथा उच्चारण विधि। तात्पर्य यह है कि लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जिस शब्द में जितने

वर्ण या अक्षर जिस अनुक्रम में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें उसी क्रम में लिखना ही 'वर्तनी' कहलाया जाता है।

संसार की किसी भी भाषा की समस्त ध्वनियों के सही उच्चारण के लिए उनकी वर्तनी में एकरूपता का होना आवश्यक होता है। वर्तनी की विविधता के कारण किसी भी भाषा के लेखन में कई प्रकार की उलझने पैदा होती हैं। वर्तनी की शुद्धता या अशुद्धता दो बातों पर निर्भर करती हैंह्न (1) उच्चारण और (2) अध्ययन या अभ्यास।

हिंदी वर्तनी की अनेकरूपता और उसमें उत्पन्न दोषों के निराकरण के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने विशेषज्ञ-समिति द्वारा सार्थक प्रयास कर हिंदी भाषा की वर्तनी-संबंधी मानक नियम निर्धारित किए। वे नियम इस प्रकार हैंह्न

1. संयुक्त वर्ग –

क) खड़ी पाईवाले व्यंजन –

खड़ी पाईवाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाना चाहिए। जैसे-

ख + या = ख्या। इसमें 'ख' का अद्र्ध या संयुक्त रूप 'ख' होगा। इसी तरह ख्याति, श्लोक, शय्या, न्यास, प्यास, सभ्य आदि।

ख) अन्य व्यंजन –

1. 'क' तथा 'फ' के संयुक्ताक्षर इस प्रकार होने चाहिए। जैसे- क्त, फ्त। इसी तरह संयुक्त, वक्त, दफ्तर, रफ्तार आदि।
2. ङ, छ, ट, ठ, ड, ढ, द और ह के संयुक्ताक्षर हल् (्) चिह्न लगाकर ही बनाए जाने चाहिए। जैसे- वाङ्मय, विद्या, ब्राह्मण, ब्रह्मा आदि।
3. संयुक्त 'र' के (्र र्‍ ्) प्रचलित तीन रूप यथावत् रहेंगे। जैसे- प्रकार, कर्म, राष्ट्र आदि।
4. 'श्र' का प्रचलित रूप ही मान्य होगा। त + र के संयुक्त रूप के लिए 'त्र' और 'त्र' दोनों में से किसी एक के प्रयोग की छूट होगी। किन्तु 'क्र' को 'क्र' या 'क्र' के रूप में नहीं लिखा जाना चाहिए।
5. हल चिह्न युक्त वर्ण से बननेवाले संयुक्ताक्षर के द्वितीय व्यंजन के साथ 'इ' की मात्रा

का प्रयोग सम्बन्धित व्यंजन के तत्काल पूर्व ही किया जाएगा, न कि पूरे युग्म से पूर्व। जैसे- द्वितीय, बुद्धिमान, चिह्नित आदि।

6. संस्कृत में संयुक्ताक्षर पुरानी शैली में ही लिखे जा सकेंगे। जैसे- संयुक्त, विद्वान, विद्या आदि।

2. विभक्ति-चिह्न -

1. हिंदी के विभक्ति-चिह्न सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रतिपादिक से पृथक लिखे जाए। जैसे- राम ने, रावण ने, राम को, रावण को, राम से, रावण से आदि।
2. सर्वनाम शब्दों में विभक्ति-चिह्न प्रतिपादिक के साथ मिलाकर लिखे जाए। जैसे- उसने, उसको, उससे आदि।
3. सर्वनामों के साथ यदि दो विभक्ति-चिह्न हो तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक् लिखा जाए। जैसे- उसके लिए, उनमें से, इनमें से, उनके पास आदि।
4. सर्वनाम और विभक्ति के बीच ही 'ही', 'तक' आदि का निपात हो तो विभक्ति को पृथक् लिखा जाए। जैसे- आप ही के लिए, मुझ तक को आदि।

3. क्रियापद/संयुक्त क्रियाएँ -

संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाएँ पृथक्-पृथक् लिखी जाए। जैसे- आ सकता है, जा सकता है, बढ़ते चले जा रहे हैं, आ रहे हैं, कर सकता है आदि।

4. हाइफ़न -

शब्दों-शब्दों में स्पष्टता के लिए हाइफ़न का विधान किया जाता है। वह इस प्रकार हैं-

1. द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफ़न रखा जाए। जैसे- शिव-लीला, शिव-पार्वती-संवाद, चाल-चलन, पढ़ना-लिखना, खाना-पीना, लेन-देन आदि।
2. 'सा', 'जैसा' आदि से पूर्व हाइफ़न रखा जाए। जैसे- तुम-सा, इतना-सा, इतनी-सी, राम-जैसा, चाकू-से तेज, फटे-से आदि।
3. तत्पुरुष समास में हाइफ़न का प्रयोग केवल वहाँ पर किया जाए, जहाँ उसके बिना भ्रम होने की सम्भावना हो; अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं। जैसे- भू-तत्त्व आदि।

4. कठिन संधियों से बचने के लिए भी हाइफ़न का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे- द्वि-अक्षर, द्वि-अर्थक, एक-दिवसीय, द्वि-दिवसीय आदि।

5. अव्यय –

1. अव्यय हमेशा पृथक् लिखे जाए। जैसे- आपके साथ, यहाँ तक, कार्यालय तक, दो रूपये मात्र आदि।
2. समस्त पदों में अव्यय पृथक नहीं लिखे जाएँगे। यह सर्वविदित नियम है कि समास होने पर समस्त पद एक माना जाता है। अत: उसे व्यस्त रूप में न लिखकर एक साथ लिखना ही संगत है। जैसे- प्रतिदिन, निमित्तमात्र, यथासमय, यथासंभव, मानवमात्र, प्रतिशत, यथोचित आदि।
3. सम्मानार्थक 'श्री', 'जी' आदि अव्यय भी पृथक् ही लिखे जाए। जैसे- श्री, श्रीराम जी, पंडित जी, महात्मा जी, मंत्री जी, श्यामसुंदर जी, डॉ. पंडित जी आदि।

6. श्रुतिमूलक 'य', 'व' –

1. हिंदी में 'य', 'व' को श्रुतिमूलक माना गया है। जहाँ उनका प्रयोग विकल्प से होता है, वहाँ न किया जाए; क्योंकि उसके स्वरात्मक रूप ही शुद्ध और प्रमाणित माने जाएँगे। जैसे- हुआ, हुई, गए, लिए, हुए, नई आदि। अत: यह नियम क्रियाविशेषण अव्यय आदि सभी रूपों और स्थितियों में लागू माना जाए।
2. जहाँ 'य' श्रुतिमूलक व्याकरणिक परिवर्तन न होकर शब्द का ही मूल तत्त्व हो, वहाँ वैकल्पिक श्रुतिमूलक स्वरात्मक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। जैसे- अव्ययीभाव, स्थायी, दायित्व, अस्थायी आदि।

7. अनुस्वार तथा अनुनासिकता चिह्न –

मानक हिंदी प्रणाली के अनुसार अनुस्वार (ं) तथा अनुनासिकता चिह्न याने चंद्रबिंदु (ँ) दोनों प्रचलित रहेंगे। वे इस प्रकार हैं-

1. संयुक्त व्यंजन के रूप में जहाँ पंचमाक्षर के बाद स-वर्गीय शेष चार वर्णों में कोई वर्ण हो तो एकरूपता और मुद्रण-लेखन की सुविधा के लिए अनुस्वार का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे- संध्या, चंचल, गंगा, ठंडा आदि।

2. यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए अथवा वहीं पंचमाक्षर द्वारा आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे- सम्मति, चिन्मय, सम्मेलन, अन्न, वाङ्मय, उन्मुख, अन्य आदि।

3. चंद्रबिंदु के बिना प्राय: अर्थ में भ्रम की गुंजाइश रहती है। अत: ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। जैसे- हंस-हँस, अंगना-अँगना आदि।

4. जहाँ चंद्रबिंदु के प्रयोग से मुद्रण-लेखन आदि में बहुत-सी कठिनाई हो या चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न करें, वहाँ चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु के प्रयोग की छूट दी जा सकती है। जैसे- नहीं, में, मैंने, मैं आदि।

8. विदेशी ध्वनियाँ -

1. अरबी-फारसी या अंग्रेजीमूलक वे शब्द जो हिंदी का अंग बन चुके हैं और जिनकी विदेशी ध्वनियों का हिंदी ध्वनियों में रूपांतर हो चुका है, उन्हें हिंदी रूप में ही स्वीकार किए जा सकते हैं। जहाँ उनके शुद्ध विदेशी रूप में प्रयोग अभिष्ट हो अथवा उच्चारणगत भेद स्पष्ट करना हो, वहाँ हिंदी में प्रचलित रूपों में यथास्थान नुक्ते लगाए जाने चाहिए। जैसे- खाना-ख़ाना, राज-राज़, फन-फ़न आदि।

2. अरबी-फारसी की मुख्यत: पाँच ध्वनियाँ हिंदी में आयी हैं- क़, ख़, ग़, ज़, फ़। इनमें से क़ तथा ग़ ध्वनियाँ हिंदी उच्चारण में परिवर्तित हो गई हैं। शेष ख़, ज़, फ़ ध्वनियाँ अपना आस्तित्व बचाने के प्रयास में संघर्षरत हैं।

3. अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्द्धविवृत 'ओ' ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभीष्ट होने पर 'आ' मात्रा के ऊपर अर्द्धचंद्र का प्रयोग किया जाए। जैसे- ऑ, ॅ आदि।

4. हिंदी में कुछ शब्दों के दो-दो रूप चल रहे हैं, उन्हें उन्हीं रूपों में स्वीकार किया जाएगा। जैसे- गरमी-गर्मी, बरफ-बर्फ, बिलकुल-बिल्कुल, कुरसी-कुर्सी, दोबारा-दुबारा आदि।

9. हल् चिह्न -

संस्कृतमूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी में सामान्यत: संस्कृत रूप ही रखे जाए। जिन शब्दों के

प्रयोग में हिंदी हल् चिह्न लुप्त हो चुका है, उनमें उसको फिर से लगाने का यत्न न किया जाए। जैसे- महान, विद्वान आदि।

10. स्वन-परिवर्तन -

1. संस्कृतमूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी को ज्यों-का-त्यों ग्रहण किया जाए। जैसे- उऋण, ब्रह्मा, चिह्न आदि।
2. जिन तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वित्वमूलक व्यंजन लुप्त हो गया है, उसे न लिखने की छूट है। जैसे- अद्र्ध- अर्ध, उज्ज्वल- उज्वल, तत्त्व- तत्व आदि।

11. विसर्ग -

1. संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है, वे यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हो. तो विसर्ग का प्रयोग किया जाना ही चाहिए। जैसे- दु:खानुभूति आदि।
2. यदि शब्द के तद्भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका हो तो उस रूप में विसर्ग के बिना भी काम चल जाएगा। जैसे- सुख-दु:ख के साथी आदि।

12. 'ऐ', 'औ' का प्रयोग -

हिंदी में ऐ (ै) और औ (ौ) का प्रयोग दो प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए होता है। (1) पहले प्रकार की ध्वनियाँ- 'है', 'और' आदि में है। (2) दूसरे प्रकार की ध्वनियाँ- गवैया, कौवा आदि में है। दोनों में 'ऐ', 'ऐं', 'ओ', 'औ' इन्हीं चिह्नों का प्रयोग होता है। अत: स्पष्ट होता है कि इन दोनों प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए 'ऐ', 'औ' इन्ही चिह्नों का ही प्रयोग किया जाए।

13. पूर्वकालिक प्रत्यय -

पूर्वकालिक प्रत्यय 'कर' क्रिया से मिलाकर लिखा जाए। जैसे- मिलाकर, मिटाकर, खुलकर, खा-पीकर, रो-रोकर आदि।

14. अन्य नियम -

1. शिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा।

2. पूर्ण विराम के लिए खडी पाई (।) का प्रयोग किया जाए।

3. पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम आदि चिह्न वही ग्रहण कर लिए जाए, जो अंग्रेजी में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित हैं। जैसे- अल्पविराम (,), अद्र्धविराम (;) आदि।

1.4 स्वयं-अध्ययन के लिए प्रश्न

1.4.1 लिंग पर बहुविकल्पी प्रश्न

1. मनुष्य के विचार-विनिमय का प्रमुख साधन ..... है।
   (क) लिपि (ख) ध्वनि (ग) भाषा (घ) शब्द

2. लिंग के ..... प्रकार होते हैं।
   (क) पाँच (ख) दो (ग) तीन (घ) चार

3. ..... ने लिंग-निर्धारण के चार साधन बताए हैं।
   (क) देवेंद्रनाथ शर्मा (ख) देवेंद्र शर्मा (ग) ब्रजेंद्र शर्मा (घ) रामकुमार वर्मा

4. भाषा का विकास कठिन से ..... की ओर होता है।
   (क) बृहत (ख) विशेष (ग) विकास (घ) सरल

5. अधिकांश रूप में लिंग-निर्धारण ..... से किया जाता है।
   (क) लोक-व्यवहार (ख) जन-विधान (ग) लोक-विधान (घ) नये-विधान

6. लौकिक लिंग ..... हैं।
   (क) एक (ख) दो (ग) चार (घ) तीन

7. प्राणिवाचक संज्ञा में ..... लिंग के आधार पर लिंग-निर्धारण किया जाता है।
   (क) व्यावहारिक (ख) प्राकृतिक (ग) व्याकरणिक (घ) लौकिक

8. ..... शब्दों के लिंग बहुत कुछ माने हुए होते हैं।
   (क) प्राणिवाचक (ख) पुरुषवाचक (ग) अप्राणिवाचक (घ) स्त्रीवाचक

9. लिंग-व्यवस्था में ..... दिखाई देती है।
   (क) सुचारूता (ख) नियमितता (ग) एकरूपता (घ) अनियमितता

10. अपभ्रंश से विकसित आधुनिक आर्य भाषाओं के लिंग के आधार पर हिंदी लिंग-व्यवस्था के ..... वर्ग बताए जाते हैं।

(क) तीन (ख) चार (ग) पाँच (घ) दोन

4.1.2 वचन पर बहुविकल्पी प्रश्न

1. बिना वचन के ..... आदि का बोध नहीं होता है।

(क) शब्द (ख) संख्या (ग) सर्वनाम (घ) नाम

2. हिंदी में वचन का विकास ..... से हुआ है।

(क) संस्कृत (ख) प्राकृत (ग) अपभ्रंश (घ) अंग्रेजी

3. भारोपीय परिवार की भाषाओं में ..... वचन प्रचलित थे।

(क) तीन (ख) सात (ग) चार (घ) दो

4. आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में ..... वचन की व्यवस्था पाई जाती हैं।

(क) एक (ख) तीन (ग) चार (घ) दो

5. साधारणत: व्यक्तिवाचक, भाववाचक तथा द्रव्य वाचक संज्ञाओं का प्रयोग .....में होता है।

(क) बहुवचन (ख) एकवचन (ग) द्विवचन (घ) अन्य वचन

6. वचन एक ..... कोटि (तत्त्व) है।

(क) व्यावसायिक (ख) शाब्दिक (ग) व्याकरणिक (घ) व्यावहारिक

7. शब्दों के विकारी रूपों का ..... कहा जाता है।

(क) सर्वनाम (ख) नाम (ग) वचन (घ) संज्ञा

8. वचन-व्यवस्था मराठी, गुजराती आदि में ..... है।

(क) बराबर-सी (ख) अलग-सी (ग) नियमित-सी (घ) अनियमित-सी

9. बहुवचन का क्षेत्र बड़ा ..... होता है।

(क) अलग (ख) व्यापक (ग) सीमित (घ) गौण

10. वचन-प्रणाली विविध भाषाओं में ..... रूपों में मिलती हैं।

(क) एकरूप (ख) सुव्यवस्थित (ग) नियमित (घ) अलग-अलग

4.1.3 कारक पर बहुविकल्पी प्रश्न

1. कारकों को व्याकरण में ..... कहते हैं।
   (क) संज्ञा (ख) सर्वनाम (ग) विभक्तियाँ (घ) विश्लेषण
2. कारकों के ..... भेद माने जाते हैं।
   (क) सात (ख) चार (ग) तीन (घ) आठ
3. कर्ता कारक के साथ ..... विभक्ति चिह्न का प्रयोग होता है।
   (क) ने (ख) को (ग) की (घ) के
4. कर्म कारक का विभक्ति चिह्न ..... है।
   (क) ने (ख) की (ग) को (घ) से
5. वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि से पृथकता या तुलना का बोध ..... कारक से होता है।
   (क) संबंध (ख) अपादान (ग) सम्प्रदान (घ) करण
6. संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वह क्रिया का साधन है, वह ..... कारक कहलाता है।
   (क) करण (ख) अर्पादान (ग) कर्ता (घ) कर्म
7. अधिकरण कारक में विभक्ति चिह्न प्रयुक्त होने का आधार ..... प्रकार का होता है।
   (क) तीन (ख) चार (ग) दो (घ) एक
8. सम्बोधन कारक के साथ आगे या पीछे बहुधा ..... चिह्न आता है।
   (क) प्रश्नार्थक (ख) विस्मयादिबोधक (क) निर्देशक (घ) योजक
9. कारक शब्द का अभिप्राय ..... से संबंध बतानेवाला तत्त्व है।
   (क) संज्ञा (ख) विभक्ति (ग) वचन (घ) क्रिया
10. सम्बन्धकारक का विभक्ति चिह्न ..... होता है।
    (क) का, की, के (ख) ने, को, से (ग) में, पर (घ) से

4.1.4 विराम चिह्न पर बहुविकल्पी प्रश्न

1. विराम चिह्नों के गलत प्रयोग से अर्थ का ..... हो जाता है।
   (क) प्रयोग (ख) चिह्न (ग) अनर्थ (घ) विराम

2. हिंदी में विराम चिह्नों का प्रचार ..... ढंग के अनुसार बढ गया है।

(क) अंग्रेजी (ख) अरबी (ग) फारसी (घ) उर्दू

3. अपूर्ण विराम से भी कम ठहराव का संकेत ..... से होता है।

(क) पूर्ण विराम (ख) उपविराम (ग) अल्पविराम (घ) अद्‌र्ध विराम

4. बातचीत करते समय रूकावट सूचित करने के लिए ..... चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

(क) कोष्ठक (ख) निर्देशक (ग) उद्‌धरण (घ) योजक

5. किसी प्रचलित बडे शहर के छोटे रूप को अर्थात् प्रथम अक्षर को दर्शाने के लिए ..... चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

(क) लाघव (ख) विवरण (ग) अवतरण (घ) अनुवृत्ति

6. जब लिखने में एक ही शब्द बार-बार ठीक नीचे लिखना पडता है तब ..... चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

(क) त्रुटि (ख) लोप (ग) लाघव (घ) अनुवृत्ति

7. त्रुटि चिह्न का प्रयोग कर ठीक उसके ..... छूटे अंश को लिखा जाता है।

(क) आगे (ख) नीचे (ग) ऊपर (घ) मध्य

8. गोपनीय या अश्लील पदों को छुपाने के लिए ..... चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

(क) काकपद (ख) लोप (ग) विवरण (घ) लाघव

9. हिंदी भाषा की प्रकृति ..... है।

(क) अलंकारिक (ख) आनंदात्मक (ग) विवरणात्मक (घ) विश्लेषणात्मक

10. उद्‌धरण चिह्न के ..... रूप होते हैं।

(क) दो (ख) चार (ग) सात (घ) तीन

4.1.5 वाक्य के प्रकारों पर बहुविकल्पी प्रश्न

1. भाषा की न्यूनतम पूर्ण सार्थक इकाई ..... है।

(क) पद (ख) वाक्य (ग) ध्वनि (घ) शब्द

2. रूप तथा रचना की दृष्टि से वाक्य के ..... प्रकार किए जाते हैं।

(क) तीन (ख) चार (ग) पाँच (घ) दो

3. अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार किए जाते हैं।

(क) सात (ख) चार (ग) दस (घ) आठ

4. यदि वाक्य में कार्य के होने या करने का सामान्य कथन हो, निषेधात्मक नहीं तो उसे ..... वाक्य कहते हैं।

(क) निषेधार्थक (ख) प्रश्नार्थक (ग) विधानार्थक (घ) आज्ञार्थक

5. शब्द जब वाक्य में आ जाता है, तब वह ..... बनता है।

(क) पद (ख) वाक्य (ग) अर्थ (घ) ध्वनि

6. ..... वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय रहता है।

(क) प्रश्नार्थक (ख) संयुक्त (ग) मिश्र (घ) साधारण

7. मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक अथवा अधिक आश्रित ..... आ जाते है।

(क) शब्द (ख) उपवाक्य (ग) अर्थ (घ) पद

8. संयुक्त वाक्य में जुडे हुए दोनों वाक्य ..... होते हैं।

(क) स्वतंत्र (ख) एक साथ (ग) अलग (घ) विधेय

9. अर्थ-बोध के स्तर पर भाषा की मूल इकाई ..... होती है।

(क) वाक्य (ख) अर्थ (ग) प्रश्न (घ) शब्द

10. प्रत्येक शब्द में अलग ..... की सामर्थ्य होता है।

(क) विस्तार-बोध (ख) अर्थ-बोध (ग) विषय-बोध (घ) सामान्य-बोध

4.1.6 मानक वर्तनी पर बहुविकल्पी प्रश्न

1. वर्तनी के उर्दू में ..... कहा जाता है।

(क) लिपि (ख) मानकता (ग) हिज्जे (घ) वर्ण

2. हिंदी की वर्तनी में ..... है।

(क) अनेकरूपता (ख) सीमितता (ग) एकरूपता (घ) भिन्नता

3. लिखने की रीति को ..... कहा जाता है।

(क) शब्द या वाक्य *(ग) वर्ण या शब्द*

(ख) वर्तनी या अक्षरी *(घ) ध्वनि या उच्चारण*

4. खडी पाईवाले व्यंजनों का संयुक्त रूप ..... को हटाकर बनाया जाता है।

(क) व्यंजन *(ख) स्वर* *(ग) अक्षर* *(घ) खडी पाई*

5. हिंदी के विभक्ति चिह्न सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रतिपादिक से ..... लिखे जाते हैं।

(क) एकसाथ *(ख) प्रथम* *(ग) पृथक* *(घ) भिन्न*

6. शब्दों-शब्दों में स्पष्ट के लिए ..... का विधान किया जाता है।

(क) हाइपन *(ख) क्रिया* *(ग) अनुस्वार* *(घ) व्याकरण*

7. अरबी-फारसी की क़, ख़, ग़, ज़, फ़ पाँच ध्वनियाँ ..... में आयी हैं।

(क) मराठी *(ख) संस्कृत* *(ग) उर्दू* *(घ) हिंदी*

8. संस्कृतमूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी में सामान्यत: ..... रूप ही रखा जाता है।

(क) मराठी *(ख) संस्कृत* *(ग) हिंदी* *(घ) अरबी*

9. पूर्वकालिक प्रत्यय ..... से मिलाकर लिखे जाते हैं।

(क) 'कर' क्रिया *(ख) 'कर' वाक्य* *(ग) 'कर' पद* *(घ) 'कर' शब्द*

10. हिंदी में पूर्ण विराम के लिए ..... का प्रयोग किया जाता है।

(क) अल्पविराम *(ख) अर्द्ध विराम* *(ग) खडी पाई* *(घ) बिंदु*

1.5 पारिभाषिक शब्द, शब्दार्थ

1. **इकाई** : एकांक।
2. **मानक** : प्रमाण (स्टँडर्ड)।
3. **मानक वर्तनी** : जिसको स्तरीय रूप में मान लिया गया है वह वर्तनी।
4. **संयुक्त** : जुड़ा या मिला हुआ।
5. **पृथक्** : अलग।

6. **धातु** : मूल क्रिया, क्रिया का मूल रूप।

7. **संरचना** : विशेष प्रकार की रचना

8. **सादृश्य** : रूप, प्रकार आदि की समानता, एकरूपता।

9. **साहचर्य** : साथ रहने का भाव, संग, साथ।

10. **तत्सम** : उसके समान अर्थात् संस्कृत के मूल शब्दों के समान, शब्द के जो मूल भाषा के शुद्ध रूप में हो।

11. **समीचीन** : उपयुक्त, ठीक, उचित, न्यायसंगत।

12. **विधेय** : जिसका करना उचित हो, जो नियम या विधिपूर्वक किया जाता है।

13. **समास** : दो या दो से अधिक शब्दों का मिलकर एक होना।

14. **तत्पुरुष** : व्याकरण में एक समास, जिसमें पहले पद में कर्ताकारक तो होता ही नहीं और शेष कारकों की विभक्तियाँ लुप्त होती हैं और अंतिम पद का अर्थ प्रदान होता है।

15. **अभीष्ट** : वांछित, मनोनीत, अभिप्रेत, आशय के अनुसार।

16. **वर्णमाला** : लिपि के वर्णों की सूची।

17. **उपलाधि** : प्राप्ति, ज्ञान-सिद्धि।

1.6 स्वयं-अध्ययन प्रश्नों के उत्तर

1.4.1 लिंग

1. *(ग) भाषा*
2. *(ख) दो*
3. *(क) देवेंद्रनाथ शर्मा*
4. *(घ) सरल*
5. *(क) लोक-व्यवहार*
6. *(घ) तीन*
7. *(ख) प्राकृतिक*

8. *(ग) अप्राणिवाचक*
9. *(घ) अनियमितता*
10. *(क) तीन*

4.1.2 वचन

1. *(ख) संख्या*
2. *(क) संस्कृत*
3. *(क) तीन*
4. *(घ) दो*
5. *(ख) एकवचन*
6. *(ग) व्याकरणिक*
7. *(ग) वचन*
8. *(क) बराबर-सी*
9. *(ख) व्यापक*
10. *(घ) अलग-अलग*

4.1.3 कारक

1. *(ग) विभक्तियाँ*
2. *(घ) आठ*
3. *(क) ने*
4. *(ग) को*
5. *(ख) अपादान*
6. *(क) करण*
7. *(क) दो*
8. *(ख) विस्मयादिबोधक*
9. *(घ) क्रिया*
10. *(क) का, की, के*

4.1.4 विराम चिह्न

1. *(ग) अनर्थ*
2. *(क) अंग्रेजी*
3. *(घ) अद्‌र्ध विराम*
4. *(ख) निर्देशक*
5. *(क) लाघव*
6. *(घ) अनुवृत्ति*
7. *(ग) ऊपर*
8. *(ख) लोप*
9. *(घ) विश्लेषणात्मक*
10. *(क) दो*

4.1.5 वाक्य के प्रकार

1. *(ख) वाक्य*
2. *(क) तीन*
3. *(घ) आठ*
4. *(ग) विधानार्थक*
5. *(क) पद*
6. *(घ) साधारण*
7. *(ख) उपवाक्य*
8. *(क) स्वतंत्र*
9. *(घ) शब्द*
10. *(ख) अर्थ-बोध*

4.1.6 मानक वर्तनी

1. *(ग) हिज्जे*
2. *(क) अनेकरूपता*

3. *(ख) वर्तनी या अक्षरी*
4. *(घ) खडी पाई*
5. *(ग) पृथक*
6. *(क) हाइफ़न*
7. *(घ) हिंदी*
8. *(ख) संस्कृत*
9. *(क) 'कर' क्रिया*
10. *(ग) खडी पाई.*

1.7 सारांश

1. मनुष्य भाषा के माध्यम से अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करता है। भाषा ही उसकी अभिव्यक्ति का सहज माध्यम है। वस्तुत: भाषा की शुद्धता व्याकरण पर निर्भर होती है। इसलिए मनुष्य को व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक होता है। व्याकरण के ज्ञान द्वारा ही भाषा की शुद्धता के नियम स्पष्ट होते हैं। यह नियम लिखित भाषा पर आधारित होते हैं। उससे भाषा में स्तरीयता आती है।

2. 'लिंग' का शाब्दिक अर्थ प्रतीक या चिह्न अथवा निशान होता है। संज्ञाओं के जिस रूप से उसकी पुरुष जाति या स्त्री-जाति का पता चलता है, उसे ही लिंग कहा जाता है। अत: लिंग से पुरुष और स्त्री होने का पता चलता है, उनका भेद स्पष्ट होता है। लिंग के दो प्रकार होते हैं- लौकिक और व्याकरणिक। हिंदी में दो लिंग है- पुल्लिंग और स्त्रीलिंग।

3. वचन एक व्याकरणिक कोटि है, तत्त्व है। संज्ञा के जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व अर्थ का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। वे मनुष्य के मुख से निकलनेवाले सार्थक शब्द होते हैं। हिंदी में दो वचन है- एकवचन और बहुवचन।

4. संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह ज्ञात होता कि वाक्य में उसका क्या स्थान है और वाक्य के अन्य शब्दों से तथा विशेषत: क्रिया से उसका क्या संबंध है, उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों के आठ भेद माने जाते हैं। कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, उन्हें व्याकरण में विभक्तियाँ कहा जाता है। अत: विभक्तियों से ही कारकों की पहचान होती है।

5. व्याकरण में विराम चिह्नों का विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। उनके गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है अर्थात् अर्थ ही बदल जाता है। विराम का अर्थ है- विश्राम या ठहराव। जब हम भाषा द्वारा अपने भावों को प्रकट करते हैं, तब एक विचार या उसके कुछ अंश को व्यक्त करने के पश्चात् थोड़ा-सा रूकते हैं, उसे ही विराम कहते हैं। और उसे स्पष्ट करने के लिए जिन चिह्नों का प्रयोग किया जाता है, वे ही भाषा में विराम चिह्न कहलाते हैं।

6. जिस अर्थपूर्ण शब्द-समूह द्वारा कोई एक विचार पूर्ण रूप से प्रगट हो जाता है, वह शब्द-समूह वाक्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में, पूर्ण अर्थ की प्रतीति करानेवाले सार्थक शब्द-समूह को वाक्य कहते हैं। रूप तथा रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन प्रकार किए जाते हैं- साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। साथ ही अर्थ के आधार पर वाक्य के विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, विस्मयादिबोधक, इच्छार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक आठ भेद किए जाते हैं।

7. 'वर्तनी' को उर्दू में 'हिज्जे' और अंग्रेजी में Spelling कहा जाता है। वस्तुत: 'वर्तनी' शब्द संस्कृत भाषा का है। जिसका अर्थ है- शब्द के वर्ण, उनका क्रम तथा उच्चारण विधि। अत: लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जिस शब्द में जितने वर्ण या अक्षर जिस अनुक्रम में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें उसी क्रम में लिखना ही 'वर्तनी' कहलाया जाता है। भाषा को लिपिबद्ध करने की सैद्धांतिक प्रक्रिया का नाम ही वर्तनी है। इसमें मानक शब्द अंग्रेजी स्टँडर्ड के प्रतिशब्द के रूप में है। अत: मानक वर्तनी से तात्पर्य है- लिपि की शुद्धता, मानकता, शिष्टता अथवा मानक उच्चारण।

1.8 स्वाध्याय

अ) लघुत्तरी प्रश्न

1. लोक-व्यवहार की दृष्टि से लिंग-निर्धारण स्पष्ट कीजिए।
2. लिंग-निर्धारण के साधन संक्षेप में बताइए।
3. हिंदी लिंग-व्यवस्था के ऐतिहासिक संदर्भ पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।
4. हिंदी वचन-व्यवस्था और वचन निर्धारण को संक्षेप में बताइए।
5. विभक्तिरहित बहुवचन के नियमों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।

6. विभक्तिसहित बहुवचन के नियमों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।
7. कर्ता कारक को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।
8. कर्म कारक को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।
9. करण कारक को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।
10. अपूर्ण विराम को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।
11. निर्देशक चिह्न को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।
12. उद्धरण चिह्न को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।
13. रूप तथा रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकारों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए।
14. मानक वर्तनी के किन्हीं तीन नियम सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।
15. संयुक्त वर्ण को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।
16. विभक्ति चिह्न को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।

आ) दीर्घोत्तरी प्रश्न

1. लिंग-निर्धारण के नियमों पर सोदाहरण संक्षेप में प्रकाश डालिए।
2. बहुवचन-निर्धारण के नियमों पर सोदाहरण संक्षेप में प्रकाश डालिए।
3. किन्हीं तीन कारकों पर सोदाहरण प्रकाश डालिए।
4. किन्ही तीन विराम चिह्नों पर सोदाहरण प्रकाश डालिए।
5. अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकारों पर प्रकाश डालिए।
6. वाक्य की परिभाषाएँ देते हुए रूप और रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकारों पर प्रकाश डालिए।
7. मानक वर्तनी के किन्हीं तीन नियमों को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।

1.9 क्षेत्रीय कार्य

1. लौकिक और व्याकरणिक दृष्टि से लिंग-निर्धारण कर पहचानने की कोशिश करें।

2. हिंदी वचन-व्यवस्था और वचन-निर्धारण के नियमों के आधार पर वचन-निर्धारण कर पहचानने की कोशिश करें।

3. अध्ययन-अध्यापन के समय वाक्य में प्रयुक्त कारकों को पहचानने की कोशिश करें।

4. वाक्य में, पदों में, वाक्यांशों तथा खंड वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिह्नों को पढ़ते या लिखते समय पहचानने की कोशिश करें।

5. किसी रचना को ध्यान से पढ़कर नियमों के आधार पर वाक्यों के प्रकार पहचानने की कोशिश करें।

6. हिंदी भाषा के वर्तनी-संबंधी निर्धारित मानक नियमों के आधार पर देवनागरी-लिपिसंबंधी त्रुटियों के निराकरण की कोशिश करें।

1.10 अतिरिक्त अध्ययन के लिए

1. संक्षिप्त हिंदी व्याकरण : कामताप्रसाद गुरू।

2. मानक हिंदी : ब्रजमोहन।

3. व्यावहारिक हिंदी व्याकरण तथा रचना : डॉ. हरदेव बाहरी।

4. प्रयोजनमूलक हिंदी : डॉ. माधव सोनटक्के।

5. हिंदी व्याकरण एवं रचना : प्रा. कृ. ज. वेदपाठक।

6. व्यावहारिक हिंदी व्याकरण : डॉ. नामदेव उतकर।

7. हिंदी का व्यावहारिक व्याकरण : डॉ. विजयपाल सिंह।

❑ ❑ ❑

इकाई–2

कविता, कहानी तथा यात्रा वृत्तांत लेखन

कविता, कहानी तथा यात्रा वृत्तांत लेखन : स्वरूप, महत्त्व तथा उपयोगिता
कविता, कहानी तथा यात्रा वृत्तांत के क्षेत्र : सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक

2.1 उद्देश्य

2.2 प्रस्तावना

2.3 विषय–विवेचन

2.3.1 कविता, कहानी तथा यात्रा वृत्तांत लेखन : स्वरूप, महत्त्व तथा उपयोगिता

2.3.1.1 कविता लेखन का स्वरूप

2.3.1.2 कविता लेखन का महत्त्व तथा उपयोगिता

2.3.1.3 कहानी लेखन का स्वरूप

2.3.1.4 कहानी लेखन का महत्त्व तथा उपयोगिता

2.3.1.5 यात्रा वृत्तांत लेखन का स्वरूप

2.3.1.6 यात्रा वृत्तांत लेखन का महत्त्व तथा उपयोगिता

2.3.2 कविता, कहानी तथा यात्रा वृत्तांत के क्षेत्र–सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक

2.3.2.1 कविता का सामाजिक क्षेत्र

2.3.2.2 कविता का राजनीतिक क्षेत्र

2.3.2.3 कविता का सांस्कृतिक क्षेत्र

2.3.2.4 कहानी का सामाजिक क्षेत्र

2.3.2.5 कहानी का राजनीतिक क्षेत्र

2.3.2.6 कहानी का सांस्कृतिक क्षेत्र

2.3.2.7 यात्रा वृत्तांत का सामाजिक क्षेत्र

2.3.2.8 यात्रा वृत्तांत का राजनीतिक क्षेत्र

2.3.2.9 यात्रा वृत्तांत का सांस्कृतिक क्षेत्र

2.4 सारांश

2.5 पारिभाषिक शब्द, शब्दार्थ

2.6 स्वयं-अध्ययन के लिए प्रश्न

2.7 स्वयं-अध्ययन प्रश्नों के उत्तर

2.8 स्वाध्याय

2.9 क्षेत्रीय कार्य

2.10 अतिरिक्त अध्ययन के लिए

2.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद-

- कविता के स्वरूप से अवगत होंगे।
- कविता का महत्त्व एवं उपयोगिता जान जाएँगे।
- कविता के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से परिचित होंगे।
- कहानी का स्वरूप जान जाएँगे।
- कहानी का महत्त्व एवं उपयोगिता से अवगत होंगे।
- कहानी के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से वाकीब होंगे।
- यात्रावृत्त के स्वरूप से अवगत होंगे।
- यात्रावृत्त के महत्त्व और उपयोगिता से परिचित होंगे।
- यात्रावृत्त के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र समझ जाएँगे।

2.2 प्रस्तावना

साहित्य शब्द से मानव जीवन की अभिव्यक्ति और समग्र ज्ञान की चेतना का बोध होता है। सम्रग जीवन और ज्ञान को अपनाकर उसे शब्द-चित्रों द्‌वारा सजाने की शक्ति किसी एक व्यक्ति में नहीं होती है। इसी कारण हर रचनाकार अपनी रचना में अलग-अलग देश, काल और मानव जीवन की विभिन्न प्रवृत्तियाँ का चित्रण अपने-अपने तरीके से करता है। साहित्य में वर्णित वैषम्य के कारण ही साहित्य का कोई एक स्वरूप नहीं होता है। साहित्य की कोई निश्चित व्याख्या नहीं है। रचनाकार मानव स्वभाव की विभिन्न प्रवृत्तियाँ, विभिन्न विधाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। इसमें कविता, कहानी और यात्रा वृत्तांत मुख्य है। इन विधाओं की अपनी अलग-अलग पहचान है। मानव जीवन की हर दशा और दिशा इन विधाओं में केंद्रीभूत है। यही वजह है कि कविता, कहानी और यात्रा वृत्तांत के लेखन का महत्त्व तथा उपयोगिता मानव जीवन के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में आज भी बरकरार है। मानव जीवन का समग्रालोचन करनेवाली इन विधाओं का विवेचन-विश्लेषण निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत हैं-

2.3 विषय विवेचन

2.3.1 कविता, कहानी तथा यात्रा वृत्तांत लेखन : स्वरूप, महत्त्व तथा उपयोगिता

2.3.1.1 कविता लेखन का स्वरूप :-

कविता साहित्य की वह विधा है; जिसमें किसी मनोभावों को कलात्मक रूप में किसी भाषा के द्‌वारा सजाया जाता है। कविता से मनुष्य के भावों एवं विचारों की रक्षा होती है। संसार की किसी वस्तु या चीज को कविता इस तरह से व्यक्त करती है, मानो वे वस्तु एवं चीज आँखों के सामने नृत्य करने लगते हैं और मूर्तिमान दिखाई देने लगते हैं। उसे शब्दबद्ध करने के लिए बुद्धि से काम लेना पड़ता है। जब मनोवेगों का प्रवाह जोर से बहने लगता है तब कविता का जन्म होता है। कविता मनोभावों को उच्छवासित करके मानव जीवन में नव चैतन्य डाल देती है। कवि सृष्टि सौंदर्य से मोहित होकर काव्य सृजन करता है। कविता की इसी प्रेरणा से समाज की कार्य प्रवृत्ति बढ़ जाती है। यही कार्य प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए मन में वेगों का आना आवश्यक है। अगर दारिद्र्य और सूखे से आकुलते बच्चे के पास बैठी माता का आर्त्तस्वर सुनाई दिया जाए तो वह मनुष्य क्रोध एवं करुणा से विव्हल हो उठेगा। इसका उपाय करने के लिए वह कम-से-कम संकल्प तो अवश्य करेगा। इस तरह का दृश्य केवल काव्य के द्‌वारा ही खड़ा किया जा सकता है।

वाचिक परंपरा के रूप में जन्मी कविता ने आज लिखित रूप धारण कर लिया है। कविता के मूल में संवेदना होती है, राग तत्त्व होता है, लयात्मकता होती है, संगीतात्मकता होती है। दरअसल काव्य संवेदना समस्त समष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध देती है। अच्छी कविता बार-बार पढ़ने का न्यौता देती है, बिलकुल संगीत की तरह। जब तक आप दूर हो तो रहस्यमयी लगेगी और पास आते ही उसे बार-बार और देर तक सुनने का मन करेगा। अच्छी कविता आप से सवाल करती है। बार-बार पढ़ने के बावजूद आपकी स्मृति को कुरेदती है, सोचने और विचार करने के लिए मजबूर कर देती है। कविता की अनोखी दुनिया का सबसे पहला उपकरण शब्द है। शब्द के मेलजोल से बनती है कविता। दरअसल शब्दों से जुड़ना कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। कवि शब्दों के माध्यम से कविता का सृजन करता है। वैसे देखा जाए तो रचनात्मकता हर व्यक्ति के अंदर छिपी होती है; आवश्यकता है उसे तराशने की।

वस्तुत: साहित्य शब्द में बहुत ही व्यापक संकल्पना निहित है। इससे समस्त मानव जीवन की अभिव्यक्ति और समग्र ज्ञान की चेतना का बोध होता है। समग्र मानव जीवन और समग्र ज्ञान को समाहित कर शब्द चित्रों में उकेरने की शक्ति किसी एक व्यक्ति, किसी एक समाज में संभव नहीं होती। यही वजह है कि हर व्यक्ति, हर समाज अपने-अपने ढंग से साहित्य का सृजन करता रहता है। इसलिए कविता लेखन का निश्चित ढाँचा या स्वरूप नहीं है; क्योंकि कभी कविता छंदोबद्ध रचना हुआ करती थी, लेकिन यह मान्यता आज धूमिल पड़ी हुई दिखाई देती है अर्थात् कविता छंदों में बद्ध होनी चाहिए। यह बंधन धीरे-धीरे ढिला पड़ गया। साहित्य शब्द समाज में विभिन्न अर्थों से प्रचलित हैं। अंग्रेजी में Literature के रूप में प्रचलित है, जो 'लेटर' धातु से बना है; जिसका अर्थ है- अक्षर। मराठी में साहित्य का अर्थ सामान के रूप में प्रचलित है। लेकिन यहाँ उसका अर्थ शब्दों में छिपा ज्ञान बोध या भाव की अनुभूति से संबंधित है, जिसे साहित्य की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति है- साहित्य= सहित + यत् प्रत्यय। साहित्य का अर्थ है शब्द और अर्थ के यथावत सहभाव का होना। यह सहभाव सिर्फ शब्द और अर्थ का नहीं है। कई विद्वानों ने साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति हित के साथ मानी है। संस्कृत में एक उक्ति है- 'सहितस्य: भाव:।' जो भाव से युक्त है वही साहित्य है। साहित्य शब्द संस्कृत के 'सहित' शब्द से बना है। सहित का अर्थ विभिन्न वस्तुओं का मेल-मिलाप है। यह मेल-मिलाप किसी और का नहीं, कवि के भावों और विचारों का है। संस्कृत में साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग हुआ करता था, मगर सातवीं-आठवीं शताब्दी में काव्य शब्द साहित्य के रूप में प्रचलित हुआ; जो गद्य-पद्य की सारी विधाओं से संबंधित है। कविता में शब्द कवि-कर्म से संबंध रखता है। 'कम' धातु कवि के बोलने, कलरव करने, आकाश, व्याप्ति का परिचायक है। इसलिए तो कहा जाता है- 'जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि।' कवि-कर्म को संस्कृत आचार्यों ने असाधारण, अलौकिक

और आनंदकर माना है। विधाता की सृष्टि नियमों में बद्ध है, लेकिन कवि की सृष्टि नियमों में बद्ध नहीं है। कवि कार्य-कारण भाव की श्रृंखला में मुक्त, आनंदमयी रचना का सृजन करता रहता है। कविता रसमय, रमणीय, लयात्मक, संगीतमयी, संस्मरणीय और वाणीमय होती है। ऐसे वाणीमय साहित्य को 'वाङ्मय' कहते हैं; जो साहित्य का पर्यायवाची शब्द है। पहले साहित्य और काव्य शब्द एक-दूसरे के विकल्प या पर्याय हुआ करते थे। आज साहित्य ने विस्तृत अर्थ ग्रहण कर लिया है, जिसमें साहित्य की गद्य और पद्य की सारी विधाएँ समाहित होती हैं।

काव्य लेखन मूलत: कवि का निजी कर्म है। जब निरंतर चिंतन-मनन से कवि की भावनाओं के प्रबल आवेग का उद्रेक होता है, तब शब्दों के माध्यम से कविता मुखरित होती है। नए बिंब, विचार, दृश्य, अनुभूति और छंद, संगीतात्मकता आदि काव्य के मूल तत्त्व माने जाते हैं। अरस्तू अनुकरण के सिद्धांत को काव्य की आत्मा मानते रहें। उनके अनुसार-वास्तविक जगत्, अनुकृति की भावना, अनुकृति में शब्द, छंद और संगीतात्मकता काव्य के मूल तत्त्व है। विलियम शेक्सपियर काव्य में कल्पना को प्रधानता देते हैं; क्योंकि कवि कल्पना ही आखिरकार अज्ञात वस्तुओं और विचारों को आकार देती है। कवि हृदय में भावनाओं का प्रबल आवेग ही कविता निर्मिति का प्रधान कारण है। विलियम वर्डस्वर्थ के मतानुसार-काव्य शांति के समय में स्मरण किए हुए प्रबल मनोवेगों का स्वच्छंद प्रवाह है। वर्डस्वर्थ भावों को प्रधानता देते हैं। सिंगमंड फ्रायड काव्य का संबंध मानव मन की कुंठाओं से जोड़ते हैं। उनका कहना था कि मानव मन की दमित एवं कुंठित इच्छाएँ काव्य के माध्यम से प्रस्फुटित होती है। कॉलरिज कविता में अभिव्यक्ति को प्रधानता देते हुए कविता को उत्तमोत्तम शब्दों का उत्तमोत्तम क्रमविधान मानते हैं। जॉन मिल्टन ने कविता को सरल, प्रत्यक्षमूलक और रागात्मक कहा है। आचार्य विश्वनाथ रसयुक्त वाक्य को काव्य मानते हैं। पंडितराज जगन्नाथ ने रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करनेवाले शब्दों को काव्य कहा है। भामह ने शब्द और अर्थ का सहित भाव काव्य माना है। दरअसल कविता में भाव या विचार महत्वपूर्ण होते हैं। डॉ. भगीरथ मिश्र के अनुसार कविता में भाव तत्त्व सबसे अधिक प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। भाव कवि की कल्पना का प्रेरक है, छंद के स्वरूप का विधायक और शब्द प्रवाह के उत्स को खोलने वाला है। यह पाठक और श्रोता का भी संस्कार होता है। ऐसा संस्कार केवल अनुभूतियों का प्रदर्शन नहीं करता, वह अपने द्वंद्वं एवं संघर्ष की जटिलता से व्यथित हो उठता, तो कभी उल्लास की भावना से सराबोर हो उठता है और अपने आपको थोड़ी देर के लिए क्यों न हो, विस्मृत कर देता है। ऐसी सत्यता की प्रतिमूर्ति कविता कल्पना और मनोवेगों के द्वारा जीवन को परिभाषित करती है। ऐसी कविता में बिंब, प्रतीक, तुक, लय और भाषा की भूमिका महत्त्व रखती है। ऐसी कविता में बिंबों का निर्माण कुशलता एवं सक्षमता के साथ होना चाहिए; क्योंकि कविता की भावप्रवणता और कलात्मकता बिंबों

पर निर्भर करती है। कविता में प्रतीकों का प्रयोग अमूर्त, अश्रव्य, अदृश्य और अप्रस्तृत भावों को मूर्त, श्रव्य, दृश्य और प्रस्तुत बना देता है। कविता की तुक और लय मन के भावों का संप्रेषण और विचारों का भावप्रवण करती है। भाषा में शब्द-संयोजन, शब्द चयन, शब्द समूह का विशेष खयाल रखा जाता है। कविता जनसाधारण की भाषा में हो तो वह विशेष भाती है। छंद, अलंकार, गुण और भाषा कविता को प्रभावी एवं रमणीय बना देते हैं। आज कविता निराकार वस्तुओं को आकार देती है, दमित, कुंठित भावों को अभिव्यक्ति देती है, तथ्यों को चित्रमय बना देती है, पात्रों के व्यक्तित्व को उभारती है, जीवन के अनुभव एवं ज्ञान को निश्चित रूप देती है। ऐसा बिंबधर्मी, कल्पनामयी, चित्रमयी रूप पाठकों को वास्तविकता का एहसास दिलाता है। काव्य कल्पना और बुद्धि के योग से और अभिव्यक्ति के माध्यम से मानवी भावना को रमणीय बना देता है।

संक्षेप में, कविता भाव या विचार के बिना पूर्णत्व नहीं पाती। कविता लेखन में भाव या विचार ही कार्यरत होते हैं। ये कविता में ही अंतर्निहित होते हैं। कविता में भाव, बुद्धि, कल्पना और शैली का कलापूर्ण समन्वय होना जरूरी है। दरअसल भाव ही कवि की कल्पना का प्रेरक तत्त्व है, जो उसे साक्षात करता है। यदि कविता का विषय सत्य पर आधारित हो, जीवन और जगत् को परिभाषित करनेवाला हो, तो वह जीवन का परमानंद देने में कामयाब दिखाई देता है।

2.3.1.2 कविता लेखन का महत्त्व तथा उपयोगिता :

जिस प्रकार मानव जीवन के विविध क्षेत्रों के महत्त्व तथा उपयोगिता की बात की जाती है, उसी प्रकार कविता के क्षेत्र में भी उसके महत्त्व तथा उपयोगिता की बात की जाती है। यह महत्त्व तथा उपयोगिता केवल नैतिक एवं सामाजिक दृष्टि से नहीं है। यदि ऐसा होता तो दुनिया के नैतिक एवं सामाजशास्त्रीय ग्रंथ विश्व के सर्वोत्कृष्ट साहित्य की कोटि में आ जाते। विश्व की अनेक भाषाओं में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं; जिनमें कई घटना, प्रसंग या पात्रों के क्रिया-कलाप सर्वथा नैतिक नहीं होते और फिर भी उसका सामाजिक मूल्य आज भी बरकरार है। स्त्री-पुरुष या आसुर-देवता के बाह्य क्रिया-कलापों से ही उसकी नैतिकता-अनैतिकता लक्षित होती है। इससे ही पाठक या दर्शक के दिल में नैतिकता को लेकर विश्वास जाग उठता है और अनैतिक को लेकर अविश्वास जाग उठता है।

काव्य में सत्य, शिव और सुंदर का सुखद समन्वय होता है; जिससे स्वस्थ समाज का गठन होता है। इन तीनों का अलग-अलग महत्त्व है। इनमें कई आलोचक सत्य को प्रधानता देते हैं जिसे वैज्ञानिक आधार है, तो कुछ नीतिप्रचारकों ने शिव तत्त्व को आदर प्रदान किया हुआ दिखाई देता है और सौंदर्यवादी आलोचक सौंदर्य को ही सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व मानते हैं। काव्य के महत्त्व

तथा उपयोगिता में व्यक्ति और उसकी सत्ता पर विचार किया जाना जरूरी है। हर व्यक्ति दोहरा जीवन जीता है। व्यक्ति का एक जीवन व्यक्तिगत जीवन होता है। उस व्यक्तिगत जीवन के मूल्य भी अलग होते हैं। दूसरा महत्त्व इस दृष्टि से है वह समाज की इकाई है और उस समाज में उसका अलग मूल्य होता है। मनुष्य पहले व्यक्ति है, जिसके अपने व्यक्तिगत मूल्य है। वही व्यक्ति किसी मानव समाज का, परिवार, नगर, प्रांत, राष्ट्र या विश्व का सदस्य या नागरिक बन जाता है; तब वह अनायास ही समाज का अंग बन जाता है। उसके प्रत्येक विचार, कर्म और कल्पना में मूल्य का सवाल उपस्थित हो जाता है। व्यक्ति के ये मूल्य समाज, नगर, देश और विश्व के मूल्यों से टकराते हैं। इन मूल्यों के द्वंद्वं या संघर्ष से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता भी है और बिगड़ता भी है। इन विभिन्न मूल्यों के परस्पर टकराव से एक ही मूल्य बच जाता है और वह है- मानवीय मूल्य। यही मानवीय मूल्य या मानवता सर्वोपरि है। यही मूल्य सार्थक एवं सारवान होते हैं; जो कि साहित्य या काव्य के केंद्र में निहित होते हैं। मानवीय मूल्य ही साहित्य के माध्यम से समाज में विवेक पैदा करने की दृष्टि से सहायक होते हैं। इन्हीं मानवीय मूल्यों को बचाना और उसका प्रचार-प्रसार करने की दृष्टि से काव्य का महत्त्व मानना होगा। आखिरकार साहित्य की उपयोगिता इन्सान को इन्सान बनाने में ही तो है। रिचर्ड्स के अनुसार काव्य में ऐसे मूल्य निहित होते हैं जो मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य को ठीक कर देते हैं, उसकी सुरक्षा कर देते हैं। यह बात ठीक वैसी ही है जैसे कोई चिकित्सक व्यक्ति की शारीरिक व्याधि को ठीक कर देता है, उसी प्रकार काव्य मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य को ठीक कर देता है। काव्य मनुष्य की विरोधी भावनाओं, विरोधी अंतरद्वंद्वों के बीच समतुल्य स्थापित कर देता है। हमारे आवेगों और हमारी अभिलाषा की तृष्टि काव्य में निहित शिव तत्त्व कराता है। पाश्चात्य विचारक रिचर्ड्स के अनुसार कला मूल्यवान अनुभव देती है। इस मूल्यवान अनुभव में प्रधान प्रेरणा के साथ-साथ विभिन्न अंगीभूत प्रेरणाओं की तुष्टि होती है। इन प्रेरणाओं में कवि और कवि-कर्म महत्त्वपूर्ण बन जाता है। कवि अपनी अनुभूतियाँ काव्य में इस खूबी के साथ पिरोता है कि वे अनुभूतियाँ चिरस्थायी बन जाती है। काव्य में इन्हीं अनुभूतियों का सर्वोपरि महत्त्व होता है। दरअसल अच्छा वही होता है; जो मूल्यवान है और मूल्यवान वही होता है; जो मन की स्थिति को संतुलित कराता है। काव्य भी आखिकार मन की मानसिक स्थिति को संतुलित करने का ही कार्य करता है। कवि काव्य के माध्यम से समाज में नैतिक, सामाजिक और धार्मिक मूल्यों की स्थापना करता है। इतना ही नहीं, वह समता, बंधुता, मानवता, दया, प्रेम, शांति जैसे जीवनमूल्यों को मनोवैज्ञानिक ढंग से काव्य में इस तरह समाहित करता है कि जिससे स्वस्थ समाज की निर्मिति होती है, मगर इसमें वह काव्य सौंदर्य को कहीं भी हानि नहीं पहुँचाता है।

भावनाओं का आंदोलन करने की ताकत केवल कविता में ही होती है; साहित्य की अन्य

विधा में नहीं। आधुनिक युग में बौद्धिक शुष्कता से पीड़ित मानव को काव्य उपवन शीतलता की निरंतर आवश्यकता बनी रहती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार; ज्यों-ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए-नए आवरण चढ़ते जाएँगे, त्यों-त्यों एक ओर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी; दूसरी ओर कवि-कर्म कठिन होता जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में भयावह बात यह है कि कृत्रिम कवियों के बौद्धिक क्रिया-कलापों के चक्कर में कविता विकृत रूप धारण कर लेगी तो उसमें साधारणीकरण का अभाव रहेगा। ऐसी कविता में न तो भावनाओं का प्रबल आवेग होगा और न मानवीय मूल्यों की हिफाजत होगी। इस स्थिति में ऐसा काव्य निर्मित होना चाहिए, जो मानवीय मूल्यों की हिफाजत करता हो, तो कविता का महत्त्व तथा उपयोगिता और भी बढ़ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं।

2.3.1.3 कहानी लेखन का स्वरूप :

कहानी का संबंध अनादिकाल से मानव सभ्यता के साथ चला आया है। मनुष्य में कहने-सुनने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। कहानी अन्य विधाओं की तुलना में अधिक लोकप्रिय विधा है। कहानी आज के युग की सामर्थ्यशाली और महत्त्वपूर्ण विधा है। कहानी का मूल अर्थ है कहना या जो कही जाए, वह कहानी है। वक्ता और श्रोता के बीच कही और सुनी जाने वाली बात मूलत: कहानी ही होती है। किसी घटना या प्रसंग के बारे में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को कथन करना या कहना कहानी है। कहानी का प्राचीनतम रूप वेदों में भी पाया जाता है, लेकिन गद्य विधा के रूप में उसका विकास उन्नसवीं शती से माना जाता है।

कहानी संक्षिप्त आकार का ऐसा आख्यान है; जो पाठकों पर भावपूर्ण प्रभाव डाल सके। यह मानव जीवन के किसी एक पक्ष, प्रसंग या घटना का ऐसा संवेदनात्मक चित्रण है जिसे अनुभूत तो किया जा सकता है, मगर शब्दों में बाँधना कठिन हो जाता है। यह घटना या प्रसंग मौलिक जगत् या मानसिक जगत् से उठते हैं और कहानी के माध्यम से आकार लेते हैं। कहानी जीवन की एक झलक मात्र है। यही झलक पाठकों को चमत्कृत कर देती है और रोचकता के साथ जीवन की चरम अनुभूति देती है। कहानी में एक ही मूल भाव होता है; जो उसको लक्ष्य की ओर ले जाता है। कहानी को अंग्रेजी में 'शॉर्ट स्टोरी', संस्कृत में 'कथा' और बंगला में 'गल्प' कहते हैं। दरअसल यह मनुष्य की सामाजिकता की रचनात्मक भावाभिव्यक्ति है। यह एक ऐसी रचना है; जो मानव जीवन के किसी एक अंग को कहानीकार अपने मनोभावों से प्रदर्शित करता है। मुंशी प्रेमचंद के अनुसार- सबसे उत्तम कहानी वह होती है; जो किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो। कहानी लेखन में कई बिंदुओं का खयाल रखना पड़ता है। जैसे- संवेदना की खोज और उसकी प्रामाणिकता,

जिज्ञासा, रोचकता, प्रतीक, संकेत, आकार, प्रस्तुति, शीर्षक, आरंभ और अंत, प्रभावान्विति आदि बिंदु कहानी लेखन के लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं। कहानी लेखन की प्रकिया में नया लेखक किसी एक संवेदना पर चिंतन कर विषय को सोचे-समझे। जब विषय का हर पहलू या पक्ष मानव के मन-मस्तिष्क में तैयार हो तो एक ही बैठक में उसे शब्दबद्ध करें, ताकि उसकी संवेदना क्षीण न हो सके। कहानी का वर्ण्य विषय जीवन या जगत् की कोई घटना, प्रसंग, विचार या भावना हो सकती है। इस संवेदना में एकता होनी चाहिए, जो कहानी का प्राणतत्त्व है; क्योंकि संवेदनात्मक एकता से कहानी में प्रभावात्मकता आ जाएगी। कहानी में संवेदना का प्रबल आवेग जितना तीव्र होगा उतनी ही कहानी अच्छी होगी। कहानी में केवल कोरी कल्पना नहीं होती, बल्कि वह जीवन का व्यापक सत्य से अनुप्रणित करने वाली होती है। सत्य के कारण ही कहानी में जान आती है, जो पाठकों को प्रभावित करती है। श्यामसुंदर दास के अनुसार-आख्यायिका (कहानी) एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को लेकर लिखा हुआ नाटकीय आख्यान है। मनोवैज्ञानिकता कहानी की प्रमुख विशेषता है। चरित्र और कथानक में स्वाभाविकता होनी चाहिए। मनोविज्ञान से ही कहानी पाठकों के दिलो-दिमाग पर छा जाती है। कहानी में क्रमबद्धता के साथ गतिशीलता होनी चाहिए। इसमें विश्रृंखलता को कोई स्थान नहीं है। भावपूर्ण संक्षिप्त संवाद कहानी को गति दे सकते हैं। कहानी की लघुता एवं भावों की तीव्रता पाठकों के मन को झकझोर देती है। गुलाब राय के मतानुसार- छोटी कहानी एक स्वत:पूर्ण रचना है। कहानी में संक्षिप्तता और औत्सुक्यपूर्ण वर्णन होता है। कहानी में घटनाओं के अलावा परिस्थिति का चित्रण अधिक होता है। कहानी का कथानक आरंभ से संघर्षपूर्ण होता है; जो चरमसीमा पर अंत पाता है। उसमें विस्तार और विषयांतर की कोई गुंजाईश नहीं है। जब द्वंद्वं की स्थिति से कहानी चरमसीमा की ओर अग्रसर होती है, तब जीवन की अत्यंत प्रभावकारी झलक दिखाई देती है। वस्तुत: कहानी जीवन के एक मार्मिक पक्ष की कलात्मक अभिव्यक्ति है। कहानी लेखन में कथावस्तु, पात्र या चरित्र-चित्रण, संवाद, देशकाल वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य ये तत्त्व महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। कहानी केवल परंपरा का विरोध नहीं करती, बल्कि अपना रूप, शैली और नए विषयों की खोज करती है। उसमें अनुभव की प्रामाणिकता पर विशेष जोर दिया गया है।

सार यह कि कहानी जीवन के प्रभावपूर्ण अंश, मनोभाव या तीव्र संवेदन के कथात्मक रूप की कलात्मक अभिव्यक्ति है। कहानी आकार से लघु होती है और जीवन के किसी एक प्रसंग की मार्मिक व्याख्या करती है। ऐसी कहानी में कल्पना, नाटकीयता, मनोवैज्ञानिकता, सक्रियता, प्रभान्विति, स्वाभाविकता, सरलता, स्पष्टता आदि गुण विद्यमान होते हैं। कहानी एक ऐसी विधा है; जो जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव का मनोहारी चित्रण करती है।

2.3.1.4 कहानी लेखन का महत्त्व तथा उपयोगिता :

कहानी लेखन केवल मनोरंजन के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि मानवी मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने, मानसिक गुत्थियों को सुलझाने, जीवन के सत्यों का मार्मिक उद्‌घाटन करने, चरित्रों पर प्रकाश डालने, मानव जीवन की समस्याओं पर प्रकाश डालने और सत्य, शिव और सुंदरता का विधान करने के लिए लिखी जाती है। दरअसल प्रकृति और चरित्र, मानव-मानव के शाश्वत संबंध, मानवी मूल्य, भावों, विचारों तथा अनुभूतियों के विभिन्न रूपों से व्याख्या करने की दृष्टि से कहानी का साहित्य में महत्त्व है। जब कहानी सच्चाई बयां करती है, अमूर्त संवेदनाओं को मूर्त रूप देती है, तब उसकी उपादेयता बढ़ जाती है। वह व्यष्टि-समष्टि दोनों पर प्रभाव छोड़ती है। कहानी परिस्थिति की घनिष्ठता से जुड़ी होती है अर्थात् कहानी में एकता और अन्विति होती है। इसमें कहानीकार घटनाओं की श्रृंखला का खयाल रखता है और पात्रों की प्रत्येक मनोदशा का रेखांकन करता है। वैसे देखा जाए तो कहानियों के विषय का ताना-बाना वास्तविकता के धरातल पर बुना गया हो तो वे कहानियाँ महत्त्वपूर्ण और जीवनोपयोगी बन जाती है। कहानियों में चित्रित वर्णन यदि सच्चाई के करीब होता है तो सारी घटनाएँ आँखों के सामने ओझल हो जाती है। इसलिए कहानी का वर्ण्य विषय वर्तमान से ताल्लुक रखने वाला होता है तो पाठकों को वह विषय अपना विषय लगता है। ऐसे विषय वर्तमान समाज में जूझ रहे पात्रों की समस्या हल कर देते हैं। तब कहानी कहानी न रहकर जीवन का सार बन जाती है। मानव जीवन के दो पहलू हैं- सुख और दुःख। कोई दुःख में सुख की अनुभूति करें तो उसका जीवन सफल हो जाता है। वह किसी भी दुःख में हार नहीं सकता, बल्कि अपराजित होकर दुनिया को कूच कर देता है। कहानी मानव जीवन की जटिलता एवं विवशता प्रस्तुत कर देती है। कहानी में चित्रित पात्र जिस प्रकार समस्याओं का सामना करते हैं, उसी प्रकार पाठक भी अपनी समस्याओं का हल निकालते हैं। दरअसल कहानी जीवन के ऐसे विचार बिंदुओं का रेखांकन करती हैं; जिससे मानव जीवन की रेखा प्रकाशित हो उठती है।

सार यह कि कहानी मानसिक रहस्य को खोलती है, जीवन के मार्मिक पक्षों का उद्‌घाटन करती है, जीवन के सत्यों को खोल देती है, मानव चरित्रों का उद्‌घाटन करती है, जीवन की विभिन्न समस्याओं को उठाती है और उसका समाधान भी प्रस्तुत करती है। इन सभी तथ्यों की दृष्टि से कहानी का साहित्यिक महत्त्व तथा उपयोगिता अनिवार्य रूप में स्वीकार करना पडता है।

2.3.1.5 यात्रा वृत्तांत लेखन का स्वरूप :

यात्रा वृत्तांत आधुनिक साहित्य की देन है। यात्रा वृत्तांत एक ऐसी विधा है; जो प्रकृतिपरक है। यात्रा साहित्य का बुनियादी ढाँचा प्रकृति-चित्रण पर खड़ा है। जीवनी विधा की तरह यात्रा वृत्तांत

में दूसरों के जीवन के कुछ क्षणों का वर्णन किया जाता है; प्रकृति का चित्रण होता है; जिसमें कभी कभार कथा तत्त्व गायब होता है। साहित्य का मूल आधार ही मनुष्य जीवन है। लेखक किसी-न-किसी रूप में वह अपना जीवन कम-अधिक मात्रा में साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। इन विधाओं के विभाजन में प्रवृत्ति प्रभावशाली है। यही वजह है कि यात्रा वृत्तांत प्रकृति-चित्रण के साथ-साथ जीवनांशों, भावनाओं, कथा तत्त्वों तथा वैचारिकता को भी समेट लेता है।

यात्रा साहित्य एक विशिष्ट विधा है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमना-गमन की क्रिया यात्रा कहलाती है। यात्रा शब्द की व्युत्पत्ति 'या+ष्ट्रन' शब्द से हो चुकी है। यात्रा का अर्थ है- सफर। यात्रा का सीधा अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना अर्थात् निरंतर स्थान परिवर्तन या संचारशीलता को यात्रा कहा जाता है। यात्रा वृत्त का अर्थ है यात्रा का वृत्तांत। वृत्तांत का अर्थ है जो घटित हुआ हो। यात्रा वृत्तांत में वृत्तांत का अर्थ है वृत्त का अंत और यात्रा के अंत के बाद इतिवृत्त प्रस्तुत करना ही यात्रा वृत्तांत है। देश-विदेश में घटित घटना, देखे दृश्य, प्राप्त अनुभूतियों का वृत्तांत लिखना ही यात्रा वृत्तांत है। इसमें कल्पना के बजाय यथार्थ को स्थान दिया जाता है। यहाँ पात्रों की सृष्टि बहुत कम दिखाई देती है; जबकि प्रकृति ही पात्र बनकर उभरती है। पं. उमेश शास्त्री ने यात्रा वृत्तांत के कलात्मक और रूपात्मक दोनों अंगों का विचार करते हुए यथार्थ पर जोर दिया है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पुस्तक 'घुमक्कड शास्त्र' में लिखा है-'घुमक्कडी एक रस है, जो काव्य रस की तरह भी कम नहीं है। कठिन मार्गों को तय करने के बाद नए स्थानों पर पहुँचकर हृदय में जो भावोद्रेक पैदा होता है, वह एक अनुपम चीज है। उसकी कविता के रस से हम तुलना कर सकते हैं और यदि कोई ब्रह्म परक विश्वास रखना हो तो वह उसे ब्रह्म समझेगा।' महापंडित यात्रा वृत्तांत की तुलना ब्रह्मानंद से करते हैं। इसमें केवल भावों को महत्त्व दिया गया है। यात्रा वृत्तांत लेखन में आत्मीयता, कल्पना-प्रवणता, भाव-प्रवणता, चित्रात्मकता, रोचकता, संचरणशीलता, वस्तुनिष्ठता, तथ्यात्मक दृश्यांकन, विवरणात्मकता, संवेदनशीलता आदि तत्त्वों का होना जरूरी है। साथ में यात्रा साहित्य में यात्रियों की आंतरिक प्रेरणा और बाह्य परिवेश का अंकन जरूरी होता है। पहले जीतने की इच्छा से युद्ध करने के लिए राजा अपने सैन्य के साथ गमन या प्रस्थान करता था, उसे यात्रा कहा जाता था।

यात्रा साहित्य में चित्रित देश-विदेश का बदलता परिवेश, प्रकृतिगत परिवर्तित रूपों का दर्शन मानवी मन को सुखद एवं आनंद का आस्वाद देता है। मनुष्य प्रकृति प्रेमी एवं सौंदर्य प्रेमी है। सौंदर्यबोध की तलाश में मनुष्य उत्साह भाव से प्रेरित होकर जब यात्रा करता है तब उसका मुक्त भाव रेखांकित होता है; उसे यात्रा साहित्य या यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। यात्रा वृत्तांतकार यायावरी

या घुमक्कड मनोवृत्ति के होते हैं, वे जहाँ भी यात्रा करने जाते हैं; वहाँ से साहित्य की भांति कुछ-न-कुछ ग्रहण करते हैं। यात्रा स्थानों से ग्रहण किए गए प्रेम, सौंदर्य, भाषा, यादें और जीवन के खट्टे-मीठे अनुभव वे अपनी रचना में साझा करते हैं; जो यात्रा साहित्य नाम से जाने जाते हैं। सचमुच मानव अनादि काल से यात्रा करता आ रहा है। साहित्य के क्षेत्र में घुमक्कड अनुभवों को साझा करना अभिव्यक्ति का एक नया रूप हैं; जिसे यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। आदिकाल में यात्रा का महत्त्व था, आज भी है और भविष्य में बरकरार रहेगा। आदिकाल में इस विधा का स्वरूप अलग था। तब लेखक देश-विदेश में घूम कर लोगों को वाणी के माध्यम से अपने अनुभवों को बताया करता था। सचमुच यात्रा साहित्य का आरंभ भारतेंदु युग से ही माना जाता है। यात्रा वृत्तांत में लेखक हर स्थल और क्षेत्रों में से अद्‌भुत सत्य को ग्रहण करता है और बाहरी जगत् की प्रतिक्रियास्वरूप जो भावनाएँ उसके दिल में उमड़ती है; उसी को पूरी क्षमता या चेतना के साथ रेखांकित करता है। लेखक की खूबी से ही शुष्क या निरस वर्णन भी मधुर एवं भावविभोर करने वाला बन जाता है। पाठक उस यात्रा साहित्य से इतना समरस होता है कि वह यात्रा करने के लिए लालायित हो उठता है। यात्रा लेखक को अधिक संवेदनशील न होकर निरपेक्ष होना चाहिए; ताकि यात्रा साहित्य यात्रा साहित्य बन जाए न कि आत्म चरित्र या आत्म स्मरण। यात्रा साहित्य में यात्रा स्थानों के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ-साथ दर्शनीय स्थलों का विवरण प्रधानता से किया जाता है। परिवेश का निरीक्षण एवं प्रस्तुतिकरण इस विधा का केंद्रीय कथ्य होता है। यात्रा साहित्य में परखता, स्वच्छंदता, आत्मीयता आदि गुणों का होना जरूरी है। यात्रा साहित्य में विविध शैलियाँ विभिन्न रूपों में पिरोई जाती है। इनमें निबंधात्मक शैली, पत्रात्मक शैली, डायरी शैली काफी चर्चित शैलियाँ हैं, जो यात्रा साहित्य को जीवंतता प्रदान करती है। संक्षेप में, यात्रा के दौरान आए अनुभवों को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करना ही यात्रा वृत्तांत है।

2.3.1.6 यात्रा वृत्तांत लेखन का महत्त्व तथा उपयोगिता :

यात्रा वृत्तांत का महत्त्व बहुआयामी है। यात्रा वृत्तांत में पाठक अपने रमणीय अनुभवों, यात्रा स्थानों का हू-ब-हू वर्णन पाठकों तक पहुँचा देता है; जिसके माध्यम से पाठक उन स्थानों का अनुभव कर लेते हैं। इतना ही नहीं, पाठक लेखक द्‌वारा प्रस्तुत अनुभवों का लाभ उठाता है। यात्रा वृत्तांतकार उस समाज या स्थानों की संस्कृति के विभिन्न आयामों को अपने यात्रा वृत्तांत में प्रस्तुत करता है; जिससे लोग एक-दूसरे की संस्कृति से परिचित हो जाते हैं। प्रारंभिक काल में यात्रा शिक्षा और धर्म के प्रचार-प्रसार हेतु हुआ करती थी। इसी दौरान आए अनुभवों को लेखक अपनी किताब में प्रस्तुति देता था; जिसका लाभ पाठक वर्ग उठाता था। यात्रा वृत्तांतकार जिन स्थानों की यात्रा

करता है, वहाँ का तटस्थ दृष्टा के रूप में निरीक्षण-परीक्षण करता है और लिख देता है; जिसमें प्रकृतिगत और स्थानगत विशेषताएँ प्रतिबिंबित हो उठती है। दरअसल यात्रा साहित्य देश-विदेश की व्यापक जीवन पद्धति को उभारने का कार्य करता है। यात्रा वर्णन से मानव जीवन चेतनामयी एवं आनंददायी बन जाता है। एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करना गतिशीलता के साथ-साथ प्रगतिशीलता का लक्षण माना जाता है। नि:संदेह यात्रा के अनुभवों का बारीकी से अंकन करना और पाठक को प्रत्यक्ष उस माहौल का एहसास दिलाने की दृष्टि से यात्रा साहित्य का महत्त्व और उपयोगिता है। यात्राकार को अपना नाम रोशन करने के लिए भी यात्रा साहित्य का महत्त्व होता है। मनुष्य का विकास यात्रा से संबंधित दिखाई देता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि यदि प्रभु राम, श्रीकृष्ण, वास्को-दी-गामा, सिकंदर, विवेकानंद अपने जीवन में यात्रा नहीं करते, तो उनका नाम दुनियाभर में रोशन नहीं हो पाता। साहित्य की बात करें, तो राहुल सांस्कृत्यायन से निर्मल वर्मा तक का समग्र यात्रा साहित्य इसी बात की प्रतीति देता है। आदिकाल के वीरग्रंथों में युद्ध का आँखों देखा वर्णन अन्यत्र दुर्लभ है। इसका मुख्य कारण यह है कि तत्कालीन कवि राजा के साथ युद्ध के स्थान पर जाया करते थे और समय आने पर लड़ते भी थे। यात्रा साहित्य से विभिन्न यात्रा स्थानों का ज्ञान घर बैठे मिल सकता है। देश-विदेश में मानवता और नैतिक मूल्यों के मापदंड अलग-अलग होते हैं; जिसका परिचय यात्रा साहित्य से हो जाता है। जैसे भारतीय संस्कृति में विवाह बाह्य संबंध, कुमारी माता, विधवा का संतान को जन्म देना आदि अनैतिक माना जाता है, मगर विदेश में ये सब नैतिक माना जाता है। यात्रा साहित्य से देश-विदेश के लोगों की सभ्यता, प्रकृति, संस्कृति और जीवन दृष्टि का परिचय हो जाता है। मानव जीवन की प्रेरणाओं को जानने-पहचाने और उनकी आस्था-अनास्था, विश्वास-अविश्वास का ज्ञानार्जन यात्रा साहित्य से मिल जाता है। रंगमयी एवं गंधमयी प्रकृति की अनेक छटाएँ यात्रा से ही अनुभव की जा सकती है। मनुष्य अनेक अनुभूतियों का गहरा ज्ञान आखिरकार प्रकृति से हासिल करता है। दो संस्कृति, समाज, परिवेश, भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करने की दृष्टि से यात्रा साहित्य का महत्त्व तथा उपयोगिता है। यात्रा साहित्य का महत्त्व अंकित करते हुए डॉ. हरिमोहन अपनी किताब 'साहित्यिक विधाएँ : पुनर्विचार' में लिखते हैं-'जो लोग घूम-फिरकर दूसरे देशों की वेशभूषा, रहन-सहन और बोली का अध्ययन नहीं करते, वे बिना सींग के बैल के समान हैं। जब आदमी समुद्र से घिरी पृथ्वी का भ्रमण करता है, तब वह सज्जनों के आचरण, दुर्जनों की चेष्टा, विविध प्रकार के लोगों की उत्कंठा, विदग्ध जनों के परिहास, गंभीर और गूढ़ शास्त्रों के तत्त्व से परिचित होता है। यात्रा से मानव बुद्धि का विकास होता है। घुमक्कड व्यक्ति समाज के लिए हितकर होता है; क्योंकि दुनिया भर के अनुभव, शिक्षा और ज्ञान घुमक्कड व्यक्ति को ही मिल जाता है। उसका अनुभव संसार समृद्ध एवं संपन्न हो जाता है। यात्रा के बाद अपने समृद्ध अनुभव लेखन के माध्यम से शब्दबद्ध कर लेखक दूसरों को बाँटता है, दूसरों

की जिज्ञासा एवं कौतुहल को संतुष्ट कर देता है। जब ये अनुभव यात्रा वृत्तांत के रूप में आकार लेते हैं, तब वे दूसरे यात्री के लिए दिशादर्शक बन जाते हैं।

यात्रा के कारण मनुष्य का व्यक्तित्व बहुआयामी बन जाता है। अनेक अनुभूतियों से उसका ज्ञान अधिक गहरा हो जाता है। यायावरी वृत्ति से मुनष्य में उल्लास, उमंग, उत्साह एवं आनंद की भावना प्रस्फुटित हुई। लेखक यात्रा के दौरान आए अनोखे अनुभवों को पाठकों के साथ साझा करता है। यात्रा लेखन के दौरान यात्राकार उन्हीं अनुभवों को पुन: भोगता है और उनका आनंद भी उठाता है, जबकि प्रत्यक्ष रूप में कष्टप्रद और पीड़ादायक रहे होते हैं। इसमें उसका मनोरंजन भी होता है। यात्रा साहित्य से लेखक और पाठक के बीच तादात्म्य स्थापित होता है, उनमें एकात्मकता का भाव जागृत हो उठता है। यात्रा का सबसे अहम उपयोग यह है कि मनुष्य यात्रा के दौरान प्रकृति से विशालता और उदारता ग्रहण करता है और अपने जीवन जीने का संकीर्ण दायरा छोड़कर आजाद पंछी की तरह मुक्ति का आनंद लेता है। अत: यात्रा मानव जीवन का अहम हिस्सा है।

अनादि काल से चला आया यात्रा का सिलसिला कभी जीविकोपार्जन के लिए रहा, तो कभी नए तथ्यों की खोज के लिए रहा। लेकिन एक बात आवश्य कही जा सकती है कि यात्रा साहित्य मनुष्य की मानवता को फलने-फुलने का अवसर जरूर देती है। धर्म एवं संस्कृति के प्रचार प्रसारक, ऋषि-मुनि, साधु-संत तथा आचार्यों ने भी यात्राएँ की और वे संस्कृति के संवाहक रहें। आखिरकार यात्रा-साहित्य से पाठक एक-दूसरे की संस्कृति से परिचित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वे प्रकृति का मनोहारी चित्रण पढ़कर चेतनामयी एवं आनंददायी बन जाते हैं।

2.3.2 कविता, कहानी तथा यात्रा वृत्तांत के क्षेत्र-सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक :-

2.3.2.1 कविता का सामाजिक क्षेत्र :

जब कविता शब्दाकार लेती है तब वह अनायास ही समाज का, समाज की राजनीति का और संस्कृति का हिस्सा बन जाती है अर्थात् कविता कौन-कौन से क्षेत्र में प्रवेश करती है यानी कविता किस प्रांगण में प्रवेश करती हैं; इसमें सामाजिक क्षेत्र मुख्य है; जिसका विवेचन-विश्लेषण कई रूप में दृष्टव्य है। जैसे- चंद्रमा के बिना शीतल प्रकाश की कल्पना नहीं की जा सकती, वैसे समाज के बिना जीवनव्यापी काव्य की कल्पना नहीं की जा सकती। चंद्रमा का अस्तित्व उसकी शीतलता है और समाज का अस्तित्व साहित्य है। साहित्य से ही समाज सत्यम्, शिवम् और सुंदरम् की कामना करता है। काव्य एक श्रेष्ठ कला है। यदि इस काव्य कला से मनुष्य जीवन से निकाल दिया तो

मानव जीवन निरस, ऊबाऊ बन जाएगा। उसे सत्य, शिव और सुंदरम की प्रतीति नहीं होगी। इससे मनुष्य अमानवीय एवं असंस्कृत बन जाएगा। काव्य मनुष्य का जीवन असंस्कृति से संस्कृत, अमानवीयता से मानवीय, असुंदरता से सुंदर, कुसंस्कार से सुसंस्कारी बना देता है। आखिरकार मानव जीवन का हित सुंदरता में ही है और सुंदर ही मंगल है। सत्य के लिए मानव अपनी आत्मा का विस्तार कर देता है। सत्य, शिव और सुंदर मानव की आत्मा के विस्तार के आधार पर ही सुसंस्कारी समाज बन जाएगा। मनुष्य अपने साथ दूसरों का भी विचार करता है। उससे समाज का गठन होता है। काव्य का सृजन करने वाला कवि जिस प्रकार सौंदर्य, शिव और सत्य को चाहने वाला स्वभाव कारण बन जाता है, उसी प्रकार उसकी समाज जीवन की अनुभूति भी कारण बन जाती है। समाज काव्य-निर्मिति का प्रेरक कारण बन जाता है। साहित्य ही समाज को सत्य, शिव और सुंदरता से युक्त सुसंस्कृत बनने की प्रेरणा देता है। प्रेरणा की दृष्टि से या प्रबल आवेग पैदा करने की दृष्टि से समाज और काव्य अर्थात् साहित्य का अन्योन्याश्रित संबंध है। कोई भी कवि अपने सामाजिक दायित्व से मुँह मोड़ नहीं सकता। इसलिए समाज के अच्छे और बुरे पहलू; जो कवि ने अनुभव किए हैं, वही कविता का विषय बन जाते हैं। जब तक कविता का सामाजीकरण और साधारणीकरण नहीं होता, तब तक कविता का मूल उद्देश्य सफल नहीं होता है। इसलिए कविता का प्रधान लक्ष्य व्यक्ति की अनुभूतियों, मान्यताओं या कल्पनाओं का सामाजीकरण या साधारणीकरण करना होता है। जहाँ कविता में कवि की निजता की अनुभूतियाँ सामाजीकरण में बाधक सिद्ध होगी, वहाँ वह गुण के बजाय दोष बन जाता है। कवि को अपनी वैयक्तिकता को सामाजिक रूप देकर ही अभिव्यक्त करना पड़ता है। तभी काव्य के माध्यम से सामान्य बात असामान्य बन जाती है। सामान्य व्यक्ति और साहित्यकार में यही अंतर है कि सामान्य व्यक्ति अपनी निजता को सामाजिक रूप नहीं दे पाता, मगर साहित्यकार या कवि अपनी निजता का सामाजीकरण करता है, साधारणीकरण करता है। भारतीय एवं पाश्चात्य आचार्यों ने काव्य के साधारणीकरण, सामाजीकरण या निर्वैयक्तिकरण पर जोर दिया है। दरअसल कवि अपनी निजी बात को सामाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा निर्वैयक्तिकता में परिवर्तित कर देता है। इसलिए कवि की वेदना, पुकार, शोक केवल उसका अपना नहीं रह जाता; वह समग्र समाज का करुण शोक बन जाता है। सार यह कि निजता काव्य का आधार है, तो निर्वैयक्तिकरण उसका लक्ष्य है। वैयक्तिकता या निजता ही निर्वैयक्तिकता में परिणत करना ही काव्य है। ऐसी कला सबको मोहित कर देती है और सबको लुभाती भी है। तब कवि की वैयक्तिक अनुभूति, सामाजिक अनुभूति का रूप धारण कर लेती है। ऐसा काव्य सामान्य से असामान्य और साधारण से असाधारण बन जाता है। कविता के माध्यम से ही समाज में विद्यमान सुख-दुःख, आनंद-क्लेश, क्रोध-करुणा अच्छी तरह से अभिव्यक्त हो जाती है; जिससे पाठक समरस हो जाता है। तभी कवि हृदय और पाठक हृदय की भावना का साधारणीकरण हो जाता है।

2.3.2.2 कविता का राजनीतिक क्षेत्र :

राजनीति कविता का अनिवार्य अंग है। काव्य के समस्त बौद्धिक तत्त्व रचयिता के बौद्धिक पक्ष की अभिव्यक्ति का सूचक है। कवि राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करता है या किसी विचारधारा का खंडन-मंडन भी करता है। यह बात कवि के ज्ञान, अनुभव एवं चिंतन पर निर्भर करती है। कवि चाहे किसी भी चरित्र को भावनाओं एवं अनुभूतियों से चित्रित करें, लेकिन उसमें उसके निजी व्यक्तित्व की झलक विद्यमान रहती है। कवि के मन-मस्तिष्क पर राजनीतिक चिंतन की गहरी छाप हो तो वह अपनी कविता में राजनीतिक विचारों की पहल करता है। ऐसी पहल के माध्यम से कवि का राजनीतिक दृष्टिकोण अभिव्यक्त होता है; जो तत्कालीन समाज में राजनीतिक विचारधारा को पिरोने का कार्य करता है। ऐसे विचार ही समाज में राजनीतिक तख्त को पलट देते हैं, सत्ता को उथल-पुथल कर देते हैं। राजनीतिक व्यक्ति पर ही कविता का महत्त्व या प्रचार-प्रसार निर्भर करता है। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि अनेक राजा-महाराजाओं द्वारा साहित्य को अपने जीवन का अभिन्न अंग माना। इतना ही नहीं, अनेक राजाओं के राज्य में आश्रयदाता कवि भी हुआ करते थे। यही कवि राजा के मन-मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने का कार्य करते थे, राजा को कर्तव्य के प्रति सजग करते थे। शुरुआत में लोग रामराज्य का सपना लेकर राजनीति में आते थे, लेकिन आज स्वार्थसिद्धि हेतु राजनीति में आने लगे हैं। राजनीति में सत्ता-लिप्सा का खेल खेला जाता है, अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया जाता है, नीति-अनीति, सही-गलत, अच्छा-बुरा, धर्म-अधर्म आदि सभी के परे जाकर सत्ता हाथियाने का षड्यंत्र किया जाता है। राजनीति में आ रही यह अनैतिक प्रवृत्ति आधुनिक विकृति की देन है; जिसने भारतीय प्रजातंत्र पर ही सवाल खड़ा किया है। ऐसी स्थिति में कवि हृदय राजनीतिक षड्यंत्र, दलबदलू वृत्ति, सत्ता-प्राप्ति की होड़, जाति-बिरादरी की राजनीति जैसे अनैतिक प्रवृत्तियों को देखकर आंदोलित हो उठता है। कवि हर हालत में अपनी कविता के माध्यम से राजनीतिक मूल्य बचाए रखने और उसका प्रचार-प्रसार करने का कार्य करता है। राष्ट्र के विकास में राजनीति साधक बनने के बाजय बाधक बन जाती है, तो अनेक मुसीबतें उस राष्ट्र के सामने खड़ी होती है।

अरस्तू के अनुसार मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और हम जिस युग में रह रहे हैं वह राजनीतिक युग है। राजनीति की व्याप्ति का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि विज्ञान, साहित्य, धर्म, उद्योग, नीति, कूटनीति आदि क्षेत्रों तथा व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्वजनीन संबंधों में राजनीति की पेर हो गई है। राजनीति की इसी पेर से हमारा साहित्य भी अछूता नहीं रहा है। कविता व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र या विश्वजनीन राजनीतिक संबंधों को दृढ़ करती है। राजनीतिक दाँवपेच, सत्ता एवं धन की लालसा में सही और गलत की समस्त सीमाओं को

लाँघकर उसका सारा खेल स्वार्थकेंद्रित दिखाई देने लगा है। कविता इसी खेल को मानव मस्तिष्क से दूर कर देती है और आदर्श राजनीतिक मूल्यों की स्थापना कर देती है। यही मूल्य समाज और राजनेता की मानसिकता को स्वस्थ बना देते हैं। आधुनिक काल के कवि बाबा नार्गाजुन इसका सशक्त उदाहरण है। उन्होंने जनविरोधी बातों का खुलेआम विरोध किया। उनकी कविता शोषित, पीड़ित जनता की आवाज थी। यही वजह है कि उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। उन्हें जो बात अच्छी लगती वे उसी राजनेता के साथ खड़े होते थे, लेकिन जहाँ जनविरोधी बात आती है, वहाँ वे उसका भारी विरोध करते थे।

2.3.2.3 कविता का सांस्कृतिक क्षेत्र :

वस्तुत: संस्कृति एक जीवन की विधि है और एक जीवन जीने की पद्धति भी। हम खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, भगवान की पूजा-अर्चना करते हैं, उत्सव-पर्व-त्योहार मनाते हैं, भाषा बोलते हैं, ये सारे संस्कृति के अंग है। संस्कृति उस विधि का नाम है; जिसके आधार पर हम सोचते हैं और कार्य करते हैं। कवि के सोच-विचार और कर्म पर संस्कृति का गहरा प्रभाव रहता है। यही प्रभाव या भावनाओं का प्रबल आवेग कविता के माध्यम से अभिव्यक्ति पाता है। किसी भी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों का दूसरा नाम संस्कृति है। वस्तुत: सत्य, शिव और सुंदर ये शाश्वत मूल्य कविता में संस्कृति के कारण ही आ जाते हैं। कविता इन्हीं मूल्यों का जतन करती है और प्रचार-प्रसार भी। काव्य कला मानव जीवन को सौंदर्य प्रदान करती है और सौंदर्यनुभूतिपरक मानव बना देती है, लेकिन सौंदर्य भी आखिरकार संस्कृति का ही हिस्सा है। कविता के सांस्कृतिक मूल्य मानव को नीतिवान बना देते हैं और दूसरे मानव के संपर्क में ला देते हैं और कविता, प्रेम, सहिष्णुता एवं शांति का पाठ पढ़ा देती है। मानव का जीने का एक ही तरीका है और वह है सत्य का मार्ग। संस्कृति वह गुण है; जो मनुष्य को मनुष्य बना देती है और कविता उसी मानवता की हिमायत करती है। काव्य का सांस्कृतिक पक्ष मनुष्य को जीवन जीने का अर्थ और जीवन जीने का तरीका सीखाता है। सामाजिक सदस्य के रूप में मनुष्य की सभी उपलब्धियाँ उसकी संस्कृति से अनुप्रणित होती है। कला, साहित्य, संगीत, वास्तु विज्ञान, शिल्प, कला, धर्म, दर्शन, विज्ञान आदि सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण के विभिन्न पहलू हैं। काव्य इसी सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण का नाम है। मनुष्य सिर्फ भोजन से नहीं जीता, बल्कि उसके लिए मन-मस्तिष्क या आत्मा की संतुष्टि भी जरूरी है। भौतिक उन्नति से शारीरिक भूख मिट सकती है, मगर मन और आत्मा भूखे ही रह जाते हैं। उसे संतृष्ट करने के लिए मनुष्य जो उन्नति करता है उसे संस्कृति कहा जाता है। मन और आत्मा की उन्नति का प्रबल आवेग काव्य के संस्कृतिक क्षेत्र में झलक उठता है। व्यक्ति की जिज्ञासा का परिणाम धर्म और दर्शन है। सौंदर्य की खोज में मनुष्य संगीत, मूर्ति, चित्र, साहित्य और वास्तु आदि कलाओं को उन्नत बना

देता है। इन्हीं कलाओं का सम्यक् दर्शन कविता के सांस्कृतिक पक्ष के अंतर्गत होता है। कवि की बाह्य और आंतरिक अनुभूति से प्राप्त व्यवहारों के तरीके संस्कृति से अंग बन जाते हैं। काव्य में अभिव्यक्त संस्कृति का मूल केंद्रबिंदु उन सूक्ष्म विचारों में समाहित है, जो एक समूह में ऐतिहासिक रूप से उनसे संबंद्ध मूल्योंसहित विवेचित होते रहते हैं। काव्य में वर्णित संस्कृति किसी समाज का वह सूक्ष्म संस्कार होती है; जिनके माध्यम से लोग परस्पर-संप्रेषण, विचार-विनयम, जीवनविषयक अभिवृत्तियों और ज्ञान को दिशा देते हैं। संस्कृति हमारे जीने और सोचने की विधि है। यही विधि काव्य में परिलक्षित होती रहती है। कविता में धार्मिक क्रिया-कलाप, मनोरंजन के साथ-साथ आनंद के तौर-तरीके भी शामिल होते हैं। काव्य में समाहित सांस्कृतिक क्षेत्र के दो पहलू हैं; इसमें पहला हमारी वेशभूषा, रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज आदि से संबंध रखता है, तो दूसरा पक्ष विचारों, आदर्शों, भावनाओं और विश्वासों से संबंध रखता है। संस्कृति की व्याख्या हर समाज या राष्ट्र की दृष्टि से अलग-अलग होती है। दरअसल किसी भी राष्ट्र की सही पहचान वहाँ के लोगों की सांस्कृतिक परंपराओं और विशेषताओं से ही होती है। व्यक्ति को संस्कारित एवं परिष्कृत करना ही संस्कृति है। कविता में निहित यही संस्कृति व्यक्ति को सुसंस्कारित करती है। व्यक्ति के विभिन्न क्रिया-कलाप उस राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान कराते हैं। संस्कृति में व्यक्ति का रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज, वेशभूषा, उत्सव, पर्व, त्योहार आदि कथा-व्यथा रेखांकित रहती है। कविता तत्कालीन देशकाल की संस्कृति की परिचायक होती है। संस्कृति में हर समाज की जीवन पद्धति, रीति-रिवाज, रहन-सहन, खान-पान, आचार-विचार, नया आविष्कार शामिल है, जिससे मनुष्य अमानवीय से मानवीय बन जाता है, असभ्य से सभ्य बन जाता है। यही सांस्कृतिक विचार कविता प्रचारित एवं प्रसारित करती रहती है।

2.3.2.4 कहानी का सामाजिक क्षेत्र :

कहानी विधा का ढांचा ही समाज, संस्कृति और राजनीति का नींव पर खड़ा होता है। कहानी में चित्रित समाज एक-दूसरे के प्रति स्नेह एवं सहृदयता का भाव रखता है, संस्कृति अपनी गौरवशाली परंपरा को रेखांकित करती है, तो राजनीति प्रजातंत्र को मजबूत करती है। सामाजिक क्षेत्र कहानी की बुनियाद है; जिसका चित्रण कई रूप में प्रस्तुत होता है। कहानी और समाज का घनिष्ठ संबंध है। कहानीकार समाज में जीता है और सामाजिक परिवेश से नए विषयों को ग्रहण कर स्वानुभूत अभिव्यक्ति देता है। परिणामत: समग्र समाज लाभान्वित होता है। कहानीकार अपनी कहानी के माध्यम से दुर्बल इकाइयों को लड़ने की प्रेरणा देता है। वह कहानी में व्यापक अनुभूति, गहरी संवेदना प्रतिबिंबित करता है। भारतीय समाजिक परिवेश में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। हमारी संयुक्त परिवार की परंपरा धीरे-धीरे एकल परिवार में तबदील हो गई। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी

में संबंधों और मूल्यों का बदलता रूप कहानियों में चित्रित हो रहा है। आज की युवा पीढ़ी पुराने मूल्यों को त्याग कर नए जीवनमूल्यों का सर्जन कर रही है। इसी वजह से परिवार समाज से धीरे-धीरे कटता जा रहा है। मानवीय मूल्यों को त्यागकर स्वार्थ, लोभ, ईर्ष्या, मोह, माया का वरण हो रहा है। वर्तमान कहानी के समाजिक, नैतिक मापदंडों एवं मूल्यों के बदलते स्वरूप में इसकी स्पष्ट झलक दिखाई देती है। इन्हीं मूल्यों को बचना सामाजिक कहानीकारों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। सामाजिक बंधनों और सामाजिक शिष्टाचार के नियमों का पालन सामाजिक कहानी में होना चाहिए।

नए कहानीकारों ने एक ओर बदलते रिश्तों की कशमकश, अजनबीपन, उदासीनता, भय, बेगानापन, घुटन आदि सामाजिक समस्याओं को अपनी कहानी में सहारा दिया हैं, तो दूसरी ओर पुराने रिश्ते, प्राचीन परंपराओं, आदर्शों, नैतिक नीति-नियमों को तिलांजलि दी है। कहानीकार की भीतरी गहराई का दर्द स्वानुभूत होकर अभिव्यक्त होने लगा है। आज यह स्वानुभूति वैयक्तिकता छोड़कर प्रामाणिकता से निर्वैयक्तिक बन गई है।

कहानीकार समाज की संवेदना, परिवेश की वास्तविकता और टूटते-बिखरते संबंधों को बड़े सिद्दत के साथ व्यक्त कर रहे हैं। नए कहानीकारों ने समाज को नए दृष्टिकोण से देखा। पहले कहानी में कहानीकार व्यक्ति को समाज की दृष्टि से देखता था, वही आज की कहानी समूहगत सामाजिकता को व्यक्तिगत सामाजिकता के रूप में देखती है। शहरी समाज में इन्सान का व्यवहार आत्मकेंद्रित और यांत्रिक होता जा रहा है। अमानवीयता, संवेदनहीनता, नैतिक मूल्यों को तिलांजलि दी जा रही है, जिसका चित्रण वर्तमान कहानी पूरे सिद्दत के साथ कर रही है।

2.3.2.5 कहानी का राजनीतिक क्षेत्र :

हर देश की राजनीति और विकास का गहरा संबंध होता है। देश की राजनीति जितनी सकारात्मक और विवेकशील होती है, उतना ही देश का विकास अधिक होता है। जिस प्रकार भारतीय राजनीति ने अनेक करवटें ले ली, उसने अनेक पड़ावों को देखा, उसी प्रकार का वर्णन अनेक कहानीकारों ने अपनी कहानियों में किया। देश की राजनीति में अनेक क्रांतिकारी घटनाएँ हुई। कई महान राजनेताओं ने भारतीय राजनीति को नीतिमान बनाया और उसे जनसेवा का पर्याय बना दिया। परिणामस्वरूप राजनीति में उच्च मानवीय मूल्यों की स्थापना भी हुई। मानवतावाद, विश्वबंधुता, आध्यात्मवाद जैसे उच्च मानवीय मूल्यों से राजनीति के नए आयाम विकसित हुए। यही मूल्य तत्कालीन कहानी में दिखाई देते हैं। स्वातंत्र्योत्तरकालीन राजनीति इन सारे मूल्यों को तिलांजलि देते दिखाई देती है। इस काल की कहानी ने आम जन का भ्रमनिराश कर दिया। सत्ता पाने की होड़

में कई राजनेता अनैतिकता व्यवहार करने लगे। सत्ता को बरकरार रखने के लिए जगह-जगह विकृत राजनीति का दर्शन होने लगा। कुर्सी पाने की अदम्य लालासा एवं मोह ने सत्ताधारियों को अंधा बना दिया। सत्ताधारियों में दोगलापन, चुनावी षड्यंत्र, स्वार्थांधता, मनमानी, अन्याय, अत्याचार, अराजकता जैसी प्रवृत्तियाँ पनपने लगी। रचनाकार इन सारी प्रवृत्तियों को अनुभूत कर आहत हुआ। उनकी संवेदना जाग उठी और मनमानी व्यवहार करने वाले इन सत्ताधारियों पर अंकुश रखने के लिए कहानीकारों ने अपनी कलम चलाई। कई कहानीकारों ने सेवा के नाम पर मेवा खाने वाले राजनेताओं की पोलखोल दी। जनता ने जिनके हाथों में सत्ता के सूत्र दिए, उन्होंने नियमों एवं सिद्धांतों को तिलांजलि देना शुरू किया। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पनपे भ्रष्टाचार, अनाचार, अनैतिकता के परिणामस्वरूप एक ऐसी पीढ़ी पैदा हुई कि जो सत्ताधारियों को मुँहतोड़ जवाब माँगने लगी। सत्ताधीशों के खिलाफ उठने वाली आवाज को बुलंद करने का प्रयास तत्कालीन कहानीकारों ने अपनी कहानियों के माध्यम से किया। इन कहानीकारों ने वर्तमान राजनीति का यथार्थ चेहरा समाज के सामने ला खडा कर दिया। पर इन कहानियों में राजनीति की इकहरी और यांत्रिक निष्कर्षों वाली सोच पैदा हुई दिखाई देती है; जिसमें वास्तविकता, अनुभव की प्रामाणिकता और परंपरा की अवहेलना नजर आती है।

2.3.2.6 कहानी का सांस्कृतिक क्षेत्र :

संस्कृति की जननी नारी आज अपने परंपरागत संस्कारों, मूल्यों एवं आदर्शों को त्यागकर अपने अस्तित्व एवं अस्मिता को तलाश रही है। मंदिर, पूजा-पाठ, रीति-रिवाजों, उत्सव, पर्व, त्योहारों में पनप रहे सांस्कृतिक मूल्य या संस्कार होटल, पब, क्लब, फैशन में सिमट गए हैं। आधुनिकता की अंधी दौड में भारतीय नारी समयाभाव के कारण अपने बच्चों को शिक्षा, संस्कार, मूल्य और आदर्श नहीं दे पा रही है; जिसके परिणामस्वरूप युवा पीढ़ी में मूल्यों एवं आदर्शों का अभाव पाया जाता है। इन सभी सांस्कृतिक मूल्यों की चिंता कहानी के केंद्र में दिखाई देती है। आज आधुनिकता के नाम पर विलुप्त हो रही मानवीय संवेदना, दो पीढ़ियों के बीच का मूल्य-संघर्ष, संयुक्त परिवारों का विघटन, टूटते-बिखरते दाम्पत्य संबंध, पाश्चात्य सभ्यता में कसमसाती भारतीय संस्कृति आदि का यथार्थ चित्रण कहानी में हो रहा है। कहानी के सांस्कृतिक परिवेश में मनुष्य अपने चिंतन; मनन और विवेक के आधार पर मूल्यों को ग्रहण करता है; जिसके द्वारा वह मानव कल्याण की कामना करता है और अपने आत्म-संस्कारों का विकास भी करता है। वह रूढ़िगत मूल्यों को तिलांजलि देता है और नए मूल्यों को अपनाता है। धर्म, दर्शन, कला, साहित्य, इतिहास तथा शिक्षा-दीक्षा, उत्सव-पर्व-त्योहार आदि मानव मूल्यों के उपादान है। ये सारे सांस्कृतिक मूल्य बचाना कहानीकारों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है।

आज सांस्कृतिक विघटन के परिणामस्वरूप जगह-जगह नैतिक मूल्यों की गिरावट हो रही है। नतीजतन आम जन अपमान, निराशा, हताशा, दोगली नीति, अवहेलना के शिकार हो रहे हैं। कहानीकार इन्हीं प्रवृत्तियों को अपनी अनुभूति के द्वारा अपनी कहानी में अभिव्यक्त कर रहे हैं। सार यह कि संस्कृति में हर समाज की जीवन पद्धति, वेशभूषा, रीति-रिवाज, रहन-सहन, खान-पान, आचार-विचार, उत्सव, पर्व और त्योहारों का नया आविष्कार शामिल है; जिससे मनुष्य मनुष्य बन जाता है। मानवता की हिमायत करने वाला यही सांस्कृतिक विचार कहानी का कथ्य है।

2.3.2.7 यात्रा वृत्तांत का सामाजिक क्षेत्र :

जिस प्रकार मानव जीवन के विविध क्षेत्र हैं, उसी प्रकार यात्रा वृत्तांत के भी विभिन्न क्षेत्र हैं। इनमें सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्र प्रधान है। जिस प्रकार फूल मालाओं में बिनने के बाद सुंदर फूलमाला बन जाती है, उसी प्रकार सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र बिनने के बाद सुंदर यात्रा साहित्य का जन्म हो जाता है। यात्रा साहित्य में ये विभिन्न क्षेत्र पाठकों को सच्चाई की अनुभूति देते हैं। यात्रा साहित्य के सामाजिक क्षेत्र का वर्णन कई रूपों में प्रस्तुत होता है।

यात्रा वृत्तांत लेखन में सिर्फ यात्राओं का अंकन नहीं होता, बल्कि वह प्रकृति-संस्कृति के साथ-साथ समाज का भी चित्रण होता है। यात्रा वृत्तकार सायास-अनायास विभिन्न देशों के विभिन्न सामाजिक परिवेश का अंकन करता है। यात्रा साहित्य से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय और पाश्चात्य समाज में सुख-दुःख के प्रसंगों में साझेदार बनने के मापदंड भी अलग-अलग हैं। लेखक यात्रा साहित्य में सामाजिक परिवेश, आचार-विचार और व्यवहार को अभिव्यक्त कर सामाजिक पद्धतियों का रेखांकन करता है और यात्रा स्थानों के समाज का निरीक्षण-परीक्षण के साथ अपने समाज से तुलना भी करता है। वहाँ के समाज की आशा-आकांक्षा, रुचि-अरुचि, उन्नति-अवनति तथा हर्ष-विषाद का दर्शन कराता है और यात्रा स्थानों की सामाजिक विशेषताओं पर प्रकाश डालता है। यात्रा वृत्तांत लेखक यात्रा साहित्य में भावुकता, स्वाभाविकता, शालीनता, सहजता, हर्ष, प्रेम, करुणा, मैत्री, सभ्यता, संस्कृति, भाषा आदि सामाजिक पहलुओं का चित्रण करता है।

यात्रा साहित्य में प्राकृतिक अनुपम सौंदर्य के मिलाफ से समाजिक परिवेश का प्रस्तुतिकरण अत्यंत सूक्ष्म एवं प्रभावोत्पादक ढंग से किया जाता है। समाज में प्रचलित रूढ़ि-परंपरा, रीति-रिवाज, अलग-अलग प्रथाएँ जब समय के साथ बदल जाती है, तब समाज में आम जन का जीवन दुभर बन जाता है। आम जन सामाजिक परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं हो पाते। इसी कारण जब व्यक्ति और समाज के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है, तब समाज में अव्यवस्था जन्म लेती है। इसी अव्यवस्था

का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम व्यक्तिगत आचार-विचार, पारिवारिक जीवन और सामाजिक व्यवहार पर होता है। पुरानी रूढ़ि-परंपरा, जाति-पाँति, भेदभाव, धार्मिक बंधन, कुरीतियाँ जब आम जन के मार्ग में रोडा बन जाते हैं, तब संवेदनशील यात्रा वृत्तांतकार इन सारी कुरीतियों, कमियों, खामियों और सड़ी-गली व्यवस्था की पोल खोल देता है। इस सामाजिक अव्यवस्था को सुव्यवस्था में तबदील करने के लिए लेखक अपनी मर्मभेदी लेखनी के माध्यम से निरंतर प्रहार करता रहता है, ताकि स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। हर देश के समाज में दो वर्ग नजर आते हैं-उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग हमेशा ऐय्याशी जीवन जीता है, तो निम्न वर्ग दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो जाता है। ऐसी स्थिति में यात्रा वृत्तांतकार समाज के उच्च वर्ग के ऐय्याशी की पोल खोल देता है और निम्न वर्ग की कथा-व्यथा अंकित कर देता है। यात्रा साहित्य में सामाजिक परिवेश का यथार्थ चित्रण पाठक को सोचने और विचार करने के लिए बाध्य कर देता है और सामाजिक परिवर्तन की, हिमायत की भी मांग करता है।

2.3.2.8 यात्रा वृत्तांत का राजनीतिक क्षेत्र :

यात्रा वृत्तांत और राजनीति का गहरा रिश्ता है। ये दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। आदिकालीन यात्रा साहित्य में राजाओं की वीरता के साथ-साथ राजनीति का वर्णन दिखाई देता है। पल-पल बदलती राजनीति यात्रा साहित्य विधा पर अमिट छाप छोड़ देती है। पहले दोनों लोकमंगल की भावना से प्रेरित थे। समाज को खुशहाल बनाने और उसे आनंद में डूबो देने की कोशिश अपने-अपने ढंग और साधनों से दोनों ही करते हैं। राजनीति अपने कार्यक्रमों और नीतियों को प्रस्तुत करती है और सत्ता हाथियाने के लिए संघर्षरत रहती है, लेकिन यात्रा साहित्य सत्ता के लिए संघर्ष नहीं करता। वह वास्तविक जीवन को देखता है, भोगता है, अनुभव प्राप्त करता है और जनता की वकालात करता है। इतना ही नहीं, वह जनता की खुशियों और तकलीफों को वाणी देता है, अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद कर देता है और न्याय की गुहार लगाता है। यात्रा लेखक प्रकृति, संस्कृति, समाज और समाज की राजनीति को कलात्मक बिम्बों के सहारे सर्जित करता है। यात्रा साहित्य विचारधारात्मक अधिरचना का अंग होता है, बल्कि राजनीति वर्ग-संघर्ष, सत्ता-प्राप्ति के लिए किए जाने वाले संघर्ष का प्रत्यक्ष रूप। जिन यात्रा स्थानों का समाज अच्छा होता है, वहाँ की राजनीति भी अच्छी होती है। यात्रा साहित्य और राजनीति दोनों गतिशील-प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी होते हैं। यात्रा साहित्य और राजनीति तभी शुभ होते हैं, जब वे लोकमंगल के रास्ते पर अग्रसर होते हैं। समाज को निराशाजन्य अंधकार से निकालकर आनंद की रोशनी में नहालाने का काम यदि यात्रा साहित्य और राजनीति के द्वारा संपन्न होता है, तो यही स्थिति समाज के लिए मंगलदायक होती है। यदि राजनीति षड्यंत्रकारी हो तो इतिहास इस बात का गवाह है कि राजनीति के कारण ही राजा

राम को भी अपना राज्य छोड़ना पड़ा था। राजनीति के कारण यात्रा साहित्य में अनेक बदलाव दिखाई देते हैं। यात्रा साहित्यकार अपने समय की राजनीतिक भावनाओं और मान्यताओं का अध्ययन जरूर करता रहता है। यदि राजनीति समाज पर हावी होती है, मनमानी करने लगती है और अमानवीय व्यवहार करने लगती है, तो यात्रा साहित्यकार अपनी लेखनी की ताकत से समाज का साथ देता है। राजनीतिक यात्राओं से तात्पर्य केवल उन यात्राओं से है कि जो दो भिन्न भाषा-भाषी समाज राजनीतिक मसले सुलझाने, राजनीतिक संबंध ठीक करने, राजनीतिक फैसले करने के लिए एकसाथ आते हैं और उन मसलों को हल करते हैं। यात्रा साहित्यकार अपनी यात्रा के दौरान विदेशी राजनीति और देशी राजनीति की तुलना करते हुए अच्छाई का समर्थन करता है और बुराई का विरोध करता है। देश की राजनीति यदि आम जन पर अन्याय कर रही है तो यात्रा साहित्यकार उसके पक्ष में खड़ा हो ठाकता है।

2.3.2.9 यात्रा वृत्तांत का सांस्कृतिक क्षेत्र :

वस्तुत: संस्कृति मनुष्य की अमूल्य निधि है। हर देश की अपनी-अपनी संस्कृति होती है। लेकिन कुछ देशों के कई सांस्कृतिक पहलू मिलते-जुलते होते हैं, तो कुछ बिल्कुल भिन्न होते हैं। यात्रा साहित्य से सिर्फ यात्रा के प्राकृतिक अनुभव ही नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक माहौल जानने-पहचाने का सुअवसर मिल जाता है। किसी भी देश की संस्कृति को जानने-पहचाने और उसका अध्ययन-अध्यापन करने के लिए सांस्कृतिक यात्राओं का आयोजन किया जाता है। यात्रा साहित्य से यात्रा स्थानों के सांस्कृतिक पहलुओं का आदान-प्रदान होता है। दो राष्ट्रों की संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भी विभिन्न यात्राओं का आयोजन किया जाता है।

भारतीय संस्कृति में एक-दूसरे के सुख-दु:ख में साझेदार बनना 'वसुधैव कुटुंबकम्' की भावना का परिचयाक है। भारतीय संस्कृति मानवीय संवेदना एवं मानवता की परिचायक है। दो भिन्न भाषा-भाषी समाज की संस्कृति एक-दूसरे को जानने-पहचाने का सुअवसर यात्रा साहित्य से आसानी से मिल जाता है। यात्रा साहित्यकार अपने यात्रा साहित्य में वेशभूषा, रूढ़ि-परंपरा, रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज, उत्सव, पर्व, त्योहार आदि सांस्कृतिक पहलुओं का लेखा-जोखा प्रस्तुत करता है। भारत में यात्रियों की कभी कमी नहीं रही। नतीजतन तिब्बत, चीन, मलाया, बर्मा आदि सुदूरवर्ती द्वीपों में भारतीय संस्कृति की गूँज सुनाई पड़ती है। यह गूँज यात्रा साहित्य में लिपिबद्ध होने से भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार सबदूर हो चुका है। यात्रा साहित्य में लेखक अपने देश, गाँव की सभ्यता, रहन-सहन, खान-पान, वेशभूषा के तौर-तरीके, अतिथ्य-सत्कार की परंपराएँ आदि का यात्रा स्थानों की संस्कृति से तुलना करता रहता है और सांस्कृतिक विरासत का प्रभाव रेखांकित

करता रहता है। लेखक का अपनी संस्कृति, सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक जड़ों के प्रति गहरा लगाव रहता है। यही गहरा लगाव वह अपने यात्रा वृत्तांत में आकलन से, संवादों से और सौंदर्य प्रत्ययों से विवेकशील अस्मिता के साथ प्रकट करता है। लेखक की संस्कृति विषयक सोच विस्तृत, उदार और गहरी होने पर दो देशों के बीच के संबंधों में मजबूती आ जाती है। इससे दोनों संस्कृतियाँ एक-दूसरे का आदर-सत्कार करने लगती है। यात्रा वृत्तांत में लेखक रीति-रिवाज, रहन-सहन, खान-पान, रूढ़ि-परंपराओं को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है और विचार-चिंतन से अलग ही रंग भर देता है। संस्कृति एक ऐसा पर्यावरण है; जिसमें रहते हुए व्यक्ति सामाजिक प्राणी बन जाता है और प्रकृति को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करता है। यही संस्कृति एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से और एक समूह को दूसरे समूह से और एक समाज को दूसरे समाज से अलग कर देती है। यात्रा वृत्तांतकार इसी सांस्कृतिक पर्यावरण को अंकित करता है। मानव को जितनी मानवीय परिस्थितियाँ प्रभावित करती है, उन सभी की संपूर्णत: संस्कृति कहलाती है। लेखक यात्रा वृत्तांत में इन्हीं मानवीय परिस्थितियों को पूर्णरूपेन रेखांकित करता है।

लेखक ऐसी सांस्कृतिक व्यवस्था को यात्रा वृत्त में समेटता है; जिनमें जीवन के प्रतिमान, व्यवहार के तरीके, अनेकानेक भौतिक-अभौतिक प्रतिमान, परंपराएँ, विचारधारा, सामाजिक मूल्य, मानवीय क्रिया-प्रतिक्रियाएँ और आविष्कार शामिल होते हैं। मानव जीवन के दिन-प्रतिदिन के आचार-विचार, जीवन शैली, कार्य-व्यवहार, संस्कार, नीतिगत कार्य-कलाप, दार्शनिकता, कलात्मकता, स्थापत्य कला, संगीतात्मकता आदि सांस्कृतिक पहलुओं को यात्रा वृत्तांतकार यात्रा साहित्य में शब्द बद्ध कर देता है। सांस्कृतिक कला, विद्या और साहित्य से मनुष्य को जीवन जीने की प्रेरणा मिल जाती है। सार यह कि मनुष्य की सामाजिक विरासत या मनुष्य की संचित सृष्टि का नाम संस्कृति है। यात्रा साहित्य के सांस्कृतिक पक्ष में यात्रा साहित्यकार एक ओर मनुष्य के आचार-विचार, भावना, मूल्य, विश्वास, मान्यता, चेतना, प्रेरणा, भाषा, ज्ञान, कर्म, धर्म आदि अमूर्त तत्त्व को मूर्त रूप देता है, तो दूसरी ओर वहाँ खान-पान, वेशभूषा, रहन-सहन, मानव जीवन की पद्धतियाँ और भौतिक जन-जीवन की सभ्यताओं को भी अपनाता है। दरअसल यात्रा वृत्तांत से सांस्कृतिक आदान-प्रदान होता है और वैश्विक स्तर पर मानवीय संबंध दृढ़ होते हैं।

2.4 सारांश

1) कविता लेखन में भाव या विचार कार्यरत होते हैं। ये कविता में ही अंतर्निहित होते हैं। कविता में भाव, बुद्धि, कल्पना और शैली का कलापूर्ण समन्वय होता है। भाव ही कवि कल्पना का प्रेरक तत्त्व है, जो कवि कल्पना को साक्षात् करता है।

2) मानव जीवन में मानवता या मानवीय मूल्य सर्वोपरि होते हैं। यही मूल्य सार्थक एवं सारवान होते हैं; जो कि साहित्य या काव्य के केंद्र में निहित होते हैं। मानवीय मूल्य ही साहित्य के माध्यम से समाज में विवेक पैदा करने की दृष्टि से सहायक होते हैं। इन्हीं मानवीय मूल्यों को बचाने या उसका प्रचार-प्रसार करने की दृष्टि से काव्य महत्त्व रखता है। आखिरकार साहित्य की उपयोगिता इन्सान को इन्सान बनाने में ही तो है।

3) कहानी संक्षिप्त आकार का ऐसा आख्यान है; जो पाठकों पर भावपूर्ण प्रभाव डाल सके। यह मानव जीवन के किसी एक पक्ष, प्रसंग या घटना का संवेदनात्मक चित्रण है। यह घटना या प्रसंग मौलिक जगत् या मानसिक जगत् से उठते हैं और कहानी के माध्यम से आकार लेते हैं।

4) कहानी मानसिक रहस्य को खोलती है, जीवन के मार्मिक पक्षों का उद्‌घाटन करती है, जीवन के सत्य साक्षात् करती है, मानव चरित्रों का उद्‌घाटन करती है, जीवन की विभिन्न समस्याओं को उठाती है और उसका समाधान भी प्रस्तुत करती है। इन सभी तथ्यों की दृष्टि से कहानी का साहित्यिक महत्त्व तथा उपयोगिता अनिवार्य रूप में स्वीकारनी पड़ती है।

5) देश-विदेश में घटित घटना, देखे दृश्य, प्राप्त अनुभूतियों का वृत्तांत लिखना ही यात्रा वृत्तांत है। इसमें कल्पना के बजाय यथार्थ को स्थान दिया जाता है। सौंदर्यबोध की तलाश में मनुष्य उत्साह भाव से प्रेरित होकर जब यात्रा करता है, तब उसका मुक्त भाव से रेखांकन होता है। यात्रा वृत्तांतकार यात्रा स्थानों से ग्रहण किए गए प्रेम, सौंदर्य, भाषा, यादें और जीवन के खट्टे-मिट्टे अनुभव अपनी रचना में साझा करते हैं; जो यात्रा साहित्य नाम से जाने जाते हैं।

6) यात्रा साहित्य मनुष्य की मानवता को फलने-फूलने का अवसर जरूर देती है। धर्म एवं संस्कृति के प्रचार-प्रसारक, ऋषि-मुनि, साधु-संत तथा आचार्यों ने भी यात्राएँ की और वे संस्कृति के संवाहक रहें। आखिरकार यात्रा-साहित्य से पाठक एक-दूसरे की संस्कृति से परिचित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वे प्रकृति का मनोहारी चित्रण पढ़कर चेतनामयी एवं आनंददायी बन जाते हैं।

7) यात्रा के बाद अपने समृद्ध अनुभव लेखन के माध्यम से शब्दबद्ध कर लेखक दूसरों को बाँटता है, दूसरों की जिज्ञासा एवं कौतुहल को संतुष्ट कर देता है। जब ये अनुभव यात्रा वृत्तांत का आकार लेते हैं, तब वे दूसरे यात्री के लिए दिशादर्शक बन जाते हैं।

8) साहित्य ही समाज को सत्य, शिव और सुंदरता से युक्त सुसंस्कृत बनने की प्रेरणा देता है। प्रेरणा की दृष्टि से या प्रबल आवेग पैदा करने की दृष्टि से समाज और काव्य अर्थात् साहित्य का अन्योन्याश्रित संबंध रहा है। कोई भी कवि अपने सामाजिक दायित्व से मुँह मोड़ नहीं सकता है। इसलिए समाज के अच्छे और बुरे पहलू; जो कवि ने अनुभव किए हैं, वही कविता का विषय बन जाते हैं। जब तक कविता का सामाजीकरण और साधारणीकरण नहीं होता, तब तक कविता का मूल उद्देश्य सफल नहीं होता है।

9) कवि के मन-मस्तिष्क पर राजनीतिक चिंतन की गहरी छाप हो, तो वह अपनी कविता में राजनीतिक विचारों की पहल करता है। ऐसी पहल के माध्यम से कवि का राजनीतिक दृष्टिकोण अभिव्यक्त होता है; जो तत्कालीन समाज में राजनीतिक विचारधारा को पिरोने का कार्य करता है। ऐसे विचार ही समाज में राजनीतिक तख्त को पलट देते हैं, सत्ता को उथल-पुथल कर देते हैं।

10) कविता के सांस्कृतिक पक्ष में व्यक्ति का रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज, वेशभूषा, उत्सव, पर्व, त्योहार आदि की कथा-व्यथा को रेखांकित किया जाता है। कविता तत्कालीन देशकाल की संस्कृति की परिचायक होती है। कविता की संस्कृति में हर समाज की जीवन पद्धति, रीति-रिवाज, रहन-सहन, खान-पान, आचार-विचार, नए आविष्कार शामिल होते हैं, जिससे मनुष्य अमानवीय से मानवीय बन जाता है, असभ्य से सभ्य बन जाता है। यही सांस्कृतिक विचार कविता प्रचारित एवं प्रसारित करती रहती है।

11) आज की युवा पीढ़ी पुराने मूल्यों को त्याग कर नए जीवन मूल्यों का सर्जन कर रही है। इसी वजह से परिवार समाज से धीरे-धीरे कटता जा रहा है। अत: मानवीय मूल्यों को त्यागकर स्वार्थ, लोभ, ईर्ष्या, मोह, माया का वरण हो रहा है। वर्तमान कहानी में सामाजिक, नैतिक मापदंडों एवं मूल्यों के बदलते स्वरूप की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। इन्हीं मूल्यों को बचना सामाजिक कहानीकारों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। सामाजिक बंधनों और सामाजिक शिष्टाचार के नियमों का पालन कर सामाजिक कहानीकर इसी चुनौती का सामना कर रहे हैं।

12) आज कहानीकार सत्ताधारियों का दोगलापन, चुनावी षड्यंत्र, स्वार्थांधता, मनमानी, अन्याय, अत्याचार, अराजकता जैसी प्रवृत्तियों पर अपनी कहानी में प्रहार करने लगा है। रचनाकार इन सारी प्रवृत्तियों को अनुभूत कर आहत होता है, जिससे उनकी संवेदना जाग उठती है और मनमानी व्यवहार करने वाले इन सत्ताधारियों पर अंकुश रखने के लिए इन्हीं

कहानीकारों की कलम उठने लगी है। कई कहानीकारों ने सेवा के नाम पर मेवा खाने वाले राजनेताओं की भी भरसक पोल खोल दी है।

13) आज सांस्कृतिक विघटन के परिणामस्वरूप जगह-जगह नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है। नतीजतन आम जन अपमान, निराशा, हताशा, दोगली नीति, अवहेलना के शिकार हो रहे हैं। कहानीकार इन्हीं प्रवृत्तियों को अपनी अनुभूति के द्वारा अपनी कहानी में अभिव्यक्त कर रहा है।

14) यात्रा साहित्य में सामाजिक परिवेश का यथार्थ चित्रण पाठक को सोचने और विचार करने के लिए बाध्य कर देता है और सामाजिक परिवर्तन की हिमायत भी करता है।

15) यात्रा साहित्यकार अपनी यात्रा के दौरान विदेशी राजनीति और देशी राजनीति की तुलना करते हुए अच्छाई का समर्थन करता है और बुराई का विरोध करता है। देश की राजनीति यदि आम जन पर अन्याय कर रही है, तो यात्रा साहित्यकार उसके पक्ष में खड़ा होता है।

16) यात्रा साहित्य के सांस्कृतिक पक्ष में यात्रा साहित्यकार एक ओर मनुष्य के आचार-विचार, भावना, मूल्य, विश्वास, मान्यता, चेतना, प्रेरणा, भाषा, ज्ञान, कर्म, धर्म आदि अमूर्त तत्त्व को मूर्त रूप देता है, तो दूसरी ओर वहाँ खान-पान, वेशभूषा, रहन-सहन, मानव जीवन की पद्धति और भौतिक जन-जीवन की सभ्यता को भी अंकित करता है। दरअसल यात्रा वृत्तांत से सांस्कृतिक आदान-प्रदान होता है और उससे वैश्विक स्तर पर मानवीय संबंध और भी दृढ़ होते हैं।

2.5 पारिभाषिक शब्द और शब्दार्थ

1. **घुमक्कड** : बहुत अधिक घूमनेवाला, रमंता।
2. **वाङ्मय** : साहित्य।
3. **साधारणीकरण** : साधारण रूप में लाना, रस निष्पत्ति की तादाम्यपरक स्थिति।
4. **तादात्म** : तल्लीनता, एक जान होना।
5. **यात्रा वृत्तांत** : यात्रा का वृत्तांत।
6. **कहानी** : मनगढंत बात, कथा।
7. **काव्य** : कविता, कवि की रसात्मक रचना।
8. **परिहास** : जोर की हँसी, हँसी-मजाक।

2.6 स्वयं–अध्ययन के लिए प्रश्न

1. अंग्रेजी में साहित्य के लिए प्रचलित Literature शब्द ..... धातु से बना है।

   (अ) अक्षर (ब) शब्द (क) लेटर (ड) लिट्रआ

2. विलियम शेक्सपियर के अनुसार कवि ..... ही आखिरकार अज्ञात वस्तुओं और विचारों को आकार देती है।

   (अ) कल्पना (ब) भावना (क) बुद्धि (ड) प्रतिभा

3. कवि हृदय में ..... का प्रबल आवेग ही कविता निर्मिति का प्रधान कारण है।

   (अ) भावना (ब) कल्पना (क) प्रतिभा (ड) बुद्धि

4. कॉलरिज ..... को उत्तमोत्तम शब्दों का उत्तमोत्तम क्रमविधान मानते हैं।

   (अ) कविता (ब) कहानी (क) यात्रा वृत्तांत (ड) रेखाचित्र

5. पंडितराज जगन्नाथ रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले ..... को काव्य कहते हैं।

   (अ) शब्द (ब) वाक्य (क) पद (ड) ध्वनि

6. सिंगमंड फ्रायड ..... का संबंध मानव मन की कुंठाओं से जोड़ते हैं।

   (अ) काव्य (ब) कहानी (क) यात्रा वृत्तांत (ड) रेखाचित्र

7. आचार्य विश्वनाथ रसयुक्त ..... को काव्य मानते हैं।

   (अ) शब्द (ब) वाक्य (क) पद (ड) ध्वनि

8. ..... 'सबसे उत्तम कहानी वह होती है; जो किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो।

   (अ) मुंशी प्रेमचंद (ब) जैनेंद्र (क) अज्ञेय (ड) इलाचंद जोशी

9. ..... के अनुसार 'कहानी एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को लेकर लिखा हुआ नाटकीय आख्यान है।'

   (अ) श्यामसुंदर दास (ब) प्रेमचंद (क) प्रसाद (ड) पंत

10. ..... कहानी की प्रमुख विशेषता है।

    (अ) मनोवैज्ञानिकता (ब) वैज्ञानिकता (क) भावप्रवणता (ड) संप्रेषणीयता

11. चरित्र और कथानक में ..... होनी चाहिए।

(अ) स्वाभाविकता (ब) समन्वय (क) एकता (ड) क्रमबद्धता

12. कहानी में क्रमबद्धता के साथ ..... होनी चाहिए।

(अ) गतिशीलता (ब) प्रवाहमयता (क) श्रृंखलाबद्धता (ड) लय

13. महापंडित राहुल सांकृत्यायन यात्रा साहित्य पर ..... किताब लिखी।

(अ) घुमक्कड शास्त्र *(क) मेरी तीर्थ यात्रा*

(ब) वन यात्रा *(ड) मेरी कैलाश यात्रा*

14. महापंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ..... एक रस है।

(अ) घुमक्कडी (ब) शोक (क) श्रृंगार (ड) करुण

15. कठिन मार्गों को तय करने के बाद नए स्थानों पर पहुँचकर हृदय में ..... पैदा होता है।

(अ) भावोद्रेक (ब) विद्रोह (क) बवाल (ड) बवंडर

2.7 स्वयं–अध्ययन प्रश्नों के उत्तर।

1. *(क) लेटर*
2. *(अ) कल्पना*
3. *(अ) भावना*
4. *(अ) कविता*
5. *(अ) शब्द*
6. *(अ) काव्य*
7. *(ब) वाक्य*
8. *(अ) मुंशी प्रेमचंद*
9. *(अ) श्यामसुंदर दास*
10. *(अ) मनोवैज्ञानिकता*
11. *(अ) स्वाभाविकता*
12. *(अ) गतिशीलता*

13. *(अ) घुमक्कड शास्त्र*

14. *(अ) घुमक्कडी*

15. *(अ) भावोद्रेक*

2.8 स्वाध्याय

❑ दीर्घोत्तरी प्रश्न

1. कविता का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके महत्त्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिए।
2. कहानी का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके महत्त्व एवं उपयोगिता का विवेचन कीजिए।
3. यात्रा वृत्तांत का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके महत्त्व एवं उपयोगिता को अंकित कीजिए।
4. कविता के क्षेत्र पर प्रकाश डालिए।
5. कहानी के क्षेत्र का विवेचन कीजिए।
6. यात्रा वृत्तांत के क्षेत्र का परिचय दीजिए।

❑ टिप्पणियाँ

1. कविता का स्वरूप।
2. कहानी का स्वरूप।
3. यात्रा वृत्तांत का स्वरूप।
4. कविता : महत्त्व एवं उपयोगिता।
5. कहानी : महत्त्व एवं उपयोगिता।
6. यात्रा वृत्तांत : महत्त्व एवं उपयोगिता।
7. कविता का सामाजिक क्षेत्र।
8. कविता का राजनीतिक क्षेत्र।
9. कविता का सांस्कृतिक क्षेत्र।
10. कहानी का सामाजिक क्षेत्र।

11. कहानी का राजनीतिक क्षेत्र।
12. कहानी का सांस्कृतिक क्षेत्र।
13. यात्रा वृत्तांत का सामाजिक क्षेत्र।
14. यात्रा वृत्तांत का राजनीतिक क्षेत्र।
15. यात्रा वृत्तांत का सांस्कृतिक क्षेत्र।

2.9 क्षेत्रीय कार्य

1. किसी एक स्थान की यात्रा कर उसका वृत्तांत लिखिए।
2. जीवन की किसी एक अविस्मरणीय घटना पर कहानी लेखन कीजिए।
3. किसी एक विषय पर कविता लेखन कीजिए।

2.10 अतिरिक्त अध्ययन के लिए

1. *''साहित्यिक विधाएँ : पुनर्विचार''*, डॉ. हरिमोहन।
2. *''यात्रा साहित्य परिवेश एवं परिप्रेक्ष्य''*, डॉ. प्रकाश मोकाशी।
3. *''साहित्यिक विधाएँ : सैद्धांतिक पक्ष''*, डॉ. मधु धवन।
4. *''भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र''*, डॉ. कृष्णदेव शर्मा।
5. *''मिडिया लेखन : सिद्धांत और व्यवहार''*, डॉ. चंद्रप्रकाश मिश्र।

❑ ❑ ❑

इकाई–3

रिपोर्ताज तथा साक्षात्कार लेखन

रिपोर्ताज के क्षेत्र–वाणिज्य, विज्ञान तथा तकनीकी
साक्षात्कार के क्षेत्र– साहित्य तथा सामाजिक

अनुक्रम

3.1 उद्देश्य

3.2 प्रस्तावना

3.3 विषय–विवेचन

3.3.1 रिपोर्ताज लेखन

3.3.1.1 रिपोर्ताज लेखन – प्रस्तावना

3.3.1.2 रिपोर्ताज लेखन – स्वरूप

3.3.1.3 रिपोर्ताज लेखन – महत्त्व

3.3.1.4 रिपोर्ताज लेखन – उपयोगिता

3.3.1.5 रिपोर्ताज लेखन के क्षेत्र

3.3.1.6 वाणिज्य, विज्ञान तथा तकनीकी

3.3.2 साक्षात्कार लेखन

3.3.2.1 साक्षात्कार लेखन – प्रस्तावना

3.3.2.2 साक्षात्कारलेखन – स्वरूप

3.3.2.3 साक्षात्कारलेखन – महत्त्व

3.3.2.4 साक्षात्कार लेखन – उपयोगिता

3.3.2.5 साक्षात्कार लेखन के क्षेत्र

3.3.2.6 साहित्य तथा सामाजिक

3.4 स्वयं-अध्ययन के लिए प्रश्न

3.5 पारिभाषिक शब्द, शब्दार्थ

3.6 स्वयं-अध्ययन प्रश्नों के उत्तर

3.7 सारांश

3.8 स्वाध्याय

3.9 क्षेत्रीय कार्य

3.10 अतिरिक्त अध्ययन के लिए

3.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप -

- रिपोर्ताज का स्वरूप से परिचित होंगे।
- रिपोर्ताज का महत्त्व समझ पाएँगे।
- रिपोर्ताज की उपयोगिता से परिचित होंगे।
- रिपोर्ताज के क्षेत्रो से परिचित हो जाएँगे।
- साक्षात्कार का स्वरूप समझ पाएँगे।
- साक्षात्कार का महत्त्व समझ पाएँगे।
- साक्षात्कार की उपयोगिता से अवगत हो पाएँगे।
- साक्षात्कार के क्षेत्रों से परिचित हो जाएँगे।

3.2 प्रस्तावना

हिंदी गद्य साहित्य की नई विधाओं के रूप में रिपोर्ताज तथा साक्षात्कार विधा ने अपने लेखन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है। ये दोनों भी विधाएँ कम समय में ही साहित्य के अंतर्गत लेखन विशेष से अपना स्थान कायम कर चुकी है। नि:संदेह हिंदी गद्य साहित्य में युगीन माँग बनकर रिपोर्ताज तथा साक्षात्कार लेखन ने कम समय में ही अपना विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है।

3.3 विषय–विवेचन

इस इकाई के अंतर्गत आप रिपोर्ताज तथा साक्षात्कार लेखन का स्वरूप, महत्त्व तथा उपयोगिता से परिचित होंगे। साथ ही उनके निर्धारित क्षेत्रों से अवगत भी हो जाएँगे।

3.3.1 रिपोर्ताज लेखन

3.3.1.1 प्रस्तावना

रिपोर्ताज विधा पर सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन श्री. शिवदान सिंह चौहान ने मार्च 1941 में प्रस्तुत किया। सुप्रसिद्ध आलोचक श्री. चौहान स्वयं अच्छे रिपोर्ताज लिखते थे। आपकी दृष्टि में 'आधुनिक जीवन की इस द्रुतगामी वास्तविकता में हस्तक्षेप करने के लिए मनुष्य को नई साहित्यिक रूप विधा को जन्म देना पडा। रिपार्ताज उनमें से सबसे प्रभावशाली और महत्त्वपूर्ण रूपविधान है। रिपोर्ताज में घटना–प्रधानता पर बल दिया जाता है। लेखक की घटना के साथ जितनी गहरी अनुभूति होगी, रचना उतनी ही श्रेष्ठ होगी। अनुभूति के अभाव में वह सतही व छिछली होती जाएगी, जिसकी ओर समर्थ साहित्यकारों को सतर्क किया।'

3.3.1.2 स्वरूप

'रिपोर्ताज' मूलत: पत्रकारिता के क्षेत्र से साहित्य में विकसित आधुनिक गद्य विधा है। कहा जाता है कि इसका अविर्भाव प्रथम विश्व युद्ध के समय ही हो चुका था। जब चर्चिल जैसे व्यक्ति संवाददाता बनकर भीषण मार–काट, भयानक रक्त–पात की ताजा रिपोर्ट सीधे युद्ध भूमि से भेज रहे थे। डॉ. हरदयाल का कथन है कि, ''रिपार्ताज का जन्म द्वितीय विश्व–युद्ध के समय हुआ। जब साहित्यकारों ने युद्ध–भूमि के दृश्यों और घटनाओं की रिपोर्ट समाचार पत्रो में दी। इन रिपोर्ट में पेशेवर पत्रकारों की रिपोर्ट से स्वाभाविक भिन्नता आ गई थी। यह भिन्नता इनकी साहित्यिकता, कलात्मकता और उस उत्साह में थी, जो युद्ध–भूमि पर उपस्थित साहित्यकार सैनिकों के हृदय में विद्यमान थे। इस प्रकार अनायास ही रिपोर्ताज का जन्म हो गया।

रिपोर्ताज मूलत: फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेजी का रिर्पोटिंग शब्द हिंदी में रिपोर्ताज के रूप में प्रयुक्त होता है, परंतु रिपोर्ताज रिपोर्ट से भिन्न है। रिपोर्ट का आशय किसी घटना, खबर, आँखों देखे हाल का यथातथ्य वर्णन है, जिससे सारा विवरण दृश्यमान हो जाए। ठेठ हिंदी में इसे 'रपट लिखना' कहते हैं। जब किसी विषय का आँखों देखा वर्णन इतने कलात्मक, साहित्यिक और प्रभावशाली ढंग से किया जाता है कि उसकी अमीट छाप हृदय पटल पर अंकित हो जाती है, तब

उसे रिपोर्ताज की संज्ञा दी जाती है। रिपोर्ताज के रूप में किसी घटना का विवरण प्रस्तुत करते समय घटना के साथ परिवेश एवं पृष्ठभूमि को अधिक महत्व देकर उसे भावोत्तेजक रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

❑ परिभाषाएँ

डॉ. भगीरथ मिश्र ने रिपोर्ताज के स्वरूप के संबंध में लिखा है, ''किसी घटना या दृश्य का अत्यंत विवरणपूर्ण, सूक्ष्म, रोचक वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि वह हमारी आँखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाए और हम उससे प्रभावित हो उठे।'' डॉ. रामचंद्र तिवारी का कथन है कि ''जब सफल पत्रकार या साहित्यकार वास्तविक घटना को अपनी भावना में रंगकर बिंबधर्मी भाषा के माध्यम से सजीव बनाकर प्रस्तुत करता है, तब वह रिपोर्ताज की कला-सृष्टि करता है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार 'रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्ताज कहते हैं।'

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि यथार्थ की कलात्मक व्यंजना ही रिपोर्ताज है। रिपोर्ताज का संबंध वर्तमान से होता है। अत: ड्राईंग रूम में बैठकर घटना को कल्पना के सहारे प्रस्तुत करके रिपोर्ताज नहीं लिखा जा सकता। रिपोर्ताज में लेखक का घटना, स्थल पर उपस्थित रहना और आँखों देखी घटनाओं का वर्णन करना आवश्यक होता है। रिपोर्टरों ने अनुभव किया कि रिपोर्ट की कलात्मक प्रस्तुति अधिक ग्राह्य होती है। रिपोर्ताज के रूप में एक ऐसी स्वतंत्र विधा का विकास हुआ, जो संस्मरणात्मक होने पर भी सूचनात्मक नहीं होती और कथात्मक होने पर भी काल्पनिक नहीं होती।

3.3.1.3 महत्त्व

किसी भी घटना का मार्मिक वर्णन रिपोर्ताज का लक्ष्य होता है। युद्ध, अकाल तथा बाढ आदि मार्मिक घटनाएँ रिपोर्ताज के लिए सामग्री होती है। यह विधा दृष्टिसत्य को दूसरों के अनुभव तथ्य में परिणत करने में अग्रणी होती है। मनुष्य के प्रति सहज, सुलभ आकर्षण तथा पीडित मानवता के प्रति गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति रिपोर्ताज का प्रधान कार्य है। रिपोर्ताज में प्रभावपूर्ण चित्रों के रूप में छोटी-छोटी घटनाओं को प्रस्तुत किया जाता है। सफल रिपोर्ताज के द्वारा प्रस्तुत घटनाएँ पाठक के मानस पटल पर पूरा चित्र प्रस्तुत कर देती है। चित्रपट की तरह घटना आँखों के सामने तेजी से घूम जाती है। भावों और संवेदना की तरंगों से युक्त घटना चित्रात्मकता के कारण सजीव बन जाती है। इस दृष्टि से रिपोर्ताज का महत्व माना जाता है।

3.3.1.4 उपयोगिता

रिपोर्ताज एक नई विधा के रूप में आज विद्यमान है। मीडिया के लिए इस विधा में बहुत सारी संभावनाएँ हैं। इसका कथा तत्त्व श्रोताओं को बाँधता है और नाटकीयता, रोचकता, उत्सुकता पैदा करता है। तथ्यपरकता इसे वर्तमान से जोडकर इतिहास का दस्तावेजी उद्घोषक बना देती है। इसमें कल्पना प्रसूत अभिव्यंजना होती है। परंतु तथ्यों पर आधारित होने के कारण यह प्रामाणिक रिपोर्ट भी है। इसका रिपोर्ट होना ही इसे अन्य विधाओं से अलग करता है। वैसे देखा जाए तो रिपोर्ताज लेखक की अपनी प्रविधि तथा विशेष तकनीक होती है। रिपोर्ताज लेखक की प्रविधि के बारे में डॉ. रामगोपाल सिंह चौहान लिखते हैं- रिपोर्ताज में यथातथ्यता की रक्षा करनी चाहिए। कारण रिपोर्ताज नितांत सत्य घटना को ही अपना वर्ण्य विषय बनाकर चलता है। लेखक अपनी भावनाओं के अनुरूप उस घटना में केवल रंग भर देता है। रिपोर्ताज में जो गुण या उसकी जो विशेषताएँ होती हैं उन पर विचार करते हुए डॉ. वीरपाल वर्मा लिखते हैं- साहित्य की वह प्राणवत्ता जो पाठक को निरंतर एक स्फूर्ति देती रहती है, वह जीवंतता कहलाती है। रिपोर्ताज जड एवं शुष्क घटना को अपनी साहित्यिक कला से चेतन एवं सरस बनाकर प्रस्तुत करता है। यही रिपोर्ताज की सजीवता, जीवंतता होती है। इस गुण या विशेषता के कारण ही रिपोर्ताज निष्प्राण नहीं लगता। रिपोर्ताज का सहज और सरल होना एक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। एक अच्छे रिपोर्ताज में फोटोग्राफी के साथ सब गुण होते हैं, यानी शब्दों के जरिए फोटोग्राफी, शब्द चित्र मात्र नहीं। शब्द चित्र में कूची की कला होती है। वहाँ मौलिकता तथ्य को नया रूप देती है। फोटोग्राफी में कैमरा बोलता है। तथ्य जो का त्यों रहता है, किंतु जिस कोन में धूपछांह की अभिव्यक्ति होती है, उससे लोग मुग्ध हो जाते हैं।

3.3.1.5 रिपोर्ताज लेखन के क्षेत्र

हिंदी गद्य साहित्य में रिपोर्ताज लेखन एक नई विधा के रूप में विद्यमान है। मिडिया की दृष्टि से इस विधा के अंतर्गत बहुत कुछ संभावनाएँ हैं। इसके कई क्षेत्र दृष्टिगत होते हैं, जिसका विवेचन करना प्रासंगिक लगता है।

3.3.1.6 वाणिज्य, विज्ञान तथा तकनीकी

इस विधा का विकास युरोप के युद्ध क्षेत्रों से हुआ। सन् 1936 के लगभग द्वितीय महायुद्ध के पूर्व इस विधा का जन्म विधिवत हुआ और यह विधा युद्ध भूमि में ही विकसित हुई। महायुद्ध की विभीषिकाएँ भी नवीन कला रूपों तथा साहित्यिक विधाओं को जन्म देती है। इलिया एहरन बुर्ग

के रूप में लिखे रिपोर्ताजों के साथ-साथ अमरिका, फ्रांस तथा इंग्लैंड में भी कई रिपोर्ताज लेखक हुए। इलिया के रिपोर्ताजों से मालूम होता है कि वह लाल फौज के साथ आगे बढ़ रहा है। डिकिन्स की पहली पुस्तक 'बॉज के स्केच' में लंदन की शाम और सुबह के अच्छे रेखाचित्रों में इस विधा के तत्त्व है। ग्रोसमन लेवस्का, शोलोखोव आदि प्रमुख लेखकों के उपन्यासों में भी इस विधा के बीज प्राप्त होते हैं। रूस की समाजवादी क्रांति का रिपोर्ताज 'टेन डेज दैट शुक द वर्ल्ड' में प्रस्तुत किया गया है। यह विधा रूसी साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय हुई। अनेक सोविएत लेखकों ने साहित्य को अपने प्राणों से भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण समझा और दूसरे सिपाहियों की तरह वे अपने मोर्चे पर डटे रहे। कई लेखकों की जानें भी गई, परंतु इन लोगों ने रिपोर्ताज लिखे हैं। उनमें महायुद्ध का सजीव साहित्य और इतिहास दोनों हैं।

किसी भी घटना का इतिहास और उसका परिवेश तो लेखक के समक्ष ही है, पर रिपोर्ताज का रूप विधान ही उनको कला के रूप में प्रस्तुत करता है। रिपोर्ताज में घटना चित्रपट की तरह आँखों के सामने तेजी के साथ घूम जाती है। परिवेश की संपूर्ण चित्रात्मकता के साथ भावों और संवेदनाओं की तरंगों से युक्त घटना सजीव बन जाती है। अत: रेखाचित्र और रिपोर्ताज में भी पर्याप्त अंतर है।

रेडियो माध्यम समय सीमा में बंधा होता है। अत: रेडियो रिपोर्ताज लंबे या प्रदीर्घ नहीं होते हैं। उसका विस्तार सीमित अवधि में निवेदनपूर्ण हो सके इतना ही होता है। रिपोर्ताज का प्रसारण घटना स्थल से प्रत्यक्षदर्शी संवाददाता द्वारा रिपोर्ताज प्रस्तुत किये जाने की सूचना से प्रारंभ होता है। जोखिमभरे स्थलों से आँखों देखा हाल. घटनाओं का वर्णन करना बड़ा कठिन होता है। साथ ही वस्तुगत तथ्यों को प्रभावोत्पादक ढंग से प्रस्तुत करते समय उसमें कलात्मकता, संक्षिप्तता एवं रोचकता का होना अनिवार्य होता है। घटनाग्रस्त एवं घटना से जुडे लोगों से प्रत्यक्ष संवाद द्वारा तथ्यों को जुटाया जाना चाहिए।

रेडियो रिपोर्ताज का एक सामूहिक प्रभाव होता है। असंख्य श्रोता एक साथ प्रभावित होते हैं। अत: रिपोर्ताज लेखन में यथातथ्य प्रस्तुति, जीवंतता और नाटकीयता इन तीन तत्त्वों का ईमानदारी के साथ निर्वाह आवश्यक होता है।

रिपोर्ताज नितांत सत्य घटना को अपना वर्ण्य-विषय बनाकार चलता है। लेखक अपनी संवेदनाओं के अनुरूप उस घटना में रंग भरने का कार्य करता है। रिपोर्ताज लेखक को संतुलन और निष्पक्षता पर विशेष ध्यान देना पडता है। पढने में जीवंतता का अनुभव करानेवाले रिपोर्ताज अधिक सफल हाते हैं। रिपोर्ताजकार को जड एवं शुष्क घटना को अपनी साहित्यिक कला से चेतन एवं सरस

बनाकर प्रस्तुत करना पडता है, जिससे उसमें सजीवता आती है। रिपोर्ताज लेखन में नाटकीयता का समावेश भी अपेक्षित होता है। घटना से संबंधित पात्रों की मुख-मुद्रा, दृश्यों का चित्रण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि घटना श्रोता के सामने मूर्तिमान हो। इसलिए ध्वनि प्रभावों के माध्यम से नाटकीयता का समावेश किया जाना चाहिए।

3.3.2 साक्षात्कार लेखन

3.3.2.1 प्रस्तावना

हिंदी गद्य साहित्य की नई विधाओं में जिस विधा ने कम समय मे विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है, वह साक्षात्कार विधा है। इस विधा के माध्यम से साहित्यकार, राजनीतिज्ञ, समाजसुधारक, कलाकार आदि के अंतरंग विचार सहज ही प्रकट हो जाते है। साक्षात्कार विधा में जिससे साक्षात्कार किया जा रहा है वह तो जनसामान्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ही पर साक्षात्कार लेनेवाला भेंटकर्ता भी कम महत्वपूर्ण नहीं होता। क्योंकि इस विधा के लिए अधिकांश आलोचकोने इंटरव्यू शब्द का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य शब्द यत्र-तत्र प्रयोग में लाये जाते है, जिनमें से भेंट, भेंटवार्ता, चर्चा, बातचीत, मुलाकात, अंतरंग वार्ता आदि मुख्य है। सुप्रसिद्ध पत्रकार, साहित्यकार मनोहर श्याम जोशी ने बातों-बातों में पदबंद चलाया। इसी शीर्षक से उनके द्वारा लिए गए साक्षात्कारों का संकलन भी सन् 1983 में प्रकाशित हुआ। यह पदबंध दूरदर्शन में भी अपना लिया। जिसके अंतर्गत बिपिन हांडा द्वारा लिए गए साक्षात्कार काफी लोकप्रिय हुए।

3.3.2.2 स्वरूप

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह हमेशा अपने बारे में बताने तथा दूसरों के विषय में जानने की कोशिश करता है। यही उत्सुकता उसका स्वाभाविक गुण है। शायद इसी कारण भाषा का जन्म हुआ। साधारणत: देखा गया है कि किसी के बारे में जानने की जिज्ञासा का समाधान संवादात्मक शैली में होता है। वह शैली अधिकतर प्रश्नाश्रित होती है। जैसे कि 'आप कहाँ जा रहे हैं?', 'संभवत: आप कलकत्ता जायेंगे?', 'आपका नाम क्या है?', 'क्या आप ही अधिकारी महोदय है?', ''मुझे शिवप्रसाद से मिलना था?'' आदि। ज्यादातर देखा गया है कि सीधे वाक्य भी उच्चारण विधि से प्रश्नवाचक बन जाते हैं। आधुनिक युग सूचना-विस्फोट का युग है। रोज नई-नई जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, व्यक्तित्त्व उभरते हैं। इन खोजपूर्ण जानकारियों को जनता के समक्ष प्रस्तुत करने, उनसे संबंधित व्यक्तियों को जनता से परिचित कराने और उनकी कार्यशैली की जानकारीं देते हुए सम्प्रति साक्षात्कार (इंटरव्यू) विधि का प्रयोग आज खूब लोकप्रिय रहा है। 'साक्षात्कार' शब्द अंग्रेजी

'इंटरव्यू' शब्दार्थ के रूप में प्रयुक्त है। हिंदी में 'साक्षात्कार' शब्द का अभिप्राय होता है- साक्षात् कराना अथवा करना अर्थात् वह प्रक्रिया जो साक्षात करा दे। अब सवाल उठता है कि किसको और क्यों? साक्षात्कार अंग्रेजी शब्दार्थ इंटरव्यू से अधिक संवेदनशील शब्द है। उसके आधार पर.साक्षात्कार से अभिप्राय है- किसी के अंत के अंतस का अवलोकन करना अर्थात् जो बाहरी रूप में दिखाई नहीं देता हो और जिस प्रक्रिया द्वारा वह अदृश्य मूर्तिमान हो जाये, उसी को इंटरव्यू या साक्षात्कार कहते हैं। किसी भी मनुष्य को पहचानने, किसी कृतित्व को उभारने या किसी व्यक्ति अथवा कृति/ कार्य के अंतस को टटोलने हेतु प्रयुक्त प्राश्निक विधि को 'साक्षात्कार' अथवा 'इंटरव्यू' कहा जा सकता है।

आज के संदर्भो में साक्षात्कार के दो फलक दिखाई देते हैं- एक माध्यमोपयोगी, दूसरा प्रतियोगात्मक। हमारा अभिष्ट माध्यमोपयोगी साक्षात्कार है, परंतु सम्प्रति सामान्य जनजीवन में जीविकोपार्जन और शिक्षा के क्षेत्र में प्रतियोगितापरक लिखित परीक्षा के बाद अभ्यर्थी के व्यक्तित्व योग्यता, उपयोगिता, विश्वास, जीवनशैली, हाजिर जवाबी इत्यादी को जाँचने हेतु आयोजित साक्षात्कार प्रणाली अधिक विख्यात है। इसलिए इस पर बात कर लेना निरर्थक नहीं, बल्कि आवश्यक प्रतीत होता है।

❑ परिभाषाएँ

साक्षात्कार को प्रेस इंटरव्यू कहा जाता है। इसके लिए हिंदी में भेंटवार्ता, भेंट, बातचीत, मुलाकात, साहित्य भेंट, साहित्यिक वार्तालाप, साक्षात् वार्ता, समक्ष भेंट, साक्षात् वार्तालाप जैसे पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

साक्षात्कार पत्रकारिता जगत् की एक अद्भूत नूतन शैली है। जिसके अंतर्गत लेखक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साक्षात्कार की कई परिभाषाएँ इस प्रकार हैं-

1. **मानक हिंदी कोश :** इसमें साक्षात्कार के बारे में कहा गया है कि, ''विचार-विनिमय के उद्देश्य से प्रत्यक्ष दर्शन या मिलन, समाचार-पत्र के संवाददाता और किसी ऐसे व्यक्ति की भेंट या मुलाकात जिसमें वह वक्तव्य प्रकाशित करने के लिए मिलता है। इसमें प्रत्यक्षालाप, अभिमुख-संवाद किसी से उसके वक्तव्यों को प्रकाशित करने के विचार से मिलने का समावेश होता है।''
2. **ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरी :** ''किसी विषय-विशेष, विचार-विशेष, दृष्टि-विशेष,

मत-विशेष को लेकर औपचारिक विचार-विनिमय के लिए प्रत्यक्ष भेंट करने, परस्पर मिलकर विचार-विमर्श करने, समाचार-पत्र द्वारा प्रकाशन हेतु वक्तव्य लेने के लिए भेंट-कर्ता 'इंटरव्यू' या 'साक्षात्कार' है।''

3. **डॉ. रघुवीर :** इंटरव्यू से तात्पर्य है- समक्षकार, समक्ष भेंट अर्थात् साक्षात्कार। वह साक्षात् वार्तालाप होता है।

4. **ए डिक्शनरी ऑफ अमेरिकन इंग्लिश :** किसी व्यक्ति से समाचार-पत्र में प्रकाशन हेतु वार्ता द्वारा जानकारी एकत्र करना साक्षात्कार है।

5. **अमेरिकन सोशियों लैजिकल रिव्यू :** जिन प्रश्नों के द्वारा व्यक्ति की आंतरिक गहराई नापने का प्रयत्न किया जाता है, उन प्रश्नों के उत्तर इंटरव्यू द्वारा ठीक प्राप्त हो सकते हैं।

6. **वेब्स्टर्न थर्ड न्यू इंटरनैशनल डिक्शनरी :** साक्षात्कार विमर्श हेतु औपचारिक भेंट, निजी भेंट किसी लेखक, संवाददाता, रेडियो तथा दूरदर्शन के समीक्षक द्वारा प्रकाशन अथवा प्रसारण के उद्देश्य से किसी व्यक्ति से मिलकर सामग्री संकलित करना है।

सामान्यत: साक्षात्कार के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया के निम्न चरण होते हैं-

1. **व्यक्ति का चयन :** किस व्यक्ति का साक्षात्कार लेना है यह निश्चित करना चाहिए। व्यक्ति का चयन लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार, प्रमुख नेतागण, समाज के विशिष्ट व्यक्ति, कलाकार आदि मान्यवरों में से किया जाता है; कयोंकि ऐसे व्यक्तियों के विषय में जानने के लिए सामान्य लोग उत्सुक रहते हैं। आजकल साधारण और निम्न समझे जाने वाले उपेक्षित लोगों के भी साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। यह प्रगतिशीलता बदलते युग और विचारों का द्योतक है।

2. **विषय का चयन :** किस विषय पर साक्षात्कार लेना है यह निश्चित किया जाता है। कवि से कविता पर, कलाकार से कला पर, नेता से राजनीति पर साक्षात्कार लिया जाता है। विषय से संबंधित अन्य बातें भी पूछने का दृष्टिकोण रहता है। कभी-कभी पात्र के जीवन, कृतित्व, प्रेरणा, रुचियों, प्रभाव, दिनचर्या, विचार आदि अनेक क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करने का लक्ष्य रहता है।

3. **योजना का निर्माण :** व्यक्ति और विषय का चुनाव हो जाने के पश्चात साक्षात्कार

लेनेवाला अपनी एक योजना बना लेता है। इसमें जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लेना है, उससे समय लेता है, साक्षात्कार का स्थान तय करता है। साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्नों और अन्य बातों की लिखित सूची बनाता है। इसके साथ अपने मानस में इसकी एक रूपरेखा रखता है। अनेक इंटरव्यूकार बिना कसी लिखित योजना के ही सफलतापूर्वक साक्षात्कार ले लेते हैं, परंतु दिमाग मे एक रूपरेखा तो रहती है; क्योंकि बिना किसी रूपरेखा के इंटरव्यूकार अपेक्षित बातें नहीं निकल सकता है। वह ऊपर ही ऊपर तैर कर वापस आ सकता है। वह गहराई में गोते नहीं लगा सकता है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इंटरव्यूकार एक निश्चित प्रश्नावली बनाए और सिर्फ उसी के अनुसार ही पूरी तरह से चलता रहे यह आवश्यक नहीं है। कई व्यक्तियों के लिए एक-सी प्रश्नावली भी काम नहीं आ सकती। वह वार्तालाप स्थिति के अनुसार बातें निकलवा सकता है।

4. **भेंट वार्ता :** साक्षात्कार को मूर्त रूप देने के लिए इंटरव्यू-पात्र से प्रत्यक्ष भेंट की जाती है। पत्र, फोन अथवा कल्पना द्‌वारा भी संपर्क स्थापित किया जाता है। भेंट के दौरान इंटरव्यू-पात्र के विचारों को निकलवाते, प्रस्तावित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। निर्धारित योजना के अनुसार साक्षात्कार चलता रहता है। बदलती हुई परिस्थिति और इंटरव्यू-पात्र की मन:स्थिति के अनुरूप इंटरव्यूकार वार्ता को मोड देता है। यदि कभी थोडा बहुत व्यवधान भी पडता है, तो वह स्थिति को कुशलतापूर्वक संभाल लेता है और साक्षात्कार को सफल बनाता है।

5. **बिंदु अंकन :** साक्षात्कार लेने के बाद इंटरव्यूकार मुख्य-मुख्य बातों को बिंदु-रूप में लिखता जाता है। बिंदु अंकन में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी महत्त्वपूर्ण बात लिखने से छूट न जाए। तिथियाँ, व्यक्ति, संस्था, स्थान, घटनाओं, उद्‌धरण, सिद्‌धांत, वाक्य आदि का अंकन करना आवश्यक होता है। द्रुत-लेखन का अभ्यास इंटरव्यू के लिए लाभदायक रहता है। वह संकेतों से ही बिंदुओं का तत्काल अंकन करके वार्ताप्रवाह का भंग नहीं होने देता। इसके अतिरिक्त इंटरव्यू-पात्र के व्यक्तित्व, हाव-भाव-वातावरण, अपनी प्रक्रिया आदि का भी अंकन वह बिंदु-रूप में करता जाता है। अथवा स्मृति के आधार पर बाद में लिख लेता है।

6. **प्रस्तुतिकरण :** बिंदु-अंकन और वार्ता की स्मृति की सहायता से इंटरव्यूकार पूरा इंटरव्यू लिखता है। इंटरव्यू-पात्र के कथनों को यथासंभव उसी की भाषा में लिखने का प्रयास वह करता है। साक्षात्कार के विकास में वह अपनी शैली का भी समावेश करता है। साक्षात्कार का मसौदा तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसका

प्रवाह बना रहे तथा कोई भी महत्त्वपूर्ण पक्ष छूटने न पाए। यथास्थान इंटरव्यू-पात्र के व्यक्तित्व का बाहय-अंकन, हाव-भाव, वहाँ का वातावरण, अपनी प्रतिक्रियाओं तथा टिप्पणियों का समावेश करता है; क्योंकि साक्षात्कार के सफल प्रस्तुतिकरण पर ही उसकी सफलता निर्भर करती है। इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह होती है कि प्राप्त उत्तरों को व्यवस्थित रूप में सजाना। उनको इस प्रकार सजाना चाहिए कि साक्षात्कार एक श्रृंखला बन जाए।

3.3.2.3 महत्त्व

साक्षात्कार की तैयारी करने से पहले उम्मीदवार को यह तथ्य भली-भाँति समझ लेना चाहिए कि वह जिस व्यवसाय, पद या प्रतियोगिता के लिए साक्षात्कार दे रहा है; क्योंकि व्यवसाय और पदानुरूप साक्षात्कार प्रविधि परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार में प्रश्न तो ज्यादा विचारात्मक होते हैं। इसलिए उम्मीदवार को विश्लेषणात्मक उत्तर देने के लिए अपने ऐच्छिक विषय राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा सामाजिक गतिविधियों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके विपरित लिपिकीय या अन्य सामान्य परीक्षाओं में तथ्यपरक प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। इसकी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो सामान्य रूप से हर साक्षात्कारदाता के लिए अनिवार्य है और साक्षात्कारदाता को इनकी जानकारी होना जरूरी है। ऐसी कुछ बातें इस प्रकार हैं-

1. आज्ञा प्राप्त होने पर कुर्सी पर बैठना चाहिए। झुक कर बैठना सुसंगत नहीं लगता। बार-बार पहलू बदलना भी ठीक नहीं। पैरों को फँसाकर नहीं बैठना चाहिए।

2. प्रश्नों की असलियत को समझने के उपरांत ही उत्तर अत्यंत शांत भाव से सुविचारित विषयानुकूल एवं स्पष्ट उच्चारण के साथ देना चाहिए।

3. प्रश्न का उत्तर देते समय प्रश्न के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाते समय आत्मविश्वास होना चाहिए, जहाँ तक संभव हो 'शायद' या 'हो सकता है' जैसे संदेहास्पद वाक्यों जैसे प्रयोग से बचना चाहिए।

4. अगर आपका चयन नहीं हुआ है जैसे नकारात्मक शैली के प्रश्न से घबराना नहीं चाहिए। इस तरह के प्रश्न उम्मीदवार के धैर्य की परीक्षा होते हैं।

5. सिर खुजाना, पेन खोलना-बंद करना, मेज थपथपाना, हिलाना, बिना आवश्यकता के हाथ-पैर हिलाना, चेहरे की भाव-भंगिमाएँ बदलना आदि अपने कमजोर आत्मविश्वास की सूचना देते हैं।

6. साक्षात्कार के अंत में मुस्कुराते हुए साक्षात्कारकर्ता को धन्यवाद देकर यदि हाथ बढाए, तो हाथ मिलाकर बिना पीछे मूडकर देखे कमरे से बाहर जाना चाहिए।

7. उम्मीदवार को अपने संबंध में पूरी जानकारी होनी चाहिए अर्थात् जन्म, निवास, शैक्षिक योग्यता, विशेष उपलब्धियाँ, अभिरूचियाँ और संबंधित साक्षात्कार का स्वरूप अर्थात् व्यवसाय और पद की गरिमा एवं कार्य।

8. साक्षात्कार से जुडे व्यवसाय, उसके कार्य-क्षेत्र, उसके उत्पादन, उसके कार्य-बाजार, सामाजिक स्थिति आदि का पूर्वाभास और ज्ञान।

9. वेशभूषा स्वच्छ और सुरुचिपूर्ण हो।

10. प्रमुख राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं तथा वर्तमान समस्याओं की जानकारी और अपने स्पष्ट विचार।

11. साक्षात्कार लेने वालों के प्रति अभिवादन करना।

12. साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करते समय शरीर सीधा रखते हुए मुस्कुराते हुए प्रवेश करना चाहिए।

3.3.2.4 उपयोगिता

महत्त्वपूर्ण अवसरों पर साक्षात्कार की उपयोगिता दिखाई पडती है। जैसे कि साहित्यकार, राजनेता, कलाकार, खिलाडी आदि के जन्मदिन, षष्ठीपूर्ति, पुण्यतिथि या उपलब्धियो में वृद्धि के कारण संबंधित व्यक्ति या उन व्यक्तियों के संबंधियों, आलोचकों, मित्रों आदि से साक्षात्कार उपयुक्त होता है। जैसे कि दो अक्तूबर के लिए महात्मा गांधी की जन्मतिथि पर उनको श्रद्धांजली देने के उद्देश्य से और नई पीढी को उनके व्यक्तित्व से परिचित कराने हेतु गांधी जी के वंशजों, सहयोगियों आदि का साक्षात्कार प्रासंगिक होगा। तुलसी के जन्मशति पर किसी प्रख्यात तुलसी समालोचक से साक्षात्कार प्रासंगिक दिखाई पडता है या सचिन तेंदूलकर के कम उम्र के कप्तान बन जाने पर टीम पर पडनेवाले प्रभाव आदि के संबंध में गावसकर, कपिलदेव आदि सिनियर एवं विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया और विचार जानना उचित होगा।

वास्तव में साक्षात्कार लेना भी एक कला है। इसमें बडे कौशल की आवश्यकता होती है। यह कार्य बडा व्यय-साध्य और कष्टप्रद है। इंटरव्यू-पात्र के पास जाना, उससे उसके जीवन और कार्य के आंतरिक रहस्य का ज्ञान प्राप्त करना, उसे लिखना, लिखकर फिर इंटरव्यू-पात्र के पास जाँचने के लिए भेजना और तब प्रकाशित कराना इस प्रकार एक साक्षात्कार में दो या तीन महिने

भी लगते हैं। किसी-किसी में तो छ: छ: महीने लग जाते हैं। कभी-कभी साक्षात्कार देनेवाला किसी प्रश्न के उत्तर के लिए अपनी कोई वस्तु सुझा देता है, तो उसे पढ़कर उस प्रश्न से संबंधित जानकारी देनी पडती है। इसमें और भी कठिनाई हो जाती है। संक्षेप में, साक्षात्कार का कार्य ही श्रद्धा का है। जिसमें अपनी व्यक्तिगत विचारधारा का आग्रह हो या जो अपनी विशिष्ट मान्यताओं के कारण दूसरों के विचारों के प्रति उदारता प्रदर्शित न कर सकेगा, तो वह साक्षात्कार का कार्य ही नहीं कर सकता है। क्योंकि श्रद्धावान ही किसी के जीवन के रहस्यों का सफलतापूर्वक उद्घाटन कर सकता है।

3.3.2.5 साक्षात्कार लेखन के क्षेत्र

वर्तमान युग में हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत साक्षात्कार लेखन एक महत्त्वपूर्ण नई विधा के रूप में आज उभर आयी है। इस विधा ने साहित्य के क्षेत्र में काफी कम समय मे अपने स्थान विशेष के रूप में दस्तक दी है। इनके कई क्षेत्र दिखाई देते हैं, जिस पर विवेचन करना आवश्यक तथा प्रासंगिक लगता है।

3.3.2.6 साक्षात्कार के क्षेत्र : साहित्य तथा सामाजिक

हिंदी भाषा साहित्य में साक्षात्कार को विधा के रूप में स्थापित करने में पत्र-पत्रिकाओं की बडी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है, यद्यपि कई एक साक्षात्कार पुस्तकाकार रूप में भी उपलब्ध है। साक्षात्कार संबंधी अधिकांश पुस्तके साक्षात्कारों का संकलन है। इसमे कुछ अलग-अलग व्यक्तियों के अलग-अलग लोगों द्वारा लिए गये साक्षात्कारों पर आधारित संकलन है। कतिपय संकलन में एक व्यक्ति द्वारा अलग-अलग लोगों के साक्षात्कार प्रस्तुत किए गये है। कुछ एक पुस्तके एक व्यक्ति द्वारा एक ही व्यक्ति के साक्षात्कार की बृहत प्रस्तुति के रूप में भी मिलती है।

साक्षात्कार की भूमिका प्रस्तुत करते समय साहित्यिक विधा के रूप में साक्षात्कार के अंतर्सम्बन्धों का विवेचन, विश्लेषण भी आवश्यक है। आधुनिक हिंदी साहित्य मे नाटक, उपन्यास, कहानी निबंध जैसी व्यापक थरातल पर प्रतिष्ठित विधाओं के साथ-साथ संस्मरण, रेखाचित्र जीवनी और आत्मकथा साक्षात्कार, फीचर, रिपोर्ताज और कोलाज आदि अन्य विधाओं का भी समय-समय पर प्रवेश हुआ। इसमें संस्मरण रेखाचित्र जीवनी और आत्मकथा ने अपनी विशिष्ट स्थिति बना ली। जबकि फीचर, रिपोर्ताज कोलाज की पैठ बहुत प्रभावशाली ढंग से नही बन पायी। इन विधाओं की महत्ता समाचार और सूचना के संदर्भ में ही अधिक प्रभावशाली प्रतीत होती है। साक्षात्कार की स्थिती दोनों वर्ग की विधाओं से भिन्न है। अपने जन्मकाल से वर्तमान तक संख्या की दृष्टि से इसकी स्थिति

दूसरे वर्ग की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है, और क्षेत्र विस्तार भी तीव्र है। बडे प्रकाशन समूह इस पर यथेष्ट ध्यान दे रहे है। और इधर काफी संकलन आ रहे है। छोटी, बडी सभी साहित्यिक पत्रिकाओं में लगभग नियमित रूप से साक्षात्कार प्रकाशित किये जाते है। गौरतलब यह भी है कि सूचना ..... की दृष्ठि से सक्रिय न केवल प्रिंट माध्यम बल्कि इलेक्ट्रॉनिक ..... के भी साक्षात्कार का एक प्रमुख औजार के रूप में अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए साक्षात्कार को लेकर असमंजस की स्थिती बनी हुई है। प्रश्न अभी कदाचित अनुसरित ही है कि साक्षात्कार की भूमिका को किस रूप में देखा जाय? साहित्य की स्वतंत्र विधा के रूप में सूचना देने के लिए संचार की विशिष्ट संरचना के तौर पर?

वस्तुत: इस संदर्भ में सर्वप्रथम साहित्य और समाचार के अंतर को देखना होगा। यद्यपि विज्ञान विषय की भाँति मानविकी से संबंधित विषय को परिभाषित करना और सीमाबद्ध रूपमे व्याख्याधित करना मुश्किल काम है, दरअसल यही तो इसका महत्त्वपूर्ण गुण है फिर भी समाचार के समानांतर रखकर खींच-तानकर कहा जा सकता है साहित्य का संबंध समझ से होता है। समाचार का तत्कालिक। जब तक समाचार केवल प्रिंट मीडिया का प्रस्तुतिकरण था तब तक स्वामित्व की दृष्टि से उसकी स्थिति फिर भी बेहतर थी। परंतु इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ने इसे उत्तेजना और सनसनी फैलाने के कारक के रूप में तब्दील कर दिया है। यह सच्चाई सर्व विदित है।

आवश्यकता है साक्षात्कार की प्रासंगिकता को जानने की समझने की इसमे प्रमुख तथ्य है- समाज प्रतिनिधित्व यानी व्यक्ति नहीं, समूह अभिरूचि जरूरी है यानी जब कोई व्यक्ति सामान्य जीवन से हटकर कोई ऐसा समाजकार्य करता है जिसके पीछे समाजहित है या उसकी संभावना है तो वह समाज में चर्चित हो जाता है। वह व्यक्ति मीडिया हेतु खास बन जाता है और इस खास को जानना और पहचानता मीडिया का कर्तव्य बन जाता है।

सर्वस्व विदेश से आकर अपना जीवन गरीबों, कोटियों, बीमारों हेतु समर्पित कर देनेवाली मदर टेरेसा 'नोबल पुरस्कार' या 'भारत रत्न' पावर विशेष बन जाती है मतलब यह है कि समाज के बीच लोकप्रिय होना, समाज की रूचि व्यक्ति खास में होता, उसे मीडिया हेतु लोकप्रिय होना, जनता ही रुचि व्यक्ति विशेष में होता, उसे मीडिया हेतु विशेष बना देता है। कहने का आशय यह है कि साक्षात्कार उसका लिया जाये जो विशेष हो।

3.4 स्वयं-अध्ययन के लिए प्रश्न

1. ..... पत्रकारिता जगत् की एक अद्भूत नूतन शैली है।

(क) साक्षात्कार (ख) रिपोर्ताज (ग) प्रत्यक्षालाप (घ) साहित्य

2. माध्यमों द्वारा किसी ..... व्यक्ति का विशेष मौके पर परिचय जानने हेतु साक्षात्कार आयोजित किया जाता है।

(क) सामान्य (ख) असामान्य (ग) लोकप्रिय (घ) गरीब

3. अखबार, पत्रिकाओं के साक्षात्कार हेतु भी ..... का उपयोग किया जाता है।

(क) टेपरिकार्डर (ख) समाचार (ग) समाचार पत्र (घ) दूरदर्शन

4. रेडियों और प्रिंटमीडिया हेतु होने वाली बातचीत ..... लोगों के मध्य होती है।

(क) दो (ख) तीन (ग) चार (घ) पाँच

5. दूरदर्शन के साक्षात्कार का ..... दूवा भी होता है कैमरामैन।

(क) प्रथम (ख) द्वितीय (ग) तृतीय (घ) चतुर्थ

6. साक्षात्कार के लिए ..... शैली का उपयोग होता है।

(क) प्रश्नोत्तर (ख) डायरी (ग) वर्णनात्मक (घ) काव्यात्मक

7. मालूम हो कि साक्षात्कार ..... विधा है।

(क) द्विपक्षीय (ख) त्रिपक्षीय (ग) प्रथमपक्षीय (घ) चतुर्थपक्षीय

8. परिस्थिति तथा व्यक्ति के अनुसार ..... का चयन किया जाता है।

(क) साक्षात्कारकर्ता (ग) रेडियो
(ख) साक्षात्कारदाता (घ) दूरदर्शन

9. साक्षात्कार लेने के लिए काल विशेष के आधार पर विषय से ..... को लिख लेना चाहिए।

(क) प्रश्नों (ख) उत्तरों (ग) विचार (घ) समाचार

10. प्रश्नावली तैयार करते समय ..... को सजग रहना अति जरूरी है।

(क) साक्षात्कारकर्ता (ग) दर्शक
(ख) साक्षात्कारदाता (घ) श्रोता

11. रिपोर्ताज विधा पर सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन ..... ने किया।

(क) शिवदानसिंह चौहान (ग) रांगेय राघव
(ख) भगीरथ मिश्र (घ) अज्ञेय

12. रिपोर्ताज विधा पर सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन ..... में प्रस्तुत किया।
(क) मार्च 1941 (ख) मार्च 1942 (ग) मार्च 1943 (घ) मार्च 1944

13. 'रिपोर्ताज' में ..... पर बल दिया गया है।
(क) वास्तविकता *(ग) संवाद-प्रधानता*
(ख) चरित्र-प्रधानता *(घ) उद्देश्य-प्रधानता*

14. 'रिपोर्ताज' का विकास ..... के युद्ध क्षेत्र से हुआ।
(क) युरोप (ख) जापान (ग) अमेरिका (घ) इंग्लैंड

15. रेडियो रिपोर्ताज ..... नहीं होते।
(क) लंबे या प्रदीर्घ *(ग) संक्षिप्त या प्रदीर्घ*
(ख) छोटे या प्रदीर्घ *(घ) अत्यंत-संक्षिप्त या प्रदीर्घ*

16. रिपोर्ताज ..... परिस्थितियों पर आधारित होता है।
(क) यथार्थ (ख) वास्तविक (ग) भौगोलिक (घ) ऐतिहासिक

17. ..... द्वारा लिखित समाचार 'रिपोर्ट' कहलाते हैं।
(क) संवाददाता (ख) रिपोर्टर (ग) सामान्य व्यक्ति (घ) विशेष व्यक्ति

18. ..... यह विधा युद्धभूमि में ही विकसित हुई।
(क) रिपोर्ताज (ख) साक्षात्कार (ग) संस्मरण (घ) आत्मकथा

19. ..... में घटना चित्रपट की तरह आँखों के सामने तेजी के साथ घूम जाती है।
(क) रिपोर्ताज (ख) साक्षात्कार (ग) संस्मरण (घ) आत्मकथा

20. हिंदी में रिपोर्ताज विधा प्रारंभ करने का श्रेय ..... पत्रिका को है।
(क) हंस (ख) विद्यावार्ता (ग) मधुमती (घ) विशाखा

3.5 पारिभाषिक शब्द, शब्दार्थ

- **शिल्प** : मूर्ति
- **उपलब्धि** : प्राप्ति, ग्रहण की योग्यता, सिद्धि।
- **शैली** : लिखने की अदा, ढंग।

- ☞ **संदर्भ** : पहले के पत्राचार का हवाला देने हेतु।
- ☞ **व्यावसायिक संप्रेषण** : व्यावसायिक उद्देश्य से।
- ☞ **सचिव** : कार्यालय का प्रमुख अधिकारी।
- ☞ **रिपोर्ताज** : घटना का वर्णन।
- ☞ **संवाददाता** : खबर देनेवाला।
- ☞ **साक्षात्कार** : मुलाकात।
- ☞ **वाङ्मय** : साहित्य।

3.6 स्वयं–अध्ययन प्रश्नों के उत्तर

1. *(क) साक्षात्कार* 2. *(ग) लोकप्रिय* 3. *(क) टेपरिकार्डर*
4. *(क) दो* 5. *(ग) तृतीय* 6. *(क) प्रश्नोत्तर*
7. *(क) द्विपक्षीय* 8. *(क) साक्षात्कारकर्ता* 9. *(क) प्रश्नों*
10. *(क) साक्षात्कारकर्ता* 11. *(क) शिवदानसिंह चौहान* 12. *(क) मार्च 1941*
13. *(क) वास्तविकता* 14. *(क) युरोप* 15. *(क) लंबे या प्रदीर्घ*
16. *(क) यथार्थ* 17. *(क) संवाददाता* 18. *(क) रिपोर्ताज*
19. *(क) रिपोर्ताज* 20. *(क) हंस।*

3.7 सारांश

इस इकाई में रिपोर्ताज तथा साक्षात्कार के संबंध में सुचारु रूप से चर्चा की गई है। रिपोर्ताज तथा साक्षात्कार के अंतर्गत उसके स्वरूप, महत्त्व तथा उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ताज लेखन के क्षेत्रों के अंतर्गत वाणिज्य, विज्ञान तथा तकनीकी और साक्षात्कार लेखन के क्षेत्रों के अंतर्गत साहित्य तथा सामाजिक पर विस्तार से चर्चा की गई है।

3.8 स्वाध्याय

1. रिपोर्ताज के स्वरूप तथा महत्त्व पर प्रकाश डालिए।
2. रिपोर्ताज की उपयोगिता को समझाइए।

3. साक्षात्कार का स्वरूप तथा महत्त्व स्पष्ट कीजिए।

4. साक्षात्कार की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए।

5. रिपोर्ताज के क्षेत्र-वाणिज्य, विज्ञान तथा तकनीकी पर प्रकाश डालिए।

6. साक्षात्कार के क्षेत्र-साहित्य तथा सामाजिक को स्पष्ट कीजिए।

3.9 क्षेत्रीय कार्य

1. किसी भी आँखों देखी घटना की आप रिपोर्ट तैयार कर सकते है।

2. किसी भी प्रख्यात साहित्यकार का साक्षात्कार ले सकते है।

3. किसी राजनीतिक नेता का साक्षात्कार ले सकते हैं।

4. किसी अकाल पीडितों पर आप रिपोर्ट लिख सकते हैं।

3.10 अतिरिक्त अध्ययन के लिए

1. *''पत्रकारिता एवं संपादन कला''*, वर्मा नेहा।

2. *''जनसंचार और हिंदी पत्रकारिता''*, डॉ. तिवारी अर्जुन।

3. *''साहित्य विवेचन''*, 'सुमन' क्षेमचंद्र मलिक योगेंद्रकुमार।

4. *''जनमाध्यम और पत्रकारिता''*, दीक्षित प्रविण।

5. *''साहित्य में गद्य की नई विविध विधाएँ''*, डॉ. भाटिया कैलाशचंद्र भाटिया रचना।

6. ''हिंदी साक्षात्कार : उद्‌भव आणि विकास'', सं. डॉ. खान एम. फिरोज।

7. *''आधुनिक पत्रकारिता''*, डॉ. तिवारी अर्जुन।

8. *''हिंदी पत्रकारिता''*, डॉ. मिश्र कृष्णबिहारी।

9. *''समाचारपत्र''*, राव एम. चेतापलि।

10. *''प्रेस-विधि''*, डॉ. त्रिखा नंदकिशोर।

❑ ❑ ❑

इकाई–4

दृश्य साहित्य लेखन तथा पत्रकारिता : स्वरूप, महत्त्व तथा उपयोगिता

दृश्य साहित्य लेखन के क्षेत्र : छायाचित्र, कार्टून
पत्रकारिता के प्रकार : खेल पत्रकारिता, सिनेमा पत्रकारिता, ग्रामीण पत्रकारिता

अनुक्रम

4.1 उद्देश्य

4.2 प्रस्तावना

4.3 विषय–विवेचन

4.3.1 दृश्य साहित्य लेखन तथा पत्रकारिता : स्वरूप

4.3.2 दृश्य साहित्य लेखन तथा पत्रकारिता : महत्त्व

4.3.3 दृश्य साहित्य लेखन तथा पत्रकारिता : उपयोगिता

4.3.4 दृश्य साहित्य लेखन के क्षेत्र : छायाचित्र, कार्टून

4.3.5 पत्रकारिता के प्रकार : खेल पत्रकारिता, सिनेमा पत्रकारिता, ग्रामीण पत्रकारिता

1.4 स्वयं–अध्ययन के लिए प्रश्न

1.5 पारिभाषिक शब्द, शब्दार्थ

1.6 स्वयं–अध्ययन प्रश्नों के उत्तर

1.7 सारांश

1.8 स्वाध्याय

1.9 क्षेत्रीय कार्य

1.10 अतिरिक्त अध्ययन के लिए

4.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद -

1. दृश्य साहित्य लेखन तथा पत्रकारिता से परिचित होंगे।
2. पत्रकारिता के स्वरूप की जानकारी होगी।
3. पत्रकारिता, छायाचित्र तथा कार्टून का महत्त्व समझ पाएँगे।
4. दृश्य साहित्य लेखन की उपयोगिता से परिचित होंगे।
5. छायाचित्र तथा कार्टून से अवगत होंगे।
6. खेल पत्रकारिता से अवगत होंगे।
7. सिनेमा पत्रकारिता की जानकारी होगी।
8. ग्रामीण पत्रकारिता के उपयोग से परिचित होंगे।

4.2 प्रस्तावना

जनसंचार माध्यमों में मुद्रण-माध्यम अन्य आधुनिक जन माध्यमों की अपेक्षा सबसे अधिक प्रभावात्मक माध्यम है। इसके अंतर्गत समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ, जर्नल इत्यादी माध्यम आते हैं। ये लिखित माध्यम आज अन्य माध्यमों की तुलना में अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। यह इसलिए विश्वसनीय माने जाते हैं कि वे स्वशासित होते हैं। विश्व के प्राय: सभी विकसित और विकासशील देशों में लगभग प्रत्येक पढा-लिखा दैनिक समाचार पत्र पढ़ता है। आज बिना समाचार पत्र के हम किसी भी आधुनिक समाज या शहर की कल्पना कर ही नहीं सकते। इन्हीं समाचार पत्र-पत्रिकाओं की विश्वसनीयता कायम रखने का कार्य दृश्य साहित्य लेखन तथा पत्रकारिता करते हैं। पत्रकारिता जन-सामान्यों में घटी हुई घटना का आँखों देखा सत्य विवरण पूरी वास्तविकता के साथ प्रस्तुत करने का प्रामाणिक प्रयत्न करती है। विविध मान्यवरों के अनुसार पत्रकारिता जनसेवा का एक सशक्त माध्यम है। इसका प्रमुख माध्यम अखबार है। आज इस पत्रकारिता को अभिव्यक्ति की एक कला मानी जाती है, जिसका अर्थ जनता के समक्ष लोककल्याण सम्बन्धी कार्यों को तथा उन कार्यों की जानकारी प्रस्तुत करना है। अपने देश में आजादी के पूर्व पत्रकारिता को जनसेवा के रूप में अपनाया गया था, किंतु आज इन्होंने व्यावसायिक दृष्टि आपनायी हुई दिखाई देती है। ऐसी यह पत्रकारिता हिंदी साहित्य में आज गद्य साहित्य की एक सशक्त विधा के रूप में विकसित हो रही है, जिसमें

सभी प्रकार के पत्रकारों के कार्यों-कर्तव्यों का तथा लक्ष्यों का विवेचन होता है। पत्रकारों के इसी कर्तव्यों को प्रस्तुत करनेवाली पत्रकारिता का मुख्य ध्येय सूचना देना है अर्थात् घटी हुई घटना की सही-सही सूचना जनता तक पहुँचना पत्रकारिता का मुख्य ध्येय होता हैं। समाज प्रबोधन, समाजहित के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आज मनुष्य-जीवन से जुड़े हर क्षेत्र में पत्रकारिता ने अपना स्थान निर्माण किया हुआ दिखाई देता है। खेल क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, वैद्यकीय क्षेत्र, सिनेमा जैसे सभी क्षेत्रों में पत्रकारिता ने अपनी पहचान बनायी हैं।

4.3 विषय-विवेचन

4.3.1 दृश्य साहित्य लेखन तथा पत्रकारिता : स्वरूप

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद हमारे देश में पत्रकारिता का काफी विकास हुआ दिखाई देता है। हमारे प्रजातंत्र में इसे व्यवस्था का चौथा स्तंभ मानकर उसका विशेष महत्व प्रमाणित किया गया है। पौधों और वृक्षों के 'पत्ते' आदि का पर्यायवाची शब्द 'पत्र' आज भी प्रचलित है। किसी के द्वारा आवश्यक सूचना जिस उपकरण से दी जाती है, उसे भी पत्र ही कहते हैं। इस प्रकार के सूचना या संदेशों को 'समाचार' भी कहा जाता है। इन्हीं समाचारों के पर्चों को अंग्रेजी में 'न्यूज पेपर' कहा जाता था। इसी अंग्रेजी शब्द का हिंदी नामकरण 'समाचार पत्र' हो गया है। जो लोग इन समाचार पत्रों के लिए सूचनाओं के संकलन का काम करते थे, उन्हें अंग्रेजी में 'जर्नलिस्ट' तथा उनके व्यवसाय को 'जर्नलिज्म' कहा जाता है। 'जर्नल' शब्द मूलत: 'फ्रेंच' भाषा है। यह 'जर्नी' शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है- दिन भर के कार्यों का ब्योरा देना और 'जर्नल' का शाब्दिक अर्थ है- दैनिक विवरण। इसी दैनिक विवरण शब्द ने आगे चलकर ''दैनिक-समाचार पत्र'' अर्थ ग्रहण कर लिया। अत: समाचार पत्रों से सम्बन्धित व्यवसाय का नाम 'पत्रकारिता' हो गया। जो अंग्रेजी 'जर्नलिज्म' का हिंदी रूपान्तर है। आज यही पत्रकारिता एक ओर साहित्यिक दृष्टि से नई गद्य विधा के रूप में विकसित हो चुकी है, तो दूसरी ओर सामाजिक क्षेत्र में जनसेवा का सशक्त माध्यम बनी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने पत्रकारिता को सेवाकार्य कहा है। पराधीनता के कालखंड में भारतीय जनता को जागृत करने और राष्ट्रीय चेतना के लिए पत्रकारिता का विकास हुआ था। आज के वैज्ञानिक युग में वह एक पेशा बनकर उसका महत्त्व दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। पत्रकारिता का प्रथम रूप अखबार है। प्राप्त हुई सूचनात्मक जानकारी के आदान-प्रदान के लिए पत्रकार अखबार, समाचार पत्र, पत्र-पत्रिकाएँ आदि माध्यमों का उपयोग करता है। इसे अंग्रेजी में प्रिंट-मिडिया कहते हैं। अखबार के जरिए पत्रकार दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में होनेवाली हर एक घटना की जानकारी देता है। पहले अखबार के लिए खबरें प्राप्त करना पत्रकारों के लिए सहज सम्भव नहीं

था, परन्तु आज ई-मेल द्वारा मिनटों में दुनिया के किसी भी कोने से खबर माँगना सहज सम्भव हो चुका है। संगणक के विकास से पत्रकारिता का स्वरूप भी विकसित हो चुका है। रेडियो जैसे श्राव्य माध्यमों या दूरदर्शन जैसे दृश्य माध्यमों में भी आज पत्रकारिता का स्वरूप पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक तथा महत्वपूर्ण बन चुका है। आज के वैज्ञानिक युग में हर क्षेत्र में हुए संगणकीकरण से पत्रकारिता का स्वरूप अत्यंत व्यापक तथा दिन-ब-दिन विकसित होता हुआ दिखाई देता है।

समग्रत: पत्रकारिता का स्वरूप अत्यंत व्यापक है। वह आज जीवन का पर्याय-सा बन गया है। जीवन के हर क्षेत्र में उसका महत्त्व अनिवार्य बन चुका है। यही कारण है कि आज पत्रकारिता के जितने आयाम हैं, वे प्रत्येक क्षेत्र में कार्यरत हैं। पत्रिका के ग्रामीण एवं आंचलिय परिवेश का विकास होने से ग्रामीण जनता में जागरूकता आयी है। खेल पत्रकारिता, सिनेमा पत्रकारिता एवं साहित्यिक पत्रकारिता का आज मानव जीवन में विशिष्ट स्थान बना है। दृश्य-श्राव्य माध्यमों के विस्तार के कारण दूरदर्शन, आकाशवाणी, संगणक, मोबाईल आदि पत्रकारिता के नये आयामों के रूप में समाज मन में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। अत: आज के वर्तमान युग में पत्रकारिता का स्वरूप व्यापक, आकर्षक एवं सुरूचिपूर्ण बना हुआ दिखाई देता है।

4.3.2 दृश्य साहित्य लेखन तथा पत्रकारिता : महत्त्व

मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएँ घटती रहती हैं। उनमें से कुछ घटनाएँ व्यक्ति को आनंदित करती हैं, तो कुछ घटनाएँ व्यथित कर देती हैं। मानव जीवन विविधताओं से भरा हुआ है। नित नए अनुसंधान ने मानव जीवन को बहुआयामी बना दिया है। यही बात पत्रकारिता के क्षेत्र में लागू होती है; क्योंकि वर्तमान युग संगणकीकरण का युग है। अब वह समय नहीं रहा जब पत्रकारिता का एकमात्र उद्देश्य देश को स्वाधिनता प्रदान करना ही था। आज पत्रकारिता का क्षेत्र और महत्त्व विस्तृत और व्यापक हो गया है। इसी व्यापकता के कारण पत्रकारिता अनेक रूपों में सामने आ रही है। वर्तमान पत्रकारिता केवल समाचार पत्र-पत्रिकाओं तक ही सीमित नहीं रही है। अंत: संचार के विभिन्न माध्यमों जैसे-दूरदर्शन, सिनेमा, आकाशवाणी आदि क्षेत्रों साथ ही इसका संगणक, मोबाईल तक विस्तार हो गया है। पत्रकारिता का जितना स्वरूपगत व्यापक विकास हुआ है, उतना ही वर्तमान युग में उसका महत्त्व भी बढ़ गया है। यही कारण है कि आज पत्रकारिता को प्रजातंत्र का ''चौथा खम्बा'' माना जाता है। कुछ लोग तो उसे ''जनता की संसद'' मानते हैं। कारण कि वह विविध जनसमस्याओं को प्रशासन के सम्मुख प्रस्तुत करके उस पर रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। इसके अतिरिक्त आज

पत्रकारिता का महत्त्व इसलिए भी है कि वह आज केवल हमें हमारे समाज, देश की समस्याओं तथा विचारों से ही परिचित नहीं कराती, तो वह सम्पूर्ण विश्वभर की घटनाओं को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करती है। व्यावसायिकता की दृष्टि से भी पत्रकारिता का महत्त्व काफी बढ़ गया है। आज उसे ''सामूहिक ज्ञान का व्यवसाय'' माना जाता है। क्योंकि आज इसी के माध्यम से जनसामान्यों के अज्ञान को दूर करने के लिए प्रबोधनात्मक चर्चा तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि का विकास किया जाता है। वर्तमान समय में पत्रकारिता का महत्त्व इतना बढ़ गया है कि आज की पत्रकारिता समय के साथ समाज की दिग्दर्शिका और नियामिका बनकर समाज के हर तबके को सही ज्ञान देकर विकासात्मक प्रगति की प्रक्रिया में केवल सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं करती, तो वह उसके समन्वित विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहती है। यही सबसे श्रेष्ठ महत्त्व पत्रकारिता का है।

4.3.3 दृश्य साहित्य लेखन तथा पत्रकारिता : उपयोगिता

दृश्य साहित्य लेखन तथा पत्रकारिता का प्रमुख उपयोग सूचना देना है तथा सूचनाओं को समाचार के रूप में प्रस्तुत करना है। जो भी सत्य, वास्तविक है, वह समाचार का रूप तभी लेता है, जब उसका संबंध व्यापक मानव-जीवन से जुडता है। संसार में प्रतिदिन कुछ न कुछ सामान्य या असामान्य घटनाएँ घटती रहती है और इन्हीं घटनाओं में से मनुष्य की जानकारी तथा दिलचस्पी के लिए कुछ का वर्णन या विवरण समाचार पत्रों में दिया जाता है। ताकि जन समुदाय को उन घटनाओं से अवगत कराया जा सके तथा उन घटनाओं के संबंध में उनकी अपनी राय बनायी जा सके तथा उचित-अनुचित के विश्लेषण की शक्ति बढ़ाते हुए उन्हें उचित का समर्थन और अनुचित का विरोध करने के लिए प्रेरित किया जा सके। यह कार्य बेहद जटिल होता है, फिर भी यही जटिल कार्य करने के लिए समाचार वाचक को सहजता से करने के लिए प्रेरित करना दृश्य साहित्य लेखन तथा पत्रकारिता का प्रमुख उपयोग रहता है।

'जनहित' पत्रकारिता का एक उपयोगात्मक लक्ष माना जाता है। इसके अंतर्गत सामायिक विषय जिसके संबंध में आम आदमी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। जैसे कि आर्थिक विकास, सामाजिक कार्य, उत्सव, मेले, सांस्कृतिक कार्य, खेल, मानवी संबंध, राष्ट्र के आपसी संबंध, रोचक घटनाएँ, मनोरंजन, न्यायालय के निर्णय, चुनाव के नतीजे आदि की सही-सही जानकारी देकर जनहित की रक्षा करना पत्रकारिता का कार्य बनता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान युग में पत्रकारिता का उपयोग व्यक्ति के निजी जीवन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबधों तक की सही-सही जानकारी देना, समाज के प्रबोधन से लेकर विश्वशांती तक के मूल्यों का महत्त्व समझाना, राष्ट्रप्रेम, देशप्रेम, राष्ट्रीय विकास,

बदलते विकासात्मक संबंध, विविध समस्याओं पर स्वतंत्र चर्चा, प्राचिन, ऐतिहासिक बातों का महत्त्व तथा वर्तमान और भविष्य के समाज जीवन का नियोजन आदि बातों की सत्य तथा वास्तविक पहचान पत्रकारिता अर्थात दृश्य साहित्य लेखन की उपयोगिता ही है, इसमें किसी तरह की दो राय नहीं है।

4.3.4 दृश्य साहित्य लेखन के क्षेत्र : छायाचित्र तथा कार्टून

दृश्य साहित्य लेखन के क्षेत्रों में आज छायाचित्र तथा कार्टून नये संचार माध्यम बनकर प्रस्तुत होने लगे हैं। मानो आज इन दोनों को माध्यमों के रूप में साहित्य के क्षेत्र में स्वीकारा जाने लगा है। इनमें से छायाचित्र पहले कला के रूप में स्वीकारा गया था, किन्तु आज इसके माध्यम से विशेष प्रसंगों, घटनाओं को चित्रबध्द करके संग्रहित रखा जाने लगा है। प्रकृति से लेकर विविध क्षेत्रों से जुड़ी अनेक यादगार घटनाओं का छायाचित्रों के रूप में संकलन होता है। तो उन्हीं में से एक चित्र प्रस्तुत करके उन पर प्रश्न पुछे जानेवाले हैं। उदाहरणार्थ प्रश्नपत्र में बाजार का या किसी सभा का या किसी प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित छायाचित्र छपकर दिया जाएगा और उसमें दिखाई देनेवाली बातों पर प्रश्न दिए जाऐंगे, जिसके उत्तर छात्रों को देने हैं। यही बात कार्टून से भी संबंधित है। कार्टून भी वर्तमान युग के समाचार पत्र से लेकर विविध पत्र-पत्रिकाओं में प्रसारित होनेवाली आधुनिक लेखन कला है। इसके माध्यम से कार्टूनकार अधिकतर राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों में निर्माण की गई या निर्माण हुई अनमेल व्यवस्था पर व्यंग्य कसता है। इसी तरह के प्रसारित हुए कार्टून के चित्र प्रश्नपत्र में दिया जाएंगे और उस पर प्रश्न पूछे जाएंगे।

4.3.5 पत्रकारिता के प्रकार : खेल पत्रकारिता, सिनेमा पत्रकारिता, ग्रामीण पत्रकारिता

4.3.5.1 खेल पत्रकारिता

खेल समाचार आज जनरूचि के अन्तर्गत आने लगी है। यही कारण है कि आज सभी समाचार पत्रों में खेल पत्रकारिता के अनिवार्य पृष्ठ और स्तम्भ होते हैं। इसके अतिरिक्त खेल समाचारों से सम्बन्धित अनेक स्वतंत्र पत्रिकाएँ भी खेल पत्रकारिता के अन्तर्गत आ रही है। इसके साथ ही आज अनेक खेलों पर स्वतंत्र पत्रिकाएँ निकल रही है। वैसे तो खेल जगत् के रोमांचक क्रिया कलापों पर आधारित क्रीडा पत्रिका का आरम्भ हिंदी में आजादी के बाद ही हुआ है। सन् 1951 में नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल आयोजित था। उसी समय से खेल पत्रकारिता का हिंदी में आरम्भ माना जा सकता है। कालांतर में रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से राष्ट्रीय एशियाई

और ओलंपिक गेम्स सभी को देखना, सुनना संभव हो गया। खेल को जिज्ञासा और कौतुहल का विषय खेल पत्रकारिता ने ही दिया है। आधुनिक बदलती जीवन पद्धति में खेलों का महत्त्व दिन-ब-दिन बढता जा रहा है। खेल का मनुष्य के जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान है। खेल के कारण स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आज कल सभी खलों में से क्रिकेट को अत्यधिक प्रसिद्धि मिल गयी है।

पत्रकारिता की दृष्टि से देखे तो हिंदी खेल पत्रकारिता का क्षेत्र अत्यंत विशाल रहा है। ऐसा माना जाता है कि जिनके पास शब्दों का भंडार है तथा जिनकी लेखनी में नया मोड देने की या नई विधा से पाठकों को आकर्षित करने की क्षमता है, उन्हें वास्तव में हिंदी क्रीडा लेखन के सेवा से बढ़िया मौका अन्य क्षेत्र में शायद ही मिल सकता है। खेल पत्रकारिता का मतलब एक जगह पर बैठे-बैठे केवल सूचना एकत्रित करना नहीं है। वस्तुत: स्वयं प्रत्यक्ष मैदान में जाकर स्वतंत्र रूप से आँखों देखी रपट तैयार करना असल में खेल पत्रकारिता है। साथ ही वे अधिकारपूर्वक खेलों पर लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें खेल तथा खिलाडी की सभी विशेषताओं की जानकारी होना अनिवार्य होता है। उन्हें खेल का स्तर, खेल की स्थिति, टीम का चयन, हार-जीत का अनुमान आदि का ज्ञान भी होना चाहिए। खिलाडियों को प्रेरणा देने की दृष्टि से उनमें जो कमियाँ या दोष है, उनकी आलोचना करना भी इस पत्रकारिता का लक्ष्य होता है। खेल समीक्षक अपने ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर यह कार्य अधिक अच्छे ढंग से करते रहते हैं। इसी तरह खेल पत्रकारिता में खिलाडियों की प्रशंसा तथा समीक्षा दोनों भी समय-समय पर की जाती है। वर्तमान युग में हर एक समाचार पत्र में खेल से संबंधित एक पन्ना रहता है। साथ ही आज कल हिंदी पत्र-पत्रिकाओं के क्षेत्र में क्रिकेट के साथ अलग-अलग खेलों की सूक्ष्म जानकारी देनेवाली ''क्रिकेट टुडे'', ''खेल टुडे'', ''सक्सेस मिरर'', ''भारतीय कुस्ती पत्रिका'' आदि पत्रिकाएँ प्रसारित हो रही हैं, जो खेलो से सम्बन्धित हैं।

4.3.5.2 सिनेमा पत्रकारिता

सिनेमा क्षेत्र में काम करनेवाले कलाकारों की लोकप्रियता अत्यधिक रहती है। उनकी लोकप्रियता तथा उनके व्यक्तिगत जीवन के रंगीन किस्से समय-समय पर छपकर आते रहते हैं। सिनेमा पत्रकारिता का यह सिल-सिला ऐतिहासिक दृष्टि से देखे, तो सन् 1931 में प्रकाशित 'मंच' नामक पत्रकारिता से शुरूआत हुई। तब से लेकर आज तक सिनेमा पत्रकारिता की संख्या में काफी वृद्धि हुई दिखाई देती है। आज लगभग सौ से अधिक पत्रिकाएँ मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता से प्रकाशित हो रही है। जिससे यह प्रतित होता है कि आज के वर्तमान युग में हिंदी पत्रकारिता के

क्षेत्र में सिनेमा पत्रकारिता ने अपना अलग-सा अस्तित्व स्थापित करके सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त की है। दूसरी ओर उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ गई है कि वे केवल नायक-नायिकाओं के रोमांस के किस्से प्रसारित करने के बजाय उन कलाकारों के संदर्भ में रोचक सामग्री प्रस्तुत करें। कलाकारों के संघर्षमय जीवन तथा उनके विभिन्न पहलुओं से संबंधित प्रामणिक तथा आवश्यक सामग्री प्रकाशित करें।

वर्तमान युग में सिनेमा पत्रकारिता संचार का एक सशक्त माध्यम बन गई है। सिनेमा के निर्माण पर इसी के माध्यम से प्रकाश डाला जाता है। इसी में नई आनेवाली फिल्मों की समीक्षा प्राप्त की जाती है; जिसे पढ़कर प्रेक्षक सिनेमा देखता है या उससे संबंधित अपनी राय बनाता है। इसलिए इस पत्रकारिता में पत्रकारों को गहन अध्ययन तथा परिश्रम करना आवश्यक होता है। आज सिनेमा के साथ-साथ सिनेमा समारोह, राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय सिनेमा समारोह, सिनेमा उद्योग आदि की जानकारी भी दी जाने लगी है। आज सिनेमा आम आदमी के संघर्षों, आशा-आकांक्षाओं और उपलब्धियों को प्रतिबिंबित करने लगा है। युग को चित्रित करनेवाला सिनेमा आज राष्ट्र की नियति का निर्धारक बना है। इसलिए सिनेमा पत्रकारिता में कार्यरत हर एक पत्रकार का एक नैतिक दायित्व बन चुका है कि वह सिनेमा में व्यक्त ठोस संघर्षशीलता, संकल्प, दृढ-चरित्र, कर्तव्य परायणता तथा राष्ट्रप्रेम के उदत्त भावों को अपनी पत्रकारिता में प्रस्तुत करें, ताकि आज का सिनेमा मानवीय जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में प्रेरक शक्ति का प्रतीक बन सके। इसी तरह का कार्य करनेवाली सिनेमा पत्रकारिता के क्षेत्र में सैकडों पत्रिकाएँ प्रसारित हो रही हैं। जैसे- 'मायापुरी', 'फिल्मफेअर', 'माधुरी', 'सरिता', 'चाँदनी', 'रूपतारा', 'सिनेमाया', 'सिनेब्लिज', 'स्टारडस्ट', ''फिल्मी कलिया'', ''फिल्मी दुनिया'' आदि।

4.3.5.3 ग्रामीण पत्रकारिता

हमारे भारत जैसे विशाल तथा ग्रामीण जीवन वाले राष्ट्र में पत्रकारिता के रूप में ग्रामीण पत्रकारिता विशेष महत्त्व है। इसका कारण यह है कि देश की लगभग 70% जनता गाँवों में रहती है। आजादी के इतने सालों बाद भी उन गाँवों में पिछडापन नजर आता है। उनके पिछडेपन को दूर करने के लिए ग्रामीण पत्रकारिता का उपयोग किया जाता है। डॉ. मदन मोहन गुप्त जी के अनुसार- ''जिन समाचार पत्रों में 40% से अधिक सामग्री गाँवों के बारे में कृषि, पशुपालन, वीज, कीटनाशक, पंचायती राज, सहकारिता आदि विषयों पर होगी, उन्हीं पत्रों को ग्रामीण पत्र माना जाएगा।'' इसके अतिरिक्त परम्परागत लोक कला, लोक संस्कृति, कुटीर उद्योग, ग्रामीण स्वास्थ्य तथा हरित क्रांति के विकास के लिए समर्पित पत्रकारिता ग्रामीण पत्रकारिता कही जा सकती है। इसी

दृष्टि से देखे तो ग्रामीण पत्रकारिता का आशय ऐसी पत्रिकाओं से है, जो ग्रामीण समस्याओं को उभारे और ग्राम विकास योजनाओं को निर्धारित करने में योगदान दें। साथ ही साथ गाँवों में नई चेतना निर्माण करना, गाँवों में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना, विविध प्रकार की समस्याओं का निवारण करना, खेती के बारे में जीवन अविष्कारों (खोजों) की जानकारी देना जैसे आशयात्मक उद्देश्य रहता है। वर्तमान युगीन हिंदी में ग्राम्य जीवन को समर्पित पत्रकारिता अधिक मात्रा में उपलब्ध अथवा प्रसारित नहीं हो रही है। फिर भी 'कृषि जागरण', ''माटी'', 'दैनिक भास्कर', ''कुरूक्षेत्र'', ''भारत मित्र'', ''दिनमान'', ''आजकल'' आदि पत्र-पत्रिकाएँ ग्रामीण जीवन का लेखा-जोखा अत्यंत प्रामाणिकता से हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए दिखाई देती है।

4.4 स्वयं-अध्ययन के लिए प्रश्न

1. पत्रकारिता ..... सेवा का एक सशक्त माध्यम है।
2. ..... पत्रकारिता का प्रमुख स्वरूप है।
3. पत्रकारिता का मुख्य ध्येय ..... देना है।
4. प्रजातंत्र व्यवस्था में ..... को चौथा खंबा माना गया है।
5. अंग्रेजी ''न्यूज पेपर'' का हिंदी नामकरण ..... है।
6. अंग्रेजी 'जर्नलिज्म' का हिंदी रूपान्तर ..... है।
7. महात्मा गांधी जी ने पत्रकारिता को ..... कहा है।
8. ..... पत्रकारिता का नया आयाम है।
9. कुछ लोग पत्रकारिता को जनता की ..... मानते हैं।
10. आज ..... को ''सामूहिक ज्ञान का व्यवसाय'' कहा जाता है।

4.5 पारिभाषिक शब्द, शब्दार्थ

1. **जनसेवा** : लोक, सामान्य जनता की सेवा।
2. **लक्ष्य** : उद्देश्य, प्रमुख ध्येय।

3. **समाजहित** : लोगों की भलाई, लोककल्याण।

4. **आंचलिय** : ग्राम जीवन से संबंधित।

5. **दिग्दर्शिका** : मार्ग दर्शानेवाली।

4.6 स्वयं–अध्ययन प्रश्नों के उत्तर

1. *जनसेवा*
2. *अखबार*
3. *सूचना*
4. *पत्रकारिता*
5. *समाचार पत्र*
6. *पत्रकारिता*
7. *सेवाकार्य*
8. *मोबाईल/संगणक*
9. *संसद*
10. *पत्रकारिता*

4.7 सारांश

पत्रकारिता जनसंचार का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। उसका मुख्य उद्देश्य सूचना देना तथा सूचनाओं को समाचार के रूप में प्रस्तुत करना है। महात्मा गांधी जी ने इसे सेवा–कार्य कहा था। इसे 'जनता की संसद' तथा प्रजातंत्र में चौथा खम्बा माना जाता है। वर्तमान युग में पत्रकारिता अपने विचारों को जनता तक पहुँचाने का एक सशक्त माध्यम है, जिसका उद्देश्य अपने आस–पास घटनेवाली घटनाओं, खबरों को एकत्रित करना, उनका विवेचन करके उन्हें पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से जनता तक पहुँचाना है। इसीकारण आज पत्रकारिता पूरे विश्व की एक ऐसी दैनंदिनी बन चुकी है, जो समाज को दूरदृष्टि प्रदान करती है। वह अपने समय के समाज के साथ प्रचलित व्यवस्था की कमियों, गलतियों तथा बुराइयों को उजागर करके अत्यंत निर्भयता से उन्हें दूर करने

का प्रयास करती है। आज दुनिया का कोई भी ऐसा विषय नहीं है, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में न आता हो और पत्रकार उसके बारे में जनसामान्यों को उसकी जानकारी न देता हो। अर्थात् पत्रकारिता आज के वर्तमान युग में मानव जीवन की विविधताओं, नित्य घटित होनेवाली नई-नई घटनाओं को शीघ्र गति से दुनिया के कोने-कोने में पहुँचाती है। अखबार या समाचार पत्र इसका पहला माध्यम था। मगर संगणक के विकास के साथ-साथ पत्रकारिता के स्वरूप में भी अकल्पित विकास हुआ है। आज दूरदर्शन, रेडियो, मोबाईल (ई-मेल सेवा, वॉटस्अप) आदि के माध्यम से पत्रकारिता दुनिया के किसी भी कोने से मिनटों में सूचना प्राप्त कर सकती है या सूचनाएँ दुनिया के हर एक कोने में भेज सकती है। उसके स्वरूपगत विकास की व्यापकता इतनी बढ गई है कि आज पत्रकारिता के विविध प्रकार अपने-अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप में कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे खेल पत्रिकारिता, ग्रामीण पत्रकारिता, सिनेमा पत्रकारिता, सांस्कृतिक, प्रबोधनात्मक, विकासात्मक आदि। इन सभी प्रकारों में कार्यरत वर्तमान युग की पत्रकारिता अपना दायित्व अत्यंत प्रामाणिकता से निभाती हुई दिखाई देती है।

4.8 स्वाध्याय

❑ दीर्घोत्तरी प्रश्न

1. दृश्य-साहित्य लेखन तथा पत्रकारिता का स्वरूप स्पष्ट कीजिए।
2. पत्रकारिता का महत्त्व बताकर उसकी उपयोगितता पर प्रकाश डालिए।
3. खेल पत्रकारिता का सामान्य परिचय दीजिए।
4. सिनेमा पत्रकारिता का महत्त्व स्पष्ट कीजिए।
5. ग्रामीण पत्रकारिता की विस्तृत जानकारी दीजिए।

4.9 क्षेत्रीय कार्य

1. अपने इलाके में प्रसारित होनेवाले प्रादेशिक समाचार पत्र के कार्यालय में जाकर पत्रकारिता की जानकारी प्राप्त कीजिए।
2. अपने आसपास पत्रकारिता का कार्य करनेवाले पत्रकार से साक्षात्कार कीजिए।
3. अपने आसपास घटी हुई किसी भी घटना की सूचना लिखकर समाचार पत्र के कार्यालय में दीजिए।

4.10 अतिरिक्त अध्ययन के लिए

1. हिंदी में प्रकाशित होनेवाली खेल, कृषि, सिनेमा, विज्ञान, संस्कृति आदि क्षेत्रों से संबंधित पत्र-पत्रिकाओं का संग्रह करके उनका अध्ययन कीजिए।
2. दैनिक अखबारों में प्रसारित होनेवाले छायाचित्र तथा कार्टुनों का निरीक्षण कीजिए।

❑ ❑ ❑

इकाई–1

हिंदी के विविध रूप तथा प्रयोजनमूलक हिंदी

मातृभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा, सृजनात्मक भाषा।

कार्यालयीन हिंदी, वाणिज्यिक हिंदी, विज्ञापन की हिंदी, वैज्ञानिक तथा तकनीकि हिंदी और साहित्य की हिंदी।

अनुक्रम

1.1 उद्देश्य

1.2 प्रस्तावना

1.3 विषय–विवेचन

- 1.3.1 मातृभाषा
- 1.3.2 संपर्कभाषा
- 1.3.3 राजभाषा
- 1.3.4 सृजनात्मक भाषा
- 1.3.5 कार्यालयीन हिंदी
- 1.3.6 वाणिज्यिक हिंदी
- 1.3.7 विज्ञापन की हिंदी
- 1.3.8 वैज्ञानिक तथा तकनीकि हिंदी
- 1.3.9 साहित्य की हिंदी

1.4 स्वयं–अध्ययन के लिए प्रश्न

1.5 पारिभाषिक शब्द, शब्दार्थ

1.6 स्वयं–अध्ययन प्रश्नों के उत्तर

1.7 सारांश

1.8 स्वाध्याय

1.9 क्षेत्रीय कार्य

1.10 अतिरिक्त अध्ययन के लिए।

1.1 उद्देश्य–

प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के उपरांत निम्न उद्देश्य अंकित होते हैं–

- मातृभाषा के महत्त्व को जान सकेंगे।
- संपर्कभाषा के महत्त्व को समझेंगे।
- हिंदी राजभाषा के महत्त्व परिचित हो जाएँगे।
- वाणिज्यिक हिंदी, वैज्ञानिक हिंदी एवं तकनीकि हिंदी के रूपों से परिचित हो जाएँगे।

1.2 प्रस्तावना–

भाषा के अर्थ में हिंदी के अतिरिक्त हिन्दवी, हिन्दुई, हिन्दवी, दक्खिनी, दकनीया, दाकखेनी, हिंदुस्थानी, हिंदुस्तानी, हिन्दोस्तानी, खड़ीबोली, रेख्ती आदिनामों सें जाना जाता है। आज अन्य नामों की अपेक्षा 'हिन्दी' शब्द का प्रचलन है। 'हिंदी' शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता था; व्यापक, सामान्य भाषा, परक और विशेष भाषा परक। 19 वीं शताब्दी में 'हिंदी' शब्द का प्रयोग विशेष भाषापरक अर्थ में होने लगा है। उत्तर प्रदेश में दिल्ली के आसपास की बोली जानेवाली जो भाषा थी उसे हिंदी कहा जाने लगा। आज वह हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में पहचानी जाती है। आज यहीं हिंदी विश्वपटल पर छा गई है। विश्व की अन्य भाषाओं के शब्दों को अपनाकर दिन–ब–दिन समृद्ध होती जा रहीं है। उसका शब्द भंडार विस्तृत होता जा रहा है। भाषा के विविध रूपों का अध्ययन करते हुए स्वभावत: कुछ सवाल खडे होते है कि मातृभाषा का क्या महत्त्व है? संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का महत्त्व क्या है? राष्ट्रभाषा हिंदी की स्थिति क्या है? वाणिज्यिक हिंदी के रूप में हिंदी की स्थिति क्या है? वैज्ञानिक एवं तकनीकि हिंदी के रूप में क्या स्थिति है? आदि सवालों के संदर्भ में हम प्रस्तुत इकाई में अध्ययन करेंगे।

1.3 विषय–विवेचन

1.3.1 मातृभाषा के रूप में हिंदी–

भारत वर्ष में अन्य भाषा क्षेत्रों की तुलना में हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। हिंदी प्रदेशों में विविध बोलियों के रूप में तो है ही, साथ ही अपने क्षेत्र तथा अन्य भाषा क्षेत्र में सम्पर्क भाषा के रूप में वह व्यवहृत इसी कारण स्वाधीनता के बाद उनके रूप में परिवर्तन आया है।

जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीख़ता है, उसे उसकी मातृभाषा कहते है। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है। जबसे मानव अस्तित्व में आया तब से ही भाषा का उपयोग कर रहा है। भाषा हमारे लिए बोलचाल का माध्यम होती है। इसके द्वारा हम अपने विचार व्यक्त कर सकते है। बातचीत कर सकते है। दूसरे लोगों के विचार सून सकते है। यह बिलकुल सही है क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज का निर्माण मनुष्यों के पारस्पारिक सहयोग से होता है।

वर्तमान समय में देशमें 'भाषा' यह एक व्यापक चर्चा का विषय बना है। एक तरफ देश में मातृभाषा का महत्त्व कम होता जा रहा है। मातृभाषा के माध्यम से क्षात्रों को पढ़ाया जाता है तो क्षात्रों के चेहरे उत्फुल्लित दिखाई देते है। मातृभाषा में ही शिक्षा होनी चाहिए। क्योंकि बालक को माता के गर्भ से ही मातृभाषा के संस्कार प्राप्त होते है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की डॉ. नन्दिनीसिंह के अध्ययन के अनुसार अंग्रेजी की पढ़ाई से मस्तिष्क का एक ही हिस्सा सक्रीय होता है, जब कि हिंदी की पढ़ाई से मस्तिष्क के दोनों भाग सक्रिय होते है। यह अनुमान निकाला है। हिंदी बड़ी प्यारी सी सरल भाषा है। किसी न किसी रूप में इसका हम उपयोग जरूर करते है।

हिंदी भाषी प्रदेशों की मातृभाषा हिंदी है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और संघ क्षेत्र दिल्ली। इन हिंदी प्रदेशों को केंद्रीय कार्यालय पत्र भेजता है तो वह हिंदी में देवनागरी लिपि में भेजता है। यदि कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जा रहा है, तो हिंदी में अनुवाद भी अवश्य भेजा जाता है।

1.3.2 संपर्कभाषा (Contact) –

भाषा जो अन्य लोगों से सम्पर्क के काम आये। हिंदी धीरे-धीरे भारत की संपर्क भाषा बनती जा रही हैं। एक ही भाषा परिपूरक और संपर्क दोनों भी हो सकती है। संपर्क भाषा का, आशय है, जनभाषा। जिस भाषा के माध्यम से किसी भूप्रदेश में रहनेवाले लोग सहजता से एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं। जो किसी क्षेत्र, राष्ट्र अथवा वर्ग में परस्पर वैचारिक आदान-प्रदान के माध्यम के रूप में कार्यरत रहती हो। संपर्क भाषा शासन तथा राज्याश्रय से उपेक्षित रहने पर भी जनमानस में बराबर अपनी जड़े मजबूत करती है। उसकी पहचान राष्ट्र के सभी लोगों में होती है। राष्ट्र या देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने पर जनता केवल उसी जनभाषा में संपर्क स्थापित करती है।

भारतीय संविधान द्वारा कुल-22 भाषाएँ स्वीकृत है। 1961 की जनगणना के अनुसार बारह

सौ भाषाएँ, बोली जाती हैं ऐसी अवस्था में यहाँ के लोगों को परस्पर व्यवहार के लिए संपर्क भाषा की जरूरत होती है।

भारत जैसे विशाल देश में प्राचीन काल में मध्य देश की भाषा संपर्क भाषा के रूप में शीर्षस्थ रही है। मध्य देश में हिंदी बड़े पैमाने पर बोली जाती है, उसकी अनेक बोलियाँ है किन्तु उसमें परस्पर बोधग्यम्यता जरूर है। प्राचीन काल में शंकराचार्य नें अपनी मलयालम भाषा छोड़कर संस्कृत भाषा को अपनाया था। बौद्ध काल में भगवान गौतम बुद्ध ने उपदेश के लिए जनभाषा को संपर्क भाषा के रूप में अपनाया था। जो उसी समय मध्य देश की पत्नी भाषा थी। संस्कृत, पालि, शौरसेनी, प्राकृत, नागर, अपभ्रंश और कालांतर में पश्चिमी हिंदी राष्ट्र की संपर्क भाषा के रूप में विकसित हुई। महात्मा गांधीजी ने अपनी मातृभाषा, गुजराती को छोड़कर हिंदी को पूरे देश की राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा बनाने को प्रोत्साहन दिया था। बंगाल के उच्चकोटि के साहित्यकार बाबू बंकिमचन्द्र चटर्जी भी हिंदी को ही भारत की राष्ट्रभाषा के रूपमे मानते थें।

हिंदी भाषा के विकास काल का सूक्ष्मता के अध्ययन किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि प्राचीनकाल, मध्यकाल और ब्रिटिश काल में जनभाषा ही संपर्क भाषा के रुप में प्रतिष्ठित रही हैं। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक समस्त भारत में केवल हिंदी ही ऐसी भाषा है जिसे बोलने या समझनेवाले आसानी से मिलते है। इसीलिए हिंदी को ही संपर्क भाषा की मान्यताप्राप्त होती है। सातवी सदी में सिद्धों, नाथों, संतो ने भक्ति का प्रचार-प्रसार करने के लिए हिंदी को ही अपनाया था। स्वाधीन भारत कें प्रथम प्रधानमंत्रि पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ''एक राज्य से दूसरे राज्य को पत्रव्यवहार अथवा बोलचाल के लिए एक ही भाषा अपेक्षित है; वह है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा ही उपयुक्त और उचित संपर्क भाषा बन सकती है।''

आज राजभाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के सामने कई समस्याएँ है मगर जनभाषा, संपर्क भाषा के रूप में वह जनमानस के हृदय तक पहुँची है। संपर्क भाषा के रूप में उसके सामने कई समस्याएँ नहीं है। हिंदी का समृद्ध साहित्य, कोमलता, हिंदी फिल्म, भूमंडलीकरण के कारण व्यापार की भाषा बन गई है। आज पूरे भारत भें संपर्क भाषा के रूप में हिंदी ही कार्यरत हैं।

संक्षेप में मध्य देश की भाषा हिंदी अपने हजारों वर्षों की अनवरत यात्रा में आगे बढ़ते-बढ़ते विकास के चरम उत्कर्ष तक पहुँच गयी है। इसी बीच कई व्यवधानों को पार कर, उपेक्षित रहकर भी उसनें भारत भूमि में अपनी जड़े मजबूत कर दी है। उसने आज राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में अपनी पहचान बना दी हैं। इसके अलावा मातृभाषा, संचार भाषा, वाणिज्य भाषा के रूप में भी वह सफल रूप में व्यवहृत है।

1.3.3 राजभाषा (Official Language) –

हिंदी भाषा अखिल भारतीय वर्ष की प्रधान प्रचलित राष्ट्रभाषा है। इस बात को राजनीतियों ने नहीं तो भाषाविज्ञानों ने भी स्वीकार किया है। स्वयं मुनीतिकुमार चाटुर्ज्या लिखते है– ''संस्कृत के बाद अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा के रूप में हम हिंदी के अतिरिक्त अन्य किसी भी भारतीय भाषा के संबंध में नहीं सोच सकते।''

किसी राष्ट्र के समस्त कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा को राजभाषा (Official Language) कहते हैं। अधिकोश देशों में राष्ट्रभाषा ही राजभाषा का दायित्व निभाती है, इसीलिए कुछ लोग राष्ट्रभाषा और राजभाषा को एक ही समझते है। राष्ट्रभाषा एक व्यापक कल्पना है। और राजभाषा मात्र शासकीय व्यवहार तक सीमित संकल्पना है। राष्ट्रभाषा एक ही हो सकती है, जब कि राजभाषाएँ एक से अधिक भी हो सकती है। प्रजातांत्रिक भारत में 'हिंदी संघ की राजभाषा' है और अष्टम् अनुसूची में उल्लेखित अन्य भाषाएँ अपने–अपने प्रांत की राजभाषा के रूप में प्रयुक्त है।

हिंदी अपने निम्नकाल से ही किसी–न–किसी रूप में कामकाज की भाषा के रूप में व्यवहृत रही है। नवीं और दसवी शताब्दी में हिंदी सर्जनात्मक साहित्य के साथ–साथ राजकाज की भाषा के रूप में प्रचलित थी। तबसे आज तक उसकी यात्रा उसके राजभाषा के रूप में विकास की यात्रा है। संविधान द्वारा ''राजभाषा'' का विधिवत् स्थान प्राप्ति के पूर्व भी वह इसी पद पर असीन थी।

राजभाषा का सीधा अर्थ हैं– राजा अथवा शासक की भाषा, जिसका प्रयोग राजकाज के लिए किया जाता है। केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों के द्वारा पत्र–व्यवहार, राजकार्य और सरकारी लिखा–पढ़ी के कामों में इसी भाषा का व्यवहार किया जाता है। संविधान के प्रावधान के अनुसार राजभाषा का प्रयोग मुख्यत: चार क्षेत्रों में आवश्यक हैं–

(1) शासन (2) विधान (3) न्यायपालिका (4) कार्यपालिका।

अर्थात् राजभाषा अर्न्तप्रादेशिक मध्यवर्तिनी भाषा होती है। शासनकाल में अकबर ने सरकारी दस्तावेज–फारसी में किए। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उच्च स्तर पर अँग्रेजी को राजभाषा बनाई। आजादी के बाद राष्ट्रीय चेतना का विकास होने पर हिंदी को 14 सितंबर, 1949 ई.से संविधान में राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया। भारतीय संविधान सभा ने संविधान का निर्माण करते समय अनुच्छेद 343 के खण्ड 1 में यह व्यवस्था की थी कि भारत संघ की सरकारी भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी और संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रयुक्त होंगे।

हिंदी 'संघभाषा, कार्यालयी भाषा एवं राजभाषा के रूप में स्वीकृत है। हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रयास 15 अगस्त 1947 के पूर्व से ही शुरू था। संविधान सभा की नियत समिति 1947 में डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में कार्यरत थी। उन्होंने निर्णय लिया था कि संविधान सभा की कार्यवाही हिंदी या अंग्रेजी में होगी। अंत में मूल अधिकार समितीने सर्वसम्मति में राजभाषा के रूप में हिंदी को और लिपि के रूप में देवनागरी को और अंकों के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूपों को तथा 15 वर्षों के बाद भी संघ की राजभाषा समिती अंग्रेजी भाषा को राजभाषा पद से हटाने के पक्ष में नहीं थी।हिंदी को बढावा देने, उसका प्रचार-प्रसार करने तथा उसकी प्रगति के लिए सरकार द्वारा उसके मानकीकरण के प्रयास किए गए है। मगर राष्ट्रपति ने संविधान अनुच्छेद 343(2) के अधीन 25 मई, 1952 को जारी आदेश में यह व्यवस्था की थी कि राज्यों के राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिशों तथा उच्च न्यायालयोंके न्यायाधिशों के नियुक्ति अधिपत्रों के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी और अंतरराष्ट्रीय अंकों के अतिरिक्त देवनागरी के अंकों का प्रयोग प्राधिकृत है। राजभाषा अधिनियम 1963 तथा राजभाषा नियम 1976 के अनुसार सूचित किया कि 'केन्द्रीय सरकार के स्वामित्त्व के या नियंत्रण के किसी निगम, कंपनी कार्यालय के और किसी अन्य ऐसे निगम, कार्यालय या कंपनी के बीच प्रयोग में लाई जाती हैं, वहाँ उस तारीख तक, जब पूर्वोक्त संबन्धित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय, निगम या कंपनी का कर्मचारी वृंद हिंदी का कार्यसाधन ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, ऐसे पत्रादि का अनुवाद यथास्थिति अंग्रेजी भाषा या हिंदी में भी दिया जाएगा। मतलब स्पष्ट है कि आज भी हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा-सहभाषा के रूप में राजभाषा पद पर आसीन है।

भारत की शासन व्यवस्था केन्द्रीय और प्रांतीय है। केंन्द्रीय शासन की राजभाषा हिंदी है। हिंदी तर प्रांतों में उनकी अपनी-अपनी राज्य भाषाएँ राजभाषाओं के रूपमें कार्यरत है, इस अवस्था में इन राज्यों को केन्द्र के साथ संपर्क करने के लिए हिंदी का प्रयोग करना पडता है। किंतु हिंदी प्रदेशों में हिंदी ही राजभाषा और राज्यभाषा दोनों पदों पर प्रतिष्ठित है। इस तरह हिंदी केंद्र सरकार की राजभाषा है। केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंको में राजभाषा के रूपमें उसका प्रयोग बढ़ रहा है। भारत सरकार के सभी कानून, संकल्प, निविदा, प्रेसनोट, विज्ञापन, निर्णय, अंग्रेजी के साथ होते हुए भी राजभाषा हिंदी में प्रकाशित होते हैं।

भारत की राजभाषा हिंदी देश की सांस्कृतिक एकात्मकता की प्रतीक है। राजनैतिक अडचनों के बावजूद सारे देश के जनसामान्य की स्वीकृति प्राप्त राष्ट्रीय राजभाषा हिंदी में वही क्षमता और संपन्नता है जो शतियों पहले भारत की सांस्कृतिक भाषा संस्कृत में थी। पिछले डेढ़-दो सौ वर्षों से हमारे देशमें हिंदी राष्ट्रीय एकता के प्रतिष्ठापन का कार्य कर रही है। सारा देश सांस्कृतिक

अखंडता बाह्य भेदों के बीच में से उभरती राष्ट्रीय एकनिष्ठ चेतना को अक्षुण्ण बनाए रखने की साधना में है, यही कारण है कि सरकारी स्तर पर स्वीकृत द्विभाषिकता का अनुगमन कर रही है। बस, यही कामना है कि यह द्विभाषिकता राजनैतिक दाँवपेंच की शिकार न बन जाए, और राष्ट्रीय संसद एवं संविधान की स्वीकृति को सर्वोपरी समझ कर सारा देश हिंदी के प्रयोग को राष्ट्रधर्म मानकर कार्य करें।

1.3.4 सृजनात्मक भाषा

❑ प्रस्तावना –

भाषा अभिव्यक्ति का एक सुनहरा भविष्य रचती है, क्योंकि यह विश्व को एक विचार, वात्सल्य, अनुराग एवं समस्त स्थायी भाव को प्रकट करने की क्षमता को पूर्णत: से प्रकट कर सभी को जोडने का काम करती है। भाषा एक व्यवस्था देती है और इस क्षमता को देने, और लेने की भी इसमें गहराई और बदलाव दोनों ही है। यह जड नहीं जंगम है। भाषा-विचार विनिमय का माध्यम है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने को अभिव्यक्त करता है। भाषा का संबंध व्यक्ति से और व्यक्ति का संबंध समाज से हुआ करता है। भाषा परिवर्तनशील होती है। आवश्यकताओं के कारण ही हमें भाषा के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। हिंदी भाषा के संबंध में भी यही बात देखने को मिलती हैं। हम हिंदी भाषा का प्रयोग अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुसार अनेक रूपों में करते रहते हैं। हिंदी भाषा के निम्नलिखित विविध रूप हो सकते हैं।

❑ सृजनात्मक भाषा –

सृजनात्मक भाषा का तात्पर्य भाषा के उस रूप से है, जो किसी भी प्रकार की रचना (साहित्यिक) के लिए अपनाया जाता है। भाषा के इस रूप को मुख्य रूप से साहित्य-रचना तथा पत्र-पत्रिकाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कुछ लोग सृजनात्मक भाषा को रचनात्मक, परिनिष्ठित तथा मानक भाषा भी कहते हैं, या साहित्यिक भाषा भी कहा जाता है। साहित्य रचना के लिए प्राय: भाषा के मानक रूप को ही अपनाया जाता है। सृजनात्मक, मानक तथा साहित्यिक भाषा एक ही है। साहित्यिक हिंदी से तात्पर्य हिंदी भाषा के उस रूप से है, जो हिंदी साहित्य के सृजन में प्रयुक्त होती है। प्रत्येक विकसित तथा विकासशील भाषा, कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक, एकांकी आदि साहित्यिक विधाओं में अपने विविध तथा विशिष्ट रूप ग्रहण करती है। हिंदी भाषा का सृजनात्मक रूप साहित्य रचना के लिए अपनाया जाता है। इसी कारण वह मानक होता है।

मानक का अर्थ है- आदर्श, श्रेष्ठ या परिनिष्ठित। भाषा का जो रूप उस भाषा के प्रयोक्ताओं के अतिरिक्त अन्य भाषा-भाषियों के लिए आदर्श होगा, जिसके माध्यम से वे उस भाषा को सिखेंगे, जिस भाषा का रूप व्यवहार, पत्राचार, शिक्षा तथा सरकारी कामकाज में होगा, वह उस भाषा का मानक रूप है। हिंदी में मानक शब्द का प्रचलन अँग्रेजी के 'स्टँडर्ड' (डींरपवरीव) शब्द के पर्याय के रूप में हुआ है। भाषा के जिस रूप को प्राय: व्याकरण सम्मत शुद्ध परिनिष्ठित तथा परिमार्जित कहा जाता है। सृजनात्मक भाषा की कुछ अपनी विशेषताएँ होती है। जैसे- सृजनात्मक भाषा व्याकरण के नियमों द्वारा अनुशासित होती है। यह भाषा का परिनिष्ठित या मानक रूप हुआ करता है। भाषा के इस रूप में अंतकरण और गंभीरता हुआ करती है। सृजनात्मक भाषा का रूप बोलचाल की भाषा से भिन्न होता है।

सृजनात्मक या मानक भाषा किसी देश अथवा राज्य की वह प्रतिनिधि तथा आदर्श भाषा होती है। इसका वहाँ के शिक्षित वर्ग द्वारा अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक कार्यों में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। सृजनात्मक हिंदी को सर्वमान्य रूप से शिक्षित, शिष्ट समुदाय द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इसे राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रभाषा, राजभाषा और सम्पर्क भाषा का भी दर्जा प्राप्त है। यह साहित्य, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृतिक की विभिन्न विधाओं की अभिव्यक्ति, आदान-प्रदान तथा संप्रेषण का माध्यम है। यह सब इसके बहि:रंग आयाम है। इन आयामों का मूल अंतरंग आधार मानक हिंदी की वह अनुरूपता है, जो ध्वनि, शब्द और वाक्यस्तर पर कुछ विशेष और सर्वत्र समानता गृहीत व्याकरणबद्धता के कारण सहजता, सुबोधता सिद्ध हुए हैं।

सृजनात्मक भाषा के दो रूप हैं-

1. विशुद्ध साहित्यिक रूप-जो साहित्य में प्रयुक्त होता है।

2. लोक साहित्य तथा पत्र-पत्रिकाओं में प्रयुक्त।

विशुद्ध साहित्यिक रूप मानक या परिनिष्ठित होता है। भाषा का यह रूप व्याकरणिक नियमों द्वारा अनुशासित होता है। साहित्य का संबंध शिष्ट समाज से रहता है। इसके अंतर्गत बुद्धिजीवी वर्ग आता है। इस रूप में सरलीकरण तथा आधुनिककरण की प्रवृत्ति को अपनाते हुए संस्कृत, अरबी, फारसी, अँग्रेजी तथा आवश्यकतानुसार दूसरी भाषाओं के शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। सृजनात्मक भाषा के इस रूप में गांभीर्य तथा अंत:करण की प्रवृत्ति के दर्शन भी होते हैं। अत: शिष्ट साहित्य रचना में हिंदी के मानक रूप को अपनाया जाता है। सृजनात्मक भाषा का दूसरा रूप

लोकसाहित्य, पत्र-पत्रिकाओं तथा समाचार-पत्रों में देखने को मिलता हैं। इसकी भाषा बोलचाल की भाषा के निकट हुआ करती है।

सृजनात्मक हिंदी भाषा के संदर्भ में कहा जा सकता है कि सृजनकर्ता अपने पाठक वर्ग को ध्यान में रखते हुए ही भाषा का प्रयोग करता है। इसीकारण सृजनात्मक भाषा भी आवश्यकतानुसार अपना रूप बदलती है। कभी वह परिनिष्ठित रूप धारण करती है, तो कभी बोलचाल की भाषा बन जाती है। सृजनात्मक भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया का आरंभ लगभग दो-सौ वर्ष पहले शुरू हुआ था। आज सृजनात्मक हिंदी, मानक हिंदी खड़ीबोली का वह परिष्कृत रूप है जो भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा और व्यवहार भाषा के रूप में स्वीकृत है। यह उच्च शिक्षा का माध्यम है; भारत के अनेक राज्यों के प्रशासनिक कार्यकलाप इसी के माध्यम से होते हैं। इसमें सभी प्रकार के ज्ञान-विज्ञान, वाणिज्य, प्रौद्योगिकी, पत्रकारिता और तकनीकि आदि से संबंधित समर्थ शब्दावली है। अंत: यह हर दृष्टि से स्वायत्त है।

सृजनात्मक या मानक हिंदी के प्रयोक्ताओं की संख्या भारत और विदेशों में पचास करोड़ से भी अधिक है। इसका प्रयोग क्षेत्र भारत का विशाल भूभाग तो है ही, इसके अतिरिक्त कई विदेशों में शिक्षा एवं साहित्य के स्तर पर इसका प्रचार-प्रसार है। आज सृजनात्मक हिंदी किसी-भी प्रकार के विषय-संबंध में हर प्रकार की अभिव्यक्ति में समर्थ है। शिक्षा, शास्त्र, ज्ञान-विज्ञान, वाणिज्य, पत्रकारिता, कानून आदि क्षेत्र की किसी भी प्रकार की अभिव्यक्तियों के लिए उसके पास अपना उपयुक्त शब्द भंडार है। अपनी सार्थक प्रयुक्तियाँ है, अपनी संरचना प्रक्रिया है। सृजनात्मक या मानक भाषा की विशेषता उसकी केंद्रोन्मुखता होती है। इस दृष्टि से हिंदी को मानक रूप प्रदान करने में राजनीतिक परिस्थितियाँ भी सहायक रही है। सृजनात्मक हिंदी देश-विदेश के करोड़ो लोगों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण बड़ी शीघ्रता से मानक रूप प्राप्त कर लिया। आज इसका प्रयोग करनेवालों की संख्या 70 करोड़ है। हिंदी अधिकाधिक लोगों के लिए सहजतापूर्वक बोधगम्य होने से सृजनात्मक भाषा के स्तर तक पहुँच चुकी है। इसे हमारे लिए समझना, अपनाना और विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अभिव्यक्ति प्रयोग हेतु ग्रहण करना अपेक्षाकृत सहज है।

इसमें व्याकरणिक समानता है। मानक भाषा लिखित और मौखिक रूप में भी प्रयुक्त होती है। इन दोनों रूपों में इसकी मानकता अक्षुण्ण बने रहने का कारण है वे दोनों रूप एक-से व्याकरणिक ढाँचे में ढले होते हैं। 20 वीं शती के शुरू में ही हिंदी के मूर्धन्य विद्वानों ने व्याकरणिक स्तर पर हिंदी को एकरूपता प्रदान की। इस तरह आज हिंदी का सृजनात्मक रूप उसे एक ऐतिहासिक परम्परा से प्राप्त हुआ है। वह अपने-आपमें पूर्ण, स्वायत्त एवं सक्षम है।

सृजनात्मक लेखन अर्थात नूतन निर्माण की संकल्पना, प्रतिभा एवं शक्ति से निर्मित पदार्थ (लेख) सृजनात्मकता को ही कॉलरिज ने कल्पना कहा है। कल्पना अर्थात नव-सृजन की वह जीवनी शक्ति जो कलाकारों, कवियों, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों में होती हैं। सृजनात्मकता सभी कलाओं की प्राथमिक प्रेरणा है। इसे परिभाषित करना वैसेही काल्पनिक एवं कठिन है, जैसे प्यार और घृणा जैसे विषयों को परिभाषित करना। सृजनात्मकता एक आदर्श वैचारिकता है। जो एक कलाकार के मस्तिष्क की कल्पनापूर्ण स्वाभाविक प्रवृत्ति है तथा कलाकार में संबंधित उसके अतीत और वर्तमान के परिवेश से प्रभावित है।

सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करना है। वह अनिवार्य रूप से नए हो और जिन्हें वह पहले से जानता हो। जो व्यक्ति इस प्रकार का नवीन कार्य करते है उन्हें सृजनशील या सृजनकर्ता कहा जाता है और जिस प्रतिभा के आधारपर वह नई कृति, नवीन रचना या नवीन अविष्कार करते है उसे सृजनात्मकता कहा जाता है। कई विद्वानों ने सृजनात्मकता की परिभाषा की है, जैसे-

1. स्टेनगर एवं कावौस्की के अनुसार : किसी नई वस्तु का पूर्ण या अंशिक उत्पादन सृजनात्मक कहलाता है।

2. ड्रेवगहत के अनुसार : सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं के विचारों का उत्पादन करता है और जो अनिवार्य रूप से नए हो और जिन्हें वह पहले से न जानता है।

3. स्किनर के अनुसार : सृजनात्मक चिन्तन वह है जो नए क्षेत्र की खोज करता है, नए परीक्षण करता है, नई भविष्यवाणियाँ करता है, नए निष्कर्ष निकालता है।

किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य आदि के क्षेत्र में कुछ नया अविष्कार करने या पुर्नसृजित करने की क्षमता है। सृजनात्मक लेखन का उद्देश्य सूचित करना मात्र नहीं, अपितु रहस्यों और रसों का उद्घाटित करना होता है। इसे कुछ लोक अध्यात्मिक प्रक्रिया मानते है। रचनात्मक लेखक कभी तटस्थ रूप में दुनिया की ऐसे चीजों के बारे में बात करता है तो कभी भावविव्हल होकर वह प्रेम, पवित्रता, पलायन, ईश्वर, नश्वरता आदि विषयों के बारे में अपने उद्गार व्यक्त करता है अथवा लेखन में वह अपनी अपूर्व कल्पना का इस्तेमाल करता है। वह जीवन के विभिन्न पहलुओं में संबंध बनाता है और सामाजिक स्थितियों और घटनाओं के विषय में लिखता है। इस प्रकार वह अपने लेखन में अपने पद्य के निकट के विषयों को प्रकाशित करता है। उन्हें उँचा उठाता है और लेखन के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है।

निष्कर्ष रूप से सृजनात्मकता से अभिप्राय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नवीन दृष्टिकोण अपनाता है। इस प्रकार सृजनशील व्यक्ति सदा नए दृष्टिकोण, विचार और व्यवहार अपनाने के लिए तत्पर रहता है। जिसमें वह समस्या के नवीन समाधान खोजने में सफल रहता है।

1.3.5 कार्यालयीन हिंदी–

प्रशासनिक हिंदी वह हिंदी है जिसका प्रयोग सरकारी, अर्ध–सरकारी और गैर–सरकारी कार्यालयों में किया जाता है। वास्तव में कार्यालय की सबसे बड़ी इकाई प्रशासन है, जिसके अंतर्गत सरकार को देश की आर्थिक, राजनैतिक, सुरक्षात्मक, शैक्षणिक, सामाजिक, साहित्यिक आदि अनेक दृष्टियों में प्रशासन का भार सँभालना पड़ता है। अत: इस प्रकार के कार्यों से सम्बन्धित साहित्य कार्यालयी या सरकारी साहित्य कहलाता है। इस कार्यालयी साहित्य में सरकार के कार्यालयी कार्यवत्तों का विवरण, विवेचन होता है। सरकारी पदों और कार्यालयी, कार्यवृत्तों का विवरण विवेचन होता है। सरकारी पदों और कार्यकलापों को सर्वमान्य संज्ञा देना, विभिन्न नियम–विनियम बनाना; अंतर मंत्रालयी और अंतर विभागीय पत्र–व्यवहार आदि कार्यालयी साहित्य के अंतर्गत आते है। इस कार्यालयी साहित्य की अपनी विशिष्ठ भाषा होती है। जिसमें कार्यालयी प्रयुक्ति की भाषागत संरचना और शाब्दिक अन्विति महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारी साहित्य की प्रकृति के अनुसार कार्यालयी भाषा का स्वरूप निर्धारित होता है। टिप्पणी–प्रारूप लेखन, पत्राचार संसदीय कार्य और प्रतिवेदन से लेकर सरकारी नीति सम्बन्धी विवरण तक के साहित्य की भाषा–अपने–अपने रूप को लिए होती है। इसीलिए इसकी प्रकृति में भी उसी प्रकार विविधता पायी जाती है जिस प्रकार सर्जनात्मक साहित्य की विविधता अपनी विधा में मिलती है।

कार्यालयी साहित्य की प्रवृत्ति के आधार पर कार्यालयी भाषा के पाँच गुण माने गए है–

1) निर्वैयक्तिकता, 2) तथ्यों में स्वपूर्णता और स्पष्टता, 3) यथासंभव असंदिग्धता, 4) वर्णनात्मकता, 5) तकनीकि–अर्धतकनीकि भाषा प्रयोग।

1. निर्वैयक्तिकता–

सरकारी तंत्र में अधिकारों का वितरण सोपान क्रम के आधारपर होता है। अत: प्रत्येक अधिकारी या तो अपने उच्चाधिकारी के आदेश का पालन करता है या निम्न अधिकारी को आदेश देता है या सरकारी निर्णयों की सूचना देता है। इसलिए सरकारी अधिकारी का सरकारी आदेशों में कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। वह अधिकारी व्यक्तिगत रूप में कुछ न कहकर, निर्वैयक्तिक रूप

में कहता है। जैसे- पत्र भेजा जा रहा है, सूचित किया जा रहा है, आदि। कार्यालय में व्यक्ति प्रशासन का अंग होता है, इसीलिए कार्यालय के सभी पत्रादि प्रशासन की ओर से लिखे जाते हैं। यही कारण है कि कार्यालयी हिंदी में कर्मवाच्य की प्रधानता रहती है।

2. तथ्यों में स्वपूर्णता और स्पष्टता-

कार्यालयी हिंदी में तथ्यों पर अधिक बल दिया जाता हैं। साथ में यह अपेक्षा की जाती है कि वे तथ्य अपने आप में पूर्ण तथा स्पष्ट हो। प्रशासन के क्षेत्र में संदेह और भ्रांति को अलंकार नहीं, भाषा का दोष माना जाता है। इसके अभाव कभी-कभी पत्रों की उपेक्षा हो जाती है, या कारवाई में विलंब हो जाता है।

3. यथासंभव असंदिग्धता-

कार्यालयी हिंदी में प्रयुक्त शब्दों वाक्यों के सरल, स्पष्ट और सुबोध होने की अपेक्षा होती है। यदि भाषा में क्लिष्टता, अस्पष्टता और अप्रचलित प्रयोग होता है, तो संदिग्धता की गुंजाईश रहती है। द्वि-अर्थी या अनेकार्थी होने से कारवाई में बाधा पड़ती हैं या उसमें कोई गलती होने की संभावना होती है। अभिधा शक्ति ही कार्यालयी हिंदी की शक्ति होती है।

4. वर्णनात्मकता-

कार्यालयी हिंदी में आवश्यक तथ्यों का विवरण दिया जाता हैं। इस विवर में विचाराधीन विषय से सम्बन्धित सारी सामग्री को क्रमवार दिया जाता है। इसमें प्रत्येक मामलो का संक्षिप्त विवरण देते हुए मुख्य कथ्य का परिचय दिया जाता है, और उसके बाद निष्कर्ष देता उचित समझा जाता है। इसमें मूल्यांकन को गुंजाइश कम रहती है, कार्यालयी हिंदी में तथ्यों का सही-सही निरूपण होना आवश्यक है।

5. तकनीकि-अर्धतकनीकि भाषा प्रयोग-

कार्यालयी भाषा मुख्यत: तकनीकि-अर्धतकनीकि होती है। इसीकारण सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में प्रयुक्त होनेवाली शब्द या वाक्य किसी विशेष क्षेत्र के लिए रूढ़ हो जाते है और इन शब्दों या वाक्यों का प्रयोग इससे बाहर किया जाय तो वे अटपटे लगते है। ये सामान्य बोलचाल की हिंदी में प्राय: सार्थक और उपयुक्त नहीं होते। किन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि, कार्यालयी हिंदी की शब्दावली और वाक्य-विन्यास हिंदी की प्रकृति के अनुकूल है।

1.3.6 वाणिज्यिक हिंदी–

वाणिज्यिक हिंदी की औद्योगिक क्रांति के बाद उसकी व्याप्ति मात्र राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय बहुआयामी हो गयी है। माल या वस्तु के उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुँचने तक की सम्पूर्ण गतिविधियाँ 'वाणिज्य' में आ जाती है। यातायात, व्यापार तथा औद्योगिक क्षेत्र में संबंधित सरकारी–अर्धसरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठानों के कार्यालय, बीमा, बैंक आदि भी इसी के अंतर्गत आ जाते है। 'व्यावसायिक संप्रेषण' के अंतर्गत पत्र–व्यवहार तथा विज्ञापन, इसकी उप–प्रयुक्तियाँ है। कुल मिलाकर 'वाणिज्य–व्यापारिक हिंदी' का व्यवहार–क्षेत्र अतिव्यापक एवं विशाल है। वाणिज्यिक हिंदी की विशेषताएँ इस प्रकार हैद्ध

1.3.6.1 विभिन्न स्त्रोतों की शब्दावली –

वाणिज्य हिंदी में पारिभाषिक अर्धपारिभाषिक तथा सामान्य शब्दों का प्रयोग होता है। ये शब्द विभिन्न स्त्रोतों में आते है। जैसे– परम्परागत, तत्सम, देशज, आगत, प्रयुक्ति के लिए निर्मित तथा अन्य प्रयुक्ति से आगत। मूल्य, व्यय, धन, वित्त, वृद्धि, चक्रवृद्धि, आदि मूल संस्कृत शब्द है जो अन्य भारतीय भाषाओं में भी प्रचलित है। वाणिज्य प्रयुक्ति संबंधी बैंक, विमा, यातायात तथा सरकारी कार्यालयों से है। 'विक्रय–क्षेत्र' के अंतर्गत जहाँ एक ओर सामान्य शब्दावली का प्रयोग होता है, तो विज्ञापन के रूपमें इसका संबंध जनसंचार माध्यमों से आ जाता है। अत: उस क्षेत्र में संबंधित शब्दावली का प्रयोग होता है।

1.3.6.2 उप–प्रयुक्तियों के रूप अनुरूप भाषिक संरचना –

वाणिज्य–व्यवसाय में वस्तु उत्पादन, यातायात, विक्रय एवं विज्ञापन से सम्बन्धित भाषा रूपों का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें भी कार्यालयी प्रबंधन, पत्राचार तथा विज्ञापन की भाषिक संरचना एक दूसरे से पृथ्क होती है। प्रबंधन में कार्यालयीं शैली का प्रयोग होता हैं साथ ही वही–खाता–लेखन आदि की अपनी संरचना होती है। पत्राचार की भी कई शैलियाँ होती है। विज्ञापन की भाषा आकर्षक होती है।

1.3.6.3 जन–संचार माध्यमों की हिंदी –

बहुत बड़े आकार के बिखरे लोगों तक संचार माध्यमों द्वारा संदेश व सूचना पहुँचाना। हिंदी भारत की सम्पर्क भाषा रही है। इसलिए जन–संचार माध्यमों के साथ उसका सम्बन्ध अटूट रहा है। हिंदी सहज और संप्रेषणशील है इसीकारण जनता सहजता से समझ जाती है। समाचार पत्रों में लिखित भाषा का प्रयोग होता है। आकाशवाणी–दूरदर्शन पर अधिकांशत: मौखिक या उच्चरित भाषा कां

प्रयोग होता है। दूरदर्शन की भाषा मौखिक है लेकिन आकाशवाणी की भाषा में अलग होती है। जन-संचार माध्यमों की भाषा प्रभावशील होती है। समाचार-पत्र की भाषाई प्रभावशीलता उसकी लेखन शैली पर निर्भर होती है और आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की भाषाई प्रभावशीलता उसके संभाषण तथा उच्चारण शैली पर निर्भर होती है।

1.3.7 विज्ञापन की हिंदी-

21 वी सदीं को अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे- वैज्ञानिक क्रांति, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को गतिमान करनेवाली संगणकीय क्षेत्र में नया इतिहास रचानेवाली और विज्ञापन के माध्यम से पूरे विश्व को 'ग्लोबल व्हिलेज' बनानेवाली सदी। वर्तमान समय में पूरा विश्व इस सदी को 'विज्ञानपन की सदी' के रूप में जानता है। इसका महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि विज्ञापनों के माध्यम से विश्व को जोडने का, नजदीक लाने का और विश्ववासियों को बौद्धिक नागरिक बनाने का कार्य किया जा रहा है।

विश्व के अधिकांश देशों ने जैसे 'डंकेल' प्रस्ताव का स्वीकार किया वैसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया अधिक गतिमान हुई है। परिणामस्वरूप हर देश उपभोक्तावादी बनता जा रहा है। इसमें विज्ञापनों का अनन्यसाधारण महत्त्व है। विश्व के कोने-कोने में उपभोक्तावाद के पहुँचने और हर देश के उपभोक्तावाद के प्रवाह में लाने का इसे गतिमान बनाने का कार्य प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में विज्ञापनों के माध्यम से हो रहा है। उत्पादित वस्तु किसी भी देश की हो, उसे खरीदने के लिए ग्राहकों को मजबूर करने का काम मिडिया के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ कर रही है। परिणामस्वरूप विज्ञापनों का महत्त्व दिन-ब-दिन बढता जा रहा है। आजकल चौबीसों घंटों विज्ञापनों का सिलसिला जारी रहा है। हम विज्ञापन सुनकर सोते हैं, विज्ञापन सुनकर जागते है। हमारी सुबह विज्ञापन से शुरू होती है और हमारी शाम विज्ञापन सुनने या देखने में ही ढल जाती है।

इस विज्ञापन युग में हमारी जीवनशैली बनाने या बिगड देने का काम विज्ञापन करता है। मनोरंजन के माध्यम से प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रेरित करने का काम विज्ञापन करता है। विज्ञापन देखकर या सुनकर हम कभी अचरज में पडते है, कभी हक्का-बक्का हो जाते है।

वास्तव में विज्ञापन एक कला है, विद्वानों नें इसे 65 वी कला मानी है। कला कैसी भी हो उसके लिए साधना अनिवार्य होती है। 'विज्ञापन' क्षेत्र में माहिर होने के लिए साधना आवश्यक होती है। साथ ही विज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए। आजकल विज्ञापन का क्षेत्र बढ़ता ही जा रहा है। आज विज्ञापनों के लिए मौलिक माध्यम, श्राव्य माध्यम, दृश्य माध्यम और दृश्य-श्राव्य माध्यमों के साथ इंटरनेट, वॉटस्अप का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया जा रहा है।

माध्यमों का स्वरूप ध्यान में लेकर विज्ञापन का मसौदा तैयार किया जाताहै। वर्तमान युग 'कारपोरेट इकॉनामी' का युग है। इस कारपोरेट इकॉनॉमी के सारे सूत्र बहुराष्ट्रीय कंपनीयों के हाथों में होते है। ऐसी कंपनियाँ विज्ञापन के लिए करोड़ों रूपये खर्च करती है। परिणामस्वरूप वर्तमान समय में विज्ञापन सबसे बड़ा व्यापार बन गया है। इससें कई लोगों की रोजी-रोटी की समस्या सुलझ गयी है।

विज्ञापन में विज्ञापित वस्तु और उपभोक्ताओं की आवश्यकता की ओर ध्यान दिया जाता है। विज्ञापन लेखन में शब्दों का महत्त्व अनन्यसाधारण होता है। अत:शब्दों और वाक्यों का प्रयोग सावधानी सें करना होता है। शब्दों में गागर में सागर भरने की क्षमता होनी चाहिए। उपभोक्ताओं और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अतिश्योक्ति और व्यंग्य शैली प्रभावी रूपसे प्रयोग करता है। दृश्य माध्यमों के विज्ञापन के मसौदें में आकर्षक चित्तों, प्राकृतिक दृश्यों, सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सवों के छायाचित्रों का कुशलता से प्रयोग करना चाहिए। भाषा शृंगारिक होनी चाहिए। कम-से-कम लेकिन अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग होना चाहिए।

आधुनिक युग में विज्ञापन का विशेष महत्त्व है। प्रमुखत: विज्ञापन वाणिज्य और संचार का माध्यम है। आधुनिक युग में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, वैश्विक और आकर्षित करने की क्षमता विज्ञापन में होनी चाहिए। वस्तु की खपत बढाने के लिए विज्ञापन की आवश्यकता है। सफल विज्ञापन प्रारंभ में उपभोक्ता की रूचि का अनुसरण करते है। किन्तु धीरे-धीरे उन्हें अपने वस में कर अपनी रूचि के अनुसार संस्कार भी कर देते है। उदा-

1. ***स्वाद सुगंध का राजा,***
   बादशाह मसाला।
2. ***बालों की सुरक्षा करें,***
   क्लिनिक प्लस शैम्पू।
3. ***लाईफ बॉय है जहाँ***
   तंदुरूस्ती है वहाँ।

आज के विज्ञापन के युग में टायर से लेकर बिंदी तक और नमक से लेकर पानी तक का विज्ञापन आवश्य बन गया है। विश्व की समस्त सामाजिक व्यवस्था में एक शक्तिमान-हाथियार के रूप में विज्ञापन का प्रयोग किया जा रहा है। आज के युग में विज्ञापन को नकारकर हम जी नहीं सकते।

1.3.8 वैज्ञानिक तथा तकनीकि हिंदी–

एक समय था जब वैज्ञानिक तथा तकनीकि विषयों पर संगोष्टियो, सम्मेलनों तथा बैठकों में चर्चा अँग्रेजी में ही हुआ करती थी। सौभाग्य मे अनेक तकनीकि संगोष्टियों अब हिंदी में होने लगी है। भारत में स्वाधीनता से पूर्व भी विज्ञान संबंधी कई पत्रिकाओं का प्रकाशन होता रहा है। आजकल इस प्रकार की पत्रिकाएँ अच्छी संस्था में निकलती है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद 'विज्ञान प्रगति पत्रिका' तथा 'बाल विज्ञान' प्रकाशित करती है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा 'आविष्कार' नामक उच्चस्तर की पत्रिका का प्रकाशन होता है।

वैज्ञानिक तथा तकनीकि क्षेत्र में हिंदी की प्रगति केवल पुस्तक लेखन तथा उनके प्रकाशन तथा सीमित नहीं रहीं है। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद ने वैज्ञानिक तथा तकनीकि भाषणमाला का प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली के निदेशक डॉ. अजित राम वर्मा ने प्रथम भाषण 'राष्ट्रीय मानक' विषय पर प्रयोगशाला सभागार में 16 फरवरी 1973 को हुआ। इसी प्रकार अन्य भाषण भी विविध वैज्ञानिक विषयों जैसे वायु-प्रदूषण, भूकम्प, अभियांत्रिकी, तारों में उर्जा उत्पादन, उपग्रह संचार, अंतर्दहन इंजन, लेसर, सौर उर्जा, दूरसंचार आदि विषयों के विद्वान अधिकारियों द्वारा हिंदी में हुए।

इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स (इंडिया) भारत के इंजिनियरों की एक विशाल संस्था है। उनका जनरल हिंदी में भी प्रकाशित होता है, जिसमें इंजिनियरी संबंधी मौलिक शोध सामग्री तथा विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों में हो रहें अनुसंधान कार्यों की रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है।

वैज्ञानिक तथा तकनीकि हिंदी में भौतिक, रसायन, वनस्पति और जीव ये विज्ञान के चारों शाखाओं से संबंधित भाषा और इंजिनियरी, प्रेस, फैकट्री आदि के प्रयुक्त भाषा रूप आ जाते है। इन सभी विभागों की अपनी-अपनी अलग शब्दावली होती है। इनकी संरचना में स्थूल समानता होती है।

1.3.9 साहित्य की हिंदी–

जिसका प्रयोग साहित्य में होता है। बोलचाल की भाषा की तुलना में प्राय: यह कुछ कम विकसित, कुछ अलंकृत, कुछ कठिन तथा कुछ परम्परानुगामिनी होती है। इसे काव्य भाषा भी कहते है।

हिंदी भारत और विश्व में सर्वाधिक बोली जानेवाली भाषाओं में से एक हैं। उसकी जड़े प्राचीन भारत की संस्कृत भाषसा में तलाशी जा सकती है। परंतु हिंदी साहित्य की जड़े मध्यकालीन भारत की अवधी, मागधी, अर्धमागधी तथा मारवाडी, जैसी भाषाओं के साहित्य में पाई जाती है। हिंदी में गद्य का विकास बहुत बाद में हुआ और इसने अपनी शुरुवात कविता के माध्यम से जो कि ज्यादातर लोकभाषा के साथ प्रयोग कर विकसित की गई। हिंदी का आरंभिक साहित्य अपभ्रंश में मिलता है। हिंदी में तीन प्रकार का साहित्य मिलता है।

1) गद्य, 2) पद्य, 3) चम्पू।

हिंदी की पहली रचना कौनसी है इस विषय में विवाद है लेकिन ज्यादातर साहित्यकार देवकीनन्दन खत्री द्वारा लिखे गये उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी की पहली प्रामाणिक रचना मानते.है।

भाषा के विकास क्रम में अपभ्रंश में हिंदी की ओर आते हुए भारत के अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग शैलीयाँ जन्मी। हिंदी इनमें से सबसे अधिक विकसित थी, अत: उसको भाषा की मान्यता मिली। अन्य भाषाएँ, शैलियाँ, बोलियाँ कहलाई। इनमें से कुछ में हिंदी के महान कवियों ने रचना की जैसे तुलसीदास ने रामचरित्र मानस अवधी में लिखा और सूरदास ने अपनी रचनाएँ ब्रजभाषा में लिखी। विद्यापति ने मैथिली में और मीराबाई ने राजस्थानी को अपनाया। हिंदी की विभिन्न बोलियों का साहित्य आज भी लोकप्रिय है। आज भी अनेक रचनाकार अपना लेखन अपनी-अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में करते है।

भारतेन्दु-युग के गद्यकार खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करते थे। खड़ीबोली का परिनिष्ठित रूप बहुत धीरे-धीरे विकसित हुआ। उन्नीसवी शताब्दी के आरम्भ को फोर्ट विलियम कॉलेज वालों की हिंदी और भारतेंदु-युग, के लेखनों की हिंदी में कोई विशेष अन्तर नहीं है। भाषा का आदर्शीकरण और स्थिरीकरण महावीरप्रसाद द्विवेदी ने किया। भाषा का परिष्कार करते का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मैथिलीशरण गुप्त ने किया। छायावादी कवियों को यह श्रेय दिया जा सकता है कि उन्होंने खड़ीबोली को काव्योपयुक्त बनाया। बाद में तो वह उन्मुक्त होकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकसित होने लगी। खड़ीबोली को परिनिष्ठित रूप देने में नागरी प्रचारिणी सभा; हिंदी साहित्य-सम्मेलन और विश्वविद्यालयों के हिंदी विभागों के अध्यापकों का बहुत सहयोग रहा है।

इस व्यक्तिवादी युग में हिंदी की अनेक शैलियों का होना स्वाभाविक है। यह सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति की भाषा दूसरे से भिन्न होती है। इसीलिए जितने लेखक है- उतनी शैलियाँ है। वर्तमान समय में खड़ीबोली सबके सामने है। आधुनिक हिंदी साहित्य को समृध्दशाली बनाने का श्रेय आ.महावीर प्रसाद द्विवेदी को दिया जाता है।

1.4 स्वयं–अध्ययन के लिए प्रश्न

प्रश्न 1 : निम्नलिखित प्रश्नों के निची दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए।

1. हिंदी की लिपि ..... है।
   (क) ब्रह्मी (ख) खरोष्टी (ग) गुरूमुखी (घ) देवनागरी
2. बच्चा जन्म के बाद ..... भाषा निरुपता है।
   (क) राष्ट्रभाषा (ख) संपर्कभाषा (ग) मातृभाषा (घ) वैश्यिक भाषा।
3. उत्तर प्रदेश ..... भाषा प्रदेश है।
   (क) कन्नड (ख) मराठी (ग) हिंदी (घ) गुजराती
4. भारतीय संविधान द्‌वारा कुछ ..... भाषाएँ स्वीकृत है।
   (क) 18 (ख) 21 (ग) 22 (घ) 19
5. महात्मा गांधी की मातृभाषा ..... थी।
   (क) राजस्थानी (ख) गुजराती (ग) हिंदी (घ) अवधी
6. बंगाल के साहित्यकार बाबू बंकिमचन्द्र चटर्जी ..... भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा मानते थे।
   (क) राजस्थानी (ख) हिंदी (ग) गुजराती (घ) बंगाली
7. भारत की राष्ट्रभाषा ..... है।
   (क) हिंदी (ख) मराठी (ग) गुजराती (घ) बंगाली
8. राजभाषा याने ..... की भाषा।
   (क) जनता की (ग) राजा अथवा शासक
   (ख) राजनीतियों की (घ) अधिकारीयों की
9. राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्‌वारा ..... नामक पत्रिका का प्रकाशन होता है।
   (क) अविष्कार (ख) बाल विज्ञान (ग) विज्ञान प्रगती (घ) बाल मनोविज्ञान
10. वैज्ञानिक तथा औद्‌योगिक अनुसंधान परिषद द्‌वारा ..... पत्रिका का प्रकाशन होता है।
    (क) बाल विज्ञान (ख) अविष्कार (ग) विज्ञान प्रगती (घ) बाल मनोविज्ञान

1.5 पारिभाषिक शब्द, शब्दार्थ

1. **अधिनियम (ऐकट)** : विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधी।
2. **व्यवऱ्हत** : प्रचलित, अनुष्ठित, व्यवहार या प्रयोग में लाया हुआ।
3. **प्रतिवेदन (रिपोर्ट)** : किसी घटना, कार्य, योजना आदि के संबंध में छाजवीन।

1.6 स्वयं–अध्ययन प्रश्नों के उत्तर

1. *(घ) देवनागरी।*
2. *(ग) मातृभाषा।*
3. *(ग) हिंदी।*
4. *(ग) 22।*
5. *(ख) गुजराती।*
6. *(ख) हिंदी।*
7. *(क) हिंदी।*
8. *(ग) राजा अथवा शासक।*
9. *(क) अविष्कार।*
10. *(क) बाल विज्ञान।*

1.7 सारांश

1. हिंदी विश्व की महान भाषाओं में से है। यह करोड़ो की मातृभाषा है और करोड़ों लोग ऐसे है जो इसे दूसरी भाषा के रूप में बोलते है। यह भाषा भारत के अधितम स्थान पर बोली जाती है।
2. सबसे प्रमुख बात तो मनोवृत्ति की है कि हम सब में अपनी मातृभाषा का गर्व हो और केवल विदेशी भाषा में दक्षता ही को हम अपनी प्रगति का मापदंड न बनाएँ।
3. हिंदी में वैज्ञानिक तथा तकनीकि साहित्य यथेष्ठ मात्रा में पहले उपलब्ध नहीं रहा तो यह हिंदी की दुर्बलता के कारण नहीं था। समय की आवश्यकताओं के अनुसार भाषा बढ़ती है और उसका स्वरूप बदलता है।

1.8 स्वाध्याय

अ) लघुत्तरी प्रश्न

1. राजभाषा का स्थान स्पष्ट करें।
2. वैज्ञानिक हिंदी का प्रयोग।

3. संपर्क भाषा का प्रयोग एवं महत्त्व।

4. वाणिज्यिक हिंदी महत्त्व स्पष्ट करें।

आ) दीर्घोत्तरी प्रश्न

1. मातृभाषा का महत्त्व विशद कीजिए।

2. संपर्क भाषा और राजभाषा का महत्त्व स्पष्ट कीजिए।

3. वाणिज्यिक हिंदी के रुपों को स्पष्ट कीजिए।

4. वैज्ञानिक हिंदी और तकनीकि हिंदी का महत्त्व स्पष्ट कीजिए।

1.9 क्षेत्रीय कार्य

1. हिंदी भाषा की विविध बोलियों की जानकारी प्राप्त कीजिए।

2. हिंदी भाषा के अन्य सभी रूपों का परिचय प्राप्त कीजिए।

3. वैज्ञानिक तथा तकनिकी में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दों की सूची बनाइए।

4. महाराष्ट्र में मराठी की कितनी बोलियाँ बोली जाती है? सूची बनाइए।

1.10 अतिरिक्त अध्ययन के लिए

1. विश्व के मानचित्र पर हिन्दी (तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर प्रकाशित, 1983, डॉ. रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव।

2. हिंदी का उत्सव, विकास और रूप, 1988, डॉ. हरदेव बाहरी।

3. भाषा विज्ञान, 1996, भोलानाथ तिवारी।

4. भारत की भाषाएँ और भाषा संबंधी समस्याएँ, 1957, सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या।

5. प्रयोजनमूलक हिंदी- संरचना और प्रयोग, 1999, डॉ. माधव सोनटक्के।

❑ ❑ ❑

इकाई–2

पत्राचार : सामान्य परिचय, रोजगार प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र

(i) सरकारी आवेदन पत्र का प्रारूप।

(ii) अर्धसरकारी आवेदन पत्र का प्रारूप।

(iii) गैर सरकारी आवेदन का प्रारूप।

अनुक्रम

2.1 उद्देश्य

2.2 प्रस्तावना

2.3 विषय–विवेचन

2.3.1 पत्र के अंग

2.3.2 सरकारी/शासकीय पत्र

2.3.3 सरकारी–अर्धसरकारी पत्र

2.3.4 गैर–सरकारी या अशासकीय पत्र या टिप्पणी

2.4 स्वयं–अध्ययन के लिए प्रश्न

2.5 पारिभाषिक शब्द, शब्दार्थ

2.6 स्वयं–अध्ययन प्रश्नों के उत्तर

2.7 सारांश

2.8 स्वाध्याय

2.9 क्षेत्रीय कार्य

2.10 अतिरिक्त अध्ययन के लिए।

2.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद –

1. पत्राचार के स्वरूप एवं प्रकारों को परिचित कराना।
2. प्रारूप तैयार करने में सहायता प्रदान करना।
3. रोजगार प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र को परिचित कराना।
4. सरकारी पत्र को परिचित कराना।
5. अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी पत्र को परिचित कराना।

2.2 प्रस्तावना

हिंदी में पत्रलेखन भी अन्य भाषाओं की तरह ही होता है। लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। हर भाषा के व्याकरण में थोडा बहुत अंतर अवश्यक होता है। यह हमें ज्ञात है। इसलिए इसकी कुछ बातों पर प्रकाश डालना आवश्यक है। पत्रलेखन से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण बाते इस प्रकार बनाई जा सकती है–

❑ पत्राचार का सामान्य परिचय –

✺ वार्तालाप–

पत्र लिखने समय आपको यह ध्यान रखना है कि जो पत्र आप लिख रहे हैं, पढ़नेवाले को कितना समझ में आएगा! क्योंकि जब कोई पत्र पढ़ता है तो आप वहाँ पर नहीं होते। आपका पत्र लेखन ऐसा हो कि आप उसके सामने नहीं होते हुए भी उसकों अनुभव दिलाते हैं कि मैं आपके पास हूँ।

✺ सरलता–

पत्रलेखन में सरल भाषा का प्रयोग हमेशा अच्छा माना जाता है। लेकिन शब्दों का प्रयोग और उलझे हुए वाक्य पाठक को निरर्थक एवं उबाऊ बना देते हैं।

✺ निश्चयात्मकता–

निश्चयात्मकता आपके पत्र में होनी चाहिए यदि पाठक को पत्र पढ़ने के बाद कोई शंका या दुविधा बनी रहती है तो पत्र लिखने का सारा उद्देश्य ही खत्म हो जाता है।

✺ संक्षिप्तता–

संक्षिप्तता से अपनी पूरी बात लिखा ही अच्छा पत्र लेखन माना जाता है। आप किसी बड़ी परीक्षा में पत्रलेखन का उत्तर लिख रहे हैं तो भी ध्यान रहे कि, किसी बात को आप दोबारा तो नहीं लिख रहे हैं।

✺ व्याकरण–

पत्रलेखन में व्याकरण का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आप व्याकरण में गलती करेंगे तो आपके द्वारा लिखे गए पत्र को अच्छा नहीं माना जा सकता। पत्र लिखने समय वाक्यों में व्याकरण पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

सामान्यत: पत्रलेखन के दो प्रकार है– अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र।

अनौपचारिक पत्र हिंदी में पत्र लेखन को ध्यान में रखें तो जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनसे आपका निजी परिचय है। और उनसे व्यक्तिगत संबंध भी है। इस तरह के पत्र लेखन में व्यक्तिगत सुख–दु:ख का ब्योरा एवं विवरण के साथ व्यक्तिगत संबंध को उल्लेखित किया जाता है। अपने परिवार के लोग मित्र एवं निकट संबंधियों को इस तरह के पत्र लिखे जाते है। औपचारिक पत्र, हिंदी में पत्र लेखन में ध्यान रखे की जिसको आप पत्र लिख रहे हैं; उनसे आपका कोई निजी परिचय नहीं है। यदि आपका व्यक्तिगत लगाव या परिचय भी हो तो लेखन में वह व्यक्त नहीं होना चाहिए। औपचारिक पत्र लेखन में मुख्यत: संदेश, सूचना एवं तथ्यों का ही अधिक महत्त्व होता है।

पाठ्यक्रम में रखे पत्र आवेदन पत्र होने के कारण औपचारिक पत्र प्रकार के अंतर्गत आते है। औपचारिक पत्र लेखन में आवेदन के साथ प्रार्थना पत्र, नौकरी के लिए आवेदन पत्र, सरकारी/अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के लिए आवेदन पत्र, सरकारी/अर्धसरकारी तथा

गैरसरकारी संस्थाओं के लिए आवेदन पत्र और संपादक के नाम आवेदन पत्र शामिल होते है। इन सभी प्रकार के पत्र लेखन के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे है किंतु इसके पूर्व उसके प्रारूप को ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है।

औपचारिक पत्र लेखन के प्रारूप में कुछ महत्त्वपूर्ण बाते इस प्रकार की है-

1. **शीर्ष भाग :** शीर्ष भाग में पत्र प्रेक्षक का पता बाई ओर लिखा जाता है तथा पत्र-प्रेषक अपना नाम के नीचे स्वनिर्देशित के बाद लिखते हैं।

2. **मध्य भाग :** मध्य भाग में संदेश विवरण होता है।

3. **अंतिम भाग :** अंतिम भाग आभार सूचक वाक्य जैसे धन्यवाद आदि का प्रयोग किया जाता है। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य है।

2.3 विषय-विवेचन

2.3.1 पत्र के अंग

(1) सबसे ऊपर भारत सरकार तथा संबंधी मंत्रालय का नाम।

(2) पत्र की क्रम संख्या तथा तिथि।

(3) भेजनेवाले का नाम और पदनाम (प्रेषक)।

(4) पानेवाले का नाम और पदनाम (प्रेषिती)।

(5) विषय।

(6) सम्बोधन।

(7) पत्र का कलेवर।

(8) स्वनिर्देश।

(9) भेजनेवाले के हस्ताक्षर और उसका पदनाम।

2.3.2 सरकारी/शासकीय पत्र (Office Letter)

सरकारी पत्र व्यवहार में सबसे अधिक मात्रा में प्रयुक्त होनेवाला यह एकमात्र पत्र लेखन प्रकार है। सरकारी कार्य संपादन के लिए इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों, दूतावासों, अन्तर्राष्ट्रीय संगठणों तथा स्वदेश स्थित विभिन्न मंत्रालयों के साथ इनका पत्र-व्यवहार चलता है। राज्य स्तर पर सरकार द्वारा दूसरी प्रांतीय सरकार, स्थानीय स्वायत्त निकायों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों, कर्मचारी संघों के लिए पत्रव्यवहार किया जाता है। इसके अलावा वे सभी पत्र जो किसी विभाग से भेजे जाते हैं और जो सरकार के आदेशों या विचार को अभिव्यक्त करते है; वे सरकारी पत्र कहते हैं। ऐसे पत्र सरकारी कार्य-व्यवस्था के अन्त: सूत्रों को जोडते हैं। लेकिन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय जब आपस में पत्रव्यवहार करते हैं तो सरकारी पत्रों का प्रयोग नहीं करते। उनका पत्रव्यवहार अर्धसरकारी पत्रों, अनौपचारिक टिप्पणियों या कार्यालय ज्ञापनों आदि तक ही सीमित रहता है। किसी मंत्रालय से सरकार के आदेशों या विचारों को व्यक्त करने के लिए लिखे जानेवाले सभी सरकारी पत्रों में यह स्पष्ट रूप से विशद किया जाता है कि- 'मुझे यह सूचित करने/आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है-' तो इसका अर्थ यही होता है कि सरकार की ओर से प्राप्त आदेशों, निर्देशों के अनुसार यह पत्र लिखा जा रहा है।

वे पत्र सरकार की ओर से प्राप्त आदेशों, निर्देशों के अनुसार सचिव, उपसचिव, अवरसचिव तथा अनुभाग अधिकारी लिखता है।

पत्र के प्रारंभ में इस प्रकार का सम्बोधन होना चाहिए-

(1) सरकारी अधिकारियों को लिखते समय- 'महोदय'।

(2) गैर सरकारी व्यक्तियों को लिखते समय- 'प्रिय महोदय'।

सभी सरकारी पत्रों के अंत में अधोलेख के रूप में 'भवदीय' लिखना चाहिए और उसके बाद क्रमश: हस्ताक्षर करनेवाले का पदनाम होना चाहिए।

यह पत्र प्रथम पुरुष एकवचन में लिखा जाता है। पत्र की भाषा आदर्श आलेखन के अनुशासन से शासित एवं प्रेरित होनी चाहिए। द्विअर्थी, भ्रमात्मक तथा अस्पष्ट अर्थान्तरकारी अथवा अर्थभेदक नहीं होनी चाहिए, उसमें एकार्थकता होनी चाहिए।

2.3.3 सरकारी–अर्धसरकारी पत्र

2.3.3.1 'सरकारी पत्र' की रूपरेखा

भारत सरकार

---------- मंत्रालय

पत्र संख्या :..... नई दिल्ली, तिथि :.....

प्रेषक,

सेवा में,

विषय : ह्न----------

महोदय,

मुझे यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि ह्न----------

---.

भवदीय,

(ह.) रामलखन रॉय

सचिव

भारत सरकार

नई दिल्ली, तिथि .....

आवश्यक जानकारी/कार्यवाही के लिए प्रतिलिपियाँ प्रेषित

(1) ह्न----------

(2) ह्न----------

(3) ----------

❁ **उदाहरण–1**

भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

पत्र संख्या : 04/10/19.

प्रेषक,

महादेवन अय्यर,
उपसचिव,
भारत सरकार।

सेवा में,

सहाय्यक महानिदेशक (हिंदी)
दिल्ली प्रशासन,
दिल्ली।

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2019

विषय : हिंदी कक्षाओं का पुनर्गठन।

महोदय,

मुझे उक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि जो हिंदी कक्षाएँ, प्रशिक्षार्थियों की संख्या में कमी होने के कारण समापत कर दी थी। उन्हें पुन: शुरू करने का निश्चय किया गया है। अत: निवेदन है कि आपके यहाँ हिंदी कक्षा जो बहुत समय से निलम्बित पडी है, यथाशीघ्र पुन: शुरू कर दी जाए।

इस संबंध में यदि आपको कोई विशेष कठिनाई अनुभव हो तो कृपया लिखें।

भवदीय,
महादेवन अय्यर
उपसचिव,
भारत सरकार।

जानकारी तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए

प्रतिलिपि प्रेषित :

(1) अधीक्षक, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली।

(2) लेखा अधिकारी, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली।

❀ **उदाहरण–2**

भारत सरकार

गृहमंत्रालय

पत्र संख्या : 29/7/18.

प्रेषक,

श्री. रामचंद्र वर्मा,
उपसचिव,
भारत सरकार।

सेवा में,

मुख्य सचिव,
महाराष्ट्र सरकार,
मुंबई।

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2018

विषय : राज्य में हुए युवकों के उपद्रव।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि भारत सरकार अभी कुछ दिन पूर्व आसाम में हुए युवकों के उपद्रवों को चिंता और शक की दृष्टि से देखती है। भारत सरकार ऐसा महसूस करती है कि इन उपद्रवों ने न केवल सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया था; बल्कि किसी हद तक वे अंतर्राष्ट्रीय भी हो गये थे। भारत सरकार का विचार है कि इस प्रकार की सभी गतिविधियों को कठोरतापूर्वक नियंत्रित किया जाना चाहिए, ताकि अन्य राज्यों में इसका प्रभाव और फैलाव न हो।

भवदीय,
रामचंद्र वर्मा
उपसचिव, भारत सरकार।

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2018

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए
प्रतिलिपि प्रेषित : मुख्य सचिव,
सभी राज्य सरकार।

2.3.3.2 अर्धसरकारी सरकारी पत्र की रूपरेखा

सरकारी कार्यालयों में अधिनस्थ अधिकारियों में आपसी विचार-विनिमय, सूचनाओं का आदान-प्रदान या किसी खास मामलें की ओर किसी अधिकारी का व्यक्तिगत रूप से ध्यान आकृष्ट करने के लिए जिन पत्रों का प्रयोग किया जाता है; उन्हें अर्धसरकारी पत्र कहते हैं।

इसमें औपचारिकता का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि यह पत्र अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है। इसमें आम पुरुष एकवचन का प्रयोग किया जाता है। इसकी भाषा मित्रतापूर्ण होती है। अर्धसरकारी पत्र में सम्बोधन और अधोलेख महत्त्वपूर्ण होता है। संबोधन व्यक्तिगत नाम से किया जाता है। नाम के पहले प्रिय या प्रियश्री लिखा जाता है। नाम के अंत में वरिष्ठता के कारण आदर वाचक 'जी' भी जोडा जा सकता है। अधोलेख में केवल 'आपका' प्रयोग होता है। इसके नीचे हस्ताक्षर किया जाता है। पदनाम का उल्लेख नहीं रहता। हस्ताक्षर के बाद नीचे पृष्ठ की बाई ओर पानेवाले अधिकारी का नाम और पदनाम दिया जाता है।

अर्धसरकारी पत्र का प्रयोग प्राय: समानस्तर के अधिकारियों के बीच होता है। छोटे अधिकारी को अपने से बडे अधिकारी के साथ अर्धसरकारी पत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अर्धसरकारी पत्र के लिए विशेष छपे पैड होते हैं। इस पत्र के प्रारंभ में ऊपर दाईं ओर अ.स.पत्र संख्या, भारत सरकार एवं विभाग छपा रहता है। इसके नीचे बाईं ओर प्रेषक का नाम पदनाम और दूरभाष नं. होता है। फिर इसके नीचे दाईं ओर स्थान तथा तिथि लिखा जाता है। अर्धसरकारी पत्र के मसौदे की भाषा में 'करें' साँचे का प्रयोग किया जाता है। लेकिन 'किया जाए' जैसे आदेशात्मक वाक्य या शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता।

2.3.3.2 अर्धसरकारी सरकारी पत्र की रूपरेखा

अर्धसरकारी प.सं.ढ----------

---------- सरकार

---------- मंत्रालय,

स्थान : ----------

तिथि, ...

के. स्वामी नाथन,
सचिव,
विभाग का नाम
सरकार का नाम

प्रिय श्री,

कृपया इस कार्यालय के प. सं..... तिथि ..... की ओर विशेष ध्यान दे और वांछित सूचना शीघ्र भेज दें।

आशा है आप सानंद होंगे।

आपका,

प्रेषिति का पत्ता :

❀ **उदाहरण–1**

अ.स.प.स. 21/4/19
भारत सरकार,
डाक, तार निदेशालय,
डाक भवन,
नई दिल्ली,
तिथि : 4 फरवरी 2019

डॉ. हिमाली के. लाल
अवर सचिव,
डाक, तार विभाग,
भारत सरकार।

प्रिय श्री. त्रिपाठी,

आपके पत्र क्रमांक 10/01/19, दि. 04 जनवरी 2019 के उत्तर में, मैं आपके सम्मुख एक सुझाव रखती हूँ। हिंदी पढ़नेवाले सरकारी कर्मचारियों की यथाशीघ्र परीक्षा लेकर अच्छे अंक प्राप्त करनेवालों को प्रोत्साहित करने के लिए नकद पुरस्कार की योजना की जानी चाहिए। इस विषय पर विचार-विमर्श हेतु तिथि 14 फरवरी, 2019 को सुबह 10 बजे सम्पर्क अफसरों की एक बैठक मेरे कार्यालय में होगी। आपसे अनुरोध है कि आप भी इस बैठक में उपस्थित होकर अपने विचार प्रकट करें।

आपकी,
(ह.) हिमाली के. लाल

श्री. केशवलाल त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
शिक्षा मंत्रालय,
भारत सरकार
नई दिल्ली.

❀ **उदाहरण–2**

अ.स.पं.सं. 40/6/18
भारत सरकार,
शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली,
तिथि : 24 अगस्त, 2018

राजन कोठारी
संयुक्त सचिव,
शिक्षा मंत्रालय,
भारत सरकार।

प्रिय, श्री. मयुर शिंदे,

कृपया विश्वविद्यालय नियमावली संशोधन के बारे में अपना दि. 22 जुलाई, 2018 का अर्ध-सरकारी पत्र संख्या, एफ.आर.7/22/19 देखिए।

मैं विश्वविद्यालय नियमावली के संशोधित मसौदे की एक प्रत इसके साथ भेज रहा हूँ। यदि आप इसे पढ़कर संशोधन के संबंध में अपने विचार यथाशीघ्र मुझे लिख, भेजे तो बड़ी कृपा होगी। इन नियमों को अंतिम रूप देने के लिए अगले महिने के आरंभ में विशेषज्ञ समिति की बैठक बुलाने का विचार है।

आपका
(ह.) राजन कोठारी

डॉ. गणेश जाधव
कुलपति, सोलापुर विश्वविद्यालय,
सोलापुर (महाराष्ट्र)।

2.3.4 गैर–सरकारी या अशासकीय पत्र या टिप्पणी (Unofficial Letter or U. O. Note, Reference)

गैर-सरकारी या अशासकीय पत्र के लिए अनौपचारिक पत्र या टिप्पणी भी कहते हैं। ऐसे गैर-सरकारी पत्र या टिप्पण विभिन्न मंत्रालयों के मध्य किसी प्रस्ताव पर उनके विचार या टिप्पणियाँ प्राप्त करने या किसी पूर्वादेश का स्पष्टीकरण करवाने या उनके यहाँ से कोई जरूरी कागज या सूचना

मँगवाने के लिए प्रयोग किये जाते हैं। कार्यालयों में अनौपचारिक निर्देश को दो प्रकार से काम में लाया जाता है।

(अ) पत्रावली (File) पर ही यथावश्यक टिप्पणी लिखकर पत्रावली को ही दूसरे मंत्रालय या कार्यालय में भेज दिया जाता है।

(ब) अपने आप में एक पूर्ण टिप्पणी या ज्ञापन बनाकर अलग से ही संबंधित मंत्रालय को भेजी जाती है।

गैर-सरकारी पत्रों की शुरू में सबसे प्रथम मंत्रालय का नाम लिखा जाता है। उसके नीचे विषय और विषय के नीचे विषयवस्तु लिखी जाती है। पत्र के प्रारंभ में संबोधन या अंत में किसी प्रकार के आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। पत्र के अंत में पत्र भेजनेवाले के हस्ताक्षर और पदनाम, दूरभाष नंबर तथा तिथि का उल्लेख किया जाता है। सबसे अंत में नीचे एक रेखा खींचकर उसके ऊपर पानेवाले अधिकारी का पदनाम, मंत्रालयों, कार्यालयों के नाम के साथ दिया जाता है। उसके नीचे प्रेषक का पदनाम, मंत्रालय, कार्यालय के नाम, गैर सरकारी पत्र की संख्या और तिथि दी जाती है। ये पत्र सामान्यत: अन्य पुरुष एकवचन में लिखे जाते हैं। ऐसे पत्र डाक से नहीं भेजे जाते हैं। किसी अधिनस्थ व्यक्ति के माध्यम से संबंधित विभाग में पहुँचा दिये जाते हैं।

2.3.4.1 गैर-सरकारी या अशासकीय पत्र या टिप्पणी

❁ **उदाहरण-1**

शिक्षा मंत्रालय

(नियुक्ति विभाग)

विषय : वेतनश्रेणी निश्चिति।

वेतनश्रेणी निश्चिति विषय में ऐसा कुछ नियमों से स्पष्ट नहीं है कि वेतन निर्धारण करते समय उच्च माध्यमिक महाविद्यालय से सेवारत कर्मचारियों का वेतन संरक्षित किया जा सकता है।

इस संबंध में वित्त मंत्रालय से परामर्श करना उचित जान पडता है। यदि वित्त मंत्रालय इस संबंध में स्पष्ट निर्देश या स्पष्टीकरण दे सके तो शिक्षा मंत्रालय आभारी होगा।

(ह.) शमाली मेहता
अवर सचिव, भारत सरकार।

वित्त मंत्रालय,
अवर सचिव, शिक्षा मंत्रालय। अ.पत्र संख्या 14/8/19, तिथि-15 अप्रैल, 2019

❀ **उदाहरण–2**

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

विषय : पहचान पत्र का चोरी हो जाना/खो जाना/नष्ट हो जाना.

इस सम्बंध में वर्तमान नियम यह है कि यदि किसी कर्मचारी का पहचान पत्र चोरी हो जाए या खो जाए या नष्ट हो जाए तो उसे तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। ताकि उस पहचान पत्र का कोई दुरुपयोग न कर सके। साथ ही शासकीय खजाने में 10 रुपये का शुल्क भी जमा कर देना चाहिए।

इस मंत्रालय के श्री. रामकृष्ण पाटील इसी माह की 30 तिथि को सेवानिवृत्त होनेवाले हैं, उनका पहचान पत्र खो गया है। इस समय वे सेवानिवृत्ति पूर्ण छुट्टी पर हैं और उन्हें अब पहचान पत्र की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रश्न यह है कि क्या उनके मामले में भी उक्त वर्तमान नियम का पालन किया जाए।

यदि विधि मंत्रालय इस सम्बंध में अपनी सलाह दे सके तो यह मंत्रालय कृतार्थ होगा।

(ह.) चंद्रकांत शर्मा
अवर सचिव
दूरभाष : 110024

विधि मंत्रालय,
अवर सचिव,
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय।

अ.पत्र संख्या–14/4/19,
तिथि : 10 मार्च, 2019

रोजगार प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र

उदाहरण–1 : प्राचार्य, कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, मेढा, जिला सातारा के नाम हिंदी प्राध्यापक पद के लिए आवेदन पत्र हा प्रारूप तैयार कीजिए।

श्री. अक्षय घाडगे
ग्राम - विटा,
तहसिल - खानापुर,
जिला - सांगली.
पिन - 416311.
तिथि : 20 नवंबर, 2018

सेवा में,

मा. प्राचार्य,
कला व वाणिज्य महाविद्यालय,
मेढा, ता. मेढा, जि. सातारा।

विषय : हिंदी प्राध्यापक पद के लिए आवेदन पत्र।

संदर्भ : 'दैनिक लोकमत' तिथि : 18 नवंबर, 2018 का विज्ञापन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विनम्रता के साथ मैं आपके विज्ञापन के अनुसार हिंदी प्राध्यापक पद के लिए आवेदन पत्र भेज रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत जानकारी एवं शैक्षिक योग्यताएँ इस प्रकार -

पूरा नाम - श्री. अक्षय संभाजी घाडगे
जन्म तिथि - 01 जुलै, 1990
भ्रमणध्वनि - 9766481053
धर्म एवं जाति - हिंदू-मराठा
शैक्षिक योग्यताएँ - एम.ए., एम.फिल., पीएच्.डी., नेट (हिंदी)।

अ.नं.	उपाधि	विश्वविद्यालय	अंक	श्रेणी	उत्तीर्ण साल
1.	नेट	यु.जी.सी. (नई दिल्ली)	--	उत्तीर्ण	2014
2.	पीएच्.डी.	शिवाजी विश्वविद्यालय	--	'A'	2018
3.	एम.फिल्.	-- -- '' -- --	--	'A'	2015
4.	एम.ए.	-- -- '' -- --	79%	प्रथम	2012
5.	बी.ए.	-- -- '' -- --	83%	प्रथम	2010

✍ **अध्ययन का अनुभव –**

अ.नं.	महाविद्यालय का नाम	पढ़ाई गई कक्षाएँ	कार्य की अवधि
1.	बळवंत कॉलेज, विटा ता. खानापुर, जि. सांगली.	बी. ए. और एम. ए.	जून 2015 से अब तक

✍ **विशेष योग्यताएँ–**

✠ **प्रकाशन कार्य :–** 1) 'नाटक : स्वरूप एवं अवधारणा' नामक किताब प्रकाशित (ABS प्रकाशन, वाराणसी)।

2) 'अनुसंधानात्मक आलेख प्रकाशित।

✠ **विशेष प्राविण्य :–** बी. ए. एवं एम. ए. की परीक्षाओं में विश्वविद्यालय द्वारा सुवर्णपदक प्राप्त।

✠ **अन्य जानकारी :–** 1) राष्ट्रीय सेवा योजना तथा एन.सी.सी. में सक्रिय सहभाग।

2) अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय राज्यस्तरीय संगोष्टियों में 21 अनुसंधनात्मक आलेख प्रस्तुत।

3) महाविद्यालय की विविध समितियों में सक्रिय प्रतिभाग।

4) क्रीडा विभाग में विश्वविद्यालय स्तर पर विशेष प्राविण्य।

मुझे आशा है कि आप मेरे आवेदन पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके मुझे अपने महाविद्यालय में सेवा का सुअवसर प्रदान कर कृतार्थ करें।

सधन्यवाद....!

आपका विश्वासभाजन,

(श्री. अक्षय संभाजी घाडगे)

संलगन – (साक्षांकित प्रतिलिपियाँ)

1) बी. ए. अंकपत्र - 01
2) एम. ए. अंकपत्र - 01
3) एम.फिल्. प्रमाणपत्र - 01
4) पीएच्.डी. प्रमाणपत्र - 01
5) नेट प्रमाणपत्र - 01
6) कार्य अनुभव प्रमाणपत्र - 01

2.4 स्वयं–अध्ययन के लिए प्रश्न

प्रश्न 1 : निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए पर्यायों में से उचित पर्याय चुनकर वाक्य फिर से लिखिए।

1. सरकारी पत्र में सबसे पहले ..... लिखा जाता है।
   (अ) विभाग का नाम *(इ) अधिकारी का नाम*
   (आ) सरकार का नाम *(ई) व्यक्तिगत नाम*

2. सरकारी पत्र ..... के हस्ताक्षर से दिया जाता है।
   (अ) ज्यु. क्लर्क *(इ) अधीक्षक*
   (आ) सिनियर क्लर्क *(ई) प्रमुख अधिकारी*

3. सरकारी पत्र में स्वनिर्देश के लिए ..... का उल्लेख किया जाता है।
   (अ) आपका विश्वासू *(इ) भवदीय*
   (आ) आपका विश्वासभाजन *(ई) आपका*

4. अर्धसरकारी पत्र में स्वनिर्देश के लिए ..... का उल्लेख किया जाता है।
   (अ) भवदीय *(इ) आपका विश्वासभाजन*
   (आ) आपका *(ई) आपका विश्वासू*

5. अर्धसरकारी पत्र में सबसे पहले ..... लिखा जाता है।
   (अ) पत्र क्रम संख्या *(इ) विभाग का नाम*
   (आ) अधिकारी का नाम *(ई) सरकार का नाम*

6. रोजगार प्राप्ति हेतु पत्र में ..... जानकारी आवश्यक है।
   (अ) सामाजिक *(इ) धार्मिक*
   (आ) राजनीतिक *(ई) व्यक्तिगत*

2.5 पारिभाषिक शब्द, शब्दार्थ

1. **औपचारिक** : जो केवल दिखाने को किया गया हो। (फार्मल)

2. **अनौपचारिक** : जो औपचारिक न हो। (इन फार्मल)

3. **शीर्ष** : किसी चीज का सबसे ऊँचा या ऊपरी भाग।

4. **वित्त** : धन।

5. **पुनर्गठन** : दोबारा किया जानेवाला गठन।

6. **विधि** : व्यवस्था/प्रबंध/रीति/प्रणाली/तरीका।

2.6 स्वयं–अध्ययन प्रश्नों के उत्तर

1. *(आ) सरकार का नाम*
2. *(ई) प्रमुख अधिकारी*
3. *(इ) भवदीय*
4. *(आ) आपका*
5. *(अ) पत्र क्रम संख्या*
6. *(ई) व्यक्तिगत*

2.7 सारांश

सरकारी पत्र भारत सरकार या राज्य सरकार की ओर से उनके आदेशों या विचारों को व्यक्त करने के लिए लिखे जाते हैं। व्यक्तियों के साथ संपर्क स्थापन करने के लिए सरकारी पत्र लिखे जाते हैं। लेकिन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में आपस में पत्र व्यवहार के लिए सहकारी पत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। साथ ही संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों में पत्र–व्यवहार करते समय सरकारी पत्र का प्रयोग किया जाता है।

अर्धसरकारी पत्र का प्रयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच किसी समती या जानकारी की सूचना या आदान–प्रदान के लिए किया जाता है। इस पत्र का प्रयोग उस समय भी किया जाता है जबकि किसी व्यक्ति का ध्यान किसी खास मामले की ओर आकर्षित करना हो और जिसके संबंध में कार्यवाही में बहुत विलंब हो गया है। रोजगार प्राप्ति हेतु कार्यालयीन प्रारूप में आवेदन लिखा जाए तो उसका प्रभाव अधिक रहता है, युक्त जानकारी संबंधित कार्यालय को

प्राप्त होती है। उम्मेदवार की व्यक्तिगत योग्यता, अनुभव, आयु, कार्यकुशलता की पहचान होती है।

2.8 स्वाध्याय

अ) लघुत्तरी प्रश्न।

1. सरकारी पत्र का महत्त्व विशद कीजिए।
2. अर्धसरकारी पत्र का स्वरूप लिखिए।
3. कार्यालयीन पत्र लेखन की जानकारी कीजिए।
4. रोजगार प्राप्ति हेतु पत्र का महत्त्व स्पष्ट कीजिए।

आ) दीर्घोत्तरी प्रश्न।

1. भूषण भोसले, गृहमंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय के उपसचिव अधिकारी को हिंदी की जानकारी कार्यालयीन कामकाज की गति बढाने के दृष्टि से कर्मचारियों की परीक्षा लेने की सूचना करते हुए अर्धसरकारी पत्र लिखते है। प्रारूप तैय्यार कीजिए।
2. भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के उपसचिव, दिनेश शर्मा, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के नाम महाराष्ट्र के बाढ पीडितों की सहायता के लिए पत्र लिखते है। सरकारी पत्र का प्रारूप तैय्यार कीजिए।
3. भारत सरकार के दूरभाष विभाग में 'हिंदी अनुवादक' पद की पूर्ति के दृष्टि से युक्त उम्मीदवार की ओर से आवेदन पत्र की मांग की जा रही है। नौकरी के लिए आवेदन पत्र (रोजगार प्राप्ति) हेतु प्रारूप तैय्यार कीजिए।

2.9 क्षेत्रीय कार्य

- अपने शहर के सरकारी कार्यालय में जाकर सरकारी, अर्धसरकारी पत्र लेखन संबंधी अधिकाधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। साथ ही सरकारी, अर्धसरकारी कार्यालय के अधीक्षक तथा प्रमुख अधिकारी के साथ पत्र लेखन संबंधी संवाद एवं साक्षात्कार का आयोजन किया जाए।

2.10 अतिरिक्त अध्ययन के लिए।

1. प्रयोजनमूलक हिंदी – संरचना और प्रयोग, 1999, डॉ. माधव सोनटक्के।
2. प्रयोजनमूलक हिंदी – डॉ. विनोद गोदरे।
3. व्यावहारिक पत्रलेखन – डॉ. के. पी. शहा।
4. पत्रकारिता : विविध विधाएँ – डॉ. राजकुमारी रानी।
5. प्रयोजनमूलक हिंदी – डॉ. प्रमिला अवस्थी।

❑ ❑ ❑

इकाई–3

अनुवाद और विज्ञापन : स्वरूप, प्रकार, महत्त्व, उपयोगिता।

अनुवाद कार्य तथा विज्ञापन लेखन। (विज्ञापन से संबंधित)।

अनुक्रम

3.1 उद्देश्य

3.2 प्रस्तावना

3.3 विषय–विवेचन

3.3.1 अनुवाद का स्वरूप

3.3.2 अनुवाद के प्रकार

3.3.2.1 साहित्यिक विधा के आधार पर अनुवाद के प्रकार।

3.3.2.1.1 कथानुवाद।

3.3.2.1.2 काव्यानुवाद।

3.3.2.1.3 नाट्यानुवाद।

3.3.2.2 प्रयोजन के आधार पर अनुवाद के प्रकार।

3.3.2.2.1 कार्यालयीन अनुवाद।

3.3.2.2.2 वैज्ञानिक एवं तक अनुवाद।

3.3.2.2.3 मानविकी अनुवाद।

3.3.2.2.4 संचार माध्यम के अनुवाद।

3.3.2.2.5 विज्ञापन के अनुवाद।

3.3.2.3 प्रकृति के आधार पर अनुवाद के प्रकार।

3.3.2.3.1 शब्दानुवाद

3.3.2.3.2 भावानुवाद

3.3.2.3.3 छायानुवाद

3.3.2.3.4 आशुअनुवाद

3.3.2.3.5 रूपांतरण

3.2.2.3.6 अधिकानुवाद

3.3.2.3.7 आदर्श अनुवाद

3.3.2.4 अनुवाद का महत्त्व।

3.3.2.4.1 सामाजिक एवं व्यवहारिक महत्त्व।

3.3.2.4.2 शैक्षणिक एवं ज्ञानात्मक महत्त्व।

3.3.2.4.3 साधन के रूप में अनुवाद।

3.3.2.4.5 भाषाओं का तुलनात्मक व्यतिरेकी अध्ययन

3.3.2.4.6 तुलनात्मक साहित्य विवेचन।

3.3.2.4.7 साध्य रूप में अनुवाद।

3.3.2.5 अनुवाद की उपयोगिता।

3.3.2.5.1 राष्ट्रीय एकता के लिए उपयोगी।

3.3.2.5.2 संस्कृति के उन्नयन में उपयोगी।

3.3.2.5.3 साहित्य के अध्ययन में उपयोगी।

3.3.2.5.4 व्यवसाय में उपयोगी।

3.3.2.5.5 नवीनतम् ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी।

3.3.2.6 अनुवाद का कार्य।

3.3.2.6.1 प्रारूप-1

3.3.2.6.2 प्रारूप-2

3.3.2.6.3 प्रारूप-3

3.3.2.7 विज्ञापन लेखन।

3.3.2.7.1 विज्ञापन लेखन प्रारूप-1

3.3.2.7.2 विज्ञापन लेखन प्रारूप-2

3.4 स्वयं-अध्ययन के लिए प्रश्न

3.5 पारिभाषिक शब्द, शब्दार्थ

3.6 स्वयं-अध्ययन प्रश्नों के उत्तर

3.7 सारांश

3.8 स्वाध्याय

3.9 क्षेत्रीय कार्य

3.10 अतिरिक्त अध्ययन के लिए।

3.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आपको -

1. अनुवाद के स्वरूप का ज्ञान होगा।
2. अनुवाद के प्रकारों का ज्ञान होगा।
3. अनुवाद के महत्त्व का ज्ञान होगा।
4. अनुवाद की उपयोगिता का ज्ञान होगा।

5. अनुवाद कार्य के प्रारूप का ज्ञान होगा।

6. विज्ञापन कार्य के प्रारूप का ज्ञान होगा।

3.2 प्रस्तावना –

आधुनिक युग में शिक्षा केवल ज्ञानार्जन का माध्यम न रहकर उपजिविका प्राप्त करने का साधन बन गई है। इस होड़ में अनुवाद रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रभावी माध्यम बन गया है। हिंदी पाठ्यक्रम में इस विषय की आवश्यकता एवं महत्त्व को ध्यान में रखकर रखा गया है। जिसका विवेचन करना अत्यंत महत्वपूर्व एवं छात्रोपयोगी कार्य है।

3.3 विषय–विवेचन –

3.3.1 अनुवाद का स्वरूप –

अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति 'वद्' धातु से हुई है। उसमें 'अनु' उपसर्ग जुडने के 'अनुवाद' शब्द बना है। इसमें 'वद्' का अर्थ है 'कथन' और 'अनु' का अर्थ है 'पीछे', पुनः, समान अथवा अनुरूप। अर्थात 'अनुवाद' का व्यत्पतिगत अर्थ है, पुन: कथन, एक बार कही हुई बात को दोबारा कहना। सामान्य रूप से कट्टे तो एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में समान रूप से या उसके अनुरूप फिर से कहना अनुवाद है। अनुवाद एक विशिष्ठ प्रकार का भाषा व्यवहार है। अंग्रेजी शब्द 'ट्रान्सलेशन' को ही हिंदी में 'अनुवाद' कहा जाता है। प्रस्तुत शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द 'ट्रान्स' तथा 'लेशन' के योग से हुई है; 'ट्रान्स' का अर्थ है- 'पार' और 'लेखन' का अर्थ है- 'ले जाने की क्रिया।' अर्थात 'ट्रान्सलेशन' शब्द का अर्थ 'पार ले जाने की क्रिया' अत: 'पारवहन'। अनुवाद के लिए अन्य नाम भी प्रचलित है- पुनरावृत्ति, पुन:कथन, प्रकारान्तर, भाषांतर आदि।

डॉ. भोलानाथ तिवारी अनुवाद को परिभाषित करते हुए कहते है- ''एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है।

3.3.2 अनुवाद के प्रकार –

वर्तमान काल में 'अनुवाद' उपयोगिता की कसौटी पर अधिक महत्वपूर्ण बन गया है।

3.3.2.1 साहित्यिक विधा के आधार पर अनुवाद के प्रकार –

साहित्य विभिन्न विधाओं के माध्यम से प्रकट होता होता है। जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण, आत्मकथा, रेखाचित्र, जीवनी, यात्रावृत्त आदि। इन सभी विधाओं के अनुवाद किए जाते हैं।

अध्ययन के लिए सुविधा के अनुवाद दिए गए प्रकार है- 1) कथानुवाद 2) काव्यानुवाद, 3) नाट्यानुवाद।

3.3.2.1.1 कथानुवाद –

गद्य का गद्य में या कथा साहित्य का कथासाहित्य में किया अनुवाद कथानुवाद कहलाता है। स्रोत भाषा की कथा का लक्ष्य भाषा में कथात्मक अनुवाद कथानुवाद कहलाया जाएगा। जैसे उपन्यास या कहानी का लक्ष्य भाषा में भी उपन्यास या कहानी के रूप में हुआ अनुवाद कथानुवाद कहलाएगा। इसके अंतर्गत लघुकथा, कहानी, लघुउपन्यास या बृहद उपन्यास आदि तक का अनुवाद किया जाता है। इसमें आवश्यकता इस बात की है कि अनुवादक को जिसका वह अनुवाद कर रहा है और जिस विधा में अनुदित कर रहा है उसकी कला का ज्ञान होना आवश्यक है। साथ ही साथ अनुवादक को स्रोत भाषा के उपन्यास या कहानी आदि की सामाजिक परिस्थिति, सांस्कृतिक कार्य, पात्रों के नामों के लिप्यांतरण का ध्यान रखना आवश्यक है। अगर वह उपन्यास या कहानी का अनुवाद कर रहा है तो उसकी भाषागत विशेषताएँ जैसे अलंकार, कहावते, मुहावरें, व्यंग्यात्मकता, आँचलिक शब्द आदि का भी अनुवाद अनुवादक द्वारा सटीक रूप से होना चाहिए। कहानी एवं उपन्यास के मूल पाठ को अनुदित करते समय धारा प्रवाह शैली में प्रस्तुत किया जाए कि जिससे उसमें सजीवता आ जाए।

उदाहरण के रूप में ग्रहण करें तो प्रेमचंद ने अपने उर्दू में लिखित उपन्यास 'बाजारे हुस्न' का स्वयं 'सेवासदन' नाम से हिंदी में अनुवाद किया है। यह हिंदी की एक मौलिक रचना मानी जाती है। सामान्यत: देखे तो सभी भाषाओं में कहानी और उपन्यास अधिक मात्रा में लिखे गए हैं। अन्य भाषाओं में अनुदित होने के कारण वे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके है। जैसे रविंद्रनाथ ठाकूर, शरतचंद्र, अमृता प्रितम, प्रेमचंद, चैखव, टॉलस्टॉय, दास्तोवास्की, वि. स. खांडेकर, विश्वास पाटील आदि।

3.3.2.1.2 काव्यानुवाद –

काव्य रचना का अनुवाद काव्यानुवाद कहलाता है। काव्यानुवाद पद्य का मुक्तछंद के साथ

ही गद्य में भी किया जाता है। श्री अरविंद के अनुसार ''काव्यानुवाद का कार्य केवल मूल के शब्दों को लक्ष्य भाषा में उतारना मात्र नहीं है, बल्कि उसके बिंब, काव्यसौंदर्य एवं शैली की विशेषताओं की भी पुनर्रचना करनी होती है।'' काव्यानुवाद में मूल पाठ में प्रस्तुत भावों के साथ ही उस पाठ की शैली, अर्थ, ध्वनि, लय, संगितात्मकता को भी लक्ष्य भाषा में उतारना पड़ता है। काव्यानुवाद करते समय अनुवादक को मूल कवि की आत्मा में प्रवेश करना होता है। इस प्रकार का अनुवाद पुन:सृजन की प्रक्रिया माना जाता है। परिणामत: कोई भावुक एवं कविहृदय अनुवादक ही यह कार्य कुशलतापूर्वक कर पाता है। अनुवाद कार्य के लिए यह विधा अन्य से कष्टसाध्य प्रतीत होती है। महाकाव्य, खण्डकाव्य, मुक्तक कविता का अनुवाद इसके अंतर्गत आता है। काव्यानुवाद के माध्यम से मूल या स्रोत भाषा का काव्यसौंदर्य लक्ष्य भाषा में अबाधित रूप रखता है। काव्यानुवाद के क्षेत्र में मानव पीछे नहीं रहा है। वेद, उपनिषद, बाइबल, कुराण और श्रीमद्भगवद्गीता के अनेक भाषाओं में गद्यानुवादों के साथ-साथ पद्यानुवाद भी उपलब्ध हैं। हिंदी में श्रीधर पाठक नें अंग्रेजी कवि गोल्डस्मिथ की कविताओं का बड़ा ही सुंदर काव्यानुवाद प्रस्तुत किया है।

3.3.2.1.3 नाट्यानुवाद –

नाटक विधा का नाटक में ही किया गया अनुवाद नाट्यानुवाद कहलाएगा। कहानी या उपन्यास का भी नाटक में अनुवाद किया जाता है, किंतु उसे नाट्य रूपांतर या विधांतर अनुवाद कहते है। प्रेमचंद की कहानियों का नाट्यरूपांतरण किया गया है। मन्नू भंडारी ने अपने 'महाभोज' उपन्यास का नाट्यरूपांतर किया है। नाटक में पाठ्य और रंगमंच के दो पहलू होते है। मूल नाटक के पाठ का अनुवाद और रंगमंच की दृष्टि से भी उसका अनुवाद करना आवश्यक होता है। इसके लिए रंगमंच की पूर्ण जानकारी एवं नाटक के तत्वों का अनुवादक हो ज्ञान होना आवश्यक है। नाटयानुवाद में स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अभिनेयता सुरक्षित रहनी चाहिए। रंगमंच के साथ ही नाटक के विषय के परिवेश संवादों के संदर्भ तथा भाषा की आत्मा आदि की सही और गहरी जानकारी रखनेवाला अनुवाद ही अपने उद्देश्य में सफल होता है। हिंदी में भारतेन्दु युग और द्विवेदी युग नाटक के अनुवाद क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण युग रहे हैं। इन युगों में संस्कृत, अंग्रेजी, बंगाली भाषाओं के नाटकों के हिंदी में किए गए अनुवादों की एक विस्तृत परंपरा मिलती है।

3.3.2.2 प्रयोजन के आधार पर अनुवाद के प्रकार –

मनुष्य द्वारा किसी न किसी प्रयोजन के कारण अनुवाद किए जाते है। प्रयोजन के आधार पर अनुवाद के कुछ प्रकार इस प्रकार किए गए है-

(1) कार्यालयीन अनुवाद (2) वैज्ञानिक एवं तकनीकि अनुवाद (3) मानविकी अनुवाद (4) संचार माध्यम के अनुवाद (5) विज्ञापन के अनुवाद।

3.3.2.2.1 कार्यालयीन अनुवाद –

कार्यालयीन अनुवाद में स्रोत भाषा की कार्यालयसंबंधी सामग्री को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत की जाती है। कार्यालय के कागजात, जैसे सरकारी पत्र, परिपत्र, सूचनाएँ, अधिसूचनाएँ, नियम, अधिनियम, प्रेस विज्ञाप्तियाँ, आलेखन, टिप्पण, विज्ञापन, प्रतिवेदन, तार, प्रमाणपत्र, आवेदन पत्र आदि का अनुवाद किया जाता है। इन कागजातों का लक्ष्य भाषा में चाहे प्रादेशिक भाषा, हिंदी और अंग्रेजी आदि भाषाओं में अनुवाद करके ही कार्यालयीन व्यवहार किया जाता है। कार्यालयीन अनुवाद की भाषा ही तकनीकि होती है। भाषा में सही अभिप्राय व्यक्त करने की क्षमता अनुवादक में होनी चाहिए। कार्यालयीन अनुवाद की भाषा शब्दों के अर्थ स्पष्ट और निसंदिग्ध व्यक्त होने चाहिए। भारत जैसे बहुभाषा भाषी देश में साथ ही भाषा निहाय प्रांत रचना होने के कारण इस प्रकार का अनुवाद अनिवार्य हो जाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, विभिन्न मंत्रालय आदि में द्विभाषा तथा बहुभाषा स्थिति (द्विभाषा सूत्र) के कारण कार्यालयीन अनुवाद के बिना काम नहीं चलता। अन्य देशों की शासन व्यवस्था से परिचय पाने के लिए भी इस प्रकार का अनुवाद उपयोगी सिद्ध होता है।

3.3.2.2.2 वैज्ञानिक एवं तकनीकि अनुवाद –

अनुवाद का यह भेद साहित्योत्तर अनुवाद के अंतर्गत आता है जैसे भौतिक, रसायन, जीव, प्राणी, वनस्पति, पर्यावरण, गणित, सांख्यिकी, संगणक, खगोल, भूगोल, यांत्रिकी तथा अभियांत्रिकी आदि अनेक विषयों का अनुवाद। विज्ञान का अधिकतर साहित्य अंग्रेजी या अन्य पाश्चात्य भाषाओं से अनुदित किया जाता है। साहित्यिक अनुवाद में अधिकतर भाव प्रमुख होते है, तो वैज्ञानिक अनुवाद में विचार प्रमुख होते है। स्रोत भाषा में व्यक्त वैज्ञानिक एवं तकनीकि सामग्री को लक्ष्य भाषा में अनुदित करते समय ध्यान रखा जाता है कि मूल की रचनाएँ सुरक्षित रहें। वैज्ञानिक एवं तकनीकि अनुवाद के लिए वस्तुनिष्ठता और तथ्यपरक भाषा का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। इसकी भाषा में स्पष्टता, सुबोधता होनी आवश्यक होनी है। वैज्ञानिक एवं तकनीकि अनुवाद में अभिव्यक्ति और शैली को महत्त्व नहीं होता। साहित्यिक अनुवाद की अपेक्षा वैज्ञानिक अनुवाद कम हो रहे है किंतु इसमें आवश्य बढ़त नजर आ रही है। वैश्विक स्तर भर यूरोप में एक वैज्ञानिक अनुवादक संगठन है। इन संगठनों के पास विशेषज्ञ अनुवादकों की सूची रहती है तथा ये संगठन इस प्रकार के अनुवाद कार्य को बढ़ावा देने का कार्य करते है।

3.3.2.2.3 मानविकी अनुवाद –

प्रस्तुत भेद सामाजिक शास्त्र शाखा से जुड़े विषयों से संबंधित है। समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, साथ ही भाषाविज्ञान आदि विषयों के अनुवाद मानविकी अनुवाद कहलाते है। सरल एवं स्पष्ट रूप से बनाया जा सकता है कि इस क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा, अनुसंधान, सर्वेक्षण, परियोजना और व्यवसायिक क्षेत्र आदि मानविकी अनुवाद का महत्त्व बढ़ रहा है। महाविद्यालय क्षेत्र में मातृभाषा में अध्ययन करने की सुविधा की माँग बढ़ने के कारण तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं में मातृभाषा के प्रयोग एवं सुविधा के कारण उच्च स्तरीय एवं विभिन्न भाषाओं के महत्वपूर्ण ग्रंथों को संदर्भ ग्रंथ के रूप में अपनाया जा रहा है, परिणामत: इस क्षेत्र के अनुवाद कार्य के प्रचूर मात्रा में एवं तेजी के साथ बढ़ावा प्राप्त हो रहा है। पाठ्यक्रम में पाठ्यपुस्तक के रूप में भी अनुवादित ग्रंथों को स्थान प्राप्त होने की आशा नजर आ रही है। अनेक देशों में हुई क्रांतियो तथा विश्व-युद्धों के बाद विश्वबंधुत्व की संकल्पना को महत्त्व प्राप्त हो जाने के कारण मानविकी अनुवाद आधुनिक युग में महत्त्वपूर्ण बनता जा रहा है।

3.3.2.2.4 संचार माध्यम अनुवाद –

एक भाषा के संचार माध्यमों की सामग्री दूसरी भाषा में अनुदित करना संचार माध्यम अनुवाद कहलाता है। वर्तमान युग में संचार माध्यमों ने देश के विकास में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, परिणामत: इससे संबंधित समस्त सामग्री का अनुवाद होना सर्वत: उचित है। संचार माध्यमों के द्वारा लोग देश, विदेश और समग्र दुनिया की जानकारी प्राप्त करते है और अनुवाद इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। विश्व में विविध भाषाएँ होने के कारण संचार माध्यमों के अनुवाद की आवश्यकता महसूस हुई है। इस प्रकार के अनुवाद में दैनिक समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएँ, दूरदर्शन तथा आकाशवाणी, संगणक, इंटरनेट आदि क्षेत्रों की सामग्री इन संचार माध्यमों में रहती है। इस विधा के अंतर्गत राजनीति, व्यापार, खेल, विज्ञान, साहित्य, जीवन से संबंधित सभी विषय क्षेत्रों एवं गतिविधियों की सामग्री होती है जिसका अनुवाद आवश्यक हो जाता है। अन्य अनुवाद प्रकारों की अपेक्षा इस अनुवाद प्रक्रिया में समय की गुंजाइश नहीं होती यह अनुवाद अतिशीघ्रता के साथ करना होता है। समाचार पत्र, दूरदर्शन, आकाशवाणी, संगणक, इंटरनेट के अनुवाद असंख्य पाठकों तक कम समय में पहुँचाने होते हैं। इस क्षेत्र में नई खोज, उपलब्धि, संगणक, इंटरनेट, समाचार, संदेश, अवाहन आदि को संचार माध्यमों के जरिए लोगों तक गति से पहुँचाने होते हैं। इस क्षेत्र के अनुवाद में कहीं कोई त्रुटी रह जाती है तो हंगामा खड़ा हो जायेगा। वर्तमान युग में संचार माध्यम जीवन का अंग बन चुके हैं। इन माध्यमों से जनता का स्नेह, जरूरत, लगाव स्थापित हो गया है।

संचारमाध्यमों के अनुवाद सुस्पष्ट, बोधगम्य, प्रभावोत्पादक, सूचनापरक होते हैं। इसकी भाषा तकनीकि होते हुए भी जनभाषा के निकट होती है। वर्तमान समय में इस क्षेत्र के अनुवाद विशेषज्ञ विशेषकर फिल्म, समाचार, खेलकूद, व्यापार, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ, शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य आदि से जुड़े रहते है, परिणामत: उनके अनुवाद में सजगता और सतर्कता बरतनी आवश्यक है।

3.3.2.2.5 विज्ञापन अनुवाद –

समाचारपत्र, दूरसंचार, आकाशवाणी, संगणक, इंटरनेट आदि विज्ञापन के प्रभावी क्षेत्र है। इन क्षेत्रों से संबंधित अनुवाद को वर्तमान युग में विशेष महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। स्रोत भाषा के विज्ञापन का लक्ष्य भाषा में अनुवाद करना विज्ञापन अनुवाद कहलाता है। विज्ञापन सामान्यत: मौखिक एवं लिखित होते है। विज्ञापन आकर्षक, रोचक होने के साथ ही संक्षिप्त भी होते है। विज्ञापन ग्राहकों को आकर्षित कर उन्हें वस्तु की जानकारी देकर उसकी विशेषताओं से परिचित कराते हैं। विज्ञापन किसी भी भाषा में हो सकते है उसका अनुवाद करते समय उसके शब्द चयन, अर्थ, संगीतात्मकता, ध्वनि, अलंकारिकता, काव्यों का रखरखाव आदि पर अनुवादक को विशेष ध्यान देना होता है। विज्ञापन के अनुवाद में लक्ष्य भाषघा के ऐसे शब्दों का चयन आवश्यक होता है कि उसका अर्थ, संगीत, लय उसी तरह जैसे स्रोत भाषा में भी वही बनी रहनी चाहिए। ताकी वह स्रोत भाषा के समान ही लक्ष्य भाषा में भी ग्राहकों को आकर्षित कर कम शब्दों में वस्तु की अधिक जानकारी देकर वस्तु के प्रति आकर्षित कर सके।

3.3.2.3 प्रकृति के आधार पर अनुवाद के प्रकार –

प्रकृति के आधार पर अनुवाद के प्रकारों में मूलनिष्ठता एवं मूलमूक्तता दिखाई देती है। अनुवादित पाठ की प्रकृति के आधार पर अनुवाद के प्रकार इस प्रकार बनाए जा सकते है–

(1) शब्दानुवाद (2) भाषानुवाद (3) छायानुवाद (4) पूर्व और आंशिक अनुवाद (5) आशु अनुवाद (6) रूपांतरण।

3.3.2.3.1 शब्दानुवाद –

अनुवाद करते समय जब हर शब्द को विशेष महत्त्वपूर्ण मानकर उसका अनुवाद किया जाता है तब वह शब्दानुवाद कहलाता है। सामान्यत: शब्दानुवाद के तीन प्रधान भेद है– (1) शब्द प्रतिशब्द अनुवाद (2) शब्दक्रम मुक्त अनुवाद (3) शाब्दिक शब्दानुवाद।

1. शब्द प्रतिशब्द अनुवाद –

शब्द प्रतिशब्द अनुवाद में स्त्रोतभाषा के वाक्यों में शब्द का जो क्रम होता है उसी क्रम से अनुवाद किया जाता है। इसमें स्त्रोतभाग के प्रत्येक शब्द पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें शब्दों का क्रमबध्द अनुवाद किया जाता है। स्त्रोतभाषा में शब्दों का जो क्रम होता है वहीं क्रमलक्ष्य भाषा में भी होना आवश्यक होता है। जैसे–

He is going to School.

वह है जा रहा पाठशाला।

प्रत्येक शब्द के लिए लक्ष्य भाषा का पर्यायी शब्द रखा जाता है। इसे शब्दश: अनुवाद भी कहते हैं।

I am eating a Mango.

मैं हूँ खा रहा आम।

2. शब्दक्रम मुक्त अनुवाद –

इसमें शब्दों के क्रमानुसार अनुवाद नहीं किया जाता किंतु मूल के प्रतिक शब्द का अनुवाद किया जाता है। इसमें भाषा की शैलीगत छाया पर ध्यान दिया जाता है। हर एकभाषा की शब्दक्रम व्यवस्था अलग होती है। मूल पाठ की शैली अनुवाद में आ जाती है। अंग्रेजी अखबारों सें हिंदी अखबारों में किए अनुवाद जैसी होती है। इस प्रकार के अनुवाद में कुछ स्पष्टता आ जाती है। जैसे–

Light the Lamp.

बत्ती प्रकाशित करो।

This is to certifie that,

यह प्रमाणित किया जाता है कि।

Doctor felt my pulse.

डॉक्टर ने मेरी नब्ज महसूस की।

3. शाब्दिक शब्दानुवाद –

इस अनुवाद में प्रत्येक शब्द का सूक्ष्मता से अनुवाद किया जाता है। अर्थ और अभिव्यक्ति को देखा जाता है। इसमें न छोड़ने की और न जोड़ने की बात महत्त्वपूर्ण होती है। शाब्दिक अनुवाद

एक आदर्श अनुवाद है। इस अनुवाद का उपयोग विज्ञान, गणित, संगीत, विधि, ज्योतिष आदि साहित्य में किया जाता है। तथ्यपरक और सूचनापरक पाठों के अनुवाद में यह महत्वपूर्ण सिध्द होता है। इसमें हेरफेर, संक्षेप या विस्तार के लिए कोई अवसर नहीं होता।

शब्दानुवाद अनुवाद का निम्नकोटी का प्रकार माना जाता है। इस अनुवाद में धाराप्रवाहता नहीं होती परिणामत: यह नीरस बन जाता है। विशेषकर साहित्यिक विधाओं का शब्दानुवाद करने से कृत्रिम और यंत्रवत लगता है। कहावते, मुहावरे आदि अभिव्यक्त करने में समस्याएँ व्युत्पन्न होती है।

3.3.2.3.2 भावानुवाद –

इस अनुवाद में सामग्री के भाव का अनुवाद होता है। अर्थात् मूल पाठ के भावार्थ पर ध्यान दिया जाता है। जहाँ पर शब्दानुवाद करना असंभव या हास्यास्पद हो जाता है वहाँ भावानुवाद ही करना पड़ता है। भावानुवाद से अनुदित कृति एक मौलिक रचना बन पाती है। ललित साहित्य के अनुवाद में यह अत्यंत उपयोगी सिध्द होता है। इस अनुवाद में मूल रचनाकार से ज्यादा अनुवादक के व्यक्तित्व की क्षमता का अधिक परिचय होता है। जिस प्रकार शब्द प्रतिशब्द अनुवाद में स्त्रोत सामग्री के संपूर्ण शरीर को पकड़ा जाता है। उसी प्रकार भावानुवाद में उसकी आत्मा को पकड़ा जाता है।

प्राय: इस अनुवाद में भी अल्पमात्र में ही सही पर कुछ दोष पाए जाते है जैसे– भावानुवाद से मूल रचना की शैली से परिचय नहीं होता। मूल रचना के भाषा सौंदर्य को क्षती पहुँचती है। इसमें बहुत कुछ छोडा और जोडा जाता है। पाश्चात्य विद्वान हडसन की अंग्रेजी पुस्तक (Introduction to the Study of Literature) का डॉ. श्यामसुंदरदास ने हिंदी में भावानुवाद किया है।

3.3.2.3.3 छायानुवाद –

स्त्रोतभाषा के मूलपाठ को समझकर उसका प्रभाव ग्रहण करते हुए स्वतंत्र रूप से लक्ष्यभाषा में रचना करता है उसे छायानुवाद कहते है। इमें मूल की छाया मात्र होती है। अनुवादक स्त्रोतभाषा के पाठ को पढ़कर प्रभावित होता है। और प्रभाव के स्वरूप स्त्रोत भाषा की छाया को लक्ष्यभाषा में रूपांतरित करता है। इसमें अनुवाद मूलपाठ के शब्द, भाव, भाषा और शिल्प आदि से मुक्त होकर अनुवाद करता है। छायानुवाद के दो प्रकार माने जाते है–

1. आंशिक अनुवाद : इस अनुवाद में स्त्रोत भाषा की सामग्री का अनुवाद करते समय कुछ छोड दिया जाता है। शेष को लक्ष्य भाषा में उसी प्रकार ग्रहण किया जाता है इस अनुवाद के दोन उपभेद होते है– (अ) उल्पअंशिक अनुवाद (ब) अत्यंत अंशिक अनुवाद।

2. पूर्ण छायानुवाद : इस अनुवाद में स्त्रोत भाषा के मूलपाठ का संपूर्ण रूप से अनुवाद किया जाता है। मूल्य सामग्री का पूर्ण अनुवाद होता है- इसके दो उपभेद होते है।- (अ) सामान्य छायानुवाद (ब) समग्र छायानुवाद।

3.3.2.3.4 आशुअनुवाद –

वार्ता या संभाषण को अनुवाद को आशु अनुवाद कहते है। दो भिन्न भाषा-भाषी जब परस्पर संवाद स्थापित करते हैं तो दुभाषिये की जरूरत होती है। आशु अनुवाद के वार्तानुवाद भी कहा जाता है। विभिन्न देशों के नेता, मंत्रीगण, दुभाषिये के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि विषयों पर वार्तालाप करने हैं तब इस अनुवाद का आधार ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार के अनुवाद में अनुवादक को दोनों भाषाओं का गहरा ज्ञान, संस्कृति, समाज. आदि का ज्ञान होता आवश्यक होता है। दो जाती व्यक्तियों के बीच बिना किसी शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथ के यह अनुवाद करना होता है। अनुवादक को बोले जानेवाले वाक्य को सुनकर उसका अर्थ ग्रहण कर तुरंत दूसरी भाषा में प्रस्तुत करता होता है। इस अनुवाद की पाठ सामग्री एक-एक वाक्य में खुलती है। परिणामत: इस अनुवाद को बडी सावधानी से करना होता है। विश्वबाजार के कारण बहुभाषा-भाषी तथा विदेशी भाषा जाननेवालों की माँग बढ़ रही है। स्पर्धा, वैज्ञानिक विकास, व्यवसाय, युध्द आदि सभी के लिए आशु अनुवाद महत्त्वपूर्ण सिध्द हो रहा है।

3.3.2.3.5 रूपांतरण –

मूल्यपाठ को कुछ घटाकर, बढ़ाकर, सरल रूपांतरण है। स्त्रोत भाषा के उपन्यास लक्ष्य भाषा में उपन्यास, नाटक अथवा कहानी के रूप में परिवर्तित करने की क्रिया इस अनुवाद के अंतर्गत आती है। स्त्रोत भाषा की किसी भी विधा को दूसरी (लक्ष्य) भाषा की किसी भी विधा के अंतर्गत परिवर्तित किया जाता है। प्रेमचंद का 'गोदान' उपन्यास विष्णु प्रभाकर द्वारा 'होरी' नाम से नाट्यरूपांतरित हुआ है।

3.2.2.3.6 अधिकानुवाद –

इसमें मूल से अधिक बाते संप्रेषित होती है। इसमें अनुवादक अपनी ओर से कुछ जोड़ता है। मूल पाठ से अधिक अनुवाद में होने के कारण इसे अधिकानुवाद कहा जाता है। इसमें कई बाते बढ़ा-चढ़ाकर कहने की प्रवृत्ति होती है। इस अनुवाद में कुछ दोष भी पाए जाते है- मूल रचना एवं लेखक पर अन्याय होता है। इस प्रकार के अनुवाद में नियमों का खण्डण होता है।

3.3.2.3.7 आदर्श अनुवाद –

अनुवाद के सभी प्रकारों में से आदर्श अनुवाद सर्वश्रेष्ठ अनुवाद माना जाता है। इसमें अंतर्गत स्रोत सामग्री के भाव, विचार, अर्थ, कश्य, सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ तथा शिल्प आदि की समतुल्यता, सहजता, निकटता आदि रक्षित होती है। इसमें अनुवादक मूल गुण-दोषों को समानरूप से संप्रेषित करता है।

इस प्रकार प्रकृति के आधार पर अनुवाद के प्रकार बनाए गए है। इसमें सभी अनुवाद प्रकार महत्वपूर्ण है किंतु आदर्श अनुवाद को सर्वश्रेष्ठ अनुवाद माना गया है।

3.3.2.4 अनुवाद का महत्त्व –

भारत में अनुवाद की परम्परा अत्यंत प्राचीन है। किंतु अनुवाद को जो महत्त्व 21 वीं सदी के उत्तरार्ध में प्राप्त हुआ वह पहले कभी नहीं हुआ। सन् 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ती के पश्चात देश की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आया और वैश्विक स्तर पर आर्थिक एवं सामाजिक समिकरण बदलते गए परिणामत: 27 वीं शताब्दी में अनुवाद एक अनिवार्य एवं आवश्यक तत्व बन गया। भारत जैसे बहुभाषा-भाषी देश में जन-समुदायों के बीच अंत:संप्रेषण संवाहक के रूप में अनुवाद का बहुआयामी प्रयोजन बढ़ने लगा। वर्तमान युग को 'अनुवाद का युग' कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि आज जीवन के हर क्षेत्र में अनुवाद महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। धर्म-दर्शन, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान-तकनीकि, वाणिज्य व्यवसाय, राजनीति-कूटनीति आदि सभी क्षेत्रों में अनुवाद का महत्त्व बढ़ा है। आधुनिक काल में अनुवाद एक व्यापक तथा अनिवार्य एवं तर्कसंगत विधी मानी जाने लगी है। अनुवाद के महत्त्व पर विचार करें तो अनुवाद के महत्त्व को दो भिन्न, परन्तु सम्बन्धित संदर्भों में अधिक स्पष्टता से समझाया जा सकता है।

3.3.2.4.1 सामाजिक एवं व्यवहारिक महत्त्व –

अनुवाद की दृष्टि से विचार करें तो सामाजिक संदर्भ में अनुवाद प्रक्रिया अनौपचारिक परिस्थितियों में होता है। इसका सीधा सम्बन्ध द्विभाषिकता की स्थिति से है। द्विभाषिकता का सामान्य अर्थ है एक समय में दो भाषाओं का वैकल्पिक रूप में प्रयोग होता। वर्तमान युग के समाज का एक बड़ा भाग ऐसा है, जो सामाजिक संदर्भ को अनौपचारिक स्थिति में दो भाषाओं का वैकल्पिक प्रयोग करता है। सामान्य रूप से प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति, नागरीय परिवेश का अर्थ शिक्षित व्यक्ति, दो भिन्न भाषा-भाषी राज्यों के सीमा प्रदेश में रहनेवाली जनता, तथा भाषाई अल्पसंख्यांक इनमें अधिक स्पष्ट रूप से द्विभाषिक स्थिति देखी जाती है। यह द्विभाषिकता प्राय: अश्रित द्विभाषिकता

की कोटि की होती है। जिसका सामान्य लक्षण यह है कि, सभी एक भाषा (मातृभाषा) में सोचते है और दूसरी (अन्य) भाषा में व्यक्त करते हैं। इस स्थिति में अनुवाद प्रक्रिया का होना अनिवार्य होता है। परन्तु यह प्रक्रिया अनौपचारिक रूप में हो होती है। व्यक्ति मन ही मन पहली भाषा में अनुवाद कर अपनी बात कह देते हैं। यह अन्य भाषा सीखी जाए तो 'कोड' परिवर्तन की स्थिति आती है, जिसमें अनुवाद की स्थिति कुछ परोक्ष हो जाती है। अत: द्विभाषी रूप में सभी अनुवाद अनौपचारिक हैं इस दृष्टि से अनुवादक एक सामाजिक भाषा व्यवहार में महत्त्वपूर्ण भूमिका में दिखनी है। अत: स्पष्ट होता है कि सामाजिक एवं व्यवहारिक जीवन में अनुवाद का अनन्यसाधारण महत्त्व है।

3.3.2.4.2 शैक्षणिक एवं ज्ञानात्मक अनुवाद –

शैक्षणिक एवं ज्ञानात्मक संदर्भ में अनुवाद व्यापार औपचारिक स्थिति में होता है। इस क्रिया-कलाप को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है; साधन रूप में अनुवाद और साध्य रूप में अनुवाद।

3.3.2.4.3 साधन रूप के अनुवाद –

साधन के रूप में अनुवाद का प्रयोग अनुवाद के क्षेत्र में भाषा-शिक्षण की एव विधि के रूप में किया जाता है। संज्ञात्मक कौशल के रूप में अनुवाद के अभ्यास से भाषा अधिगम के दो कौशलों-बोधन और अभिव्यक्ति को अधिक मजबूत किया जाता है। इसी प्रकार साधन रूप में अनुवाद के दो और क्षेत्र होते हैं- 1) भाषाओं का तुलनात्मक व्यतिरेकी अध्ययन, 2) तुलनात्मक साहित्य विवेचन।

3.3.2.4.5 भाषाओं का तुलनात्मक व्यतिरेकी अध्ययन –

विभिन्न भाषाओं के अध्ययन-विश्लेषण के लिए अनुवाद के द्वारा ही व्यक्ति को यह ज्ञात होता है कि, एक वाक्य में किस शब्द का क्या अर्थ है। उसके पश्चात ही वह दोनों में समानता तथा असमानता के बिंदू से अवगत हो पाता है। व्यतिरेकी भाषा विश्लेषण को अनुवादात्मक विश्लेषण भी कहा गया है।

3.3.2.4.6 तुलनात्मक साहित्य विवेचन –

तुलनात्मक साहित्य विवेचन में साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन के साधन रूप में अनुवाद के प्रयोग के द्वारा सदृश्य-विसदृश्य अंशों का अर्थबोध होता है, जिससे अंशों की तुलना की जा

सके। इसके अतिरिक्त अन्य भाषाओं के साहित्य की कृतियों के अनुवाद का अध्ययन करना अथवा उन्हें अनुदिन रूप में पढ़ना तुलनात्मक साहित्य विवेचन में अनुवाद के योगदान का उदाहरण है।

3.3.2.4.7 साध्य रूप मे अनुवाद –

साध्य रूप में अनुवाद व्यापार आदि अनेक क्षेत्रों में दिखाई देता है। कोशकार्य भी उसी प्रकार का अनुवाद है। समभाषिक कोश में एक ही भाषा के अन्दर अनुवाद होता है और द्विभाषा कोश में दो भाषाओं के मध्य इस प्रकार का अनुवाद होता है। यह अनुवाद पाठ की अपेक्षा भाषा के आयाम पर होता है, जिसमें भाषा विश्लेषण के दो स्तर प्रभावित होते हैं- शब्द और शब्द श्रृंखला। किसी भी भाषा के विकास के लिए भी अनुवाद प्रक्रिया का आश्रय लिया जाता है। जब किसी भाषा को ऐसे भाषा व्यवहार क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है, जिसमें पहले उसका प्रयोग नहीं होता था जब उसे विषयवस्तु और अभिव्यक्ति पद्धति दोनों दृष्टियों से विकसित करने की आवश्यक होती है। इसके लिए अन्य भाषाओं से किसी भी प्रकार के साहित्य का उसमें अनुवाद किया जाता है। फलस्वरूप, विषयवस्तु की परिधि के विस्तार के साथ-साथ भाषा के अभिव्यक्ति-कोश का क्षेत्र भी विस्तार होता है। अनेक नये शब्द बन जाते हैं, कई बार प्रचलित शब्दों को नया अर्थ मिल जाता है, नये सहप्रयोग विकसित होते लगते हैं। साथ ही संकर शब्दावली प्रयोग में आने लगती है, और भाषा प्रयोग के संदर्भ की विशेषता के कारण कुल मिलाकर भाषा का एक नवीन भेद विकसित हो जाता है। आधुनिक प्रसासनिक हिंदी तथा पत्रकारिता की हिंदी इसके उत्तम उदाहरण हैं। इस प्रकार अनुवाद के माध्यम से विकासशील भाषा में आवश्यक और महत्त्वपूर्ण साहित्य का प्रवेश होता है, तब कह सकते हैं कि इस रूप में अनुवाद राष्ट्रीय विकास में भी अपना योगदान देता है।

अपने व्यापकतम रूप में अनुवाद भाषा की शक्ति में संवर्धन करता है, पाठों की व्याख्या एवं निर्वचन में सहायक बनता है। भाषा तथा विचार के बीच सम्बन्ध को स्पष्ट करता है। ज्ञान का प्रसार करता है। संस्कृति का संवाहक बनता है; तथा राष्ट्रों के मध्य परस्पर आवगमन एवं सद्भावना की वृद्धि में अपना योगदान देता है। 'गेटे' के शब्दों में कहे तो- अनुवाद (अपनी प्रकृति से) असम्भव होते हुए भी (सामाजिक दृष्टि से) आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बनता है।

3.3.2.5 अनुवाद की उपयोगिता –

21 वी शताब्दी में वैश्विक स्तर पर देशों के बीच की दूरियाँ कम होने लगी है आधुनिक तकनिकों के परिणाम स्वरूप विभिन्न वैचारिक धरातल और आर्थिक, औद्योगिक आदि स्तरों पर

पारस्परिक भाषिक विनिमय बढ़ रहा है और इस विनिमय के साथ-साथ अनुवाद का प्रयोग और अधिक किया जाने लगा है। आज के वैज्ञानिक युग में अनुवाद महत्त्वपूर्ण हो गया है। यदि हमें दूसरे देशों के कंधे से कंधा मिलाकर चलना है तो हमें उनके यहाँ विज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में हुई प्रगति को जानकारी होनी चाहिए और यह जानकारी हमें अनुवाद के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। विश्व की कुछ श्रेष्ठ कृतियों को अनुवाद के कारण ही सम्मान प्राप्त हुआ है। अन्य-भाषा शिक्षक में अनुवाद विधि का प्रयोग न केवल पश्चिमी देशों में वरन् पूर्वी देशों में भी निरन्तर किया जाता रहा है। हम यहाँ जीवन और समाज के कुछ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुवाद की आवश्यकता पर चर्चा करे तो आवश्यकता की खोज में हमें अनुवाद की उपयोगिता का बोध सहज संभव हो जाता है। अनुवाद की उपयोगिता पर चर्चा करने पर हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का बोध होता है और उसकी उपयोगिता पर हम इन मुद्दों के आधार पर प्रकट करने के लिए प्रतिबध्द हो जाते हैं।

3.3.2.5.1 राष्ट्रीय एकता के लिए उपयोगी –

भारत जैसे बहुभाषा-भाषी राष्ट्र में राष्ट्रीय एकता के लिए अनुवाद विशेष उपयोगी सिध्द होता है। भारत एक संघराज्य होने के साथ उसकी भौगोलिक सीमाएँ न केवल कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिखरी हुई हैं बल्कि इस विशाल भूखण्ड में विभिन्न विचार, धर्म एवं साम्प्रदाय के लोग भी रहते हैं जिनकी भाषाएँ एवं बोलियाँ एक दूसरे से नितान्त भिन्न है। भारत की अनेकता में एकता इन्हीं अर्थों में है कि विभिन्न भाषाओं, विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों एवं विश्वासों के देश में भावनात्मक एवं राष्ट्रीय एकता कहीं भी बाधित नहीं होती। एक समय में महाराष्ट्र का व्यक्ति जो सोचना है वहीं हिमाचल या अन्य किसी भी राज्य का व्यक्ति भी उसी प्रकार राष्ट्र हित का चिंतन करता है। भारत के हजारो सालों के इतिहास चिंतन ने मध्यकालीन भक्ति आंदोलन से लेकर प्रगतिशील आंदोलन तक भारतीय साहित्य की एक दिशा रही है; यह बात अनुवाद के माध्यम से हमारे सम्मूख उपस्थित हुई है। तुलसीदास ने राम को आधार बनाकर महाकाव्य लिखा और हिंदी के समानान्तर ओड़िसा में बलराम, बांग्ला में कृत्तिवास, तेलुगु में पोतना, तमिल में कम्बन तथा हरियाबावी में अहमदब्ख्श ने अपने-अपने साहित्य में राम के चरित्र को नया रूप प्रदान किया। इसका मूलस्त्रोत संस्कृत से है तो यह भक्ति परम्परा दक्षिण भारत से महाराष्ट्र में होकर उत्तरभारत पहुँची अत: अनुवाद ने इसमें अपना पूरा योग दिया दिखाई देता है। स्वतंत्रता आंदोलन में भी जीस साम्राज्यवाद और सामनावाद के विरोध में असा सुलगी थी उसका उत्कर्ष छायावादी दौर की विभिन्न भारतीय भाषाओं की कविताओं में मिलता है। अत: स्पष्ट है कि अनुवाद राष्ट्रीय एकता के लिए उपयोगी सिध्द हुआ है और होता रहेगा।

3.3.2.5.2 संस्कृति के उन्नयण में उपयोगी –

दुनिया के जिन देशों में विभिन्न जातियों एवं संस्कृतियों का मिलन हुआ है। वहाँ सामाजिक संस्कृति के निर्णय में अनुवाद ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अनुवाद की परम्परा से पता चलता है कि ईसा केनीन सौ वर्ष पूर्व रोमन लोगों का ग्रीक के लोगों से संपर्क हुआ जिसके फलस्वरूप ग्रीक लैटिन में अनुवाद हुए। इसी प्रकार ग्यारहवीं, बारहवीं शताब्दी के लोग स्पेन के लोगइस्लाम के संपर्क में आए और बड़े पैमाने पर युरोपीय भाषाओं में अरबी का अनुवाद हुआ। भारत में भी विभिन्न जन-जातियों एवं विश्वासों के लोग आए। आज की भारतीय संस्कृति जिसे हम सामाजिक संस्कृति कहने हैं उसके निर्माण में हजार वर्षों के विभिन्न धर्मों, मनों एवं विश्वासों की साधना छिपी हुई है। इन सभी मनों एवं विश्वासों को आत्मसात कर जिस भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है उसके पीछे अनुवाद की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। और इस प्रक्रिया को वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर वृध्दिगत कर बढ़ावा देने के लिए अनुवाद नितांत उपयोगी सिध्द होगा।

3.3.2.5.3 साहित्य के अध्ययन में उपयोगी –

राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर विभिन्न भाषाओं के अध्ययन में अनुवाद महत्त्व प्राप्त कर उपयोगी सिध्द होता जा रहा है। साहित्य यदि जीवन और समाज के यथार्थ को प्रस्तुत करता है तो विभिन्न भाषाओं के साहित्य के सामूहिक अध्ययन से किसी भी समाज, देश विश्व की चिन्तन-धारा एवं संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवाद साहित्य के क्षेत्र में इन अध्ययनों में सहायक सिध्द होता है-

भारतीय साहित्य का अध्ययन : भारतीय साहित्य के अध्ययन से यह ज्ञान होता है कि विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक आंदोलनों में हिंदी एवं हिन्दीतर भाषा के साहित्यकारों का स्वर प्राय: एक जैसा रहा है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन तथा नक्सलबाड़ी आंदोलन आदि विभिन्न प्राय: सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य में अभिव्यक्ति मिली है इसका प्रमुख कारण है अनुवाद। अनुवाद मे विभिन्न भाषाअओं की कृतियों को व्यापकता प्रदान की और लोकप्रियता के साथ समाज के हर स्तर तक पहुँचाया।

अंतर्राष्ट्रीय साहित्य का अध्ययन : अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के अनुवाद से ही यह तथ्य प्रकाश में आया कि दुनिया के विभिन्न भाषाओं में लिखे गए प्रचूर साहित्य में ज्ञान का विपूल भंडार छिपा हुआ है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य का अनुवाद तो भारत में सूफियों के दार्शनिक सिध्दांतों के प्रचलत के साथ ही शुरू हो गया था; किंतु इसे व्यवस्थित स्वरूप आधुनिक युग में प्राप्त हुआ। शेक्सपियर डी.एच.लॉरैन्स, लॉरैन्स, मोपासाँ तथा सार्त्र जैसे चिंतको की रचनाओं के अनुवाद से

भारतीय जनमानस का साक्षात्कार हुआ एवं कालिदास, रवींद्रनाथ ठाकूर एवं प्रमेचंद आदि की रचनाओं से संपूर्ण विश्व प्रभावित हुआ। इसका पूरा श्रेय अनुवाद को ही प्राप्त होता है।

दुनिया में विभिन्न भाषाओं के साहित्य अनुवाद द्वारा हो तुलनात्मक साहित्य के अनुवाद में सहाय्यता मिली है। तुलनात्मक साहित्य द्वारा इस बात का पता चलता है कि देश काल और समय की विभिन्नता के बावजूद विभिन्न भाषाओं के रचनाकारों के साहित्य में साम्य और वैषम्य क्यों है? अनुवाद के द्वारा ही जो तुलनीय है वह तुलनात्मक अध्ययन का विषय बनता है। प्रेमचंद और गोर्की, निराला और इलियट साथ ही राजकमल चौधरी एवं मोपासाँ का तुलनात्मक अध्ययन अनुवाद के फलस्वरूप ही सम्भव हो सके है। अनुवाद साहित्य की विभिन्न धारा प्रवाहों को अनुदित कर विश्व को एक साथ जोडने का कार्य कर रहा है। भाव, विचार, संस्कृति, ज्ञान आदि को एक दूसरे के साथ बाँटने के कारण वह मनुष्य जीवन संस्कृति एवं साहित्य में नितांत उपयोगी सिध्द होता है।

3.3.2.5.4 व्यवसाय में उपयोगी –

आधुनिक युग में अनुवाद ज्ञान की ऐसी शाखा के रूप में विकसित हुआ है जहाँ इज्जत, शोहरत एवं धन तीनों है। आज अनुवादक दूसरे दर्जे का साहित्यकार नहीं बल्कि उसकी अपनी मौलिक पहचान है। विज्ञान और तकनीकि क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास के कारण भारत में कृषि, उद्योग, चिकित्सा, अभियांत्रिकी और व्यापार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। इन क्षेत्रों में प्रयुक्त तकनीकि शब्दावली का भारतीयकरण कर इन्हें लोकोन्मुख करने में अनुवाद महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के कारण केंद्र शासन के सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों में राजभाषा प्रभाग की स्थापना हुई जहाँ अनुवाद कार्य में प्रशिक्षित अनुवादक एवं हिंदी अधिकारी कार्य कर रहे है। आज रोजगार के क्षेत्र में अनुवाद सबसे आगे है। प्रति सप्ताह अनुवाद से सम्बन्धित जितने पद यहाँ विज्ञापिन होते हैं अन्य किसी भी क्षेत्र में नहीं अर्थात व्यवसाय एवं रोजगार के अवसर भी अनुवाद के माध्यम से प्राप्त होने परिणामत: जीवन में वह नितांत उपयोगी है।

3.3.2.5.5 नवीनतम् ज्ञान–विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी –

औद्योगिकरण एवं जनसंचार माध्यमों में आए आधुनिक विकास ने पूरे विश्व में क्रांति मची है। औद्योगिक उद्घाटन, विवरण तथा आर्थिक नियंत्रण की प्रणालियों पर पूरे विश्व में अनुसंधान हो रहे है। इन क्षेत्रों में हो रहे अध्ययन विकास को विभिन्न भाषा–भाषी राष्ट्र तक पहुँचाने में भाषा

एवं अनुवाद महत्वपूर्ण एवं उपयोगी साधन के रूप में सिद्ध होता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों को अत्यंत तीव्र गति से पुरे विश्व तक पहुँचाने का पूरा श्रेय जनसंचार माध्यमों को जाता है। वर्तमान युग में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, कृषि तथा व्यवसाय आदि सभी क्षेत्रों के नये आविष्कार टेलिव्हिजन, इंटरनेट आदि माध्यमों से विश्व में प्रचारित एवं प्रसारित किया जाता है। विज्ञान, खेल-कूद, व्यवसाय, विज्ञापन ने अपनी अलग शब्दावली अपनाई है। इस क्षेत्र के नवीनतम ज्ञान-विज्ञान को समाज तक पहुँचाने के लिए संचारमाध्यमों ने भी अनुवाद का आधार ग्रहण किया है। गाँव से लेकर नगर-नगर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अध्ययन सूचनाएँ पहुचाने के लिए अनुवाद माध्यम के रूप में कार्य करता है। कहने की आवश्यकता नहीं की आज पुरे विश्व को अनुवाद ने एक सूत्र में पिरो दिया है। यही उसकी उपयोगिता का प्रमाण है।

3.3.2.6 अनुवाद का कार्य –

अनुवाद परिवहन की भीषण स्थिति को दृष्टिगत करते हुए हम अनुभव करते है कि अनुवाद एक सेतू का कार्य कर रहा है सेतू अगर मजबूत होगा तो मार्गक्रमण करने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होगी और सफलता भी आसानी से प्राप्त होगी अन्यथा यह मार्गक्रमण जटील सिध्द हो सकता है इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अनुवाद कार्य के कुछ उदाहरण सुविधा हेतु दिए हैं।

3.3.2.6.1 प्रारूप–1

1. 'औरत के मर जाने पर घीसू और माधव कफन जुटा पाने के लिए गाँव के जमींदार के पास पैसे मांगने निकलते हैं और जब पाँच रुपये की रकम बटोर लेते हैं तो घीसू कहता है, कैसे बुरा रिवाज है कि जिसे-जीते जी तन ढकने का चीथड़ा भी न मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए। यही सामाजिक स्थिति का विडंबनापूर्ण कटु सत्य है। इस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में घीसू-माधव इतने घृणास्पद नहीं लगते। हम उनकी स्थिति को समझ जाते हैं और हमारा गुस्सा उनसे हटकर उस सामाजिक पद्धति के प्रति बढ़ने लगता है जो अच्छे भले मनुष्यों को गिरावट के इस धरातल तक पहुँचा देती है।'

Ghisu and Madhav set to leave for lending money from Zameendar or land owner of village for the funeral of wife. And when they get five rupees. Ghisu says : How Crnel it is', one didnt get chath enough to cover body while living. Now after dieing demands a new one. It is ironic but true. This contradictory shows the fact but doesn't let us to hate them we understand their condition we start to shift out anger towards such social customs which bury down the good man to the hell.

3.3.2.6.2 प्रारूप–2

2. 'विकसित देश' और 'विश्व शक्ति' होने का ध्येय सभी राष्ट्रप्रेमी नागरिकों को प्रेरक और प्रेयस लगेगा। यह राष्ट्रीय संकल्प हो या सपना, हर अर्थ में इसकी व्यापक अपील होती है। दुनिया के इतिहास में अनेक देशों ने अपनी जनता में इन महत्वकांक्षाओं को जगाया था। कर्द्र कारणों से ऐसा किया गया था। कहीं जनता को त्याग और कड़ी मेहनत के लिए तैयार करने के लिए विकास और शक्ति की दुहाई दी गई थी, कहीं बाहरी ताकतों के प्रभाव से मस्ति के लिए इन उद्देशों के पीछे लयबध्द होने का आग्रह था। कहीं अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए ये लुभावने और उत्प्रेरक नारे उछले गए थे। ऐसा भी हुआ है कि वर्तमान अभावग्रस्त जिन्दगी से निजात पाने और विश्व समुदाय में अपनी पहचान और पकड़ बनाने के लिए विकसित होने और शक्तिशाली बनने को जरूरी करार दिया गया था।

Every citizen, who loves nation, must feel it dear and inspiring to be a developed nation and a superpower. May is be a binad resolution or a dream for a nation, it appeals it's rastness in every seove. History of the heald has witnessed that many countries had awakened this ambitious feeling among their Citizens. Some where it was in the name of offering development and power to prepare them with sacrifice and hard efforts; whereas it was promised and insised to free them from foreign powers elsewhere. Some contries have seen the tempeting propagations to relive history.

Effords were also made to convinee people or citizens to make them free from present deficient life, also it was resolved to make country a superpower so as to have a hold and an image over rest of the world.

3.3.2.6.3 प्रारूप–3

3. कुछ लोग पशुओं की शिकार सिर्फ दिखाने के लिए करते है। कुछ तो इसे एक खेल या मजाक समझते है। शिकार को अपनी पसंद बनाया जा रहा है। कुछ शिकारी पैसों की लालच में पशुओं की हत्या करते है। उनके विभिन्न अंगों को बेचा भी जा रहा है। जैसे कि खाल, दाँत, हड्डियाँ, मांस आदि। इन सबसे जाकेट, चाबूक, मूल्यवान वस्तुएँ, सुगंधी द्रव तथा औषधियाँ बनाई जा रही है। इन पशुओं की खाल और सिंग मानो शोभा की वस्तुएँ तथा इनाम जैसे उपयोग में लाई जा रही है।

पशुओं की शिकार क्रूर कर्म है। दंडनीय कार्य है। इसके प्रावधान के लिए कुछ सक्त कानून होने आवश्यक है। और उन्हें ठीक से लागू भी करना चाहिए। अपराधियों का 'दंड भी होना चाहिए। इमानदार तथा सुरक्षा कर्मियों को सम्मानीत करना चाहिए।

Some people hunt animals for fund or to show-of. It is a some shooting, a pleasure activity for many crazy people. They take it as a pastime or hobby. However, some hunters kill animals to fulfil their greed of money. The smuggle different parts are skin, teeth, bones, fat and flesh. These are used to make jeckets, belts, whips, shoes, ornaments, caps, scents and medicines. Skin and horns of animals are used as decoration pieses and trophies.

Hunting of animals is indeed a cruel act. It must be banned by making strict laws. These lows should be executed or implemented. Defaulters should be dealt according to low. Fine and Punishment must be. Honest forest officers and guards should be rewarded for doing their duty honestly.

3.3.2.7 विज्ञापन लेखन –

विज्ञानपन शब्द वि + ज्ञापन इन दो को मिलाकर बनता है। 'वि' का अर्थ होता है– विशेष और 'ज्ञापन' का अर्थ है– सार्वजनिक सूचना। विज्ञापन एक माध्यम है ग्राहकों को अपनी और आकर्षित कर वस्तु को बेचने का।

विज्ञापन लेखन करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना आवश्यक है-

1. जिसका विज्ञापन है उसका प्रयोग बार-बार होना आवश्यक है।

2. विज्ञापन के लिए सुंदर अक्षर एवं ढाँचे की आवश्यकता है।

3. जिसका विज्ञापन है उसके गुणों के बारे में अवश्य लिखना होगा।

4. विज्ञापन में स्लोगन का होना आवश्यक है।

5. विज्ञापन को आकर्षक बनाने हेतु चित्र का प्रयोग करना आवश्यक है।

विज्ञापन में निम्न भाग होते हैं-

(1) शीर्षक।

(2) उपशीर्षक।

(3) विषय-विस्तार।

(4) उपसंहार।

3.3.2.7.1 विज्ञापन लेखन प्रारूप-1

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से स्वच्छता के प्रति सचेत करते हुए विज्ञापन लिखिए।

स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत → शीर्षक

स्वच्छता की ओर एक कदम — उपशीर्षक

गंदगी में ही बीमारियाँ पनपती हैं। कछरा कूड़ेदान में ही फेंके। अपने आस-पास के वातावरण को स्वच्छ रखें। — विषय विस्तार

स्वच्छता की ओर एक कदम बढ़ाये और खुद को स्वस्थ बनाएँ। — उपसंहार

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

3.3.2.7.2 विज्ञापन लेखन प्रारूप–2

दंतमंजन के विज्ञापन का प्रारूप तैय्यार किजीए।

आदिती दंतमंजन

आदिती दंतमंजन लाये अपनी मुस्कान सुंदर बनाएँ।

☛ **विशेषताएँ :**
- ☞ दाँत बजबूत होते है।
- ☞ पीलापन हटाता है।
- ☞ दाँतों को हिलना रोकता है।
- ☞ मुँह की दुर्गंध दूर करता है।
- ☞ मसूड़ों के रोगों से मुक्ति दिलाता है।
- ☞ गोली एवं चूरन में भी उपलब्ध है।

दाँतों के लिए चुने आदिती, जीवन में लाए शांति।

किसी भी औषधालय में आसानी से उपलब्ध।

3.4 स्वयं–अध्ययन के लिए प्रश्न।

प्रश्न 1 : निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए पर्यायों में से उचित पर्याय चुनकर वाक्य फिर से लिखिए।

1. 'अनुवाद' शब्द का संबंध ..... धातु से है।
   (क) वद (ख) अन् (ग) वदनु (घ) अनुज
2. 'भाषांतर' ..... का प्रकार है।
   (क) रूपांतर (ख) प्रतीकांतर (ग) विषयांतर (घ) युगांतर
3. कार्यालयीन अनुवाद के लिए ..... गुण अपेक्षित हैं।
   (क) स्वायत्तता (ख) क्षेत्र (ग) प्रक्रिया (घ) विज्ञान
4. पठन में अनुवादक ..... सामग्री को प्रत्यक्ष पढ़ता है।
   (क) विश्लेषित (ख) संशोधित (ग) भाषांतरित (घ) अनूद्य
5. ..... आदर्श अनुवाद का अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है।
   (क) समतुल्यत्त (ख) भाषा की निकटता (ग) शब्दकोश (घ) विद्वानों से परामर्श

6. काव्यानुवाद ..... का अनुवाद माना जाएगा।
   (अ) पत्र (ख) काव्य (ग) गद्य (घ) शैली

7. नाट्यानुवाद करनेवाले को ..... का ध्यान रखना होता है।
   (अ) पाठ (ख) श्रोता (ग) दर्शन (घ) रंगमंच

8. कथानुवाद के मूल ..... में हेराफेरी नहीं करनी चाहिए।
   (अ) कथावस्तु (ख) उद्देश्य (ग) प्रयोजन (घ) हेतु

9. भारत जैसे देश में ..... स्थिति है।
   (अ) एक भाषा (ख) द्विभाषा (ग) अभाषा (घ) बहुभाषा

10. मन्नू भंडारी ने ..... का नाट्यरूपांतर किया है।
    (अ) आपका बंटी (ख) यही सच है (ग) गोदान (घ) महाभोज

3.5 पारिभाषिक शब्द, शब्दार्थ

- **पृष्ठांकन** : Endorsement.
- **पत्राचार** : Correspondence.
- **अभिव्यक्तियाँ** : Expression.
- **प्रेषक** : Sender/despatcher.
- **प्रेषिती** : Address.
- **विहित** : Contained.
- **अनियमितता** : Irregularity.
- **आरक्षित** : Reserved.
- **स्पष्टीकरण** : Explanation.
- **प्रमाणपत्र** : Certificate.
- **नविनीकरण** : Renewal.
- **निरीक्षण** : Inspection.
- **विभागीय** : Departmental.

3.6 स्वयं–अध्ययन प्रश्नों के उत्तर

1. *(क) वद*
2. *(ख) प्रतीकांतर*
3. *(ग) प्रक्रिया*
4. *(घ) अनूद्य*
5. *(क। समतुल्यत्त*
6. *(ख) काव्य*
7. *(घ) रंगमंच*
8. *(अ) कथावस्तु*
9. *(घ) बहुभाषा*
10. *(घ) महाभोज*

3.7 सारांश

अनुवाद आधुनिक युग की मांग ही उपज है। अनुवाद में मूलरचना की संस्कृति, शैली, समय को ध्यान में रखते हुए मूल रचना का अनुभव, सौंदर्य, भावाभिव्यक्ति की विशेषता का भी अंतरण करना पडता है। अनुवाद का उपयोग संपर्क–माध्यम, दूसरी भाषा के साहित्य का परिचय, अन्य समाज तथा राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान, संप्रेषण का माध्यम, ज्ञान–विज्ञानार्जन का साधन, तुलनात्मक अध्ययन एवं अनुसंधान, व्यापार वृद्धि का साधन, राष्ट्रीय एकात्मता आदि की दृष्टि से असाधारण है।

3.8 स्वाध्याय

3.8.1 लघुत्तरी एवं टिप्पणी के लिए प्रश्न।

1. कथानुवाद पर चर्चा कीजिए।
2. काव्यानुवाद को स्पष्ट कीजिए।
3. नाट्यानुवाद को समझाइए।

4. भावानुवाद का स्वरूप बनाइए।
5. छायानुवाद पर प्रकाश डालिए।
6. अनुवाद के सामाजिक महत्त्व पर प्रकाश डालिए।
7. अनुवाद का शैक्षणिक एवं ज्ञानात्मक महत्त्व बनाइए।
8. राष्ट्रीय एकता के लिए अनुवाद उपयोगी है, मत पर चर्चा कीजिए।
9. उदाहरण का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कीजिए।
10. विज्ञापन का प्रारूप तैयार कीजिए।

3.8.2 दीर्घोत्तरी प्रश्न।

1. विधि के आधार पर अनुवाद के प्रकारों पर प्रकाश डालिए।
2. प्रयोजन के आधार पर अनुवाद के प्रकार बनाइए।
3. प्रकृति के आधार पर अनुवाद के प्रकार बनाइए।
4. अनुवाद के महत्त्व पर प्रकाश डालिए।
5. अनुवाद की उपयोगिता बनाइए।

3.9 क्षेत्रीय कार्य

1. अनुवाद की परिभाषाओं को संकलित करना।
2. अनुवाद के विभिन्न प्रकारों के पाठ संकलित करना।
3. अनुवाद के विभिन्न प्रकारों के मूलपाठ का अनुवाद कीजिए।

3.10 अतिरिक्त अध्ययन के लिए।

1. अनुवाद चिंतन : डॉ. अर्जुन चव्हाण।
2. https:/books.google.co.in/books?

❑ ❑ ❑

इकाई–4

समाचार लेखन तथा पत्रकारिता : स्वरूप, उद्देश्य तथा तत्त्व। समाचार लेखन और पत्रकारिता : सम्पादन तथा साजसज्जा।

अनुक्रम

4.1 उद्देश्य

4.2 प्रस्तावना

4.3 विषय–विवेचन

4.3.1 समाचार का स्वरूप।

4.3.2 समाचार का उद्देश्य।

4.3.3 समाचार के तत्त्व।

4.3.4 सम्पादन तथा साजसज्जा।

4.4 स्वयं–अध्ययन के लिए प्रश्न

4.5 पारिभाषिक शब्द, शब्दार्थ

4.6 स्वयं–अध्ययन प्रश्नों के उत्तर

4.7 सारांश

4.8 स्वाध्याय

4.9 क्षेत्रीय कार्य

4.10 अतिरिक्त अध्ययन के लिए।

4.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद –

1. 'समाचार' शब्द के अर्थ से परिचित हो सकेंगे।
2. समाचार का स्वरूप समझ सकेंगे।
3. समाचार लेखन की प्रक्रिया से रूबरू हो सकेंगे।
4. समाचार लेखन के उद्देश्य से परिचित हो सकेंगे।
5. समाचार के तत्त्वों से परिचित हो सकेंगे।
6. संपादक के कार्यों से परिचित हो सकेंगे।
7. समाचारपत्र-पत्रिकाओं की साजसज्जा से परिचित हो सकेंगे।

4.2 प्रस्तावना

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसलिए वह एक जिज्ञासु है। मनुष्य जिस समूह में, जिस समाज में और जिस वातावरण में रहता है वह उसके बारे में जानने को उत्सुक रहता है। अपने आसपास घट रही घटनाओं के बारे में जानकर उसे एक प्रकार के संतोष, आनंद और ज्ञान की प्राप्ति होती है।

आज 'समाचार' शब्द हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है। मनुष्य ने घटनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए प्राचीन काल से ही तमाम तरह के तरीकों, विधियाँ और माध्यमों को खोजा और विकसित किया। पत्र के जरिए समाचार प्राप्त करना इन माध्यमों में सर्वाधिक पुराना माध्यम है जो लिपि और डाक व्यवस्था के विकसित होने के बाद अस्तित्व में आया। पत्र के जरिए अपने प्रियजनों, मित्रों और शुभाकांक्षियों को अपना समाचार देना और उनका समाचार पाना आज भी मनुष्य के लिए सर्वाधिक प्रिय बात है।

समाचार का सीधा सम्बन्ध मनुष्य की सतत जिज्ञासा से है। नया जानने की इच्छा ही समाचार का प्रमुख आकर्षण है और समाचार प्राय: हमें कुछ न कुछ नया ही देता है। जो कुछ नया होता है वह एक तरह से समाचार है और जानने की यह जिज्ञासा मनुष्य में सदा सर्वदा से रही है। नया जानने के लिए मनुष्य को अन्वेषक बनना पड़ता है। खोजी बनना पड़ता है, यात्राएँ करनी पड़ती हैं, विश्लेषण करने पड़ते हैं, चीजों की गहराई में जाना पड़ता है, एक पत्रकार को भी यही सब करना पड़ता है। इस तरह जो कुछ नया है यह समाचार है। भारतीय परम्परा में देवऋषि नारद को एक तरह से पहला पत्रकार इसलिए माना जाता है कि वे जहाँ जाते थे, दूसरी जगह का समाचार वहां पहुँचा देते थे। रामचरितमानस में हनुमान जब लंका से वापस लौटे तो उनसे सबसे पहला सवाल

यही था कि वहाँ का समाचार क्या है? महाभारत की कथा में संजय धृतराष्ट्र को युध्द का जो हाल बैठे-बैठे सुनाते है वह एक प्रकार का समाचार ही है। हमारी चिठ्ठियों में भी प्राय: यह लिखा जाता है, यहाँ सब ठीक ही है, वहाँ के समाचार क्या हैं? जानने की हमारी इस जिज्ञासा को आधुनिक रूप में न्यूज या समाचार संतुष्ट करते हैं। अलग-अलग रूपों में कभी रेडियो के जरिए, कभी अखबारों के जरिए और कभी टीवी या अन्य आधुनिक माध्यमों के जरिए। समाचार प्राप्त करने के तरीके आज लगातार बदल रहे हैं और नए-नए तरीके विकसित होते जा रहे हैं।

4.3 विषय-विवेचन

4.3.1 समाचार का स्वरूप –

4.3.1.1 'समाचार' शब्द का अर्थ

समाचार शब्द अंग्रेजी शब्द 'न्यूज' का हिन्दी अनुवाद है। शब्दार्थ की दृष्टि से 'न्यूज' शब्द अंग्रेजी के जिन चार अक्षरों से बनता है उनमें 'एन', 'ई', 'डब्ल्यू', 'एस' हैं। ये चार अक्षर 'नार्थ' उत्तर, 'ईष्ट', 'पूर्व', 'वेस्ट', 'पश्चिम' और 'साउथ' दक्षिण के संकेतक हैं। इस तरह 'न्यूज' का समाज में मानव मूल्यों की स्थापना के साथ जन जीवन को विकासोन्मुख बनाना पत्रकारिता का दायित्व है। पत्रकारिता के सामाजिक और व्यावसायिक उत्तरदायित्व के अनेकानेक आयाम हैं। अपने इन उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए पत्रकार का एक हाथ हमेशा समाज की नब्ज पर होता है।

इस विवेचन से स्पष्ट हैं कि, समाचार लेखन का उद्देश्य होता है- अपने आसपास तथा देश-विदेश में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त करना; सरकार तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा जनहितार्थ प्रसृत सूचनाओं से परिचित होना; शिक्षा, बाजार, रोजगार, बीमारी, नया अविष्कार आदि से संबंधित जानकारी से समाज को परिचित करना।

4.3.1.2 'समाचार' के प्रमुख तत्त्व

विचार, घटनाएँ और समाचार के मूल में सूचनाएँ होती है और ये सूचनाएँ समसामयिक घटनाओं की होती है। पत्रकार उस घटित सूचनाओं को एकत्रित कर समाचार के प्रारूप में ढालकर पाठकों की जिज्ञासा की पूर्ति करने लायक बनाता है। पाठकों की जिज्ञासा हमेशा ही कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों और कैसे प्रश्नों का उत्तर उस समाचार में ढूँढने की कोशिश करती है। लेकिन

माचार लिखते समय इन्हीं प्रश्नों का उत्तर तलाशना और पाठकों तक उसके संपूर्ण अर्थ में पहुँचाना सबसे बड़ी चुनौती का कार्य होता है। समाचारों को लेकर होनेवाली हर बहस का केन्द्र यही होता है कि इन छह प्रश्नों का उत्तर क्या है और कैसे दिया जा रहा है। समाचार लिखते वक्त भी इसमें शामिल किए जाने वाले तमाम तथ्यों और अंतर्निहित व्याख्याओं को भी एक ढाँचे या संरचना में प्रस्तुत करना होता है।

समस्याओं से ही समाचार का आधार तैयार होता है। किसी भी घटना, विचार और समस्या से जब काफी लोगों का सरोकार हो तो यह कह सकते हैं कि यह समाचार बनने के योग्य हैं। किसी घटना, विचार और समस्या के समाचार बनने की संभावना तब बढ़ जाती है, जब उनमें निम्नलिखित में से कुछ या सभी तत्त्व शामिल हों- तथ्यात्मकता, नवीनता, जनरुचि, सामयिकता, निकटता, प्रभाव, पाठक वर्ग, नीतिगत ढाँचा, अनोखापन, उपयोगी जानकारियाँ।

i) तथ्यात्मकता –

समाचार किसी की कल्पना की उड़ान नहीं हैं। समाचार एक वास्तविक घटना पर आधारित होता हैं। एक पत्रकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वह ऐसे तथ्यों का चयन कैसे करे, जिससे वह घटना उसी रूप में पाठक के सामने पेश की जा सके जिस तरह वह घटी। घटना के समूचे यथार्थ का प्रतिनिधित्व करनेवाले इस तथ्यों को पत्रकार खास तरह के बौद्धिक कौशल के जरिए पाठकों के समक्ष पेश करता है। समाचार में तथ्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और न ही उनकी प्रस्तुति और लेखन में अपने विचारों को घुसेडना चाहिए।

ii) नवीनता –

जब किसी घटना, विचार या समस्या में नयापन होता है तब वह समाचार बन जाती है। कहा भी जाता है न्यू है इसलिए न्यूज है। समाचार वही है, जो ताजी घटना के बारे में जानकारी देता है। एक दैनिक समाचारपत्र के लिए आम तौर पर पिछले 24 घंटों की घटनाएँ समाचार होती हैं। एक चौबीस घंटे के टेलीविजय और रेडियो चैनल के लिए तो समाचार जिस तेजी से आते हैं, उसी तेजी से बासी भी होते चले जाते हैं। लेकिन अगर द्वितीय विश्व युध्द जैसी किसी ऐतिहासिक घटना के बारे में आज भी कोई नई जानकारी मिलती है जिसके बारे में हमारे पाठकों को पहले जानकारी नहीं थी तो निश्चय ही यह उनके लिए समाचार है। दुनिया के अनेक स्थानों पर अनेक ऐसी चीजें होती हैं जो वर्षों से मौजूद हैं लेकिन यह किसी अन्य देश के लिए कोई नई बात हो सकती है और निश्चय ही समाचार बन सकती है।

iii) जनरुचि –

किसी विचार, घटना और समस्या के समाचार बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि, लोगों की उसमें दिलचस्पी हो। वे उसके बारे में जानना चाहते हों। कोई भी घटना समाचार तभी बन सकती हैं, जब लोगों का एक बड़ा तबका उसके बारे में जानने में रुचि रखता हो। स्वभावत: हर समाचार संगठन अपने लक्ष्य समूह (टार्गेट ऑडिएंस) के संदर्भ में ही लोगों की रुचियों का मूल्यांकन करता है। लेखिन हाल के वर्षों में लोगों की रुचियाँ और प्राथमिकताओं में भी तोड-मरोड की प्रक्रिया काफी तेज हुई है और लोगों की मीडिया आदतौं में भी परिवर्तन आ रहे हैं। कह सकते हैं कि रुचि कोई स्थिर चीज नहीं है. गतिशील है। कई बार इसमें परिवर्तन आता है तो मीडिया में भी परिवर्तन आता हैं। लेकिन आज मीडिया लोगों की रुचियों में परिवर्तन लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा हैं।

iv) सामयिकता –

एक घटना को एक समाचार के रूप में किसी समाचार संगठन में स्थान पाने के लिए इसका समय पर सही स्थान यानि समाचार कक्ष में पहुंचना आवश्यक है। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि उसका समयानुकूल होना जरूरी हैं। एक दैनिक समाचारपत्र के लिए वे घटनाएँ सामायिक है जो कल घटित हुई हैं। आमतौर पर एक दैनिक समाचारपत्र की अपनी एक डेडलाइन (समय सीमा) होती है जब तक के समाचारों को वह कवर कर पाता है। मसलन अगर एक प्रात:कालीन दैनिक समाचारपत्र रात 12 बजे तक के समाचार कवर करना है तो अगले दिन के संस्करण के लिए 12 बजे रात से पहले के चौबीस घंटे के समाचार सामायिक होंगे। इसी तरह 24 घंटे के एक टेलीविजय समाचार चैनल के लिए तो हर पल ही डेडलाइन है और समाचार को सबसे पहले टेलीकास्ट करना ही उसके लिए दौड़ में आगे निकलने की सबसे बड़ी चुनौती है। इस तरह एक चौबीस घंटे के टेलीविजन समाचार चैनल, एक दैनिक समाचारपत्र, एक साप्ताहिक और एक मासिक के लिए किसी समाचार की समय सीमा का अलग-अलग मानदंड होना स्वाभाविक है, कहीं समाचार तात्कालिक है, कहीं सामयिक तो कहीं समकालीन भी हो सकता है।

v) निकटता –

किसी भी समाचार संगठन में किसी समाचार के महत्त्व का मूल्यांकन यानी उसे समाचार पत्र या बुलेटिन में शामिल किया जाएगा या नहीं, का निर्धारण इस आधार पर भी किया जाता है कि वह घटना उसके कवरेज क्षेत्र और पाठक/दर्शक/श्रोता समूह के कितने करीब हुई? हर घटना का

समाचारीय महत्त्व काफी हद तक उसकी स्थानीयता से भी निर्धारित होता है। सबसे करीब वाला ही सबसे प्यारा भी होता है। यह मानव स्वभाव है। स्वाभाविक है कि लोग उन घटनाओं के बारे में जानने के लिए अधिक उत्सुक होते हैं जो उनके करीब होती है। इसका एक कारण तो करीब होना है और दूसराकारण यह भी है कि उसका असर उन पर भी पड़ता है। जैसे किसी एक खास कालोनी में चोरी-डकैती की घटना के बारे में वहाँ के लोगों की रुचि होना स्वाभाविक है। रुचि इसलिए की घटना उनके करीब हुई है और इसलिए भी कि इसका संबंध स्वयं उनकी अपनी सुरक्षा से है।

vi) प्रभाव –

किसी घटना के प्रभाव से भी उसका समाचारीय महत्त्व निर्धारित होता है। अनेक मौकों पर किसी घटना से जुड़े लोगों के महत्त्वपूर्ण होने से भी उसका समाचारीय महत्त्व बढ़ जाता है। स्वभावत: प्रख्यात और कुख्यात अधिक स्थान पाते हैं। इसके अलावा किसी घटना की तीव्रता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जाता है कि उससे कितने सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं या कितने बड़े भू भाग पर असर हो रहा है, आदि। सरकार के किसी निर्णय से अगर दस लोगो को लाभ हो रहा हो तो यह उतना बड़ा समाचार नहीं जितना कि उससे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या एक लाख हो। सरकार अनेक नीतिगत फैसले लेती है जिनका प्रभाव तात्कालिक नहीं होता लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं और इसी दृष्टि से इसके समाचारीय महत्त्व को आंका जाना चाहिए।

vii) पाठक वर्ग –

आमतौर पर हर समाचार का एक खास पाठक/दर्शक/श्रोता वर्ग होता है। किसी समाचारीय घटना का महत्त्व इससे भी तय होता है कि किसी खास समाचार का ऑडिएंस कौन है और उसका आकार कितना बड़ा है। इन दिनों ऑडिएंस का समाचारों के महत्त्व के आकलन में प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अतिरिक्त क्रय शक्ति वाले सामाजिक तबकों, जो विज्ञापन उद्योग के लिए बाजार होते हैं, में अधिक पढ़े जानेवाले समाचारों को अधिक महत्त्व मिलता है।

viii) नीतिगत ढाँचा –

विभिन्न समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुति को लेकर एक नीति होती है। इस नीति को संपादकीय लाइन भी कहते हैं। समाचारपत्रों में संपादकीय प्रकाशित होते हैं जिन्हें संपादक और उनके सहाय्यक संपादक लिखते हैं। संपादकीय बैठक में तय किया जाता है कि किसी

विशेष दिन कौन-कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो संपादकीय हस्तक्षेप के योग्य हैं। इन विषयों के चयन में काफी विचार-विमर्श होता है। उनके निर्धारण के बाद उनपर क्या संपादकीय लिखा जाए, यह भी तय किया जाता है और विचार-विमर्श के बाद संपादक तय करते हैं कि किसी मुद्दे पर क्या रुख होगा। यही स्टैंड और लाइन एक समाचारपत्र की नीति भी होती है।

वैसे एक समाचारपत्र में अनेक तरह के लेख और समाचार छपते हैं और आवश्यक नहीं है कि वे संपादकीय नीति के अनुकूल हो। समाचारपत्र में विचारों के स्तर पर विविधता और बहुलता का होना अनिवार्य है। संपादकीय एक समाचारपत्र की विभिन्न मुद्दों पर नीति को प्रतिबिंबित करते हैं। निश्चय ही, समाचार कवरेज और लेखों-विश्लेषणों में संपादकीय नीति का पूरा का पूरा अनुसरण नहीं होता लेकिन कुल मिलाकर संपादकीय नीति का प्रभाव किसी भी समाचारपत्र के समूचे व्यक्तित्व पर पड़ता हैं।

पिछले कुछ वर्षों में समाचार संगठनो पर विज्ञापन उद्योग का दबाव काफी बढ़ गया है। मुक्त बाजार व्यवस्था के विस्तार तथा उपभोक्तावाद के फैलाव के साथ विज्ञापन उद्योग का जबर्दस्त विस्तार हुआ है। समाचार संगठन किसी भी और कारोबार और उद्योग की तरह हो गए हैं और विज्ञापन उद्योग पर उनकी निर्भरता बहुत बढ़ चुकी है। इसका संपादकीय-समाचारीय सामग्री पर गहरा असर पड़ रहा है। समाचार संगठन पर अन्य आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव भी होते हैं। इसी तरह अन्य कई दबाव भी इसकी नीतियों को प्रभावित करते हैं। इसके बाद जो गुंजाइश या स्थान बचता है वह पत्रकारिता और पत्रकारों की स्वतंत्रता का है। यह उनके प्रोफेशनलिज्म पर निर्भर करता है कि वे इस गुंजाईश का किस तरह सबसे प्रभावशाली ढंग से उपयोग कर पाते हैं।

ix) महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ –

अनेक ऐसी सूचनाएँ भी समाचार मानी जाती हैं, जिनका समाज के किसी विशेष तबके के लिए कोई महत्त्व हो सकता है। लोगों को इन तात्कालिक सूचनाओं की आवश्यकताएँ भी हो सकती हैं। उदा. स्कूल कब खुलैंगे, किसी खास कालौनी में बिजली कब बंद रहेगी, पानी का दबाव कैसा रहेगा आदि।

x) अनोखापन –

एक पुरानी कहावत है कि कुत्ता आदमी को काट ले तो खबर नहीं लेकिन अगर आदमी कुत्ते को काट ले तो वह खबर है, यानी जो कुछ स्वाभाविक नहीं है या किसी रूप से असाधारण है, वही समाचार है। सौ नौकरशाहों का ईमानदार होना समाचार नहीं क्योंकि उनसे तो ईमानदार रहने

की अपेक्षा की जाती है लेकिन एक नौकरशाह अगर बेईमान और भ्रष्ट है तो यह बड़ा समाचार है। सौ घरों का निर्माण समाचार नहीं है। यह तो एक सामान्य निर्माण प्रक्रिया है लेकिन दो घरों का जल जाना समाचार है।

निश्चय ही, अनहोनी घटनाएँ समाचार होती हैं। लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन समाचार मीडिया को इस तरह की घटनाओं के संदर्भ में काफी सजगता बरतनी चाहिए अन्यथा कई मौकों पर यह देखा गया है कि इस तरह के समाचारों ने लोगों में अवैज्ञानिक सोच और अंधविश्वास को जन्म दिया है। कई बार यह देखा गया है कि किसी विचित्र बच्चे के पैदा होने की घटना का समाचार चिकित्सा विज्ञान के संदर्भ से काटकर किसी अंधविश्वासी संदर्भ में प्रस्तुत कर दिया जाता है। भूत-प्रेत के किस्से कहानी समाचार नहीं हो सकते। किसी इंसान को भगवान बनाने के मिथ गढ़ने से भी समाचार मीडिया को बचना चाहिए।

इस तरह देखा जए तो उपरोक्त कुछ तत्वो या सभी तत्वों के सम्मिलित होने पर ही कोई भी घटना, विचार या समस्या समाचार बनाने के योग्य बनते हैं।

4.3.2 समाचार का उद्देश्य –

पत्र-पत्रिकाओं में सदा से ही समाज को प्रभावित करने की क्षमता रही है। समाज में जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा, और जो होना चाहिए यानी जिस परिवर्तन की जरूरत है, इन सब पर पत्रकार को नजर रखनी होती है। पत्रकारिता का उद्देश्य सच्ची घटनाओं पर प्रकाश डालना है, वास्तविकताओं को सामने लाना है। इसके बावजूद यह आशा की जाती है कि वह इस तरह काम करे कि 'बहुजन हिताय' की भावना सिद्ध हो।

महात्मा गांधी के अनुसार 'पत्रकारिता' के तीन उद्देश्य हैं- पहला जनता की इच्छाओं, विचारों को समझना और उन्हे व्यक्त करना है। दूसरा उद्देश्य जनता में वांछनीय भावनाएँ जागृत करना और तिसरा उद्देश्य सार्वजनिक दोषों को नष्ट करना है। गांधी जी ने पत्रकारिता के जो उद्देश्य बताए हैं, उन पर गौर करें तो प्रतीत होता है कि पत्रकारिता का वही काम है जो किसी समाज सुधारक का हो सकता है।

पत्रकार नई जानकारी देता है, लेकिन इतने से संतुष्ट नहीं होता वह घटनाओं, नई बातों, नई जानकारियों की व्याख्या करने का प्रयास भी करता है। घटनाओं का कारण, प्रतिक्रियाएँ, उनकी अच्छाई-बुराईयों की विवेचना भी करता है।

पूर्व राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा के अनुसार, पत्रकारिता पेशा नहीं, यह जनसेवा का माध्यम है।

लोकतांत्रक परम्पराओं की रक्षा करने, शांति और भाईचारे की भावना बढ़ाने में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका हैं।

समाज के विस्तृत क्षेत्र के संदर्भ में पत्रकारिता के निम्नलिखित उद्देश्य व दायित्व बताए जा सकते हैं-

- ❍ नई जानकारियाँ उपलब्ध करना।
- ❍ सामाजिक जनमत को अभिव्यक्ति देना।
- ❍ समाज को उचित दिशा निर्देश देना।
- ❍ स्वस्थ मनोरंजन की सामग्री देना।
- ❍ सामाजिक कुरीतियों को मिटाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाना।
- ❍ धार्मिक, सांस्कतिक पक्षों का निष्पक्ष विवेचन करना।
- ❍ सामान्यजन को उनके अधिकार समझाना।
- ❍ कृषि जगत के उद्योग जगत की उपलब्धियाँ जनता के सामने लाना।
- ❍ सरकारी नीतियों का विश्लेषण और प्रसारण।
- ❍ स्वास्थ्य जगत के प्रति लोगों को सतर्क करना।
- ❍ सर्वधर्म समभाव को पुष्ठ करना।
- ❍ संकटकालीन स्थितियों में राष्ट्र का मनोबल बढ़ाना।
- ❍ वसुधैव कुटुम्बकम की भावना का प्रसार करना।

इस तरह घटना की रिपोर्ट, पाठकों की रूचि, सामान्य से हटकर कुछ नई बात आदि को समाचार कहा है। अर्थात जिज्ञासा को शांत करनेवाला कोई भी विषय जो नियम के दायरे में रहकर पाठकों तक पहुँचे उसे समाचार की कोटी में माना हैं।

● भारतीय विद्वानों द्वारा प्रस्तुत परिभाषाएँ :-

1. **श्री खडिलकर :** दुनिया में कहीं भी किसी समय कोई भी छोटी-मोटी घटना या परिवर्तन हो उसका शब्दों में जो वर्णन होगा, उसे समाचार या खबर कहते हैं।
2. **डा. निशांत सिंह :** किसी नई घटना की सूचना ही समाचार हैं।

3. **नंदकिशोर त्रिखा :** किसी घटना या विचार जिसे जानने की अधिकाधिक लोगों की रूचि हो, समाचार है।

4. **संजीव भवावत :** किसी घटना की असाधारणता की सूचना समाचार है।

5. **रामचंद्र वर्मा :** ऐसी ताजा या हाल की घटना की सूचना जिसके संबंध में लोगों को जानकारी न हो समाचार है।

6. **सुभाष धूलिआ :** समाचार ऐसी सम सामयिक घटनाओं, समस्याओं और विचारों पर आधारित होते हैं,जिन्हें जानने की अधिक से अधिक लोगों में दिलचस्पी होती है और जिनका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता है।

7. **केपी नारायणन :** समाचार किसी सामयिक घटना का महत्त्वपूर्ण तथ्यों का परिशुद्ध तथा निष्पक्ष विवरण होता है जिससे उस समाचारपत्र में पाठकों की रूचि होती है जो इस विवरण को प्रकाशित करता है।

भारतीय विद्वानों ने समाचार की परिभाषा में लगभग एक सी बात कही है। डा. निशांत सिंह ने नई घटना को समाचार माना है। नंद किशोर त्रिखा ने जिस घटना के साथ लोगों की रूचि हो उसे समाचार माना है। संजीव भवावत ने भी घटना की असाधारण की सूचना को समाचार माना है। रामचंद्र वर्मा ने घटना की सूचना, जो लोगों से संबंधित हो, को समाचार माना है। सुभाष धूलिआ ने सामयिक घटना, विचार जो अधिक से अधिक लोगों से संबंधित हो; तो मनुकोडां चेलापति राव ने नवीनता लिए कोई भी विषय हो समाचार माना है जो परिवर्तन को सूचित करता है। केपी नारायणन ने निष्पक्ष होकर किसी सामयिक घटना को पाठकों की रूचि के अनुसार पेश करना ही समाचार माना है। इस तरह विभिन्न विद्वानों ने समाचार की परिभाषा अपने हिसाब से दी है।

भाव चतुर्दिक में उसकी व्यापकता से है। यहाँ उल्लेखनीय है कि, कोई भी घटना स्वयं में समाचार नहीं होती है, बल्कि उस घटना का वह विवरण जो समाचार पत्रों या अन्य माध्यमों से पाठकों या श्रोताओं तक पहुंचता है, वह समाचार कहलाता है।

हिन्दी में भी समाचार का अर्थ लगभग यही है। 'सम' और 'आचार' शब्दों के योग से 'समाचार' शब्द बना है। 'नालंदा विशाल शब्दसागर' तथा अन्य शब्दकोशों के अनुसार 'सम' का अर्थ है- समान, तुल्य, बराबर, पक्षपात रहित, निष्पक्ष, ईमानदार, सच्चा, साधारण आदि और 'आचार' का अर्थ है- चरित्र, चाल, अच्छा चाल चलन, व्यवहार, शास्त्रोक्त आचार, व्यवहार का

तरीका आदि। अत: 'समाचार' का अर्थ होता है- समान आचरण, पक्षपात रहित व्यवहार, बराबर का आचरण, जो विषय नहीं होगा। 'नालंदा विशाल शब्दसागर' में 'समाचार' का अर्थ है- संवाद, खबर, हाल।

4.3.2.1 'समाचार' की परिभाषा

विषय कोई भी हो परिभाषाएँ भांति-भांति की और प्राय: अपूर्ण हुआ करती हैं। ठीक यही स्थिति समाचार के विषय में भी है। जिस तरह समाचार पत्र में छपी हर चीज समाचार नहीं हुआ करती है, ठीक वैसे ही प्रत्येक घटना भी समाचार की शक्ल नहीं ले सकती है। किसी घटना की रिपोर्ट समाचार है जो व्यक्ति, समाज एवं देश दुनिया को प्रभावित करती है। इसके साथ ही इसका उपरोक्त है जो व्यक्ति, समाज एवं देश दुनिया को प्रभावित करती है। इसके साथ ही इसका उपरोक्त से सीधा संबंध होता है। इस कर्म से जुड़े मर्मज्ञ विभिन्न मनीषियों द्वारा पत्रकारिता को अलग-अलग शब्दों में परिभाषित किया है। समाचार का स्वरूप समझने के लिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का उल्लेख किया जा रहा है-

- **पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत परिभाषाएँ -**

1. **प्रो. विलियम जी ब्लेयर :** अनेक व्यक्तियों की अभिरूचि जिन बातों में होती है वह समाचार है। सर्वश्रेष्ठ समाचार वह है, जिसमें बहुसंख्यक लोंगों की अधिकतम रूचि हो।

2. **ए. लाइल स्पेंसर :** वह सत्य घटना या विचार समाचार है जिसमें बहुसंख्यक पाठकों की रूचि हो।

3. **विलियम जी ब्लेयर :** किसी सामायिक घटना का विवरण जिसका किसी समाचार पत्र के संपादकीय विभाग ने संपादन कर्मियों द्वारा चयन किया गया हो, क्योंकि वह पाठकों के लिए रूचिकर एवं महत्त्वपूर्ण है, अथवा उसे बनाया गया है।

4. **हार्पर लीच और जान सी कैरोल :** समाचार एक गतिशील साहित्य है।

5. **जान बी बोगार्ट :** जब कुत्ता आदमी को काटता है तो वह समाचार नहीं हैं परंतु यदि कोई आदमी कुत्ते को काट ले तो वह समाचार होगा।

6. **जे जे सिडलर :** पर्याप्त संख्या में मनुष्य जिसे जानना चाहे, वह समाचार है शर्त यह है कि वह सुरूचि तथा प्रतिष्ठा के नियमों का उल्लंघन न करे।

4.3.3 समाचार के तत्त्व –

संपादन की दृष्टि से किसी समाचार के तीन प्रमुख भाग होते हैं–

1. शीर्षक –

किसी भी समाचार का शीर्षक उस समाचार की आत्मा होती है। शीर्षक के माध्यम से न केवल श्रोता किसी समाचार को पढ़ने के लिए प्रेरित होता है, अपितु शीर्षकों के द्वारा वह समाचार की विषय–वस्तु को भी समझ लेता है। शीर्षक का विस्तार समाचार के महत्त्व को दर्शाता है। एक अच्छे शीर्षक में निम्नांकित गुण पाए जाते हैं–

1. शीर्षक बोलता हुआ हो। उसके पढ़ने से समाचार की विषय–वस्तु का आभास हो जाए।
2. शीर्षक तीक्ष्ण एवं सुस्पष्ट हो। उसमें श्रोताओं को आकर्षित करने की क्षमता हो।
3. शीर्षक वर्तमान काल में लिखा गया हो। वर्तमान काल मे लिखे गए शीर्षक घटना की ताजगी के द्योतक होते हैं।
4. शीर्षक में यदि आवश्यकता हो तो सिंगल–इनवर्टेड कॉमा का प्रयोग करना चाहिए।
5. अंग्रेजी अखबारों में लिखे जाने वाले शीर्षकों के पहले 'ए', 'एन', 'दी' आदि भाग का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यही नियम हिन्दी में लिखे शीर्षकों पर भी लागू होता है।
6. शीर्षक को अधिक स्पष्टता और आकर्षण प्रदान करने के लिए सम्पादक या उप–सम्पादक का सामान्य ज्ञान ही महत्त्वपूर्ण होता है।
7. शीर्षक में यदि किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख किया जाना आवश्यक हो तो उसे एक ही पंक्ति में लिखा जाए। नाम को तोड़कर दो पंक्तियों में लिखने से शीर्षक का सौन्दर्य समाप्त हो जाता है।

2. आमुख –

आमुख लिखते समय 'पाँच डब्ल्यू' तथा एक–एच के सिध्दांत का पालन करना चाहिए। अर्थात् आमुख में समाचार से संबंधित छह प्रश्न– Who, When, Where, What और How का अंतर पाठक को मिल जाना चाहिए। किन्तु वर्तमान में इस सिध्दांत का अक्षरश: पालन नहीं हो रहा

हैं। आज छोटे-से-छोटे आमुख लिखने की प्रवृत्ति तेजी पकड़ रही है। फलस्वरूप इतने प्रश्नों का उत्तर एक छोटे आमुख में दे सकना सम्भव नहीं है। एक आदर्श आमुख में 20 से 25 शब्द होने चाहिए।

3. समाचार का ढाँचा –

समाचार के ढाँचे में महत्त्वपूर्ण तथ्यों को क्रमबध्द रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। सामान्यत: कम से कम 150 शब्दों तथा अधिकतम 400 शब्दों में लिखा जाना चाहिए। श्रोताओं को अधिक लम्बे समाचार आकर्षित नहीं करते हैं।

- **समाचार सम्पादन में समाचारों की निम्नांकित बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता हैं –**

1. समाचार किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं करता है।
2. समाचार नीति के अनुरूप हो।
3. समाचार तथ्याधारित हो।
4. समाचार को स्थान तथा उसके महत्त्व के अनुरूप विस्तार देना।
5. समाचार की भाषा पुष्ट एवं प्रभावी है या नहीं।
6. समाचार में आवश्यक सुधार करें अथवा उसको पुनर्लेखन के लिए वापस कर दें।
7. समाचार का स्वरूप सनसनीखेज न हो।
8. अनावश्यक अथवा अस्पष्ट शब्दों को समाचार से हटा दें।
9. ऐसे समाचारों को ड्राप कर दिया जाए, जिनमें न्यूज वैल्यू कम हो और उनका उद्देश्य किसी का प्रचार मात्र हो।
10. समाचार की भाषा सरल और सुबोध हो।
11. समाचार की भाषा व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध न हो।
12. वाक्यों में आवश्यकतानुसार विराम, अर्धविराम आदि संकेतों का समुचित प्रयोग हो।
13. समाचार की भाषा में एकरूपता होनी चाहिए।
14. समाचार के महत्त्व के अनुसार बुलेटिन में उसको स्थान प्रदान करना चाहिए।

4.3.4.1 सम्पादन का स्वरूप –

संपादन का अर्थ है किसी लेख, पुस्तक, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या सावधिक पत्र या कविता के पाठ, भाषा, भाव या क्रम को व्यवस्थित करके तथा आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन करके उसे सार्वजनिक प्रयोग अथवा प्रकाशन के योग्य बना देना। लेख और पुस्तक के संपादन में भाषा, भाव तथा क्रम के साथ-साथ उसमें आए हुए तथ्य एवं पाठ का भी संशोधन और परिष्कार किया जाता है। इस परिष्करण की क्रिया में उचित शीर्षक या उपशीर्षक दिया जाता है। अध्याय का क्रम ठीक किया जाता है। व्याकरण की दृष्टि से भाषा में सुधार किया जाता है। शैली और प्रभाव का सामंजस्य स्थापित किया जाता है। नाम, घटना, तिथि और प्रसंग का उचित योग दिया जाता है। आवश्यकतानुसार विषय, शब्द, वाक्य या उदाहरण बढ़ा दिए जाते हैं और उद्धरण जोड़कर, नीचे पादटिप्पणी देकर सुबोध व्याख्या भी जोड़ दी जा सकती है।

सामयिक घटना या विषय पर अग्रलेख तथा संपादकीय लिखना, विभिन्न प्रकार के समाचारों पर उनकी तुलनात्मक महता के अनुसार उनपर विभिन्न आकार प्रकार के शीर्षक (हेडलाइन, फ्लैश, बैनर) देना, अश्लिल, अपमानजनक तथा आपत्तिजनक बातें न लिखते हुए सत्यता, ओज, स्पष्टवादिता, निर्भीकता तथा निष्पक्षता के साथ अन्याय का विरोध करना, जनता की भावनाओं का प्रतिनिधीत्व करना, जनता का पथप्रदर्शन करना और लोकमत निर्माण करना दैनिक पत्र के संपादन के अंतर्गत आता है। साप्ताहिक पत्रों में अन्य सब बातें तो दैनिक पत्र जैसी ही होती हैं किंतु उसमें विचारपूर्ण निबंध, कहानियाँ, विवरण, विवेचन आदि सूचनात्मक, पठनीय और माननीय सामग्री भी रहती है। अत: उसके लेखों, साप्ताहिक समाचारौं. अन्य मनोरंजक सामग्रियों तथा बालक, महिला आदि विशेष वर्गों के लिए संकलित सामग्री का चुनाव और संपादन उन विशेष वर्गों की योग्यता और अवस्था का ध्यान रखते हुए विवेकशील की दृष्टि से करना पड़ता है।

तात्पर्य यह है कि संपादन के द्वारा किसी भी लेख, पुस्तक या पत्र की सामग्री को उचित अनुपात, रूप, शैली और भाषा में इस प्रकार ढाल दिया जाता है कि वह जिस प्रकार के पाठकों के लिए उद्दिष्ट हो उन्हें वह प्रभावित कर सके, उनकी समझ में आ सके और उनके भावों, विचारों तथा भाषाबोध को परिमार्जित, सशक्त, प्रेरित और प्रबुद्ध कर सके तथा लेखकों का भी पथप्रदर्शन कर सके।

4.3.4.2 संपादन तथा साज सज्जा –

के आज समाचारपत्रों के सन्दर्भ में यह कहना सही है कि मुद्रण-व्यवस्था पहले से ज्यादा

उत्कृष्ट और लागत में किफ़ायती है। कंप्यूटर और सूचना-संजाल के नव्यतम साधनों ने समाचारपत्रों में ऐसे अनेकानेक बदलाव किए हैं जिस बारे में कल तक सोच पाना भी दूर की कौड़ी पकडना था। समाचारपत्र साफ-सुथरे और देखने में सुघड़ हैं सो अलग। प्रकाशित चित्र स्पष्ट हैं, तो उनमें चित्रात्मक गहराई और आवश्यक उभार बेहद प्रभावशाली है। समाचारपत्रों के परिशिष्ट ज्यादा प्रयोगधर्मी हैं। वे आजकल लेखों, चित्रों तथा विज्ञापनों को दो पृष्ठों के मध्य फैलाकार प्रकाशित करने लगे है। आधुनिक तकनीकी माध्यम और विकल्पों ने इस 'सेन्टर स्प्रेड' प्रविधि को काफी कलात्मक और प्रभावी ढंग से आजमाना शुरू कर दिया है। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि मनमाफिक मोटाई और आकार-प्रकार वाले शीर्षकों के प्रयोग ने पाठकों के दृष्टि-बोध और आकर्षणियता में रोमांच पैदा कर दिया है। आज पृष्ठ-निर्माणकर्ता के पास कंप्यूटर आधारित तकनीकी औजार के असीमित विकल्प है। वह स्थान की उपयुक्तता और स्थिति के हिसाब से पृष्ठीय समायोजन करता है। अधिसंख्य समाचारपत्रों के 'डिजाइन' तयशुदा होते हैं। उन्हें बस लेआउट बनाने के दरम्यान पृष्ठीय-मेकमप संबंधी तैयारी में घंटों मगजमारी करनी पड़ती है। अत: पत्र/पत्रिकाओं के प्रभावी साज-सज्जा के तीन मूल घटक हैं जिस पर पृष्ठ-सज्जाकार का ध्यान केन्द्रित होता है; वे हैं-डिजाइन, लेआउट और मेकअप। यही नहीं समाचारपत्रों एवं पत्रिकाओं के पृष्ठ साज-सज्जा सम्बन्धित कुछ आवश्यक शर्तें तथा बुनियादी तथ्य भी गौरतलब है जिसका सदैव ख्याल रखा जाना चाहिए।

- **डिजाइन, मेकअप और लेआउट के स्तर पर पत्रों के पृष्ठ साज-सज्जा के ध्यातव्य बिन्दु -**

  1. सुरुचिपूर्ण सजावट।
  2. दृश्यात्मक प्रभाव।
  3. पाठकों को आकर्षित करने की क्षमता।
  4. प्रतिस्पर्धी पत्र/पत्रिकाओं से भिन्नता।
  5. पर्याप्त खाली जगह।
  6. सही टाइप का चुनाव।
  7. बॉक्स, ग्राफिक्स, एनीमेशन, फोटोग्राफ के चुनाव एवं प्रयोग सम्बन्धी ज्ञान/विवेक।
  8. रंग-संयोजन।
  9. नवीनता और विविधता।

प्राय: समाचारपत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होनेवाली आधार-सामग्री (पत्र का लोगों, डेटलाइन, पंचलाइन, फ्लैग, इयर्स, हेड रूल, मास्ट हेड) बिना किसी फेरबदल के प्रकाशित की जाती है। पृष्ठ-सज्जाकार सिर्फ लेआउट और मेकअप संबंधी पहलुओं पर ही विचार या पुनर्विचार करता है। वह समाचारपत्र में समाचारों, चित्रों, विज्ञापनों के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों को कुछ इस तरह सजाता है कि वह अधिक आकर्षक प्रतीत हो। एक मेकअप-ममैन संपादकीय विवेक/दृष्टि के मनोनुकूल तमाम बदलाव कर बेहतर से बेहतर 'लेआउट' तैयार करने का प्रयत्न करता है। ये बदलाव पत्र के व्यक्तित्व और दृष्टि के अनुरूप ही कार्य करते हैं। ध्यातव्य है कि अखबार का डिजाइन (एक ऐसा ढाँचा जिसे लगभग स्थायीत्व प्राप्त होता है) ही पाठक के लिए उस पत्र के पहचान का प्रमुख कारण बन जाता है। उसमें पृष्ठों का वर्गीकरण इस तरह होता है कि खेल से सम्बन्धी खबरें खेल पृष्ठ पर हो, तो कारोबार-व्यवसाय से संबंधित खबरें कारोबार-जगत के पृष्ठ पर। प्राय: कुछ खास रंगों, रेखांकनों, पट्टियों और बार्डर-लाइन फेरमिंगों के द्वारा पत्र के अन्य सामग्रियों से संतुलन एवं संगति बैठाने की चेष्टा की जाती है। यह एकरूपता कई रूपों/प्रारूपों में देखने को मिलती है। प्रत्येक अखबार अपने मुख्य-पृष्ठ पर विज्ञापन (विशेषकर डिस्प्ले विज्ञापन) के लिए पर्याप्त जगह छोड़ते हैं; लेकिन कई मर्तबा आधे-आधे पृष्ठ के विज्ञापन भी प्रकाशित किए जाते हैं। यह भी देखने में आता है कि समाचार पत्र किसी पृष्ठ के 10 प्रतिशत हिस्से में ही कोई समाचार छापता है। बाकी पृष्ठ भौड़े इश्तहारों से अटे पड़े होते हैं। इस तरह के पृष्ठीय सजावट पत्र में प्रकाशित खबरों और विज्ञापनों के समीकरण को बिगाड़ते हैं। इससे समाचारपत्र का सौन्दर्य और पृष्ठीय आकर्षण घट जाता है। वस्तुत: समाचारपत्र के मुख्य-पृष्ठ पर विशेष ध्यान दिया जाता है; क्योंकि वह किसी समाचारपत्र का 'शो-विन्डो' होता है।

दैनिक समाचारपत्रों में साफ और सुघड़ किनारे वाले मुद्रित अक्षर, प्रकाशित चित्र एवं विज्ञापन तो मुख्य घटक होते ही हैं। साथ में कई सहयोगी चीजें भी पृष्ठीय समायोजन के अन्तर्गत विशेष कलात्मक प्रभाव पैदा करती हैं। यथा-जरूरी खाली जगह, बाक्स, एनिमेटेड चेहरे, बार्डर, छोटे-बडे रंगीन वृत्त के छल्ले तथा पृष्ठीय रंग एवं अक्षरों की घुमावदार/सजावटी आकार-प्रकार। वर्तमान में रंगों के ढेरों विकल्प हैं। प्राथमिक रंग के अतिरिक्त द्वितीयक रंगों का प्रयोग आज के समाचारपत्रों द्वारा बढ़-चढ़ कर किया जा रहा है।

4.4 स्वयं-अध्ययन के लिए प्रश्न।

प्रश्न 1 : निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए पर्यायों में से उचित पर्याय चुनकर वाक्य फिर से लिखिए।

1. समाचार का सीधा संबंध मनुष्य की सतत ..... से है।

(अ) जिज्ञासा (आ) आशंका (इ) डर (ई) सजगता

2. समाचार शब्द अंग्रेजी शब्द ..... का हिन्दी अनुवाद है।

(अ) 'न्यूज' (आ) कवरेज (इ) रिपोर्ट (ई) डाक्युमेंट

3. हार्पर लीच और जान सी कैरोल के अनुसार समाचार एक गतिशील ..... है।

(अ) साहित्य (आ) न्यूज (इ) रिपोर्ट (ई) डाक्युमेंट

4. सामाजिक कुरीतियों को मिटाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाना 'पत्रकारिता' का ..... है।

(अ) उद्देश्य (आ) जीवन (इ) रिपोर्ट (ई) व्यवसाय

5. तथ्यात्मकता, नवीनता, सामयिकता, निकटता, प्रभाव, नीतिगत, ढांचा, अनोखापन, उपयोगी जानकारियाँ आदि पत्रकारिता के प्रमुख ..... है।

(अ) उद्देश्य (आ) तत्त्व (इ) कार्य (ई) संदेश

6. किसी लेख, पुस्तक तथा दैनिक को व्यवस्थित करके सार्वजनिक प्रयोग अथवा प्रकाशन के योग्य बना देना ..... है।

(अ) संपादन (आ) लेखन (इ) परिमार्जन (ई) समाचार

7. संपादक को किसी समाचारपत्र का प्रधान ..... माना जाता है।

(अ) सेनापति (आ) सैनिक (इ) लेखनिक (ई) निर्माता

8. संपादक को इसका ध्यान रखना पडता है कि, समाचार का स्वरूप ..... न हो।

(अ) सनसनीखेज (आ) सामान्य (इ) अशुद्ध (ई) गलत

9. समाचार का स्वरूप सनसनीखेज न हो, इसका ध्यान ..... को रखना पडता है।

(अ) संपादक (आ) सामान्य (इ) लोगों (ई) सरकार

10. शीर्षक तीक्ष्ण एवं ..... होना चाहिए।

(अ) सुस्पष्ट (आ) सामान्य (इ) अस्पष्ट (ई) सनसनीखेज

11. समाचार की भाषा व्याकरण की दृष्टि से ..... नहीं होनी चाहिए।

(अ) सनसनीखेज (आ) सामान्य (इ) अशुद्ध (ई) गलत

12. पत्र-पत्रिकाओं की पाठकों को आकर्षित करने की क्षमता ..... की दृष्टि से आवश्यक बिंदु है।

(अ) साजसज्जा (आ) खबरों (इ) समाज (ई) पैसों

4.5 पारिभाषिक शब्द, शब्दार्थ

- **सावधिक** : निश्चित कार्यकाल वाले।
- **संशोधन** : ठीक करना, दुरुस्त करना।
- **परिष्कार** : 1. पूर्णत: स्वच्छ करना।

  2. सुरुचि-पूर्ण, सुंदर एवं स्वच्छ बनाना।
- **ओज** : 1. तेज।

  2. भाषा का वह गुण जिसे पढ़कर पाठकों के मन में वीरता, उत्साह आदि का आवेश बढ़ता है।
- **वांछनीय** : इच्छित, अपेक्षित।
- **आयाम** : विस्तार, अधिकतम सीमा।
- **भौडे** : बीभत्स।
- **पादटिप्पणी** : ग्रंथ के पृष्ठ के निचले भाग में सूचना एवं निर्देश हेतु लिखी गई बात, तलटीप।
- **परिमार्जित** : स्वच्छ किया हुआ, धोया हुआ।
- **आमुख** : आरंभ, प्रस्तावना, भूमिका।

4.6 स्वयं-अध्ययन प्रश्नों के उत्तर।

1. *(अ) जिज्ञासा।*
2. *(अ) 'न्यूज'।*
3. *(अ) साहित्य।*

4. *(अ) उद्देश्य।*

5. *(आ) तत्त्व।*

6. *(अ) संपादन।*

7. *(अ) सेनापति।*

8. *(अ) सनसनीखेज।*

9. *(अ) संपादक।*

10. *(अ) सुस्पष्ट।*

11. *(इ) अशुद्ध।*

12. *(अ) साजसज्जा।*

4.7 सारांश

किसी घटना की रिपोर्ट, पाठकों की रूचि, सामान्य से हटकर कुछ नई बात आदि को समाचार कहा है। अर्थात् जिज्ञासा को शांत करनेवाला कोई भी विषय जो नियम के दायरे में रहकर पाठकों तक पहुँचे उसे समाचार की कोटी में माना है।

समाचारों में सदा से ही समाज को प्रभावित करने की क्षमता रही है। समाज में जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा, और जो होना चाहिए यानी जिस परिवर्तन की जरूरत है, इन सब पर पत्रकार को नजर रखनी होती है। पत्रकारिता का उद्देश्य सच्ची घटनाओं पर प्रकाश डालनाहै, वास्तविकताओं को सामने लाना है। इसके बावजूद यह आशा की जाती है कि वह इस तरह काम करे कि 'बहुजन हिताय' की भावना सिद्ध हो। समाचार लेखन का उद्देश्य होता है- अपने आसपास तथा देश-विदेश में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त करना; सरकार तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा जनहितार्थ प्रसृत सूचनाओं से परिचित होना; शिक्षा, बाजार, रोजगार, बीमारी, नया अविष्कार आदि से संबंधित जानकारी से समाज को परिचित करना।

समस्याओं से ही समाचार का आधार तैयार होता है। किसी भी घटना, विचार और समस्या से जब काफी लोगों का सरोकार हो तो यह कह सकते है कि यह समाचार बनने के योग्य हैं। किसी घटना, विचार और समस्या के समाचार बनने की संभावना तब बढ़ जाती है, जब उनमें निम्नलिखित

में से कुछ या सभी तत्त्व शामिल हों- तथ्यात्मकता, नवीनता, जनरुचि, सामयिकता, निकटता, प्रभाव, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा, अनोखापन, उपयोगी जानकारियां।

संपादन का अर्थ है किसी लेख, पुस्तक, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या सार्वधिक पत्र या कविता के पाठ, भाषा, भाव या क्रम को व्यवस्थित करके तथा आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन, परिवर्तन। या परिवर्धन करके उसे सार्वजनिक प्रयोग अथवा प्रकाशन के योग्य बना देना। लेख और पुस्तक के संपादन में भाषा, भाव तथा क्रम के साथ-साथ उसमें आए हुए तथ्य एवं पाठ का भी संशोधन और परिष्कार किया जाता है। इस परिष्करण की क्रिया में उचित शीर्षक या उपशीर्षक दिया जाता है। अध्याय का क्रम ठीक किया जाता है। व्याकरण की दृष्टि से भाषा में सुधार किया जाता है। शैली और प्रभाव का सामंजस्य स्थापित किया जाता है। नाम, घटना, तिथि और प्रसंग का उचित योग दिया जाता है।

समाचारपत्रों के परिशिष्ठ ज्यादा प्रयोगधर्मी है। वे आजकल लेखों, चित्रों तथा विज्ञापनों को दो पृष्ठों के मध्य फैलाकार प्रकाशित करने लगे हैं। आधुनिक तकनीकी माध्यम और विकल्पों ने इस 'सेन्टर स्प्रेड' प्रविधि को काफी कलात्मक और प्रभावी ढंग से आज़माना शुरू कर दिया है। यह कहना अतिश्योक्तिपूर्ण नही होगा कि मनमाफिक मोटाई और आकार-प्रकार वाले शीर्षकों के प्रयोग ने पाठकों के दृष्टि-बोध और आकर्षणियता में रोमांच पैदा कर दिया है। आज पृष्ठ-निर्माणकर्ता के पास कंप्यूटर आधारित तकनीकि औजार के असीमित विकल्प है। वह स्थान की उपयुक्तता और स्थिति के हिसाब से पृष्ठीय समायोजन करता है। अधिसंख्य समाचारपत्रों के 'डिजाइन' तयशुदा होते हैं। उन्हें बस लेआउट बनाने के दरम्यान पृष्ठीय-मेकमप सम्बन्धी तैयारी में घंटों मगजमारी करनी पड़ती है। अत: पत्र/पत्रिकाओं के प्रभावी साज-सज्जा के तीन मूल घटक हैं जिस पर पृष्ठ-सज्जाकार का ध्यान केन्द्रित होता है; वे हैं-डिजाइन, लेआउट और मेकअप।

4.8 स्वाध्याय

4.8.1 टिप्पणी के लिए प्रश्न।

1. समाचार का स्वरूप।
2. समाचार का उद्देश्य।
3. समाचार संपादन का स्वरूप।
4. समाचारपत्रों की साजसज्जा।

4.8.2 लघुत्तरी प्रश्न।

1. समाचार का स्वरूप स्पष्ट कीजिए।
2. समाचार का उद्देश्य समझाइए।
3. समाचार संपादन का स्वरूप स्पष्ट कीजिए।
4. समाचारपत्रों की साजसज्जा कैसी होनी चाहिए।

4.8.3 दीर्घोत्तरी प्रश्न।

1. समाचार के तत्त्व स्पष्ट कीजिए।
2. समाचार संपादन का स्वरूप स्पष्ट करते हुए समाचार पत्रों की साजसज्जता पर प्रकाश डालिए।

4.9 क्षेत्रीय कार्य

1. अपने शहर में होनेवाले समाचार पत्रों के कार्यालयों में जाकर तथा संपादकों से मिलकर समाचार लेखन, समाचार का उद्देश्य और पत्र-पत्रिकाओं की साजसज्जा एवं संपादन की जानकारी प्राप्त कीजिए।

4.10 अतिरिक्त अध्ययन के लिए।

1. https://navinsamachar.com/communication-news-writing/
2. https://books.google.co.in/books?
3. समाचार लेखन : पी. के. आर्य।

❑ ❑ ❑